भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
हर भारतीय का बैंक
THE BANKER TO EVERY INDIAN

Supporting Agriculture
₹ 1,00,000 Cr Agri Credit

Finance for Artisans

नई ऊँचाइयों की ओर
Scaling New Heights

Homes for all
₹ 1,00,000 Cr Home Loans

Rapid industrialization

Using clean energy

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2011-2012

International presence
173 Offices - 34 Countries

EDUCATION

स्कूलों के लिए शुद्ध जल
Water Purifiers for Schools

स्कूलों के लिए पंखे
Fans for Schools

HEALTHCARE

एम्बुलेंस Ambulance

रक्तदान Blood Donation

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को लाभांश वारंट सौंपते हुए बैंक के अध्यक्ष श्री प्रतीप चौधरी
Dividend Warrant being handed over to Hon'ble Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee by Shri Pratip Chaudhuri, Chairman

दिनांक 20 जून 2011 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक महासभा
Annual General Meeting of Shareholders on 20th June, 2011

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 57वीं वार्षिक महासभा **''वाई. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम''**, वाई. बी. चव्हाण केंद्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2012 को अपराह्न 03.30 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु होगी:-

''स्टेट बैंक का 31 मार्च 2012 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की स्टेट बैंक की कार्य-प्रणाली और कार्यकलाप पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट और तुलन-पत्र व लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना''

केंद्रीय कार्यालय,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई - 400 021

(प्रतीप चौधरी)
अध्यक्ष

दिनांक: 25 अप्रैल, 2012

महत्वपूर्ण सूचना
घोषित लाभांश : **₹35/-** प्रति शेयर
लाभांश भुगतान तिथि : **15.06.2012**
बहीबंदी की अवधि : **26.05.2012 से 31.05.2012**
रेकॉर्ड तिथि : **25.05.2012**

NOTICE

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

NOTICE

The 57th Annual General Meeting of shareholders of State Bank of India will be held at the **"Y. B. Chavan Auditorium"**, Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai-400021 (Maharashtra) on Friday, the 22nd June, 2012 at 03.30 P.M. for transacting the following business:-

''to receive, discuss and adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the State Bank made up to the 31st day of March 2012, the report of the Central Board on the working and activities of the State Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts''.

Central Office,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400 021

(PRATIP CHAUDHURI)
CHAIRMAN

Date: 25th April, 2012

IMPORTANT INFORMATION
Dividend Declared: ₹ **35/-** per share
Dividend Payment Date: **15.06.2012**
Period of Book Closure: **26.05.2012 to 31.05.2012**
Record Date : **25.05.2012**

एसबीआई समूह संरचना, दिनांक 31.03.2012 को
SBI GROUP STRUCTURE As On 31.03.2012

एसबीआई परिवार वृक्ष/SBI FAMILY TREE

एसबीआई/SBI

देश में स्थित बैंकिंग अनुषंगियाँ
Domestic Banking Subsidiaries

स्वामित्व अंश % / Ownership figures in %

- 75.07 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
  State Bank of Bikaner & Jaipur
- 100 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
  State Bank of Hyderabad
- 92.33 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
  State Bank of Mysore
- 100 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
  State Bank of Patiala
- 75.01 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
  State Bank of Travancore

गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ
Non Banking Subsidiaries

स्वामित्व अंश % / Ownership figures in %

- 100 एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
  SBI Capital Markets Ltd.
  - एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.
    SBI CAP Securities Ltd.
  - एसबीआई कैप वेंचर्स लि.
    SBI CAP Ventures Ltd.
  - एसबीआईकैप (यूके) लि.
    SBI CAP (UK Ltd.)
  - एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.
    SBI CAP Trustees Co. Ltd.
  - एसबीआई कैप (सिंगापुर लि.)
    SBI CAP (Singapore Ltd.)
- 71.56 एसबीआई डीएफएचआई लि.
  SBI DFHI Ltd.
- 100 एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
  SBI Payment Services Pvt. Ltd.
- 100 एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
  SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd.
- 86.18 एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
  SBI Global Factors Ltd.
- 98.15 एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
  SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
- 63 एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
  SBI Funds Management Pvt. Ltd.
  - एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (अंतरराष्ट्रीय) प्रा. लि.
    SBI Funds Mgt. (International) Pvt. Ltd.
- 60 एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
  SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.
- 74 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
  SBI Life Insurance Company Ltd.
- 65 एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.
  SBI-SG Global Securities Services Pvt. Ltd.
- 74 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
  SBI General Insurance Company Ltd.

संयुक्त उद्यम
Joint Ventures

स्वामित्व अंश % / Ownership figures in %

- 49 — सी–एज टेकनोलॉजीज लि. / C-Edge Technologies Ltd.
- 40 — जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. / GE Capital Business Process Mgt. Services Pvt. Ltd.
- 45 — मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. / Macquarie SBI Infrastructure Mgt. Pte. Ltd.
  - मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि. / Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.
- 45 — एसबीआई मैकवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. / SBI Macquarie SBI Infrastructure Mgt. Pvt. Ltd.
- 45 — एसबीआई मैकवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि. / SBI Macquarie SBI Infrastructure Trustee Pvt. Ltd
- 50 — ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड– मैनजमेंट कंपनी प्रा.लि. / Oman India Joint Investment Fund-Mgt. Co Pvt. Ltd.
- 50 — ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड–ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. / Oman India Joint Investment Fund-Trustee Co Pvt. Ltd.

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ
Foreign Banking Subsidiaries

स्वामित्व अंश % / Ownership figures in %

- 100 — स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) / State Bank of India (California)
- 100 — स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा) / State Bank of India (Canada)
- 60 — कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को / Commercial Bank of India LLC, Moscow
- 93.40 — एसबीआई (मॉरीशस) लि. / SBI (Mauritius) Ltd.
- 76 — पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया / PT Bank SBI Indonesia
- 55.05 — नेपाल एसबीआई बैंक लि. / Nepal SBI Bank Ltd.

विषय-सूची

रेटिंग्स 5
10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन 6
निष्पादन और उल्लेखनीय तथ्य 8
₹ अर्जित, ₹ खर्च 9
केन्द्रीय निदेशक बोर्ड 10
बोर्ड की समितियाँ, स्थानीय बोर्डों के सदस्य एवं केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य और बैंक के लेखापरीक्षक 11
अध्यक्ष की कलम से 18
निदेशकों की रिपोर्ट
- आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश 30
- वित्तीय निष्पादन 32
- मुख्य परिचालन
  - वैश्विक बाजार परिचालन 36
  - कारपोरेट बैंकिंग समूह 38
  - मध्य कारपोरेट समूह 42
  - राष्ट्रीय बैंकिंग समूह 44
  - अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह (आईबीजी) 54
  - ग्राहक सेवा गुणवत्ता उपाय 58
  - अनर्जक आस्ति प्रबंधन 60
  - कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय 62
  - वित्तीय समावेशन 64
- समर्थन एवं नियंत्रण परिचालन
  - सूचना प्रौद्योगिकी 66
  - जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण 70
  - व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास 76
  - मानव संसाधन 76
  - राजभाषा 80
  - सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति नीति 80
  - बैंक की आउटसोर्सिंग नीति 80
  - कारपोरेट सामाजिक दायित्व 82
  - सहयोगी एवं अनुषंगियां 90
  - सूचना का अधिकार अधिनियम 102
  - उत्तरदायित्व वक्तव्य, आभार 102

कारपोरेट अभिशासन 104
अनुलग्नक I से V 130
तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- भारतीय स्टेट बैंक 146
- स्टेट बैंक समूह (समेकित) 202

नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (बेसल-II) स्तंभ-III (बाजार अनुशासन) प्रकटीकरण 255
प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची, एनईसीएस निर्देश फॉर्म 281

CONTENTS

Ratings 5
Financial Highlights for 10 years 7
Performance & Highlights 8
₹ Earned, ₹ Spent 9
Central Board of Directors 10
Committees of the Board, Members of the Local Boards, Members of the Central Management Committee and the Bank's Auditors 11
From the Chairman's Desk 19
Directors' Report
- Economic Backdrop and Banking Environment 31
- Financial Performance 33
- CORE OPERATIONS
  - Global Markets Operations 37
  - Corporate Banking Group 39
  - Mid Corporate Group 43
  - National Banking Group 45
  - International Banking Group (IBG) 55
  - Customer Service Quality Initiatives 59
  - NPA Management 61
  - Corporate Strategy and New Businesses 63
  - Financial Inclusion 65
- SUPPORT & CONTROL OPERATIONS
  - Information Technology 67
  - Risk Management & Internal Controls 71
  - Business Process Re-Engineering 77
  - Human Resources 77
  - Official Language 81
  - Compensation Policy for Deficiency in Service 81
  - Bank's Outsourcing Policy 81
  - Corporate Social Responsibility 83
  - Associates & Subsidiaries 91
  - Right to Information Act 103
  - Responsibility Statement, Acknowledgement 103

Corporate Governance 105
Annexures I to V 131
Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash Flow Statement and Report of the Auditors of
- State Bank of India 146
- State Bank Group (Consolidated) 202

New Capital Adequacy Framework (Basel-II) Pillar - III (Market Discipline) Disclosures 255
Proxy Form, Attendance Slip, NECS Mandate Form 282

रेटिंग्स / RATINGS

	रेटिंग 31.03.2012	रेटिंग एजेंसी		RATING as on 31.03.2012	RATING AGENCY
बैंक रेटिंग	बीएए3/पी3/ स्टेबल/डी+	मूडीज	BANK RATING	Baa3/P3/ Stable/D+	Moody's
	बीबीबी–स्टेबल/ए3	एसएण्डपी		BBB-Stable/A3	S & P
	बीबीबी–/एफ3/ स्टेबल	फिच		BBB-/F3/Stable	Fitch
लिखत रेटिंग नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	एएए–स्टेबल	क्रिसिल	INSTRUMENT RATING Innovative Perpetual Debt Instruments	AAA-STABLE	CRISIL
	केयर – एएए	केयर		CARE- AAA	CARE
उच्चतर टियर II गौण ऋण	एएए–स्टेबल	क्रिसिल	Upper Tier II Subordinated Debt	AAA-STABLE	CRISIL
	केयर– एएए	केयर		CARE- AAA	CARE
न्यूनतर टियर II गौण ऋण	एएए–स्टेबल	क्रिसिल	Lower Tier II Subordinated Debt	AAA-STABLE	CRISIL
	केयर– एएए	केयर		CARE- AAA	CARE
	एलएएए– आइसीआरए	आइसीआरए		LAAA-ICRA	ICRA

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
क्रिसिल: क्रिसिल लि.
CARE : Credit Analysis & Research Limited
CRISIL: CRISIL Ltd.

आईसीआरए : आईसीआरए लि.
एसएण्डपी : स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर
ICRA : ICRA Ltd.
S & P : Standard & Poor

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
देयताएँ										
पूंजी (₹ करोड़)	526	526	526	526	526	631	635	635	635	671
आरक्षितियाँ (₹ करोड़)	16677	19705	23546	27118	30772	48401	57313	65314	64351	83280
जमाराशियाँ (₹ करोड़)	296124	318619	367048	380046	435521	537404	742073	804116	933933	1043647
उधारियाँ (₹ करोड़)	9304	13431	19184	30642	39704	51728	53713	103012	119569	127006
अन्य (₹ करोड़)	53246	55534	49579	55538	60042	83362	110698	80337	105248	80915
कुल (₹ करोड़)	**375877**	**407815**	**459883**	**493870**	**566565**	**721526**	**964432**	**1053414**	**1223736**	**1335519**
आस्तियाँ										
विनिधान (₹ करोड़)	172348	185676	197098	162534	149149	189501	275954	285790	295601	312198
अग्रिम (₹ करोड़)	137759	157934	202374	261642	337337	416768	542503	631914	756719	867579
अन्य आस्तियाँ (₹ करोड़)	65770	64205	60411	69694	80079	115257	145975	135710	171416	155742
कुल (₹ करोड़)	**375877**	**407815**	**459883**	**493870**	**566565**	**721526**	**964432**	**1053414**	**1223736**	**1335519**
निवल ब्याज आय (₹ करोड़)	9978	11186	13945	15589	15058	17021	20873	23671	32526	43291
एनपीए के लिए प्रावधान (₹ करोड़)	2592	3703	1204	148	1429	2001	2475	5148	8792	11546
परिचालन परिणाम (₹ करोड़)	7775	9553	10990	11299	10000	13108	17915	18321	25336	31574
कर - पूर्व निवल लाभ (₹ करोड़)	5267	4971	6522	6906	7625	10439	14181	13926	14954	18483
निवल लाभ (₹ करोड़)	3105	3681	4305	4407	4541	6729	9121	9166	8265	11707
औसत आस्तियों से आय (%)	0.86	0.94	0.99	0.89	0.84	1.01	1.04	0.88	0.71	0.88
ईक्विटी से आय (%)	18.05	18.19	18.10	15.47	14.24	17.82	15.07	14.04	12.84	14.36
आय की तुलना में व्यय (%) (कुल निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	50.53	49.18	47.83	58.70	54.18	49.03	46.62	52.59	47.60	45.23
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ '000)	148	177	207	217	237	373	474	446	385	531
प्रति शेयर आय (₹)	59.00	69.94	81.79	83.73	86.10	126.62	143.77	144.37	130.16	184.31
प्रति शेयर लाभांश (₹)	8.50	11.00	12.50	14.00	14.00	21.50	29.00	30.00	30.00	35.00
एसबीआई शेयर (एनएसई में मूल्य) (₹)	270.00	605.85	654.80	968.50	994.45	1600.25	1067.10	2078.20	2765.30	2096.35
लाभांश भुगतान अनुपात % (₹)	14.40	15.72	15.28	16.72	16.22	20.18	20.19	20.78	23.05	20.06
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बेसल-I (%)	13.50	13.53	12.45	11.88	12.34	13.54	12.97	12.00	10.69	12.05
टियर I	8.81	8.34	8.04	9.36	8.01	9.14	8.53	8.46	6.93	8.50
टियर II	4.69	5.19	4.41	2.52	4.33	4.40	4.44	3.54	3.76	3.55
बेसल-II (₹ करोड़)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	85393	90975	98530	116325
बेसल-II (%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14.25	13.39	11.98	13.86
टियर I (₹ करोड़)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	56257	64177	63901	82125
टियर I (%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9.38	9.45	7.77	9.79
टियर II (₹ करोड़)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	29136	26798	34629	34200
टियर II (%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4.87	3.94	4.21	4.07
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	4.50	3.48	2.65	1.88	1.56	1.78	1.79	1.72	1.63	1.82
देश में स्थित शाखाओं की संख्या	9033	9039	9102	9177	9231	10186	11448	12496	13542	14097
विदेश में स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	48	54	54	70	83	84	92	142	156	173

FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE LAST 10 YEARS

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Liabilities										
Capital (₹ crores)	526	526	526	526	526	631	635	635	635	671
Reserves & Surplus (₹ crores)	16677	19705	23546	27118	30772	48401	57313	65314	64351	83280
Deposits (₹ crores)	296124	318619	367048	380046	435521	537404	742073	804116	933933	1043647
Borrowings (₹ crores)	9304	13431	19184	30642	39704	51728	53713	103012	119569	127006
Other's (₹ crores)	53246	55534	49579	55538	60042	83362	110698	80337	105248	80915
Total (₹ crores)	**375877**	**407815**	**459883**	**493870**	**566565**	**721526**	**964432**	**1053414**	**1223736**	**1335519**
Assets										
Investments (₹ crores)	172348	185676	197098	162534	149149	189501	275954	285790	295601	312198
Advances (₹ crores)	137759	157934	202374	261642	337337	416768	542503	631914	756719	867579
Other Assets (₹ crores)	65770	64205	60411	69694	80079	115257	145975	135710	171416	155742
Total (₹ crores)	**375877**	**407815**	**459883**	**493870**	**566565**	**721526**	**964432**	**1053414**	**1223736**	**1335519**
Net Interest income (₹ crores)	9978	11186	13945	15589	15058	17021	20873	23671	32526	43291
Provisions for NPA (₹ crores)	2592	3703	1204	148	1429	2001	2475	5148	8792	11546
Operating Result (₹ crores)	7775	9553	10990	11299	10000	13108	17915	18321	25336	31574
Net Profit Before Taxes (₹ crores)	5267	4971	6522	6906	7625	10439	14181	13926	14954	18483
Net Profit (₹ crores)	3105	3681	4305	4407	4541	6729	9121	9166	8265	11707
Return on Average Assets (%)	0.86	0.94	0.99	0.89	0.84	1.01	1.04	0.88	0.71	0.88
Return on Equity (%)	18.05	18.19	18.10	15.47	14.24	17.82	15.07	14.04	12.84	14.36
Expenses to Income (%) (Operating Expenses to total Net Income)	50.53	49.18	47.83	58.70	54.18	49.03	46.62	52.59	47.60	45.23
Profit Per Employee (₹'000)	148	177	207	217	237	373	474	446	385	531
Earnings Per Share (₹)	59.00	69.94	81.79	83.73	86.10	126.62	143.77	144.37	130.16	184.31
Dividend Per Share (₹)	8.50	11.00	12.50	14.00	14.00	21.50	29.00	30.00	30.00	35.00
SBI Share (Price on NSE) (₹)	270.00	605.85	654.80	968.50	994.45	1600.25	1067.10	2078.20	2765.30	2096.35
Dividend Payout Ratio % (₹)	14.40	15.72	15.28	16.72	16.22	20.18	20.19	20.78	23.05	20.06
Capital Adequacy Ratio (%)										
Basel- I	13.50	13.53	12.45	11.88	12.34	13.54	12.97	12.00	10.69	12.05
Tier I	8.81	8.34	8.04	9.36	8.01	9.14	8.53	8.46	6.93	8.50
Tier II	4.69	5.19	4.41	2.52	4.33	4.40	4.44	3.54	3.76	3.55
Basel- II (₹ crores)							85393	90975	98530	116325
Basel- II (%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14.25	13.39	11.98	13.86
Tier I (₹ crores)							56257	64177	63901	82125
Tier I (%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	9.38	9.45	7.77	9.79
Tier II (₹ crores)							29136	26798	34629	34200
Tier II (%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4.87	3.94	4.21	4.07
Net NPA to Net Advances (%)	4.50	3.48	2.65	1.88	1.56	1.78	1.79	1.72	1.63	1.82
Number of Domestic Branches	9033	9039	9102	9177	9231	10186	11448	12496	13542	14097
Number of Foreign Branches/Offices	48	54	54	70	83	84	92	142	156	173

निष्पादन संकेतक
Performance Indicators

पूंजी पर्याप्तता अनुपात %
Capital Adequacy Ratio %

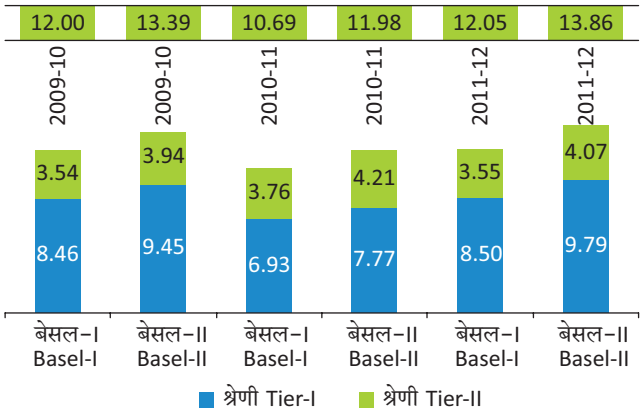

जमाराशियाँ एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)
Deposits and Advances (₹ in crores)

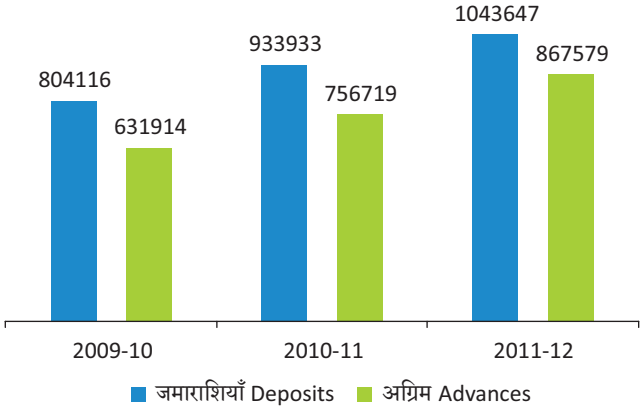

आस्तियों से आय %
Return on Assets %

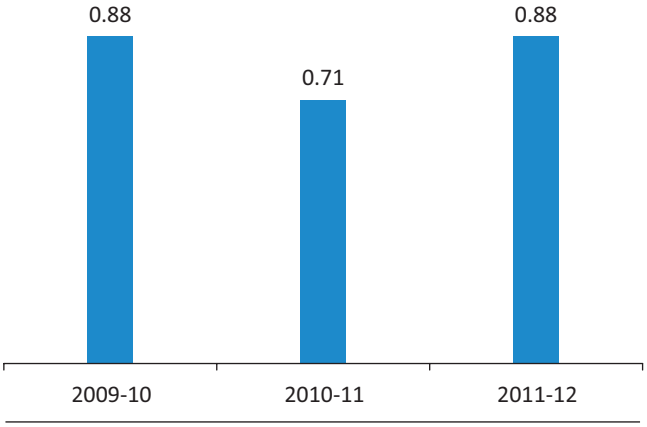

निवल अनर्जक आस्ति अनुपात %
Net NPA Ratio %

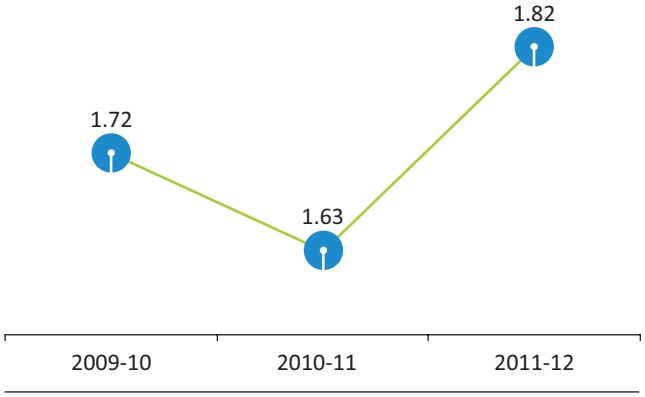

निवल ब्याज मार्जिन %
Net Interest Margin %

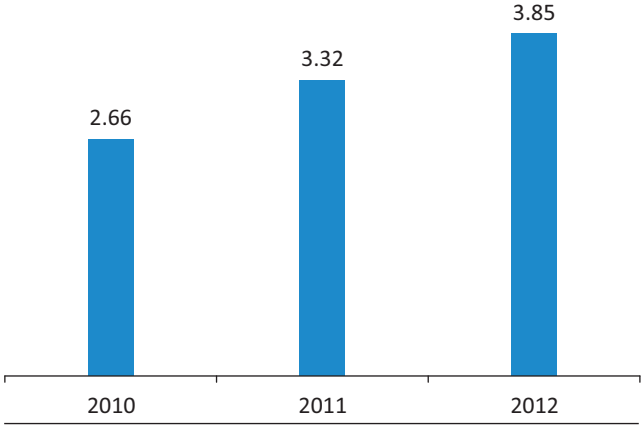

आय की तुलना में लागत अनुपात %
Cost to Income Ratio %

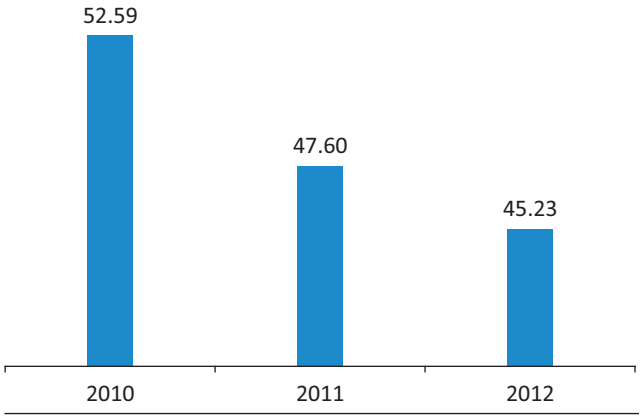

उल्लेखनीय तथ्य / HIGHLIGHTS

वर्ष के लिए / FOR THE YEAR

कुल आय / Total Income
₹ करोड़ / ₹ crores
24.33 % △

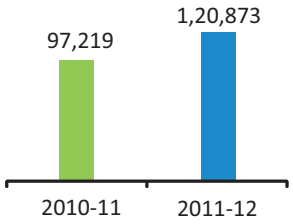

निवल लाभ / Net Profit
₹ करोड़ / ₹ crores
41.66 % △

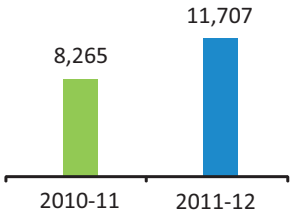

प्रति शेयर आय / Earnings per Share
₹ मूल / ₹ Basic
41.60 % △

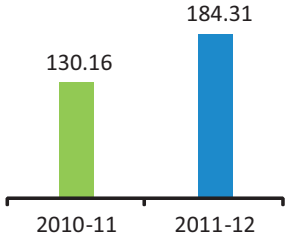

ईक्विटी पर आय / Return on Equity
%
11.84 % △

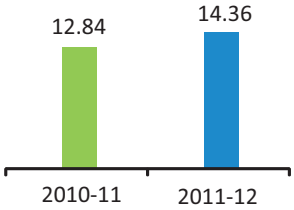

₹ अर्जित ₹ खर्च / ₹ Earned ₹ Spent

अर्जित ₹ Earned

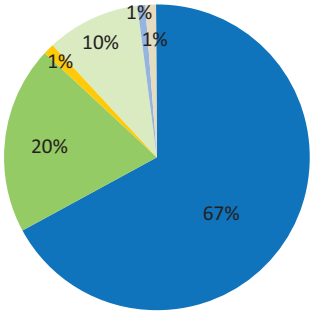

- अग्रिमों/बिलों पर ब्याज एवं बट्टा
  Interest & discount on Advances/Bills
- निवेशों पर ब्याज
  Interest on Investments
- अन्य विविध ब्याज
  Other Sundry Interest
- कमीशन, विनिमय एवं दलाली
  Commission, Exchange & Brokerage
- अनुषंगियों/सहयोगियों से लाभांश
  Dividend from Subsidiaries/Associates
- विविध आय
  Miscellaneous Income

(प्रतिशत में)(in %)

खर्च ₹ Spent

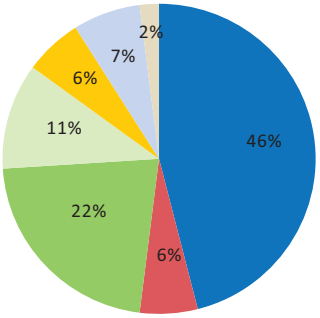

- जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज
  Interest Paid on Deposits
- उधारियों/बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज
  Interest Paid on Borrowings/Bonds
- परिचालन व्यय
  Operating Expenses
- प्रावधान
  Provisions
- कर
  Tax
- आरक्षितियों को अंतरण
  Transfer to reserves
- लाभांश एवं लाभांश कर
  Dividend & Tax on Dividend

(प्रतिशत में)(in %)

केंद्रीय निदेशक बोर्ड
CENTRAL BOARD OF DIRECTORS

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष
Shri Pratip Chaudhuri
Chairman

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक
Shri Hemant G. Contractor
Managing Director

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक
Shri Diwakar Gupta
Managing Director

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक
Shri A. Krishna Kumar
Managing Director

श्री दिलीप सी. चौकसी
निदेशक
Shri Dileep C. Choksi
Director

श्री एस. वैंकटाचलम
निदेशक
Shri S. Venkatachalam
Director

श्री डी. सुंदरम
निदेशक
Shri D. Sundaram
Director

श्री पार्थसारथी अय्यंगार
निदेशक
Shri Parthasarathy Iyengar
Director

श्री ज्योति भूषण महापात्रा
निदेशक
Shri J. B. Mohapatra
Director

श्री जी. डी. नडाफ
निदेशक
Shri G. D. Nadaf
Director

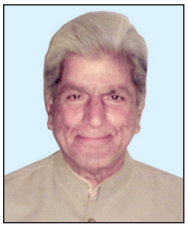

श्री रशपाल मल्होत्रा
निदेशक
Shri Rashpal Malhotra
Director

श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन
निदेशक
Shri Deepak Ishwarbhai Amin
Director

श्री डी. के. मित्तल
निदेशक
Shri D. K. Mittal
Director

डॉ. सुबीर विठ्ठल गोकर्ण
निदेशक
Dr. Subir Vithal Gokarn
Director

केंद्रीय निदेशक बोर्ड 18 मई 2012 को

अध्यक्ष
श्री प्रतीप चौधरी

प्रबंध निदेशक
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
श्री दिवाकर गुप्ता
श्री ए. कृष्ण कुमार

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री दिलीप सी. चौकसी
श्री एस. वैंकटाचलम
श्री डी. सुंदरम
श्री पार्थसारथी अय्यंगार
कार्यकाल: 3 वर्ष और फिर से 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र
अधिकतम कार्यकाल: लगातार 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(गक) के अंतर्गत निदेशक
श्री ज्योति भूषण महापात्रा
कार्यकाल: 3 वर्ष और पुनर्नियुक्ति/पुनर्नामांकन हेतु पात्र, परंतु अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष, या जिस तरह से अधिसूचना में दर्शाया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(गख) के अंतर्गत निदेशक
श्री जी. डी. नडाफ
कार्यकाल: 3 वर्ष और पुनर्नियुक्ति/पुनर्नामांकन हेतु पात्र, परंतु अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष, या जिस तरह से अधिसूचना में दर्शाया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(घ) के अंतर्गत निदेशक
श्री रशपाल मल्होत्रा
श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन
कार्यकाल: 3 वर्ष और पुनर्नियुक्ति/पुनर्नामांकन हेतु पात्र, परंतु अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष, या जिस तरह से अधिसूचना में दर्शाया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ङ) के अंतर्गत निदेशक
श्री डी. के. मित्तल

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत निदेशक
डॉ. सुबीर विठ्ठल गोकर्ण

Central Board of Directors As on 18th May 2012

Chairman
Shri Pratip Chaudhuri

Managing Directors
Shri Hemant G. Contractor
Shri Diwakar Gupta
Shri A. Krishna Kumar

Directors elected under Section 19(c) of SBI Act

Shri Dileep C. Choksi
Shri S. Venkatachalam
Shri D. Sundaram
Shri Parthasarathy Iyengar
Term: 3 years and eligible for re-election for further period of 3 years
Maximum tenure: 6 years continuously

Director under Section 19(ca) of SBI Act
Shri Jyoti Bhushan Mohapatra
Term: 3 years and eligible for re-appointment/ re-nomination, subject to a maximum tenure of 6 years, or as indicated in the Notification

Director under Section 19(cb) of SBI Act
Shri G. D. Nadaf
Term: 3 years and eligible for re-appointment/ re-nomination, subject to a maximum tenure of 6 years, or as indicated in the Notification

Directors under Section 19(d) of SBI Act
Shri Rashpal Malhotra
Shri Deepak Ishwarbhai Amin
Term: 3 years and eligible for re-appointment / re-nomination, subject to a maximum tenure of 6 years, or as indicated in the Notification

Director under Section 19(e) of SBI Act
Shri D. K. Mittal

Director under Section 19(f) of SBI Act
Dr. Subir Vithal Gokarn

दिनांक 18 मई 2012 को बोर्ड की समितियां

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)

अध्यक्ष, श्री प्रतीप चौधरी

प्रबंध निदेशक, श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, श्री दिवाकर गुप्ता एवं श्री ए. कृष्ण कुमार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती), डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण और भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित सभी या अन्य कोई निदेशक।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी)

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री डी. सुंदरम, निदेशक - सदस्य

श्री पार्थसारथी अय्यंगार, निदेशक - सदस्य

श्री डी. के. मित्तल, - भारत सरकार के नामिती - सदस्य (पदेन)

डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती - सदस्य (पदेन)

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन) समिति के अध्यक्ष

श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी-सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक - सदस्य

श्री डी. सुंदरम, निदेशक - सदस्य

श्री पार्थसारथी अय्यंगार, निदेशक - सदस्य

बोर्ड की शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी)

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक - सदस्य

श्री रशपाल मल्होत्रा, निदेशक - सदस्य

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी-सदस्य (पदेन)

Committees of the Board As on 18th May 2012

EXECUTIVE COMMITTEE OF THE CENTRAL BOARD (ECCB)

Chairman, Shri Pratip Chaudhuri

Managing Directors, Shri Hemant G. Contractor, Shri Diwakar Gupta and Shri A. Krishna Kumar, Director nominated under Section 19(f) of the SBI Act (Reserve Bank of India nominee), Dr. Subir V. Gokarn, and all or any of the other Directors *who are normally residents* or may for the time being be present at any place within India where the meeting is held.

Audit Committee of the Board (ACB)

Shri Dileep C. Choksi, Director – Chairman of the Committee

Shri D. Sundaram, Director – Member

Shri Parthasarathy Iyengar, Director – Member

Shri D. K. Mittal, GOI Nominee – Member (Ex-officio)

Dr. Subir V. Gokarn, RBI Nominee – Member (Ex-officio)

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB)- Member (Ex-Officio)

Shri A. Krishna Kumar, MD & GE (NB) – Member (Ex-Officio)

Risk Management Committee of the Board (RMCB)

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB) – Member (Ex-Officio) Chairman of the Committee

Shri Diwakar Gupta, MD&CFO-Member (Ex-officio)

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

Shri D. Sundaram, Director – Member

Shri Parthasarathy Iyengar, Director – Member

Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (SIGCB)

Shri S. Venkatachalam, Director– Chairman of the Committee

Shri Dileep C. Choksi, Director – Member

Shri Rashpal Malhotra, Director – Member

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB) – Member (Ex-officio)

Shri Diwakar Gupta, MD&CFO – Member (Ex-officio)

दिनांक 18 मई 2012 को बोर्ड की समितियां (जारी)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए निदेशक बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी–सदस्य (पदेन)– समिति के अध्यक्ष

श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (रा.बैं.) सदस्य (पदेन)

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक – सदस्य

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक – सदस्य

श्री पार्थसारथी अय्यंगार, निदेशक – सदस्य

श्री रशपाल मल्होत्रा, निदेशक – सदस्य

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) – सदस्य (पदेन) समिति के अध्यक्ष

श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) – सदस्य (पदेन)

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक – सदस्य

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक – सदस्य

श्री जी. डी. नडाफ, निदेशक – सदस्य

श्री रशपाल मल्होत्रा, निदेशक – सदस्य

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

श्री डी. सुंदरम, निदेशक – समिति के अध्यक्ष

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक – सदस्य

श्री पार्थसारथी अय्यंगार, निदेशक – सदस्य

श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी – सदस्य (पदेन)

श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) – सदस्य (पदेन)

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

श्री डी. के. मित्तल, – भारत सरकार के नामिती – सदस्य (पदेन)

डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती – सदस्य (पदेन)

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक – सदस्य

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक – सदस्य

Committees of the Board as on 18th May 2012 (Contd.)

Special Committee of the Board of Directors for Monitoring of Large Value Frauds (SCBMF)

Shri Diwakar Gupta, MD&CFO-Member (Ex-officio)-Chairman of the Committee

Shri A. Krishna Kumar, MD & GE (NB) – Member (Ex-Officio)

Shri Dileep C. Choksi, Director – Member

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

Shri Parthasarathy Iyengar, Director – Member

Shri Rashpal Malhotra, Director – Member

Customer Service Committee of the Board (CSCB)

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB) – Member (Ex-Officio) Chairman of the Committee

Shri A. Krishna Kumar, MD & GE (NB) – Member (Ex-Officio)

Shri Dileep C. Choksi, Director – Member

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

Shri G. D. Nadaf, Director – Member

Shri Rashpal Malhotra, Director – Member

IT Strategy Committee of the Board (ITSC)

Shri D. Sundaram, Director - Chairman of the Committee

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

Shri Parthasarathy Iyengar, Director – Member

Shri Diwakar Gupta, MD&CFO – Member (Ex-officio)

Shri A. Krishna Kumar, MD & GE (NB) – Member (Ex-Officio)

Remuneration Committee of the Board (RCB)

Shri D. K. Mittal, GOI Nominee – Member (Ex-officio)

Dr. Subir V. Gokarn, RBI Nominee – Member (Ex-officio)

Shri Dileep C. Choksi, Director – Member

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

स्थानीय बोर्डों के सदस्य प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) को छोड़कर, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21(1)(क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित

18 मई 2012 को

अहमदाबाद
श्री रमेश रंगन एस. ए.
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बेंगलूर
श्री अश्विनी मेहरा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल
श्री सुशील कुमार मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री रमेश वरलियानी
श्री जी. पी. गुप्ता
श्री मनोहर बोथरा

भुवनेश्वर
श्री प्रवीण कुमार गुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चंडीगढ़
श्री एन. कृष्णमाचारी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री रशपाल मल्होत्रा*
श्री विनोद बिहारी शर्मा

चेन्नई
श्री शरद शर्मा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री टी. आर. लोगनाथन

हैदराबाद
श्री राकेश शर्मा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

कोलकाता
श्री सुरेन्द्र कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री सुब्रत घोष

Members of Local Boards, other than Managing Director & Group Executive (National Banking), nominated by Chairman, in terms of Section 21(1)(a) of SBI Act, 1955

As on 18th May 2012

Ahmedabad
Shri Ramesh Rangan S.A
Chief General Manager (Ex-Officio)

Bangalore
Shri Ashwini Mehra
Chief General Manager (Ex-Officio)

Bhopal
Shri Sushil Kumar Mishra
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Ramesh Warlyani
Shri G. P. Gupta
Shri Manohar Bothra

Bhubaneswar
Shri Praveen Kumar Gupta
Chief General Manager (Ex-Officio)

Chandigarh
Shri N. Krishnamachari
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Rashpal Malhotra*
Snri Vinod Bihari Sharma

Chennai
Shri Sharad Sharma
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri T. R. Loganathan

Hyderabad
Shri Rakesh Sharma
Chief General Manager (Ex-Officio)

Kolkata
Shri Suriender Kumar
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Subrata Ghosh

स्थानीय बोर्डों के सदस्य (जारी)

लखनऊ
श्री के. रामचन्द्रन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री मदन मोहन शुक्ला

मुंबई
डॉ. जे. एन. मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री दिलीप सी. चौकसी*
श्री एस. वैंकटाचलम*
श्री डी. सुंदरम*
श्री पार्थसारथी अय्यंगार*
श्री प्रदीप एस. जैन
श्री. एस. एम. लोढा

दिल्ली
श्री बी. श्रीराम
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन*

उत्तर पूर्वी
श्री रजनीश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री अशोक कुमार दास

पटना
श्री जीवनदास नारायण
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री तनवीर अख्तर

केरल
श्री वी. मुरली
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री अल्फान्सो जॉन
श्री सुधीर अब्राहम

** भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21 (1) (ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक।*

Members of Local Boards (Contd.)

Lucknow
Shri K. Ramachandran
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Madan Mohan Shukla

Mumbai
Dr. J. N. Misra
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Dileep C. Choksi*
Shri S. Venkatachalam*
Shri D. Sundaram*
Shri Parthasarathy Iyengar*
Shri Pradeep S Jain
Shri S. M. Lodha

Delhi
Shri B. Sriram
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Deepak Ishwarbhai Amin*

North Eastern
Shri Rajnish Kumar
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Ashok Kumar Das

Patna
Shri Jeevandas Narayan
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Tanvir Akhtar

Kerala
Shri V. Murali
Chief General Manager (Ex-Officio)
Smt. Alphonsa John
Shri Sudhir Abraham

**Director on the Central Board nominated on the Local Boards as per Section 21(1)(b) of SBI Act*

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य (18 मई 2012 को)

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री श्यामल आचार्य
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री संतोष बी. नायर
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(कारपोरेट बैंकिंग)

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य
उप प्रबंध निदेशक एवं कारपोरेट विकास अधिकारी

श्री आर. वैंकटाचलम
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(मध्य कारपोरेट)

श्रीमती सौंदरा कुमार
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन)

श्री पी. प्रदीप कुमार
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(विश्व बाज़ार)

श्री आर. के. सराफ
उप प्रबंध निदेशक
(कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय)

श्री अतनु सेन
उप प्रबंध निदेशक और
मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी

MEMBERS OF CENTRAL MANAGEMENT COMMITTEE (As on 18th May 2012)

Shri Pratip Chaudhuri
Chairman

Shri Hemant G. Contractor
Managing Director & Group Executive
(International Banking)

Shri Diwakar Gupta
Managing Director & Chief Financial Officer

Shri A. Krishna Kumar
Managing Director & Group Executive
(National Banking)

Shri Shyamal Acharya
Deputy Managing Director & Group Executive
(Associates & Subsidiaries)

Shri Santosh B. Nayar
Deputy Managing Director & Group Executive
(Corporate Banking)

Smt. Arundhati Bhattacharya
Deputy Managing Director & Corporate
Development Officer

Shri R. Venkatachalam
Deputy Managing Director & Group Executive
(Mid Corporate)

Smt. Soundara Kumar
Deputy Managing Director & Group Executive
(Stressed Assets Management)

Shri P. Pradeep Kumar
Deputy Managing Director & Group Executive
(Global Markets)

Shri R. K. Saraf
Deputy Managing Director
(Corporate Strategy & New Businesses)

Shri Atanu Sen
Deputy Managing Director &
Chief Credit & Risk Officer

बैंक के लेखा परीक्षक

मेसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री,
मुंबई, मुंबई मंडल

मेसर्स बी. एम. चतरथ एण्ड कंपनी,
कोलकाता, बंगाल मंडल

मेसर्स के. के. सोनी एण्ड कंपनी,
नई दिल्ली, दिल्ली मंडल

मेसर्स एसवियर,
चेन्नई, चेन्नई मंडल

मेसर्स वेणुगोपाल एण्ड शिनॉय,
हैदराबाद, हैदराबाद मंडल

मेसर्स के. जी. सोमानी एण्ड कंपनी,
नई दिल्ली, लखनऊ मंडल

मेसर्स के. सी. मेहता एण्ड कंपनी,
वडोदरा, अहमदाबाद मंडल

मेसर्स डागलिया एण्ड कंपनी,
बेंगलूर, बेंगलूर मंडल

मेसर्स एम. वर्मा एण्ड एसोशिएट्स,
नई दिल्ली, चंडीगढ़ मंडल

मेसर्स कृष्णमूर्ति एण्ड कृष्णमूर्ति,
कोच्चि, केरल मंडल

मेसर्स तोदी तुलसियान एण्ड कंपनी,
पटना, पटना मंडल

मेसर्स सिंघी एण्ड कंपनी,
कोलकाता, उत्तरपूर्वी मंडल

मेसर्स एससीएम एसोशिएट्स,
भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मंडल

मेसर्स एसबीए एण्ड कंपनी,
इंदौर, भोपाल मंडल

THE BANK'S AUDITORS

M/s Kalyaniwalla & Mistry,
Mumbai, Mumbai Circle

M/s B. M. Chatrath & Co.,
Kolkata, Bengal Circle

M/s K. K. Soni & Co.,
New Delhi, Delhi Circle

M/s Essveeyar,
Chennai, Chennai Circle

M/s Venugopal & Chenoy,
Hyderabad, Hyderabad Circle

M/s K. G. Somani & Co.,
New Delhi, Lucknow Circle

M/s K. C. Mehta & Co.,
Vadodara, Ahmedabad Circle

M/s Dagliya & Co.,
Bangalore, Bangalore Circle

M/s M. Verma & Associates,
New Delhi, Chandigarh Circle

M/s Krishnamoorthy & Krishnamoorthy,
Kochi, Kerala Circle

M/s Todi Tulsyan & Co.,
Patna, Patna Circle

M/s Singhi & Co.,
Kolkata, North Eastern Circle

M/s SCM Associates,
Bhubaneshwar, Bhubaneswar Circle

M/s SBA & Company,
Indore, Bhopal Circle

अध्यक्ष की कलम से

"शुद्ध लाभ ₹10,000 करोड़ के पार – 41.66% वृद्धि के साथ ₹11,707 करोड़ पर पहुँचा – देश में किसी कारपोरेट द्वारा अर्जित एक सर्वोच्च लाभ"

6.5%

वर्ष 2010-11 में भारत की जीडीपी विकास दर

3.85%

शानदार शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में 53 आधार बिंदुओं की वृद्धि। वित्त वर्ष 12 में 3.85% जबकि वित्त वर्ष 11 में 3.32%

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपके बैंक के वित्त वर्ष 2011-12 के निष्पादन का ब्योरा प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। उक्त वर्ष की आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट भी भेज रहा हूँ, जिसमें आपके बैंक की इस वर्ष की कुछ बड़ी उपलब्धियों एवं प्रयासों की जानकारी दी गई है।

आर्थिक परिदृश्य

दुनिया भर में विकास दर का परिदृश्य यूरो क्षेत्र देशों के कर्ज संकट, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ज्यादातर देशों की कमजोर संवृद्धि दर के कारण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि वित्त वर्ष 12 में भारत की जीडीपी की विकास दर विश्व की सर्वोत्कृष्ट में से एक रही है, फिर भी अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में चिंताएँ भी हैं। मुद्रास्फीति कुछ कम हुई है किंतु सामान्य स्तर से ऊपर बनी हुई है और विकास दर में आशातीत कमी आई है। दोनों ऊंचे घाटे अर्थात चालू खाता घाटे और वित्तीय घाटे के साथ-साथ बढ़ी हुई मुद्रास्फीति विशेषकर खाद्यान्न मुद्रास्फीति विकास दर के लिए जोखिमपूर्ण है। इस परिवेश में भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 12 में गिरकर लगभग 6.5% रह गई है, जो वित्त वर्ष 11 में 8.4% की दर से बढ़ रही थी।

बैंक का वित्तीय निष्पादन

इस चुनौतीपूर्ण परिवेश में मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 11 के स्तर ₹8,265 करोड़ से 41.66% बढ़कर वित्त वर्ष 12

From the Chairman's Desk

"Net Profit crossed ₹10,000 crores – Increased by 41.66% to ₹11,707 crores – One of the highest net profits earned by any corporate in the country"

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure to place before you the highlights of your Bank's performance during the financial year 2011-12. Details of the achievements and initiatives taken by your Bank are provided in the enclosed Annual Report for the year.

6.5%

India's GDP growth in 2011-12

3.85%

Strong Net Interest Margin - Rose by 53 bps to 3.85% in FY'12 from 3.32% in FY'11

Economic Overview

The global growth environment has remained challenging due to the Euro zone sovereign debt crisis, volatile oil prices and fragile growth in most countries. Though India's GDP growth in FY'12 was one of the best in the world, there are concerns about the state of the economy. Inflation has moderated but remains above tolerance levels and growth has slowed perceptibly. The high twin deficits namely current account deficit and fiscal deficit, combined with elevated inflation, particularly food inflation, pose risks to growth. In this milieu, India's GDP has slowed to 6.5% in FY'12 after growing at 8.4% in FY'11.

Bank's Financial Performance

Against the backdrop of a challenging environment, I am happy to announce that Net Profit of your Bank increased by 41.66% from

''शुद्ध ब्याज आय में बेहतरीन वृद्धि दर्ज की गई – वित्त वर्ष 12 में यह 33.10% बढ़कर ₹43,291 करोड़ पर जा पहुँची''

में ₹11,707 करोड़ पर जा पहुँचा, जो देश में किसी कारपोरेट द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ में उच्चतम है। आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 12 में 24.62% बढ़कर ₹31,574 पर पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 11 में ₹25,336 करोड़ था। इससे पता चलता है कि बैंक के प्रमुख कारोबार बढ़िया रहे।

आपके बैंक ने शुद्ध ब्याज आय में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की और आय में लाभ की अपनी स्थिति मजबूत कर ली। विशेषकर अग्रिमों से हुई ब्याज आय वित्त वर्ष 11 में ₹59,976 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 12 में 35.18% बढ़कर ₹81,078 करोड़ पर पहुँच गई। विशेष रूप से, आपके बैंक की ब्याज आय में वित्त वर्ष 12 में 30.87% वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष 11 में 14.65% वृद्धि हुई थी। वित्त वर्ष 12 में ब्याज खर्च में वृद्धि 29.39% रही। शुल्क आय में भी वित्त वर्ष 12 में 4.56% वृद्धि दर्ज की गई। इस कारण, शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 12 में 33.10% बढ़कर ₹43,291 करोड़ पर पहुँच गई। परंतु, बाजार की स्थितियों के अनुरूप गैर-ब्याज आय में देश में ईक्विटी और बांडों की बिक्री के कारण ₹920 करोड़ के नुकसान की वजह से 9.31% की गिरावट दिखाई दी।

दूसरी ओर, थोक जमाराशियों पर कम निर्भरता के चलते जमाराशियों पर दिए गए ब्याज में वित्त वर्ष 11 के स्तर ₹43,235 करोड़ की तुलना में 28.70% की कम वृद्धि दिखाई दी और यह वित्त वर्ष 12 में ₹55,644 करोड़ पर ही पहुँच पाई। सबसे बढ़कर, आय मापदंडों में तिमाही उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि पिछले वर्ष में इसमें लगातार और खासी वृद्धि दिखाई दी, जिस कारण परिणाम अपेक्षानुरूप रहे।

सूझबूझ और बाजार को ध्यान में रखकर किए गए उपायों के कारण आपका बैंक लाभप्रदता के साथ ऋण दे सका और उचित लागत पर उधार ले सका। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 11 के 3.32% की तुलना में बढ़कर वित्त वर्ष 12 में जोरदार 3.85% रहना मजबूत स्थिति को दर्शाता है। इस प्रदर्शन को शानदार कहा जा सकता है क्योंकि आपके बैंक की आधार दर पूरे उद्योग में सबसे कम है। इससे स्पष्ट है कि लोगों का विश्वास हमारे साथ है और हम ''हर भारतीय का बैंक'' बनने की दिशा में अग्रसर हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा प्रदर्शन अन्यों की तुलना में बेहतर तो रहा ही है, साथ ही आपके बैंक का देश में निवल ब्याज मार्जिन 4.17% बेहतरीन है । इसीलिए हमारा स्थान अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत ऊँचा है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आय की वृद्धि दर व्यय की तुलना में कहीं अधिक है। स्टाफ खर्च को वर्तमान पारिश्रमिक और अधिवर्षिता खर्च के लिए प्रावधान करने के बाद बड़ी मात्रा में नियंत्रित रखा गया। वित्त वर्ष 11 में यह ₹15,213 करोड़ था जो 11.59% ही बढ़ा और वित्त वर्ष 12 में यह ₹16,974 करोड़ ही रहा। कुल मिलाकर सर्वांगीण सुधार के कारण कुल प्रावधान भी वित्त वर्ष 11 के स्तर ₹17,071 से सिर्फ 16.37% ही बढ़कर वित्त वर्ष 12 में ₹19,866 करोड़ रहे।

आस्ति गुणवत्ता

जोरदार संवृद्धि दर के साथ साथ आपके बैंक ने सुनिश्चित किया कि आस्ति गुणवत्ता लगातार अच्छी बनी रहे। मार्च 12 के अंत में आपके बैंक की सकल अनर्जक आस्तियाँ 4.44% रहीं। निवल अनर्जक आस्तियाँ दिसंबर 2011 में बढ़कर 2.22% हो गई थीं जो 2% की मनोवैज्ञानिक सीमा से नीचे गिरकर 1.82% पर आ गईं। आपके बैंक का प्रावधान सुरक्षा अनुपात मार्च 11 में 64.95% था, इसके बढ़कर मार्च 12 में 68.10% पर पहुँचना हमारी बेहतर सूझबूझ और सावधानी का परिचायक है।

"Robust increase recorded in Net Interest Income - up by 33.10% to ₹43,291 crores in FY'12."

₹8,265 crores in FY'11 to ₹11,707 crores in FY'12, one of the highest net profits earned by any corporate in the country. Operating Profit for your Bank crossed ₹30,000 crores mark, rising by 24.62% to ₹31,574 crores in FY'12 from ₹25,336 crores in FY'11, indicating that core operations remain robust.

Your Bank consolidated gains on the income side by recording a robust increase in Net Interest Income. In particular, Interest Income on Advances rose by 35.18% from ₹59,976 crores in FY'11 to ₹81,078 crores in FY'12. Interest income of your Bank increased by 30.87% in FY'12 against a growth of 14.65% in FY'11 while growth in interest expenses stood at 29.39% in FY'12. Fee income also recorded a rise of 4.56% in FY'12. Consequently, Net Interest Income increased by 33.10% to ₹43,291 crores in FY'12. However, reflecting market conditions, non-interest income showed a decline of 9.31% due to the loss of ₹920 crores on account of sale of domestic equity and bonds.

On the other hand, with lower reliance on bulk deposits, interest paid on deposits showed a smaller increase of 28.70% from ₹43,235 crores in FY'11 to ₹55,644 crores in FY'12. More importantly, the quarterly movement in income parameters shows that the last year has witnessed a constant and consistent up trend, leading to enduring results.

Due to a prudent and market driven approach, your Bank is able to lend profitably and borrow at a reasonable cost which is clearly shown by the strong Net Interest Margin (NIM) of 3.85% in FY'12, up from 3.32% in FY'11. This performance is remarkable because your Bank has the lowest Base Rate in the industry, so, clearly we have the trust of the people as we strive to be 'The Banker to Every Indian'. I can proudly say that not only have we outperformed our guidance but also your Bank's domestic NIM at 4.17% is remarkable as it ranks at the very top among its peers.

You will be happy to see that revenue growth has significantly outstripped growth in expenses. Staff expenses, which have largely been contained after full provisions for current wages and superannuation expenses rose by 11.59% from ₹15,213 crores in FY'11 to ₹16,974 crores in FY'12. Due to consolidated improvement all round, total provisions also increased by only 16.37% from ₹17,071 crores in FY'11 to ₹19,866 crores in FY'12.

Asset Quality

Along with robust growth, your Bank has ensured that asset quality is maintained. As of end-March'12, Gross NPAs of your Bank stood at 4.44%. Net NPAs, that had risen to 2.22% in December'11 also fell below the psychological threshold of 2% to 1.82%. What adds to our strength is that your Bank's Provision Coverage Ratio improved to 68.10% in March'12 from 64.95% in March'11, reflecting our abundant prudence and caution.

"सरकार से मार्च 2012 में ₹7,900 करोड़ आने से श्रेणी । पूँजी पर्याप्तता अनुपात के बढ़कर 9.79% पर पहुँचने में मदद मिली"

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2012 को आपके बैंक की बहियों में बकाया ₹37,168 करोड़ की कुल पुनर्संरचित मानक आस्तियों में से केवल ₹6,010 करोड़ अनर्जक आस्ति श्रेणी में हैं, इसलिए जोखिम भलीभांति नियंत्रित है।

अनर्जक आस्तियों के संबंध में हमारे द्वारा प्रतिबद्धता और सूझबूझ से प्रयास किए जाने के कारण स्थिति में यह सुधार संभव हो पाया है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने अपनी अनर्जक आस्तियों को घटाया है किंतु सूझबूझ के साथ उपाय करके प्रावधान बढ़ाए हैं। अनर्जक आस्तियों का स्तर नीचे आने का एक कारण वसूली बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा हर संभव प्रयास करना भी है। आपके बैंक द्वारा माड्यूल व्यवस्था को फिर से लागू करने और पास से नियंत्रण तथा निगरानी रखने के लिए माड्यूलों में उप महाप्रबंधकों को पदस्थ किए जाने से भी इसमें मदद मिली है। कुल मिलाकर, हमारा प्रयास रहा है कि अनर्जक आस्तियों के स्तर को यथासंभव कम से कम रखा जाए।

पूँजी संरचना

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 11 के स्तर 11.98% से बढ़कर मार्च 12 में 13.86% पर पहुँच गया। विशेषकर, श्रेणी-1 पूँजी पर्याप्तता अनुपात जो किसी भी बैंक का शक्ति स्तंभ होता है, इस अवधि के दौरान 7.77% से बढ़कर 9.79% पर जा पहुँचा।

यह सुधार सर्वप्रथम बैंक के भीतर से पहले की तुलना में अधिक राशि जुटाए जाने और लाभों से प्राप्त राशि के कारण आया। दूसरा मार्च 2012 के अंत में सरकार द्वारा ₹7,900 करोड़ का पूँजी विनिधान किए जाने के कारण हुआ। आपके बैंक द्वारा पूँजी अधिकतमकरण के लिए भरसक प्रयास किए जाने का भी अच्छा फल मिला।

मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पूँजी विनिधान 3-4 वर्षों में केवल एक बार होता है, पर आपका बैंक एक कर्तव्यबद्ध कारपोरेट नागरिक के अपने दायित्व का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करता रहा है और हर वर्ष देश भर में सबसे ज्यादा कर देने वाली संस्था है। आय कर और सेवा कर को मिलाकर आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2012 में ₹7,647 करोड़ का कुल कर दिया जबकि वित्त वर्ष 10 में ₹7,329 करोड़ का कर अदा किया था।

जमा और अग्रिम राशियाँ

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके बैंक की जमाराशियाँ मार्च 11 के स्तर ₹9,33,933 करोड़ से 11.75% बढ़कर मार्च 12 में ₹10,43,647 करोड़ पर पहुँच गईं। मैं आपका ध्यान इस हकीकत की ओर दिलाना चाहूँगा कि हमने न केवल अपनी जमाराशियाँ बढ़ाई हैं बल्कि आपके बैंक की जमाराशियों की वृद्धि दर का स्तर बहुत ऊँचा रहा है। मीयादी जमाराशियों में, हमने थोक जमाराशियों और जमा प्रमाणपत्रों को लेना बंद कर दिया है। इसके बजाय हम स्थायी मीयादी जमाराशियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन दिनों जब अन्य बैंक बचत बैंक जमाराशियों पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। आपके बैंक की बचत बैंक जमाराशियाँ मार्च 11 के स्तर ₹3,23,394 करोड़ से 11.27% बढ़कर मार्च 12 में ₹3,59,847 करोड़ पर पहुँच गई हैं।

ऐसा मल्टी सिटी चेकों के रूप में अपने सभी बचत बैंक ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवा देने, न्यूनतम शेष रखने की शर्त समाप्त करने, बड़ी संख्या में एटीएम लगाने और बचत बैंक खातेदारों को दुर्घटना बीमा देने से संभव हो सका।

"Govt. infusion of ₹7,900 crores in March 2012 helped Tier I Capital Adequacy Ratio increase to 9.79%."

Further, out of total Restructured Standard Assets of ₹37,168 crores outstanding on the books of your Bank as on 31st March 2012, only ₹6,010 crores are in the NPA category, so the risk is well contained.

Our improved performance in respect of NPAs has been possible due to our committed and focused efforts. You will be happy to see that we have reduced our NPAs but increased provisioning as a prudent measure. One reason for the low level NPAs is all-out efforts made by your Bank to step up recovery. This has also been helped by the fact that your Bank has revived the modular structure and posted DGMs at modules for closer supervision and monitoring. Going forward, our endeavour is to keep the NPA levels as low as possible.

Capital structure

I am happy to announce that the Capital Adequacy Ratio for your Bank increased from 11.98% in March'11 to 13.86% in March'12. Specifically, the Tier-1 Capital Adequacy Ratio, which is the bedrock of a bank's strength, rose from 7.77% to 9.79% during this period.

This turnaround has been helped firstly, by improved internal generation and plough back of profits. A second reason is the ₹7,900 crores capital infusion by the Government at the end of March 2012. Finally, the huge effort made by your Bank in terms of optimising capital has paid off.

Let me point out here that while capital infusion happens only once in 3-4 years, as a good corporate citizen, your Bank discharges its duties diligently and is among the highest tax payers in the country every year. Including income tax and service tax, the total tax paid by your Bank rose from ₹7,329 crores in FY'10 to ₹7,647 crores in FY'12.

Deposits and Advances

You will be glad to see that deposits of your Bank rose from ₹9,33,933 crores in March'11 to ₹10,43,647 crores in March'12, a growth of 11.75%. I would like to draw your attention to the fact that not only have we grown our deposits, but the quality of your Bank's deposit growth is very good. In time deposits, we have stopped taking bulk deposits and CDs and instead focused on increasing our stable term deposits portfolio. In a scenario where other banks offer higher interest on savings bank deposits, your Bank's Savings Bank deposits increased by 11.27% from ₹3,23,394 crores in March 2011 to ₹3,59,847 crores in March 2012.

This was made possible through our efforts to deliver value to all our Savings Bank customers through multi-city cheques, doing away with minimum balance requirement, large number of ATMs and providing accident insurance for savings bank account holders.

''नंबर 1 गृह ऋण प्रदाता और 26% बाजार अंश''

मैं बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर कासा अनुपात मार्च 11 के स्तर 48.52% से घटकर मार्च 12 में 46.64% पर आ गया। इसमें 188 आधार बिंदुओं की कमी भले ही आई, पर यह अन्य बैंकों के कासा अनुपात से काफी ऊपर है जिसे पाने के लिए वे अब भी प्रयासरत हैं।

आपके बैंक के सकल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 15.78% की वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 11 में ये ₹7,71,802 करोड़ थे जो मार्च 12 में ₹8,93,613 करोड़ पर पहुँच गए। देश में ऋण जमा अनुपात मार्च 12 के अंत में 78.5% रहा जो मार्च 11 के अंत के 76.3% से 220 आधार बिंदु ऊपर है।

आपके बैंक के अग्रिमों का सभी खंडों में अच्छा प्रसार बना रहा। बड़े कारपोरेट अग्रिम मार्च 11 के स्तर ₹1,08,741 करोड़ से बढ़कर मार्च 12 में ₹1,25,023 करोड़ पर पहुँच गए। इस प्रकार इनमें 15% की वृद्धि दर्ज हुई। मिड कारपोरेट अग्रिम ₹1,57,566 करोड़ से 6.4% बढ़कर ₹1,67,639 करोड़ पर पहुँच गए। हकीकत तो यह है कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक ने कृषि अग्रिमों में ₹1 लाख करोड़ के कीर्तिमान स्तर को पार कर लिया है।

खुदरा अग्रिमों में 10.9% की वृद्धि हुई, ये मार्च 11 में ₹1,64,576 करोड़ थे जो मार्च 12 में ₹1,82,427 करोड़ पर पहुँच गए। आपका बैंक बाजार में 26% हिस्सेदारी के साथ लगातार नंबर 1 गृह ऋण प्रदाता बना हुआ है। कार ऋण वित्तपोषण में भी इसने खुदरा बाजार में सर्वश्रेष्ठ ऋण प्रदाता के स्थान को बरकरार रखा है और मार्च 2012 को बाजार में इसकी हिस्सेदारी 17.51% रही ।

आपका बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम खंड की ओर अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है। यह खंड बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है और भारत की जीडीपी और निर्यातों में बड़ा योगदान करता है। लघु एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय इकाई के अग्रिम मार्च 11 के स्तर ₹1,39,470 करोड़ से 17.40% बढ़कर मार्च 12 में ₹1,63,745 करोड़ पर पहुँच गए।

लाभांश

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक बोर्ड ने 31 मार्च 2012 को ₹35 प्रति शेयर (350%) लाभांश की घोषणा की है।

नई पहल

- आपके बैंक द्वारा नया उत्पाद, ''अनफिक्स्ड डिपॉजिट्स'' शुरू किया गया। इसमें 7-180 दिनों के लिए जमाराशियाँ बिना दंड किसी भी समय तुड़वाने के विकल्प के साथ रखी जा सकती हैं। इस उत्पाद को जबरदस्त सफलता मिली है। 8-9% ब्याज दर वाला यह उत्पाद विशेष रूप से अल्पावधि जमाराशियाँ जुटाने और 8.8% से 9.5% के बीच मुनाफा और नकदीकरण की सुविधा देने वाले म्यूचुअल फंडों से मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया है।
- व्यापार वित्त कारोबार बढ़ाने के लिए मार्च 11 में आपके बैंक ने एक वेब-आधारित पोर्टल, ई-ट्रेड एसबीआई शुरू किया है। इससे व्यापार वित्त सेवाएँ शीघ्रता से और कम लागत पर प्राप्त की जा सकेंगी। इस समय ई-ट्रेड प्लेटफॉर्म कारपोरेट लेखा समूह की सभी 6 शाखाओं और मिड कारपोरेट समूह की 63 शाखाओं में चल रहा है। मार्च 2012 तक 393 कारपोरेट ई-ट्रेड एसबीआई से जुड़ चुके हैं।

"No. 1 Home Loan Provider with a 26% market share."

Let me point out that overall CASA ratio declined from 48.52% in March'11 to 46.64% in March'12, a decrease of 188 bps, but this is still well above the CASA ratios other banks strive to achieve.

Gross Advances of your Bank recorded a YoY growth of 15.78% from ₹7,71,802 crores in March'11 to ₹8,93,613 crores in March'12. Credit deposit ratio (domestic) at 78.5% as at the end of March'12 was 220 bps higher than 76.3% at the end of March'11.

Your Bank's advances remain well distributed across all verticals. Large Corporate advances have grown from ₹1,08,741 crores in March'11 to ₹1,25,023 crores in March'12, registering a growth of 15%. Mid-Corporate Advances increased from ₹1,57,566 crores to ₹1,67,639 crores, growing by 6.4%. In fact, I am happy to place on record that your Bank has crossed a milestone of ₹1 lakh crore in agricultural advances.

Retail advances grew 10.9% from ₹1,64,576 crores in March'11 to ₹1,82,427 crores in March'12. Your Bank continues to be the No.1 Home Loan provider with a 26% market share. It also maintains its retail market leadership in Car loan financing and enjoys a market share of 17.51% as on March 2012.

Your Bank is also conscious of its responsibility towards the MSME segment which provides employment to large numbers and contributes substantially to India's GDP and exports. Advances under the SME Business Unit grew 17.40% from ₹1,39,470 crores in March'11 to ₹1,63,745 crores in March'12.

Dividend

I am happy to announce that the Board of Directors of your Bank has declared a dividend of ₹35 per share (350%) for the year ended 31st March 2012.

New Initiatives

- The new product, 'unFIXED Deposits', introduced by your Bank for deposits of 7-180 days, with option to break the deposit any time without penalty, has been a great success. With interest rate of 8-9%, this product is uniquely positioned to attract short term funds and compete with liquid mutual funds, which offer returns ranging from 8.8% to 9.5%.
- To promote trade finance, in March'11 your Bank launched a web-based portal, e-Trade SBI, to provide access to trade finance services with speed and efficiency. Presently, the e-trade platform has been introduced in all 6 CAG Branches and 63 MCG Branches. As on 31st March'12, 393 corporates have registered under e-Trade SBI.

''बैंक के सहयोगियों एवं अनुषंगियों ने सुदृढ़ संवृद्धि दर्शाना जारी रखा। वर्ष के दौरान, एसबीआई लाइफ का सकल प्रीमियम ₹13,000 करोड़ के स्तर को पार कर गया।''

- आपका बैंक स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण जुड़ाव कार्यक्रम में बाजार में सर्वश्रेष्ठ है। मार्च 11 को इसकी बाजार में तकरीबन 25.55% हिस्सेदारी थी। मार्च 12 तक इसका 20.65 लाख स्वयं सहायता समूहों के साथ ऋण जुड़ाव हो चुका है और यह कुल मिलाकर ₹17,600 करोड़ राशि के ऋण दे चुका है।
- खुदरा खंड की बढ़ती मांग को पूरा करने और बाजार में उपलब्ध अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए, आपका बैंक एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र स्थापित करने की दिशा में जोरदार प्रयास कर रहा है। इससे हमारे 108 मिलियन डेबिट कार्ड और मर्चेंट अभिग्रहण कारोबार इस तंत्र से जुड़ जाएँगे। अब तक 28,000 से अधिक पाइंट आफ सेल टर्मिनलों को इससे जोड़ने के लिए अनुमोदन दिया जा चुका है। इन टर्मिनलों के जरिये मार्च 11 में 2.62 लाख लेनदेन हो रहे थे जिनकी संख्या मार्च 12 में बढ़कर 10.19 लाख तक पहुँच गई।

सहयोगी और अनुषंगियाँ

आपके बैंक के अपने सहयोगियों और अनुषंगियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के हरेक क्षेत्र में पद चिह्न देखे जा सकते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के सभी सहयोगी और अनुषंगी लगातार तीव्र वृद्धि दर्शा रहे हैं। वर्ष के दौरान एसबीआई लाइफ की कुल प्रीमियम राशि ₹13,000 करोड़ के स्तर को पार कर गई और कंपनी ने वित्त वर्ष 12 में ₹556 करोड़ का लाभ दर्ज किया। इस प्रकार इसने वर्ष-दर-वर्ष 52% की जोरदार वृद्धि दिखाई और इसकी बाजार में हिस्सेदारी भी 19.9% पर पहुँच गई। एसबीआई लाइफ ने लगातार दूसरे वर्ष संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड जीता। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. को डीलॉजिक द्वारा दुनिया भर में परियोजना वित्त ऋणों के मामले में नंबर 1 मैंडेटिड लीड अरेंजर घोषित किया गया। वित्त वर्ष 12 के दौरान इसने ₹251 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया। एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज ने 434% वृद्धि दर्ज कर ₹38 करोड़ का कर पश्चात लाभ बताया है।

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 12 में भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में (इसमें जापान शामिल नहीं है किंतु आस्ट्रेलिया शामिल है) समूह ऋणों के मामले में मैंडेटिड लीड अरेंजर और बुक रनर में अपना अव्वल स्थान बरकरार रखा है। इसमें प्रसन्नता की बात यह है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के माहौल में, आपके बैंक ने कुल मिलाकर 4,758 मिलियन अमरीकी डालर राशि की विदेशी वाणिज्यिक उधारियों के लिए वित्तपोषण की जरूरतों और भारतीय कॉरपोरेटों की अभिग्रहण संबंधी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के वास्ते 14 बड़े मूल्यवाले सौदे सफलतापूर्वक संपन्न किए।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सहयोगी बैंकों का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 11 के ₹7,569 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 12 में ₹8,214 करोड़ पर पहुँच गया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी सभी अनुषंगियां लाभ अर्जित कर रही हैं और इनके पास पर्याप्त पूंजी भी है।

सम्मान

यह हर्ष का विषय है कि हमारे सभी प्रयासों को व्यापक पहचान और प्रशंसा प्राप्त हुई। भारतीय स्टेट बैंक को द एशियन बैंकर द्वारा वर्ष 2012 के लिए ''भारत में सर्वोत्कृष्ट व्यापार वित्त बैंक'' का अवार्ड मिला।

"Bank's Associates and Subsidiaries continued to show robust growth. During the year, gross premium of SBI Life crossed the ₹13,000 crore mark."

- Your Bank is the market leader (market share around 25.55% as on March'11) in SHG-Bank Credit Linkage programme having credit linked so far 20.65 lakh SHGs and disbursed loans to the extent of ₹17,600 crores (cumulative) up to March'12.
- To support the growing demand from the retail segment and tap the huge potential available in the market, your Bank moved aggressively to create a comprehensive electronic payment infrastructure to activate our 108 million debit cards and has entered into Merchant Acquiring Business (MAB). It has, so far approved deployment of more than 28,000 POS terminals. The number of transactions from these terminals rose from 2.62 lakh in March'11 to 10.19 lakh in March'12.

Associates and Subsidiaries

Your Bank's footprints cover every facet of financial services through its Associates and Subsidiaries, and I am happy to point out that all of your Bank's Associates and Subsidiaries continued to show robust growth. During the year, gross premium of SBI Life crossed the ₹13,000-crore mark and the company recorded a profit of ₹556 crores in FY'12, clocking an impressive YoY growth of 52% with the market share of 19.9%. SBI Life received the NDTV Profit Business Leadership award for organisational excellence for the second consecutive year. SBI Capital Markets Ltd. ranked No. 1 Mandated Lead Arranger - Global Project Finance Loans by Dealogic and posted a PAT of ₹251 crores during FY'12. SBI cards and Payment Services reported after tax profit of ₹38 crores, up by a record 434%.

Your Bank has retained its leadership as Mandated Lead Arranger and Book Runner for syndicated loans in Asia Pacific (excluding Japan but including Australia) in FY'12 also. Remarkably, even in a competitive and challenging environment, your Bank successfully completed 14 high value transactions during the year for financing ECB requirements as well as acquisition related financing requirements of Indian corporates aggregating USD 4,758 million.

You will be glad to see that the Operating Profit of Associate Banks increased from ₹7,569 crores in FY'11 to ₹8,214 crores in FY'12. I am happy to announce that all of our subsidiaries are profitable and well capitalised.

Accolades

It is heartening that all our efforts have received wide attention and appreciation. SBI has been awarded the "Best Trade Finance Bank in India" Award for 2012 by The Asian Banker.

"बैंक ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2012 जीतकर कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त की।"

वर्ष 2011-12 में बैंक द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व क्षेत्र में संचालित गतिविधियों ने नई ऊँचाइयाँ और गौरव प्राप्त किए। आपके बैंक ने वर्ष 2012 में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वाह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता, जो निदेशक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दुबई में दिया गया।

भविष्य की ओर एक दृष्टि

दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव बना रहा, पर हमें उम्मीद है कि स्थिति बेहतर हो जाएगी। हालांकि यूरो क्षेत्र के देशों का ऋण संकट लगातार वित्त जगत में छाया रहेगा, किंतु हमें आशा है कि विश्व के राजनेता और नियामक इस संकट का कोई न कोई हल ढूँढ़ निकालेंगे। फिर भी, हमारा सतर्क रहना जरूरी है। आज सारे संसार के तार आपस में जुड़े हुए हैं, वैश्विक उथल-पुथल के झटके भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अनुभव किए जा सकते हैं। चालू खाता और वित्तीय दोनों प्रकार के घाटे और साथ में विकास की नीची और मुद्रास्फीति की ऊँची दर आने वाले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं।

भारत का बैंकिंग परिदृश्य उत्साहवर्धक और आशावादी है। आपके बैंक को ऋणों में 16% और जमाराशियों में 20% वृद्धि होने की उम्मीद है। आगामी वर्षों में, आपका बैंक खुदरा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देगा। हमारी उपलब्धियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि हम प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध हैं। कुल मिलाकर, आपका बैंक नए अवसरों और चुनौतियों के प्रति सतर्क है क्योंकि वर्तमान आर्थिक परिवेश में पहले से कहीं अधिक सूझबूझ की जरूरत है।

अगले कुछ वर्षों में भारत और विश्व का आर्थिक परिदृश्य चुनौतिपूर्ण बना रह सकता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस परिवेश में नए अवसरों के प्रति सतर्क रहकर आपका बैंक जरूरी सूझबूझ के साथ प्रयासरत रहेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,
आपका अपना,

प्र. चौधरी

(प्रतीप चौधरी)

"The Bank scaled new heights in CSR activities by winning the prestigious Golden Peacock Award for Corporate Social Responsibility 2012."

The year 2011-12 saw the CSR activities of the Bank scaling new heights of achievement and glory with your Bank winning the prestigious Golden Peacock Award for Corporate Social Responsibility 2012, awarded in Dubai by the Institute of Directors, New Delhi.

Looking Ahead

The global economy remains fragile, but we hope the situation will improve. Though the Euro zone sovereign debt crisis continues to dominate the financial landscape, we are optimistic the global political leaders and regulators will be able to stem the downslide. However, we need to be alert as in today's integrated world, global shocks can get transmitted to the Indian economy. Twin deficits (current account deficit and fiscal deficit) along with low growth and high inflation are the major challenges for Indian economy in the year ahead.

The Indian banking scenario is encouraging and positive. Your Bank is expecting a loan growth of 16% and a deposit growth of 20%. In the coming years, your Bank's main thrust will be on retail, and, as shown by our achievements, we are well positioned to meet the competition. Overall, your Bank will remain vigilant to the new opportunities and challenges as the current economic environment warrants greater prudence.

As we go forward, the Indian and global economic environment could remain challenging for the next few years. Let me assure you that while remaining vigilant to the new opportunities in this milieu, your Bank will act with the necessary prudence as required.

With warm regards,
Yours sincerely,

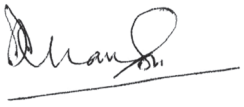

(PRATIP CHAUDHURI)

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

धीमी हो रही संवृद्धि के बावजूद, भारत और चीन द्वारा अब भी वैश्विक सुधार के लिए संबल प्रदान किए जाने की संभावना है।

आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था की बहु-गति विकास दर जारी है और विकसित अर्थव्यस्थाओं में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, निजी क्षेत्र में उत्साहहीनता एवं यूरो क्षेत्र के संकट के कारण विकास की गति प्रभावित हुई है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि दर्ज हुई है पर इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। अमरीका में कुल मिलाकर आर्थिक परिवेश में सुधार हो रहा है, यूरोप में हल्की मंदी की स्थितियाँ बनती दिख रही हैं परन्तु दूसरी ओर विकास की धीमी गति के बावजूद भारत एवं चीन की अर्थव्यवस्थाओं से अभी भी यह उम्मीद है कि वे इस गिरती वैश्विक विकास दर को कुछ संबल प्रदान कर पाएंगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था का जहाँ तक संबंध है, वित्त वर्ष 12 में जीडीपी की संवृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 11 में यह दर 8.4% रही थी। इन सबके बावजूद, भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही भारत अभी भी निवेश के लिए एक पसंदीदा देश बना हुआ है जो इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि यहाँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वित्त वर्ष 12 में बढ़कर 46.85 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुँच गया जबकि वित्त वर्ष 11 में यह 34.85 बिलियन अमरीकी डालर था। विशेष रूप से दिसंबर 2011 में एनआरआई जमाओं पर ब्याज की दरों को अविनियमित करने के बाद एनआरआई जमाराशियाँ वित्त वर्ष 12 में पर्याप्त रूप से बढ़कर 11.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। वित्त वर्ष 11 में ये केवल 3.24 बिलियन डॉलर ही थीं। विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा धन प्रेषण की स्थिति भी तगड़ी रही तथा वर्ष 11 में इनके द्वारा 63.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का धन प्रेषण देश में किया गया जो विकासशील देशों में सर्वाधिक था।

वित्त वर्ष 12 के दौरान कृषि एवं सेवाओं के क्षेत्र में निष्पादन अच्छा बना रहा परन्तु औद्योगिक उत्पादन की गति में विशेष रूप से निर्माण के क्षेत्र में शिथिलता साफ दिखाई दी। घरेलू एवं वैश्विक कारणों से निवेश प्रभावित हुआ जिसका प्रतिकूल प्रभाव निर्माण गतिविधियों पर पड़ा और समग्र औद्योगिक संवृद्धि दर वित्त वर्ष 11 के 6.8% से घटकर वित्त वर्ष 12 में 2.6% रह गयी। अच्छे मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई हालांकि विगत उच्च दर के कारण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जीडीपी संवृद्धि दर वित्त वर्ष 11 के 7.0% की तुलना में वित्त वर्ष 12 में गिरकर 2.8% रह गई। पर सेवा क्षेत्र में पर्याप्त स्थिरता बनी रही जो कि वित्त वर्ष 11 के 9.2% की तुलना में वित्त वर्ष 12 में 8.5% की गति से बढ़ा।

विदेश व्यापार के क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में धीमेपन के बाद भी निर्यातों में 21% की वृद्धि हुई। यद्यपि आयातों में 32% की उच्च वृद्धि के कारण व्यापार अंतर 185 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया जिसकी प्रमुख वजह स्वर्ण एवं तेल के आयातों में वृद्धि रही। विदेशी वाणिज्यिक ऋणों एवं अल्पावधि ऋणों में वृद्धि के कारण विदेशी ऋणों में वृद्धि हुई है। एनआरआई जमाओं में वृद्धि भी भारत के विदेशी ऋणों में वृद्धि का एक कारण रही है।

मुद्रास्फीति की दर भी चिंता का विषय रही है जो वित्त वर्ष 11 के 9.6% की तुलना में वित्त वर्ष 12 में कुछ कम होकर 8.8% पर आ गई है । इस कारण भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ कड़े मौद्रिक उपाय करने पड़े। मई एवं अक्तूबर 2011 के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाँच बार रेपो रेट बढ़ाई जो 7.25% से बढ़कर 8.50% कर दी गई है। नकदी की स्थिति घाटे की बनी रही है तथा बैंकों को नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत ऋण लेते देखा गया है। नकदी पर दबाव कम करने और पर्याप्त ऋण उपलब्धता बनाए रखने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमांत स्थायी ऋण सुविधा प्रारंभ की है तथा सीआरआर को 50 बीपीएस एवं 75 बीपीएस की दो किस्तों में 125 बीपीएस तक कम किया है जो वर्ष के दौरान 6.0% से घटकर 4.75% रह गई है।

बैंकिंग घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कड़े मौद्रिक उपायों के कारण बैंकों की व्यवसाय वृद्धि प्रभावित हुई है जो उनकी जमा एवं ऋण वृद्धि में हुई कमी के माध्यम से परिलक्षित होती है। जहाँ एक ओर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) की जमा संवृद्धि दर ब्याज की दरों में वृद्धि के बावजूद भी वित्त वर्ष 11 के 15.9% से घटकर वित्त वर्ष 12 में 13.4% पर आ गई है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ऋण वृद्धि की दर वित्त वर्ष 11 के 21.5% से कम होकर वित्त वर्ष 12 में 17.0% रह गई है जो अर्थव्यवस्था में विकास की कम गति की द्योतक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 12 के दौरान पाँच बार रेपो रेट बढ़ाई है जो 7.25% से बढ़कर 8.50% पर आ गई है। मौद्रिक प्रसार की परिणति के रूप में बैंकों की जमाराशियों के साथ साथ ऋणों पर ब्याज की दरें भी बढ़ गई हैं। एक वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाली सभी जमाओं पर प्रमुख बैंकों ने ब्याज की दरें वित्त वर्ष 11 के 7.75-9.50% से बढ़ाकर वित्त वर्ष 12 में 8.50-9.25% के बीच रखी है। इसके अलावा, सभी प्रमुख बैंकों ने अपनी आधार दरों को भी इसी अवधि में 8.25-9.50% से बढ़ाकर 10.00-10.75% तक के स्तर पर रखा है। वृद्धि दर में आने वाली गिरावट के कारण कारपोरेट लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा है तथा एनपीए की पहचान के लिए प्रणाली प्रचालित व्यवस्था अपनाए जाने के कारण वर्ष के दौरान बैंक की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई है।

अवसर एवं चुनौतियाँ

सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास में अपना निवेश बढ़ा रही है, वित्तीय समावेशन में विस्तार कर रही है तथा विनिर्माण एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है जिससे अंतत: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के

DIRECTORS' REPORT

Management Discussion and Analysis

Despite slowing growth, India and China still likely to provide support for global recovery

ECONOMIC BACKDROP AND BANKING ENVIRONMENT

The global economy continued to be characterised by multi-speed growth as fiscal consolidation, private sector deleveraging and the Euro zone crisis affected growth in advanced economies. Emerging market economies are growing but at a slower pace than expected earlier. Overall, conditions in the US are improving, Europe is sliding into a mild recession, but despite slowing growth, India and China are still likely to provide some support for global recovery.

For the Indian economy, GDP growth in FY'12 is estimated at 6.5% against 8.4% in FY'11. Notwithstanding this, India remained one of the fastest growing economies in the world. India also remained a favoured destination for investment which is reflected in increase in FDI to US$ 46.85 billion in FY'12 against US$ 34.85 billion in FY'11. NRI deposits grew substantially to US$ 11.0 billion in FY'12 from US$ 3.24 billion in FY'11, particularly after deregulation of interest rates on NRI deposits in December 2011. Remittances from Indians working abroad remained robust at US$ 63.7 billion in 2011, the highest among developing countries.

During FY'12, agriculture and services continued to perform well but industrial production particularly in manufacturing slowed perceptibly. Investment was impacted by domestic and global factors, which affected manufacturing activity and overall industrial growth decelerated to 2.6% in FY'12 from 6.8% in FY'11. Good monsoons led to increase in food grains production though the deceleration in agriculture and allied sector GDP growth to 2.8% in FY'12 from 7.0% in FY'11 was due to high base effect. Services sector however, remained fairly stable and grew by 8.5% in FY'12 against 9.2% in FY'11.

On the external front, exports grew by 21% despite slowdown in global trade. However, the trade gap widened to $185 billion due to higher import growth at 32% led by sharp increase in gold and oil imports. Rise in external debt was driven by increase in external commercial borrowings, export credit and short-term debt. Increased flows of NRI deposits also have implications for India's external debt.

Inflation remained a concern with average inflation at 9.6% in FY'11 moderating only slightly to 8.8% in FY'12, prompting RBI to follow a tight monetary policy. Between May and October 2011, RBI increased the Repo rate five times from 7.25% to 8.50%. The liquidity situation remained in deficit mode and banks were seen borrowing under the Liquidity Adjustment Facility (LAF). To ease pressure on liquidity and ensure adequate credit availability, RBI introduced the Marginal Standing Facility (MSF) and cut CRR by 125 bps in two tranches of 50 bps and 75 bps from 6.0% to 4.75% during the year.

Banking Developments

The moderation in GDP growth following monetary tightening by RBI affected business growth of banks, which is reflected in slowdown in their deposit and credit growth. While deposit growth of All Scheduled Commercial Banks (ASCB) decelerated to 13.4% in FY'12 from 15.9% FY'11 despite increase in interest rates, growth in ASCB credit was lower at 17.0% in FY'12 than 21.5% in FY'11 reflecting slower growth in the economy. To control inflation, RBI raised the repo rate five times during FY'12 from 7.25% to 8.50%. Reflecting monetary transmission, interest rates on bank deposits and credit also rose. Deposit rate of major banks for more than one year maturity rose from 7.75-9.50% in FY'11 to 8.50-9.25% in FY'12, and base rate of major banks rose from 8.25-9.50% to 10.0-10.75% in the same period. Due to deceleration in growth impinging on corporate profitability and move to system-driven identification of NPAs, non-performing assets of banks rose during the year.

Opportunities and Threats

The Government is increasing investment in agriculture and rural development, expanding financial inclusion and pushing for investment in manufacturing and infrastructure, which will translate into growth

अवसर बढ़ने वाले हैं जैसे इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम आदि। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 13 के दौरान दरों में कमी लाने की संभावनाएं हैं, यद्यपि दरों में कमी की सीमा मुद्रास्फीति के रूझान पर निर्भर करेगी। इन सब उपायों के कारण बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने निधि एवं निधीतर व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रमुख नीतिगत दर में कमी किए जाने के कारण बैंकों को भी उसी परिमाण में अपनी ब्याज दरों में कमी लानी होगी। पिछले वर्ष उच्च लागत पर निधियाँ जुटाए जाने और बड़ी अनर्जक आस्तियों एवं पुनर्संरचित आस्तियों के कारण बैंकों के लिए रेपो दर में आई कमी के सम्पूर्ण प्रभाव को ग्राहकों की ओर बढ़ाना कठिन होगा। वित्तीय आस्तियों में बचत की घटती प्रवृत्ति के कारण जमाओं की वृद्धि दर में आई कमी के चलते बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन पर काफी दबाव रहेगा क्योंकि घरेलू लोग आजकल स्वर्ण एवं रियल इस्टेट में निवेश करना अधिक पसंद कर रहे हैं।

भावी परिदृश्य

वित्त वर्ष 13 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन वित्त वर्ष 12 की तुलना में बेहतर होने की संभावना है। हमारा यह विश्वास है कि वित्त वर्ष 12 की चौथी तिमाही में जीडीपी अपने न्यूनतम स्तर 5.3% को देख चुकी है तथा इसके अब गति पकड़ने की संभावना हैं। हमारा यह भी मानना है कि आर्थिक परिवेश में परिवर्तन को औद्योगिक विकास की गति प्रचालित करेगी विशेष रूप से विनिर्माण के क्षेत्र में जहाँ सरकार अपनी विनिर्माण नीति के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ा रही है तथा विकास को गति देने के लिए कुछ बड़ी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही है जिससे देश में निवेश के परिवेश में सुधार आएगा और जमीनी स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में लगातार दूसरे वर्ष खाद्यान्नों का रेकार्ड उत्पादन हुआ है तथा वित्त वर्ष 12 में इसके 250.40 मिलियन टन के स्तर को छूने की संभावना है जिस कारण खाद्य पदार्थों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव कुछ कम रह सकता है। तदनुसार, हमने 2012-13 के दौरान कुछ उच्चतर जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है। हमारा यह मत है कि इस विकास को गति देने की प्रक्रिया में बैंकों की जमाराशियों एवं ऋणों की मात्रा में वृद्धि होगी।

जोखिम एवं चिन्ताएं

आर्थिक परिवेश को सबसे बड़ा खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंथर गति से है क्योंकि यूरो क्षेत्र में ऋण संकट जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल एवं कमॉडिटी की बढ़ती कीमतों से विकास की गति नरम पड़ सकती है। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में नकदी झोंकने और बैंकों के कम उपयोग को रोकने के कारण भारत को पूँजी प्रवाहों की अस्थिर गति एवं आस्तियों के निरंकुश ढंग से बढ़ते स्तर के प्रति सचेत रहना होगा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा जोखिम को कम करने एवं बैंकों के नियंत्रण को घटाने के उपायों के लौटने से यह स्थिति और कठिन हो सकती है।

24.62%

परिचालन लाभ में संवृद्धि

मानसून, खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति एवं ईंधन के मूल्यों के कारण प्रच्छन्न मुद्रास्फीति, चालू खाते में बढ़ते घाटे और बढ़ते राजकोषीय गिरावट जैसे प्रमुख जोखिमों के कारण राजकोषीय घाटे की स्थिति बन रही है। वित्त वर्ष 13 में राजकोषीय घाटा 5.1% तक रहने का अनुमान है परन्तु कर संग्रहण एवं विनिवेश आगम में कमी की वजह से राजस्व में कमी के साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी के चलते सरकार की निवल बाजार उधार राशियाँ ₹4.79 लाख करोड़ के लक्ष्य से ऊपर जा सकती हैं। बढ़ती तेल की कीमतें एवं वैश्विक मांग में कमी के कारण घटते निर्यातों के चलते वित्त वर्ष 13 में चालू खाता घाटे के और बढ़ने की आशंका है।

संवृद्धि की धीमी रफ्तार के चलते आपूर्ति की बाधाओं के रहते मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। नकदी की कमी चिंताजनक बनी रहेगी तथा बैंकों को इस स्थिति में नकदी के दबाव का सामना करने के लिए अपने पुनर्वित्त के संसाधनों के अलावा भी बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाने पड़ सकते हैं। समग्र रूप से यदि देखा जाए तो हमारे बड़े घरेलू बाजार के बड़े आकार, उच्च घरेलू बचत दर और निवेश की व्यापक संभावनाओं, जो कि हमारी ताकतें हैं, के बाद भी भारत की विकास दर अपेक्षाओं से कम रहने की संभावना बनी हुई है।

वित्तीय निष्पादन

लाभ

वर्ष 2011-12 के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹31,573.54 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹25,335.57 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 24.62% की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2011-12 के लिए बैंक को ₹11,707.29 करोड़ का निवल लाभ हुआ जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹8,264.52 करोड़ रहा था। इस प्रकार इसमें 41.66% की वृद्धि दर्ज हुई।

यद्यपि निवल ब्याज आय में 33.10% की वृद्धि हुई, परंतु अन्य आय में 9.31% की गिरावट आई। परिचालन व्ययों में 13.27% की वृद्धि दर्ज की गई। परिचालन व्ययों में यह वृद्धि उच्चतर स्टाफ लागत और अन्य खर्चों के कारण हुई।

लाभांश

बैंक ने ₹35.00 प्रति शेयर की दर से (350%) लाभांश घोषित किया जबकि पिछले वर्ष यह ₹30.00 प्रति शेयर (300%) था।

opportunities for several sectors such as steel, cement, aluminium, etc. To boost growth, RBI is likely to cut rates further during FY'13, though the extent of rate cuts will be contingent on the inflation trajectory. All this will provide an opportunity for banks to increase fund and non-fund business in a wide range of areas.

Banks will be required to cut interest on credit in tandem with cut in key policy rate by RBI. However, due to high cost funds mobilised over the last year and large NPAs and restructured assets, banks may find it difficult to pass on the entire reduction in repo rate to customers. Net Interest Margin (NIM) of banks could come under pressure as it may be difficult for banks to cut interest rates on deposits due to sluggish deposit growth reflecting the declining trend in savings in financial assets as households favour physical assets like gold and real estate.

Outlook

In FY'13, the Indian economy is expected to perform better than in FY'12. We believe GDP growth bottomed out in Q4 FY'12 at 5.3%, and economic growth is now gaining traction. The change in the economic environment will be led by industrial growth, particularly in the manufacturing sector, as we believe the Government's New Manufacturing Policy, increased spending in the infrastructure space and efforts to push through some large projects to kick start growth will help improve the investment climate and attract FDI on the ground. The country has seen record food grains harvest for the second successive year and food grains output is likely to touch 250.40 million tonnes in FY'12, which will have a moderating impact on food inflation. Accordingly, we have pencilled in slightly higher GDP growth in 2012-13. To support this growth, in our view, banking sector deposits and credit are poised to grow in tandem.

Risks and Concerns

The main risks to the outlook are slowing global growth as the Euro zone sovereign debt crisis continues. High international oil and commodity prices could also dampen growth. As a result of the vast pools of liquidity injected by central banks of advanced countries to stimulate growth and prevent bank deleveraging, India will need to guard against volatile capital flows and build-up of asset bubbles. The situation could be exacerbated by the return of risk aversion and deleveraging by banks in developed economies.

24.62%

Growth in Operating Profit

Monsoons, inflation including food inflation and suppressed inflation on account of fuel prices, widening current account deficit, and fiscal slippage leading to higher fiscal deficit are major risk factors. The fiscal deficit is estimated to be 5.1% in FY'13 but slower revenue generation through tax collections as well as disinvestment proceeds, and rise in expenditure can lead to higher net market borrowings by the Government than the targeted ₹4.79 lakh crore. Rising oil prices, as also slowing export growth due to weakness in global demand could lead to widening of the current account deficit in FY'13.

Inflation could rise on the back of supply constraints from a slowdown in growth. Liquidity is likely to remain a concern and banks may need to strive for higher resources mobilisation besides tapping all sources of refinance, to avoid liquidity pressure. Overall, the biggest concern is that despite strengths such as a large domestic market, high domestic savings rate and vast scope for investment, India's growth remains below its potential.

FINANCIAL PERFORMANCE

Profit

The Operating Profit of the Bank for 2011-12 stood at ₹31,573.54 crores as compared to ₹25,335.57 crores in 2010-11 registering a growth of 24.62%. The Bank has posted a Net Profit of ₹11,707.29 crores for 2011-12 as compared to ₹8,264.52 crores in 2010-11 registering a growth of 41.66%.

While Net Interest Income recorded a growth of 33.10%, the Other Income declined by 9.31%, Operating Expenses increased by 13.27% attributable to higher staff cost and other expenses.

Dividend

The Bank has declared dividend @ ₹35.00 per share (350%) as against @ ₹30.00 per share (300%) in the previous year.

निवल ब्याज आय

बैंक की निवल ब्याज आय में 33.10% की वृद्धि हुई और वर्ष 2011-12 में यह बढ़कर ₹43,291.08 करोड़ पर पहुँच गई जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹32,526.41 करोड़ रही थी।

वर्ष के दौरान वैश्विक परिचालनों से सकल ब्याज आय ₹81,394.36 करोड़ से बढ़कर ₹1,06,521.45 करोड़ हो गई और इस प्रकार इसमें 30.87% की वृद्धि दर्ज हुई।

अग्रिमों की राशि अधिक रहने से भारत में अग्रिमों पर ब्याज आय वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹77,309.15 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹56,960.97 करोड़ थी। भारत में अग्रिमों पर औसत आय वर्ष 2010-11 के 9.56% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 11.05% हुई। विदेश स्थित कार्यालयों के आग्रिमों पर ब्याज आय में भी 24.99% वृद्धि हुई।

भारत में कोषीय परिचालनों में निविष्ट संसाधनों से आय में 22.05% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण निविष्ट औसत संसाधनों की मात्रा और औसत आय में वृद्धि होना था। यह औसत आय, जो वर्ष 2010-11 में 7.02% थी, वर्ष 2011-12 में बढ़कर 7.51% पर पहुँच गई।

वैश्विक परिचालनों का कुल ब्याज व्यय वर्ष 2010-11 में ₹48,867.96 करोड़ था, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 63,230.37 करोड़ पर पहुँच गया। भारत में जमाराशियों पर ब्याज व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में 29.19% की वृद्धि हुई, जबकि भारत में जमाराशियों के औसत स्तर में 14.31% की वृद्धि हुई थी। जमाराशियों की औसत लागत वर्ष 2010-11 के स्तर 5.26% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 5.95% हो गई।

गैर-ब्याज आय

वर्ष 2011-12 में गैर-ब्याज आय की राशि ₹14,351.45 करोड़ रही, जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹15,824.59 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें 9.31% की गिरावट दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत और विदेश में स्थित अपने सहयोगी बैंकों/ अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश के रूप में ₹767.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹827.73 करोड़) प्राप्त किए।

परिचालन व्यय

उच्चतर पेंशन प्रावधान करने और स्टाफ संख्या में वृद्धि होने के कारण स्टाफ लागत में 11.59% की वृद्धि हुई और वर्ष 2011-12 में इसकी राशि ₹16,974.04 करोड़ रही जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹15,211.62 करोड़ रही थी। अन्य परिचालन व्ययों में भी 16.54% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण भाड़े, करों और बिजली, डाक खर्च, तार व टेलीफोन, बीमा तथा विविध व्ययों में वृद्धि होना था।

33.10%
निवल ब्याज आय

परिचालन व्यय, जिसमें स्टाफ लागत और अन्य परिचालन व्यय शामिल है, में पिछले वर्ष की तुलना में 13.27% की वृद्धि हुई।

प्रावधान और आकस्मिकताएँ

वर्ष 2011-12 में किए गए प्रावधानों की मुख्य राशियाँ निम्नानुसार रहीः

- विनिधानों पर मूल्यह्रास के संबंध में ₹663.70 करोड़ का प्रावधान किया गया (जबकि वर्ष 2010-11 में विनिधानों पर मूल्यह्रास से संबंधित प्रतिलेखन की राशि ₹646.75 करोड़ रही थी)। इसमें 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी पर प्रीमियम के परिशोधन को शामिल नहीं किया गया।
- ₹455.93 करोड़ के आस्थगित कर रिवर्सल को छोड़कर, कर प्रावधान के लिए ₹6,320.09 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹5,712.89 करोड़ के आस्थगित कर रिवर्सल को छोड़कर ₹976.82 करोड़ था)।
- ₹11,545.85 करोड़ (राइट बैक को छोड़कर) अनर्जक आस्तियों के लिए (वर्ष 2010-11 में ₹8,792.09 करोड़ था)।
- मानक आस्तियों के लिए ₹978.81 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹976.60 करोड़)। वर्तमान वर्ष के प्रावधान सहित मानक आस्तियों पर किए गए कुल प्रावधान की राशि ₹4,296.03 करोड़ थी।

आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष

- ₹3,516.98 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹2,479.36 करोड़) की राशि सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।
- ₹14.38 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹9.61 करोड़) की राशि पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित की गई।
- ₹5,536.50 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹2,729.86 करोड़) की राशि अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।

Net Interest Income

33.10%
Net Interest Income

The Net Interest Income of the Bank registered a growth of 33.10% from ₹32,526.41 crores in 2010-11 to ₹43,291.08 crores in 2011-12. This was due to higher growth in the advances and investment portfolios.

The gross interest income from global operations correspondingly rose from ₹81,394.36 crores to ₹1,06,521.45 crores during the year registering a growth of 30.87%.

Interest income on advances in India registered an increase from ₹56,960.97 crores in 2010-11 to ₹77,309.15 crores in 2011-12 due to higher volumes. The average yield on advances in India increased from 9.56% in 2010-11 to 11.05% in 2011-12. Interest income on advances at foreign offices has also grown by 24.99%.

Income from resources deployed in treasury operations in India increased by 22.05% mainly due to higher average resources deployed and increase in average yield. The average yield, which was 7.02% in 2010-11, has increased to 7.51% in 2011-12.

Total interest expenses of global operations increased from ₹48,867.96 crores in 2010-11 to ₹63,230.37 crores in 2011-12. Interest expenses on deposits in India during 2011-12 recorded an increase of 29.19% compared to the previous year, whereas the average level of deposits in India grew by 14.31%. The average cost of deposits has consequently increased from 5.26% in 2010-11 to 5.95% in 2011-12.

Non-Interest Income

Non-interest income stood at ₹14,351.45 crores in 2011-12 as against ₹15,824.59 crores in 2010-11 registering a decline of 9.31%.

During the year, the Bank received an income of ₹767.35 crores (₹827.73 crores in the previous year) by way of dividends from Associate Banks/ subsidiaries and joint ventures in India and abroad.

Operating Expenses

There was an increase of 11.59% in the Staff Cost from ₹15,211.62 crores in 2010-11 to ₹16,974.04 crores in 2011-12. Other Operating Expenses have also registered an increase of 16.54% mainly due to increase in expenses on rent, taxes and lighting, postage, telegrams & telephones, insurance and miscellaneous expenditure.

Operating Expenses, comprising both staff cost and other operating expenses, have registered an increase of 13.27% over the previous year.

Provisions and Contingencies

Major amounts of provisions made in 2011-12 were as under:

- ₹663.70 crores towards provision for depreciation on investments, **excluding** amortization of premium on 'Held to Maturity' category (as against ₹646.75 crores towards depreciation on investments in 2010-11).
- ₹6,320.09 crores towards Provision for Tax, excluding deferred tax reversal of ₹455.93 crores (as against ₹5,712.89 crores in 2010-11 excluding deferred tax reversal of ₹976.82 crores).
- ₹11,545.85 crores (net of write-back) for non-performing assets (as against ₹8,792.09 crores in 2010-11).
- ₹978.81 crores towards Standard Assets (as against ₹976.60 crores in 2010-11). Including the current year's provision, the total provision held on Standard Assets amounts to ₹4,296.03 crores.

Reserves and Surplus

- An amount of ₹3,516.98 crores (as against ₹2,479.36 crores in 2010-11) was transferred to Statutory Reserves.
- An amount of ₹14.38 crores (as against ₹9.61 crores in 2010-11) was transferred to Capital Reserve Fund.
- An amount of ₹5,536.50 crores (as against ₹2,729.86 crores in 2010-11) was transferred to Other Reserve Funds.

तालिका : प्रमुख निष्पादन संकेतक

संकेतक	एसबीआई		एसबीआई समूह	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
औसत आस्तियों पर आय (%)	0.71	0.88	0.70	0.89
ईक्विटी पर आय (%)	12.84	14.36	12.92	14.84
आय की तुलना में (%) (कुल निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	47.60	45.23	58.32	53.42
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	1013.82	1214.78	1302.70	1540.64
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)	130.16	184.31	168.28	241.55
प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन (₹)	130.16	184.31	168.28	241.55
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-I)	10.69	12.05	11.02	11.84
श्रेणी-I	6.93	8.50	7.20	8.30
श्रेणी-II	3.76	3.55	3.82	3.54
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-II)	11.98	13.86	12.26	13.68
श्रेणी-I	7.77	9.79	8.02	9.65
श्रेणी-II	4.21	4.07	4.24	4.03
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.63	1.82	1.56	1.81

आस्तियाँ

बैंक की कुल आस्तियों में 9.13% की वृद्धि हुई और ये मार्च 2012 के अंत तक बढ़कर ₹13,35,519.23 करोड़ हो गईं, जबकि मार्च 2011 के अंत में ये ₹12,23,736.20 करोड़ थीं। इसी अवधि के दौरान, संविभाग में 14.65% की वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹7,56,719.45 करोड़ से बढ़कर ₹8,67,578.89 करोड़ हो गईं। मार्च 2012 के अंत में विनिधानों में 5.61% की वृद्धि हुई और इनकी राशि बढ़कर ₹3,12,197.61 करोड़ पर पहुँच गई जबकि पहले यह ₹2,95,600.57 करोड़ रही थी। अधिकांश विनिधान घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों और सहयोगियों व अनुषंगियों में किया गया।

देयताएँ

बैंक की कुल देयताएँ (पूंजी एवं आरक्षितियों को छोड़कर) 8.01% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2012 को ₹12,51,568.03 करोड़ हो गईं जबकि 31 मार्च 2011 को ये ₹11,58,750.16 करोड़ थीं। देयताओं में यह वृद्धि मुख्यतया जमाराशियों और उधारराशियों में वृद्धि होने के कारण हुई। 31 मार्च 2012 को वैश्विक जमाराशियों में 31 मार्च 2011 की तुलना में 11.75% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2012 को ये ₹10,43,647.36 करोड़ पर पहुँच गई जबकि 31 मार्च 2011 को ये ₹9,33,932.81 करोड़ रही थी।

मुख्य परिचालन

1. व्यवसाय समूह

क. वैश्विक बाजार परिचालन

कारपोरेट केन्द्र में स्थित वैश्विक बाजार विभाग बैंक की चलनिधि का कार्य देखता है और ग्राहकों को विदेशी मुद्रा सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, यह भारतीय रिज़र्व बैंक की रिज़र्व संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के कार्य की देखरेख भी करता है। डेरीवेटिव्ज, स्वर्ण वायदा और संविभाग प्रबंधन सेवाएं जैसे उत्पाद उपलब्ध कराता है और बैंक की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी देखता है।

चलनिधि प्रबंधन कार्य और ऋण संविभाग का निष्पादन ब्याज दर उतार-चढ़ाव और अर्थव्यवस्था में चलनिधि की स्थिति पर निर्भर करता है। वित्त वर्ष 2012 में मुद्रास्फीति एवं नकदी के संकट के कारण ब्याज की दरें अस्थिर रही हैं। वर्ष की दूसरी छमाही में बैंकिंग व्यवस्था में तरलता का संकट और गहराता नज़र आया। इस परिवेश के अंदर ग्लोबल बाजार चलनिधि का सक्रिय रूप से प्रबंध करता रहा और निवेशों पर प्रतिफल प्राप्त होने के प्रति आशान्वित रहा।

ईक्विटी बाजार वर्ष के अधिकांश भाग में लगातार गिरते रहे। इस कारण हमें प्रॉपराइटरी ट्रेडिंग के लिए ईक्विटियों में अपने निवेश को कम करने और इस संविभाग को फिर से संतुलित बनाने का रणनीतिक निर्णय लेना पड़ा। हम निरंतर कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं और अच्छे निवेश अवसरों की तलाश में है जिससे अनिश्चितता के माहौल में कम से कम जोखिम उठाते हुए लाभ बढ़ाए जा सके।

देश का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते और बाजार में प्रमुख सक्रिय बैंक की भूमिका को ध्यान में रखकर बैंक का प्रयास रहता है कि कारपोरेटों सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संस्थाओं से लेकर लघु और मध्यम उद्यमों को सबसे वाजिब दरें प्रस्तावित की जाएँ। इसके अतिरिक्त, फॉरेक्स ट्रेजरी अंतर बैंक बाजार में नकदी की स्थिति को आसान करता है।

इनके अलावा, बैंक कारपोरेटों को भारतीय रुपये में और विदेशी मुद्रा में डेरीवेटिव्ज भी उपलब्ध कराता है जिससे नियामक शर्तों के भीतर उनके ब्याज दर और करेंसी जोखिमों का बाजार में बचाव किया जा सके।

ट्रेजरी मार्केटिंग ग्रुप बैंक द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे विभिन्न ट्रेजरी उत्पादों को अपने ग्राहकों को विपणन करता है जिससे उनके निवेशों के विनिमय दर जोखिम/ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके। विशेष रूप से ट्रेजरी मार्केटिंग में लगे हुए अधिकारी लगातार ग्राहकों के संपर्क में रहते हैं और बैंक की सलाहकारी सेवाओं के अंतर्गत बाजारों के बारे में उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं। बैंक के **विदेशी मुद्रा कारोबार में वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान वर्षानुवर्ष 14% की वृद्धि हुई है।**

Table : Key Performance Indicators

Indicators	SBI		SBI Group	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
Return on Average Assets (%)	0.71	0.88	0.70	0.89
Return on Equity (%)	12.84	14.36	12.92	14.84
Expenses to Income (%) (Operating Expenses to Total Net Income)	47.60	45.23	58.32	53.42
Book Value per share (₹)	1013.82	1214.78	1302.70	1540.64
Basic Earnings Per Share (₹)	130.16	184.31	168.28	241.55
Diluted Earnings Per Share (₹)	130.16	184.31	168.28	241.55
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-I)	10.69	12.05	11.02	11.84
Tier I	6.93	8.50	7.20	8.30
Tier II	3.76	3.55	3.82	3.54
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.98	13.86	12.26	13.68
Tier I	7.77	9.79	8.02	9.65
Tier II	4.21	4.07	4.24	4.03
Net NPAs to Net Advances (%)	1.63	1.82	1.56	1.81

Assets

The total assets of the Bank increased by 9.13% from ₹12,23,736.20 crores at the end of March 2011 to ₹13,35,519.23 crores as at the end of March 2012. During the period, the loan portfolio increased by 14.65% from ₹7,56,719.45 crores to ₹8,67,578.89 crores. Investments increased by 5.61% from ₹2, 95,600.57 crores to ₹3,12,197.61 crores as at the end of March 2012. A major portion of the investment was in the domestic market in government securities and investment in Subsidiaries & Associates.

Liabilities

The Bank's aggregate liabilities (excluding capital and reserves) rose by 8.01% from ₹11,58,750.16 crores on 31st March 2011 to ₹ 12,51,568.03 crores on 31st March 2012. The increase in liabilities was mainly contributed by increase in deposits and borrowings. The Global deposits stood at ₹10, 43,647.36 crores as on 31st March 2012 against ₹9,33,932.81 crores as on 31st March 2011, representing an increase of 11.75 % over the level on 31st March 2011.

CORE OPERATIONS

1. BUSINESS GROUPS

A. GLOBAL MARKETS OPERATIONS

Global Markets department mainly handles the bank's liquidity and provides foreign exchange services to customers. In addition, it also handles compliance with reserve requirements of RBI, provides products like derivatives, gold forwards and portfolio management services, and handles the bank's proprietary trading and investment portfolio.

The liquidity management function and debt portfolio's performance depend significantly on interest rate movements and system wide liquidity conditions. In fiscal year 2012, interest rates were volatile due to inflation and liquidity concerns. The second half of the fiscal saw liquidity in the banking system tighten significantly. Within this environment Global Markets continued to actively manage the liquidity and optimized returns on investment.

The equity markets continued to fall for the major part of the year prompting a strategic decision to reduce our exposure to equities for proprietary trading and rebalance the portfolio. We still continue to hold multiple strategic positions and remain on the lookout for good investment opportunities to enhance returns while maintaining a reduced risk appetite given the uncertain environment.

Being the biggest bank of the country and its role as a market maker, the bank endeavours to provide the best prices to corporates, ranging from the behemoths to emerging SMEs both in the Public and Private Sector. In addition, forex treasury facilitates liquidity in the inter-bank market.

In addition to these, the bank also provides Indian Rupee and Foreign Exchange Derivatives to corporates for hedging their interest rate and currency exposures, within the regulatory stipulations.

Treasury Marketing Group markets various treasury products offered by the Bank, to its customers to mitigate Exchange Rate Risk / Interest Rate Risk in their exposures. Dedicated Treasury Marketing Officers continuously engage with the customers bringing them various inputs about markets as part of advisory services offered by the Bank. The Bank's **forex volumes grew by 14% YoY for FY 2011-12**.

ग्लोबल मार्केट्स समूह के पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ अनुभाग, जो सबसे बड़े निधि प्रबंधन कारोबारियों में से एक है, वर्ष 1995 के बाद से विभिन्न भविष्य निधि न्यासों के सेवांत हितलाभ निधियों का प्रबंध संभालता है। यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निधियों के निवेशों का प्रबंध भी संभालता है। 31 मार्च 2012 को पोर्टफोलियो प्रबंधन अनुभाग के प्रबंध अधीन आस्तियाँ ₹2,00,000 करोड़ से भी अधिक हैं।

ख. कारपोरेट बैंकिंग समूह

बैंक के कारपोरेट बैंकिंग समूह के चार कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयाँ हैं । यथा कारपोरेट लेखा समूह, लेनदेन बैंकिंग इकाई, परियोजना वित्त एवं लीजिंग एसबीयू तथा वित्तीय संस्थान व्यवसाय इकाई।

ख.1.कारपोरेट लेखा समूह (कैग)

कैग की स्थापना वर्ष 1995 में सर्वप्रथम कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई के रूप में बैंक के कारपोरेट बैंकिंग समूह के तहत की गई थी। विगत वर्षों में कारपोरेट लेखा समूह ने देश में शीर्षस्थ कारपोरेट को सर्वोत्कृष्ट कारपोरेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के कार्यनीतिक उद्देश्यों का प्रभावशाली ढंग से प्राप्त है। लगभग पांच सौ ऐसे कारपोरेटों का कारपोरेट लेखा समूह के साथ व्यवहार है। ग्राहकों की इस सूची में प्रत्येक खंड के उद्योग दिग्गज शामिल है।

एक अत्यंत कुशल ग्राहक संबंध टीम और एक दक्ष प्रौद्योगिकी समर्पित उत्पाद-सेवा प्रदायगी तंत्र प्रत्येक कैग यूनिट के मध्य उपलब्ध है। कैग के कार्यालय सभी चारों महानगरों तथा हैदराबाद और अहमदाबाद में है। उपर्युक्त प्रत्येक केंद्र पर क्षेत्रीय प्रमुख का पद अब महाप्रबंधक के स्तर का कर दिया गया है जो समूह के बढ़ते कारोबार के नितांत अनुरूप है। कारपोरेट लेखा समूह के उच्च मालियत वाले ग्राहकों को देखते हुए वरिष्ठ स्तर पर संवाद की दृष्टि से सुविधाप्रद है।

कैग खातों की कुल निधि और गैर-निधि ऋण सीमाएँ ₹5,26,078 करोड़ हैं। निधि आधारित बकाया राशियाँ ₹1,08,774 करोड़ के स्तर से 15% बढ़कर वित्त वर्ष 12 में ₹1,25,286 करोड़ पर पहुँच गई हैं। इसकी बैंक के कुल देशीय ऋण पोर्टफोलियो में 16% और सीएंडआई (गैर-खाद्यान्न) अग्रिमों में 31% हिस्सेदारी है।

वर्ष के दौरान गैर-निधि आधारित बकाया राशियों में भी 17% वृद्धि हुई और ये ₹1,87,062 करोड़ हो गई। कैग का फॉरेक्स कारोबार ₹8,73,416 करोड़ का है जो बैंक के देश में फॉरेक्स कारोबार का 48% है। व्यापार वित्त (एलसी और बैंक गारंटी) कारोबार में भी 30% वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 12 में कारोबार की कुल राशि ₹3,37,486 करोड़ रही। ऋणों के धीमे उठाव और नरम वित्तीय बाजार जिसमें संरचित उत्पादों के लिए बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है, कैग के परिचालन लाभ में वित्त वर्ष 12 के दौरान 31% की वृद्धि हुई और यह ₹9,808 करोड़ के स्तर से बढ़कर ₹12,875 करोड़ पर पहुँच गया।

कैग के लगभग 36% निधि आधारित और गैर निधि आधारित बकाया राशियों को विदेशी रेटिंग एजेंसियों से सर्वोच्च रेटिंग ग्रेड प्राप्त हुए। कैग का अनर्जक आस्ति स्तर 31 मार्च 2012 को कुल अग्रिमों राशियों के 0.20% पर भलीभांति नियंत्रित रखा गया है।

वर्ष के दौरान कैग ने उच्च मूल्य वाले अनेक सौदों का प्रबंध किया। इनमें से कुछ को नीचे उल्लेख किया गया है। इनमें परियोजना वित्तपोषण एसबीयू के माध्यम से मंजूर किए गए मीयादी ऋण शामिल नहीं हैं।

- एनटीपीसी लि. ₹10,000 करोड़ के 12 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।
- पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आप इंडिया लि. ₹5,000 करोड़ के 15 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।
- टाटा स्टील लि. ₹2,000 करोड़ के 5 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।

उच्च राशिवाले सौदे

₹10,000 करोड़ – एनटीपीसी लि.,
₹5,000 करोड़-पॉवर ग्रिड कारपोरेशन और
₹2000 करोड़ टाटा-स्टील लि.

कोयला कारगो टर्मिनल

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. को ₹2,500 करोड़ की सावधि ऋण सुविधा

Portfolio Management Services Section of Global Markets, one of the largest fund managers, is managing terminal benefit funds of various provident fund trusts since 1995. It also manages investments of funds of RRBs sponsored by SBI. As on 31st March 2012, Assets under management of Portfolio Management Section exceeded ₹2,00,000 crores.

B. CORPORATE BANKING GROUP

The Bank's Corporate Banking Group consists of four Strategic Business Units viz., Corporate Accounts Group, Transaction Banking Unit, Project Finance & Leasing SBU and Financial Institutions Business Unit.

B.1. Corporate Accounts Group (CAG)

CAG was set up in 1995 as the first Strategic Business Unit to be created under Corporate Banking Group of the Bank. Over the years CAG has effectively met its strategic objectives of delivering best in class Corporate Banking services to the top most corporates in the country. Nearly five hundred such corporates deal with CAG and the client list includes industry leaders in every segment.

A highly skilled Relationship team and a strong delivery platform with enabling technology support lie at the core of each CAG unit. CAG has offices in all four metros, Hyderabad and Ahmedabad. The incumbency of Regional Head at each of the above centres has been upgraded to the level of General Manager in line with the rising business profile of the group and to facilitate interaction at senior level having regard to the high profile of the CAG clients.

The total Fund and Non-Fund limits of CAG accounts stand at ₹5,26,078 crores. The Fund based outstandings grew by 15% during FY'12 from ₹1,08,774 crores to ₹1,25,286 crores. It constitutes 16% of total domestic credit portfolio and 31% of the C & I (Non-Food) advances of the Bank.

The Non-Fund based outstandings at ₹1,87,062 crores also grew by 17% during the year. CAG's FOREX business at ₹8,73,416 crores constitutes 48% of the domestic FOREX business of the Bank. Trade Finance (LC and BG) volumes also registered a growth of 30% with the volumes standing at ₹3,37,486 crores for FY'12. Despite slow pick up of credit and a tepid financial market that did not offer significant scope for structured products, CAG's operating profit grew by 31% from ₹9,808 crores to ₹12,875 crores during FY'12.

About 36% of CAG's Fund based & Non-fund based outstandings carries the highest rating grades from the external rating agencies. The NPA level of CAG is well contained at 0.20% of total advances as on 31st March 2012.

During the year CAG handled several high value deals, a few of which are listed below excluding Term loans sanctioned through PFSBU:

- NTPC Ltd.-Term Loan of ₹10,000 crores with tenor of 12 years.
- Power Grid Corporation of India Ltd.- Term Loan of ₹5,000 crores with tenor of 15 years.
- Tata Steel Ltd – Corporate loan of ₹2,000 crores with tenor of 5 years.

High Value Deals

₹10,000 crores to NTPC Ltd., ₹5,000 crores to Power Grid Corp. & ₹2,000 crores to Tata Steel Ltd.

₹5000 crore Term Loan Facility to Power Grid Corporation of India Ltd.

Jaguar Land Rover manufacturing initiative

- भारती एयरटेल लि. - ₹2,000 करोड़ के 6 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।
- आदानी पॉवर लि. - ₹1,200 करोड़ के 8.5 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।

बैंक ने आदानी, जेएसडब्ल्यू, टाटा आदि जैसे प्रमुख भारतीय समूहों द्वारा विदेश में किए गए अधिग्रहणों के संबंध में एक कार्यनीतिक भूमिका निभायी है।

ख.2 लेनदेन बैंकिंग इकाई (टीबीयू)

टीबीयू नकदी प्रबंध उत्पादों, व्यापार वित्तपोषण और सप्लाई चेन (डीलर/वैंडर) वित्तपोषण पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए स्थापित की गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान इसने अपने कार्य कलाप का विस्तार किया।

(1) नकदी प्रबंध उत्पाद (सीएमपी)

बैंक में सीएमपी चैक और नकदी उगाही सेवाएँ अब 701 केंद्रों पर स्थित 1133 प्राधिकृत शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। लाभांश वारंट, मल्टी सिटी चैक, आईओआई और ई-पेमेंट इत्यादि भुगतान सेवाएँ सभी शाखाओं में उपलब्ध है। सीएमपी सेंटर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., टीसीएस, टाटा मोटर्स लि., एल एंड टी, कोल इंडिया लि., ओएनजीसी आदि अनेक प्रतिष्ठित लाभांश सौदे निष्पादित किए। यह आयकर विभाग का एकमात्र रिफंड बैंकर है और वित्त वर्ष 2011-12 में 111 लाख से अधिक रिफंड रेकॉर्डो के (₹36,613 करोड़) कारोबार की देखरेख की गई। सी एम पी को 43 प्रमुख मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 253 पीएओ के सभी केंद्रीय मंत्रालयों के खर्च खातों के भुगतान की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत बैंकर चुना गया है और इस संबंध में इसने एक प्रायोगिक परियोजना संचालित की है।

(2) व्यापार वित्तपोषण

एसबीआई को एशियन बैंकर पत्रिका द्वारा वर्ष 2012 के लिए 'भारत में सर्वोत्कृष्ट व्यापार वित्त बैंक' का अवार्ड दिया गया है।

ई-ट्रेड एसबीआई, जो एक वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल है, हमारे बैंक द्वारा मार्च 2011 में शुरू किया गया है। यह ग्राहकों को व्यापार वित्तपोषण सेवाएँ शीघ्रता से और कम खर्च पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है जिससे ये दुनिया भर में किसी भी कोने से साख-पत्र, बैंक गारंटियाँ और बिल कलेक्शन/निगोसिएशन संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकें। इस समय, ई-ट्रेड प्लेटफॉर्म कैग की सभी 6 शाखाओं और एमसीजी की 63 शाखाओं में चल रहा है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है। 31.03.2012 तक 393 कारपोरेट ई-ट्रेड एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

(3) सप्लाई चेन वित्तपोषण

ई-वीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक वेंडर फायनैंस स्कीम) एवं ई-डीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक डीलर फायनैंस स्कीम)

उपर्युक्त उत्पाद पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इनके द्वारा प्रमुख औद्योगिक घरानों और उनके वेंडरों तथा डीलरों को सप्लाई चेन लेनदेन के स्वचलित भुगतान और समाधान एवं तत्काल एमआईएस सुविधा प्रदान की जाती है। देश भर में कुल 64 प्रमुख औद्योगिक घराने और 289 वेंडर तथा 1041 डीलर 31.03.2012 तक ई-वीएफएस/ई-डीएफएस प्लेटफॉर्म के तहत इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से जुड़ चुके हैं।

ख.3. परियोजना वित्तपोषण एवं लीजिंग एसबीयू (पीएफएसबीयू)

परियोजना वित्तपोषण एवं लीजिंग एसबीयू, बिजली, दूरसंचार, सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं और अन्य शहरों गैर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे धातु, सीमेंट क्षेत्र आदि परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से निश्चित सीमा में न्यूनतम परियोजना लागत पर निधि उपलब्ध कराने का करोबार करती है।

इस विशेष इकाई को और मजबूत बनाने के लिए बैंक में सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों के 19 भूतपूर्व सीईओ/निदेशकों की सेवाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया चल रही है। इस सीईओ/निदेशकों को ऊर्जा, परिवहन, खनन, दूर संचार, धातु और उर्वरक क्षेत्रों में विशेषज्ञता होगी और ये तकनीकी क्षेत्रों में सलाह देने में सहायता कर सकेंगे।

वर्ष 2011-12 के दौरान, परियोजना वित्तपोषण एसबीयू द्वारा ₹1,08,468 करोड़ (₹3,33,054 करोड़) परिव्यय वाली परियोजनाओं के वित्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करके फंड उपलब्ध कराए गए। इनमें ₹84,408 करोड़ (₹2,36,607 करोड़) का वित्तपोषण किया जाना है। कुल ₹24,976 करोड़ (₹59,209 करोड़) संस्वीकृत किए गए। परियोजना वित्तपोषण एसबीयू अन्य बैंकों के साथ ₹18,610 करोड़ (₹73,082 करोड़) के ऋण समूहन में शामिल हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान परियोजना वित्तपोषण द्वारा दी गई संस्वीकृतियों में प्रमुख हैं - नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को (₹2,500 करोड़) 1000 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाने के लिए, मेजाऊर्जा निगम लिमिटेड को (₹2,000 करोड़) 1320 मेगावाट के संयंत्र हेतु और टाटा टेलीसर्विसेज लि. को (₹2,500 करोड़) अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए।

31 मार्च 2012 को परियोजना वित्तपोषण एसबीयू के कार्यान्वयन अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में 57,788 मेगावाट (399 मेगावाट नवीकरणीय स्रोतों से) उत्पादन के लिए बिजली परियोजनाएँ, 2-लेन, 4-लेन और 6-लेन वाली 5185 किमी सड़के बनाने के लिए सड़क परियोजनाएँ; 40 एमटीपीए बहु-उद्देशीय कार्गो और 1.2 मिलियन टीईयू कंटेनर क्षमता की देखरेख के लिए नए बंदरगाह; बेंगलूर और हैदराबाद शहरों में मेट्रो परियोजनाएं तथा इसके अलावा, स्टील, सीमेंट, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीआरई आदि अनेक परियोजनाएँ भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कुल ₹15,410 करोड़ (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित) (वित्त वर्ष 2011 में ₹9,670 करोड़) दिए गए।

- Bharti Airtel Ltd – Term loan of ₹2,000 crores with tenor of 6 years.
- Adani Power Ltd – Term loan of ₹1,200 crores with tenor of 8.5 years.

The Bank played a strategic role in global acquisition by major Indian Groups like, Adani, JSW, Tata etc.

B.2. Transaction Banking Unit (TBU)

TBU, with special focus on Cash Management Product, Trade Finance and Supply Chain (Dealer / Vendor) Finance has expanded its activity during the last two years.

(1) Cash Management Product (CMP)

CMP Cheque and cash collection services in the Bank are now offered through 1133 authorized branches located at 701 Centres, while payment services comprising Dividend Warrants, Multi City Cheques, IOIs and e-payment are extended through all branches. CMP Centre executed several prestigious dividend deals like Reliance Industries Ltd., TCS, Tata Motors Ltd., L&T, Coal India Ltd. ONGC etc., in 2011-12. It is the **Sole Refund Banker for Income Tax Department** and handled over 111 lakh refund records (₹36,613 crores) in FY 2011-12. CMP has been selected as the authorized banker for handling all UMEA payments for 253 PAOs relating to 43 accredited Ministries & Departments and also did the pilot.

(2) Trade Finance

SBI has been awarded the "Best Trade Finance Bank in India" Award for 2012 by The Asian Banker.

e-Trade SBI, a web-based online portal, has been launched by our Bank in March 2011 to provide the means to customers access trade finance services with speed and efficiency by enabling them to lodge Letters of Credit, Bank Guarantees and Bills Collection/negotiation requirements online from any corner of the world. Presently, the e-trade platform has been introduced in all 6 CAG Branches and 63 MCG Branches and has been well received with 393 Corporates registered under e-Trade SBI as on 31.03.2012.

(3) Supply Chain Finance

e-VFS (Electronic Vendor Financing Scheme) & e-DFS (Electronic Dealer Financing Scheme)

The above products, which are fully on electronic platform, provide automated payment and settlement of supply chain transactions as also real time MIS to both Industrial Majors(IM) and their vendors and dealers. A total number of 64 IMs and 289 vendors and 1041 dealers across the country have been migrated to the electronic facility under the e-VFS/e-DFS platform as on 31.03.2012.

B.3. Project Finance & Leasing SBU (PFSBU)

Project Finance & Leasing SBU (PFSBU) focuses on funding large projects in infrastructure sectors like power, telecom, roads, ports, airports, other urban infrastructure as also other non-infrastructure projects in sectors like metals, cement etc., with certain threshold on minimum project cost.

In order to further strengthen this specialised outfit, Bank has engaged 19 former CEOs/ Directors of leading PSUs with domain expertise in Energy, Transport, Mining, Telecom, Metals and Fertilizer sectors to provide consultancy support in technical areas.

During 2011-12, PFSBU appraised and enabled funding of projects with outlay of ₹1,08,468 crores (₹3,33,054 crores) involving debt of ₹84,408 crores (₹2,36,607 crores). Sanctions accorded aggregated ₹24,976 crores (₹59,209 crores), while PFSBU took up syndication of debt of ₹18,610 crores (₹73,082 crores) with other banks.

Major sanctions with Project Finance during 2011-12 included Neyveli Lignite Corporation Limited (₹2,500 crores) for setting up Power plant for 1000 MW, Meja Urja Nigam Limited (₹2,000 crores) for 1320 MW and Tata Teleservices Ltd (₹2500 crores) for expansion of their services.

As on 31st March 2012, the portfolio of infrastructure projects under implementation with Project Finance SBU involves Power projects to produce 57,788 MW including 399 MW from renewable sources; Telecom Projects serving 303 million subscribers; Road projects to lay 5185 kms. of 2-lane, 4-lane & 6-lane Roads; new Ports to handle 40 MTPA multi-purpose cargo and 1.2 million TEU of container capacity ; Metro projects in the cities of Bangalore and Hyderabad besides a host of projects in steel, cement, Urban Infra, CRE etc. During the year, a total (FB + NFB) of ₹15,410 crores (₹9,670 crores in FY'11) were disbursed to these projects.

राष्ट्रीय राजमार्ग-45 उलुंदुरपेट से पैडालुर (तमिलनाडु)

वित्त वर्ष 2011-12 में सामान्यता नए निवेशों में गिरावट देखी गई। यह गिरावट खास तौर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऊँची ब्याज दरो और व्यवस्था संबंधी मुद्दों के चलते रही। परियोजना वित्तपोषण एसबीयू ने इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभायी।

धीमेपन के बावजूद ₹69,535 करोड़ की कुल परियोजना लागत और ₹49,465 करोड़ के ऋण वाले 43 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं जिनमें एसबीआई का हिस्सा 31.03.2012 को ₹11,643 करोड़ है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर हमारे देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में चार चांद लग जाएँगे।
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

ख.4. वित्तीय संस्था व्यवसाय इकाई (एफआईबीयू)

एफआईबीयू वित्तीय संस्थाओं से भविष्य में उत्पन्न होनेवाले कारोबारी अवसरों से लाभ उठाने पर विशेष रूप से ध्यान देता है। इन वित्तीय संस्थाओं में बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ, दलाली फर्मे और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं। कैपिटल मार्केट शाखा, मुंबई (सीएमबी) एफआईबीयू के तहत एक विशेषीकृत शाखा है जो सभी प्रमुख एक्सचेंजो और सीसीआईएल के लिए एक समाधानकर्ता बैंक है। सीएमबी ब्रोकरों और म्यूचुअल फंडों की सेटलमेंट बैंकिंग और ट्रांजेक्शन बैंकिंग की जरूरतों की देखरेख करती है। यह इश्यू बैंकर और सभी प्रमुख आईपीओ/एफपीओ/एनएफओ/बॉण्ड इश्यू जैसे एनएचएआई, हुडको, आरईसी, एनबीसीसी के एस्को कलेक्टिंग और रिफंड बैंकर का कारोबार भी संभालती है।

इस खंड की प्रमुख नई पहलों और शुरू किए गए उत्पादों में - ब्रोकरों के लिए विशेष चालू खाता उत्पाद, कासा संग्रहण के लिए हाउसिंग सोसाइटियों/एसोसिएशनों को लक्ष्य को तैयार किए गए विशेष चालू खाता उत्पाद, बड़े स्टॉक ब्रोकरों के लिए साइट टू टाइट जुड़ाव की सुविधा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए एटीएम शेयरिंग करार करना शामिल है।

एफआईबीयू द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों में जीवन बीमा कंपनियों के प्रीमियम की उगाही, स्टाक ब्रोकरों के लिए नए जमा एवं ऋण उत्पाद आदि शामिल हैं। एफआईबीयू पूरे भारत में वित्तीय संस्थाओं को धन उगाही, भुगतान और प्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराकर कासा में बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपने विशाल नेटवर्क और टेक्नोलॉजी का उपयोग कराने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है।

57,788 मेगावाट
पॉवर परियोजनाएं
कार्यान्वयन अधीन

ग. मध्य-कारपोरेट

1. मध्य कारपोरेट समूह मध्य कारपोरेट क्षेत्र की इकाइयों की बैंकिंग जरूरतों की पूर्ति करता था। मध्य कारपोरेट समूह के सृजन का मुख्य उद्देश्य मध्य कारपोरेट ग्राहकों को ऋण देने में लगने वाले समय में कमी लाकर उन्हें दी जानेवाली सेवा के स्तर को बेहतर बनाना, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में गुणवत्ता तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन मॉडल अपनाकर मध्य कारपोरेट ग्राहकों को बैंक के विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। 31.03.2012 के अंत में इस समूह ने विस्तार करते हुए 10 एमसीआरओ के तहत 62 शाखाएँ और ₹1,72,651 करोड़ का आस्ति आधार कर लिया है। ऐसी सभी कंपनियाँ/फर्मे जिनकी वार्षिक बिक्री/आय ₹50 करोड़ से अधिक और गैर निधि आधारित आवश्यकताएँ ₹10 करोड़ से अधिक हैं। एमसीजी के दायरे में आती हैं। ग्राहकों

बॉम्बे रेयान फैशन लि. (बीआरएफएल)

Mundra Port

Financial Year 2011-12, saw a general decline in new investments more particularly in the Infrastructure sector owing to higher interest rates and systemic issues. PFSBU plays an active role in various efforts being made by Government and other agencies to iron out the issues facing infrastructure finance.

Notwithstanding the slowdown, 43 proposals were in pipeline with aggregate Project Cost of ₹69,535 crores and debt component of ₹49,465 crores with SBI's Share likely to be ₹11,643 crores as on 31.03.2012. When completed, these projects will further add to the Infra story of our country. *(Figures in brackets represent previous year figures)*

B.4. Financial Institutions Business Unit (FIBU)

FIBU focuses on capturing potential business opportunities from financial institutions viz. Banks, Mutual Funds, Insurance companies, Brokerage Firms and NBFCs. Capital Market Branch, Mumbai (CMB), a specialized branch under FIBU, is a settlement bank for all major exchanges and CCIL. CMB has handled the settlement banking and transaction banking needs of brokers and mutual funds and has also acted as the Banker to the Issue and Escrow Collecting and Refund Banker to all major IPO/FPO/NFO/Bonds Issues including NHAI, HUDCO, REC, NBCC.

Some of the major initiatives undertaken and products launched for this segment include special current account product for brokers, special current account product for targeting housing societies / associations for mobilizing CASA, site to site integration facility for large stock brokers, ATM sharing arrangement for RRBs and Co-operative Banks.

Products being developed by FIBU include collection of premium of Life Insurance Companies, new deposit and loan products for stock brokers, etc. FIBU is focusing on leveraging our vast network and technology to increase our market share of CASA by offering collection, payment and remittance solutions to FI clients pan India.

57,788 MW

Power Projects Under Implementation

C. MID-CORPORATE

1. MCG exclusively caters to the banking needs of the units falling under the Mid-Corporate sector. The main purpose of creation of MCG was to improve the service levels to the Mid-Corporate customers through improvement of the Turnaround Time (TAT) for credit delivery and ensuring quality in credit appraisal, as well as extension of bank's various products to the Mid-Corporate customers through Relationship Management model. As at the end of 31.03.2012, the Group has expanded to 62 branches under 10 MCROs at Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Indore, Kolkata, Mumbai, New Delhi and Pune, with an asset base of ₹1,72,651 crores. All Companies / firms whose annual sales / Income exceed ₹50 crores or whose Fund Based and Non Fund Based requirements exceed ₹10 crores are covered by MCG. Facilities are extended to the customers in

Denim Loomshed, Arvind Mills

को कैश क्रेडिट, मीयादी ऋणों, एफसीएनआरबी ऋणों, ईसीबी (हमारे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के माध्यम से), साख पत्र, बैंक गारंटियाँ, चुकौती आश्वासन पत्र, क्रेता की क्रेडिट, वेंडर वित्तपोषण, सप्लाई चेन वित्तपोषण, नकदी प्रबंध उत्पाद आदि के रूप में ग्राहकों को सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। एमसीजी की परिधि में वस्त्र, लौह, स्टील, खाद्यान्न, चीनी, इंजीनियरी, फार्मास्युटिकल्स, रत्न एवं आभूषण, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जैसे निर्माण, दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह, बिजली आदि तथा व्यापार एवं सेवा क्षेत्र जैसे सभी क्षेत्रों के औद्योगिक कार्यकलाप शामिल हैं। इस समूह का कुल व्यवसाय (निधि आधारित आस्तियों और जमाराशियों) 31.03.2012 को ₹1,97,162 करोड़ पर पहुँच गया।

2. वर्ष 2011-12 के दौरान समूह द्वारा नए ग्राहकों के रूप में 397 ऋण संस्वीकृत किए और आस्तियों में कुल ₹14,466 करोड़ की वृद्धि की। इस प्रकार निधि आधारित अग्रिमों का स्तर 31.03.2011 के ₹1,61,208 करोड़ से बढ़कर 31.03.2012 को ₹1,72,651 करोड़ पर पहुँच गया। समूह द्वारा ब्याज आय के रूप में वर्षानुवर्ष 39.86% और परिचालन लाभ में 33.89% की वृद्धि दर्ज की। समूह के अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 31.03.2011 के 9.88% की तुलना में मार्च 2012 के अंत में 11.87% रही।

3. समूह द्वारा ईपीसी, पीसीएफसी और ईबीआर के माध्यम से निर्यातकों को निर्यात ऋण भी उपलब्ध कराए। समूह का 31.03.2012 को कुल बकाया निर्यात ऋण ₹19,324 करोड़ थे। समूह का 31.03.2012 को कुल फॉरेक्स व्यवसाय (बिक्री एवं खरीद) ₹4,52,816 करोड़ है जबकि 31.03.2011 को ₹4,07,901 करोड़ था। समूह एलसी/बीजी/एलओसी जारी करने के साथ-साथ क्रेता ऋण सुविधा प्रदान करने जैसी सुविधाओं के माध्यम से आयातों में अपने ग्राहकों की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, समूह भारत में कंपनियों को विदेश में आस्ति/कंपनी अधिग्रहण में भी सहायता करता है और बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के माध्यम से एलओसी जारी करके विदेश में अपने ग्राहकों की विस्तार योजनाओं के लिए भी निधियाँ उपलब्ध कराता है। विगत वर्षों में, समूह ने यूएसए, यूरोप, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में कंपनियों ऐसे कई अभिग्रहणों में सहायता की है।

4. इसके अलावा, एमसीजी औद्योगिक इकाइयों को बिक्री लक्ष्यों की आसानी से प्राप्ति सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए वेंडर वित्तपोषण और सप्लाई चेन वित्तपोषण भी कराता है।

5. एमसीजी की स्टाफ संख्या मार्च 2005 के स्तर 3470 से मामूली सी बढ़कर 31.03.2012 को 3806 हो गई। प्रति कर्मचारी व्यवसाय भी इस अवधि के दौरान चार गुना बढ़कर ₹11.98 करोड़ से ₹48.24 करोड़ पर पहुँच गया।

6. इकाइयों को उनके कारोबार में तनाव का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए समूह द्वारा वर्ष के दौरान ₹3,139 करोड़ की कुल राशि के 65 खातों की पुनर्संरचना की गई।

7. समूह ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के अंतर्गत 19 गतिविधियों में सक्रियता के साथ सहभागिता की। इन कार्यक्रमों में स्कूल बसों, एम्बुलेंसों, अस्थि निःशक्तों के लिए साइकिल, व्यावसायिक प्रशिक्षण उपकरण आदि के लिए ₹42.28 लाख का दान देना भी शामिल है।

उल्लेखनीय तथ्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011	31.03.2012
अग्रिम	1,61,208	1,72,651
कुल व्यवसाय	1,87,236	1,97,162
फॉरेक्स रेमिटेंस	3,97,587	4,42,957
निर्यात ऋण	19,452	19,324
ब्याज आय	14,288	19,983
अन्य आय	2,345	2,482
परिचालन लाभ	15,419	20,646

घ. राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (एनबीजी)

31 मार्च 2012 को देश में स्थित 14097 शाखाओं में से 14013 शाखाएं इस समूह में हैं जिनका नियंत्रण बैंक के 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों द्वारा किया जाता है। एनबीजी में पांच कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयाँ हैं जिनमें लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमईबीयू), वैयक्तिक बैंकिंग (पीबीबीयू) रियल इस्टेट हैबिटेट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट (आरई-एच एंड एचडी), ग्रामीण बैंकिंग (आरबीयू) और सरकारी व्यवसाय (जीबीयू) शामिल हैं। राष्ट्रीय बैंकिंग समूह का 31.03.2012 को बैंक के कुल कारोबार में कुल देशीय जमाराशियों में 94.71% और कुल देशीय अग्रिमों में (खाद्यान्न और अंतर-बैंक को छोड़कर) 58.08% हिस्सा है।

राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के उल्लेखनीय तथ्य

(₹ करोड़ में)

दिनांक	31.03.2011 स्तर	31.03.2012 स्तर	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि सकल	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
जमाराशियाँ (अंतर बैंक को छोड़कर)	7,94,836*	9,15,670	1,20,834	15.20
अग्रिम राशियाँ (खाद्यान्न और अंतर बैंक को छोड़कर)	3,72,797*	4,29,843	57,046	15.30

(*इन आकड़ों में आरबीयू के वर्ष 2011 के आंकड़े शामिल हैं)

the form of Cash Credit, Term Loans, FCNRB Loans, ECBs (through our International Banking Group), Letters of credit, Bank Guarantees, Letters of Comfort, Buyers' Credit, Vendor Finance, Supply Chain Finance, Cash Management Product etc., MCG encompasses the entire span of industrial activities in all sectors like textiles, iron, steel, food, sugar, engineering, pharmaceuticals gems & jewellery, infrastructure sector including construction, telecom, roads, ports, power etc. as well as trade and services sector. The aggregate business (Fund Based Assets and deposits) of the Group is ₹1,97,162 crores as on 31.03.2012.

2. During 2011-12 the Group sanctioned 397 loans by way of new connections aggregating an asset growth of ₹14,466 crores, thus increasing the level of Fund-based advances from ₹1,61,208 crores as on 31.03.2011 to ₹1,72,651 crores as on 31.03.2012. The Group recorded y-o-y growth of 39.86% by way of Interest Income and 33.89% in operating profit. The average yield on advances of the group stood at 11.87% as at the end of March 2012 vis-à-vis 9.88% as on 31.3.2011.

3. The Group also extends export credit to the exporters through EPC, PCFC and EBR. The aggregate outstanding export credit as on 31.3.2012 of the Group was ₹19,324 crores. The aggregate Forex business (Sales & Purchases) of the Group as on 31.03.2012 stood at ₹4,52,816 crores vis-à-vis ₹4,07,901 crores as on 31.03.2011. The Group also assists its customers in imports through facilities like issue of LC / BG / LOC as well as extension of Buyers Credit facility. Apart from this, the Group also assists Companies in India to acquire assets / companies abroad and also funds the expansion plans of its customers abroad through issuance of LOCs through the Bank's International Banking Group. Over the years, the Group has helped many such acquisitions by the companies in USA, Europe, Australia, Africa etc.

4. In addition, MCG has also extended Vendor Financing and Supply Chain Financing to the industrial units to facilitate smooth achievement of their Sales targets.

5. The Staff strength of MCG has increased marginally from 3,470 as on March 2005 to 3,806 as on 31.03.2012. The business per employee has increased over 4 times during the same period from ₹11.98 crores to ₹48.24 crores.

6. To enable the units to overcome the stress in their business, the Group has restructured 65 accounts aggregating ₹3,139 crores during the year.

7. The Group has also actively participated in 19 activities under Corporate Social Responsibility programmes encompassing donations of school buses, ambulances, cycles for orthopaedically challenged, vocational training equipments, etc., aggregating ₹42.28 lacs.

HIGHLIGHTS

(₹in Crores)

	31.03.2011	31.03.2012
Advances	1,61,208	1,72,651
Aggregate Business	1,87,236	1,97,162
Forex Remittances	3,97,587	4,42,957
Export Credit	19,452	19,324
Intt. Income	14,288	19,983
Other Income	2,345	2,482
Operating Profit	15,419	20,646

D. NATIONAL BANKING GROUP (NBG)

National Banking Group, as on 31st March 2012, comprised of 14,013 out of 14,097 domestic branches, controlled by 14 Local Head Offices. NBG has five strategic Business Units comprising of Small & Medium Enterprises (SMEBU), Personal Banking (PBBU), Real Estate Habitat & Housing Development (RE-H & HD), Rural Banking (RBU) and Government Business (GBU). NBG's share in the total business of the Bank as on 31.03.2012 is 94.71% in total domestic deposits(excluding Inter-Bank) and 58.08% in total domestic advances (excluding Food & Inter-Bank).

NBG Highlights

(₹ in Crores)

	As On 31.03.2011	31.03.2012	YoY Growth	
	Level	Level	Absolute	(%)
Deposits (excl.Inter-bank)	7,94,836*	9,15,670	1,20,834	15.20
Advances (excl. Food & Inter-Bank)	3,72,797*	4,29,843	57,046	15.30

(*This figure is inclusive of RBU for the year 2011)

घ.1 वैयक्तिक बैंकिंग व्यवसाय इकाई (पीबीबीयू)

देश में व्यवसाय

पीबीबीयू के आंकड़ों में एनबीजी+आरबीजी शामिल हैं।

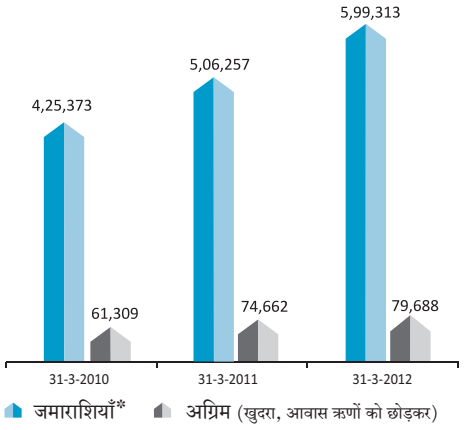

- वर्ष के दौरान पीबीबीयू की जमाराशियां बढ़कर ₹93,056 करोड़ पर पहुँच गई। इस प्रकार इनमें 18.38% की वृद्धि हुई।
- कासा अनुपात 31.03.2012 को 47.06% रहा।
- 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान 227 लाख नए बचत बैंक खाते खोले गए।
- वर्ष के दौरान बैंक ने हमारे बचत बैंक ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी लागत पर प्रायोगिक आधार पर एक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी शुरू की।
- बैंक ने मेसर्स मनीग्राम की मनीट्रांस्फर सर्विसेज स्कीम (एमटीएसएस) के लिए मेसर्स थॉमस कुक के साथ गठजोड़ किया।
- बैंक को नई पेंशन योजना (भारत सरकार की नई पहल) के अंतर्गत व्यवसाय के संचालन के लिए संपर्क बिंदु नामित किया गया।
- बैंक सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार शेयरों में निवेश के लिए राशि अलग रखकर किए जाने वाले आवेदनों (आस्बा) के लिए स्वप्रमाणित समूह सदस्य है। यह सेवा भारत में 1,061 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
- बचत बैंक खातों में औसत तिमाही शेष नहीं रखने पर लगने वाले शुल्क में छूट दी गई।
- ₹5 लाख की एकरूप ऋणसीमावाले पी-खण्ड के सभी ग्राहकों को इस समय केवल मल्टी सिटी चैक जारी किए जा रहे हैं।

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सेवाएँ

- वर्ष के दौरान एनआरआई जमाराशियों में 22% की वृद्धि हुई और मार्च 2012 में ये ₹11,486 करोड़ से बढ़कर ₹63,263 करोड़ के स्तर पर पहुँच गईं। वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीयों ने एसबीआईएमएफ और एसबीआई लाइफ की स्कीमों में ₹2058 करोड़ की राशि का निवेश किया। 'एफसीएनबी प्रीमियम खाता' जो पिछले वर्ष शुरू किया गया था, में 42 मिलियन अमरीकी डॉलर, 12 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, 8 मिलियन यूरो का व्यवसाय किया जबकि पिछले वर्ष 15 मिलियन अमरीकी डॉलर, 2 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और 3 मिलियन यूरो का व्यवसाय किया था।

कारपोरेट और संस्थागत गठजोड़

बैंक ने अब कारपोरेट्स, डिफेंस, पारा मिलिट्री, रेलवे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस के कर्मचारियों को आवश्यकताओं के

अनुरूप विशेष वेतन सुविधाएँ तैयार की हैं जो बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। वेतन सुविधा खातों में वृद्धि होने से बड़ी मात्रा में कासा खाते खुले हैं।

कारपोरेट और संस्थागत गठजोड़ वेतन सुविधा

विवरण	31.03.2011	31.03.2012	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि खातों में	वृद्धि का %
डिफेंस और पारा मिलिट्री खाते	14,82,336	20,18,470	5,36,134	36.17
अन्य खाते	31,25,129	41,57,034	10,31,905	33.02
कुल	46,07,465	61,75,504	15,68,039	34.03
कासा (₹ करोड़ में)	12,655	16,221	3,566	28.17

शिक्षा ऋण

एसबीआई शिक्षा ऋणों में वर्ष-दर-वर्ष 13.2% (मार्च 2012 को) वृद्धि हुई। एसबीआई के मार्च 2012 को कुल शिक्षा ऋण ₹12,566 करोड़ थे। लगभग 25% बाजार अंश के साथ सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में यह सबसे आगे है।

वैयक्तिक ऋण

वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो में वित्त वर्ष 12 में ₹3,691 करोड़ की वृद्धि हुई। सबसे उल्लेखनीय वृद्धि स्वर्ण ऋण में हुई जिनमें वित्त वर्ष 12 में 51.06% की बढ़ोत्तरी हुई।

वाहन ऋण

एसबीआई वाहन ऋणों में रिटेल मार्केट में अव्वल बना हुआ है। रिटेल कार ऋण वित्तपोषण में मार्च 2012 को बाजार में इसका 17.51% हिस्सा रहा है।

घ.2. रियल इस्टेट हैबिटेट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट (आरई, एच एंड एचडी)

बैंक का गृह ऋण पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹12,826 करोड़ बढ़कर ₹1,02,739 करोड़ पर पहुँच गया।

D.1 Personal Banking Business Unit (PBBU)

Domestic Business

**PBBU figures for NBG+RBG*

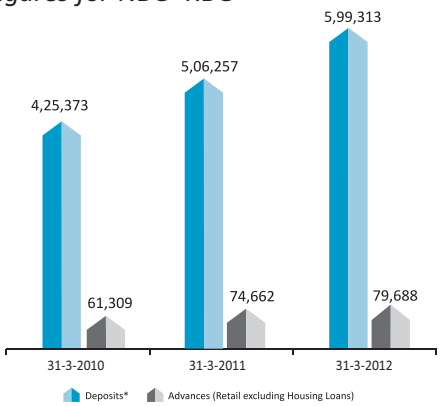

- During the year, PBBU deposits have grown by ₹93,056 crores with a growth of 18.38%.
- The CASA Ratio as on 31.03.2012 is 47.06%.
- 227 lac new Savings Bank Accounts were opened during the year ended 31st March 2012.
- During the year, the Bank launched a Personal Accident Insurance Policy on a pilot basis for our Savings Bank customers at a very competitive cost.
- The Bank entered into a tie-up with M/s Thomas Cook to provide Money Transfer Services Scheme (MTSS) of M/s Moneygram.
- The Bank has been designated as the Point of Presence (PoP) for conducting business under the New Pension Scheme (an initiative of the Government of India).
- The Bank is Self Certified Syndicate Member for ASBA (Application Supported by Blocked Amount) as per SEBI guidelines, which is being offered through 1,061 branches in India.
- The charges on non-maintenance of Average Quarterly Balance in Savings Bank Accounts have been waived.
- Only Multi-city Cheques are now being issued to all P-Segment customers with a uniform limit of ₹5 lacs.

NRI Services

- NRI Deposits grew by ₹11,486 crores (22%) during the year and reached a level of ₹ 63,263 crores in March 2012. NRIs have invested in the schemes of SBIMF and SBILIFE to the tune of ₹2,058 crores during the year. 'FCNB Premium Account' which was launched last year booked business to the tune of USD 42 mn, GBP 12 mn, Euro 8 mn against USD 15 mn, GBP 2 mn and Euro 3 mn.

Corporate & Institutional Tie-Ups

The Bank now has customized Special Salary Packages for employees of Corporates, Defence, Para Military, Railways, Central Government, State Governments as well as Police, which enable a focused marketing approach. The growth in Salary Package Accounts has generated a high level of CASA accounts.

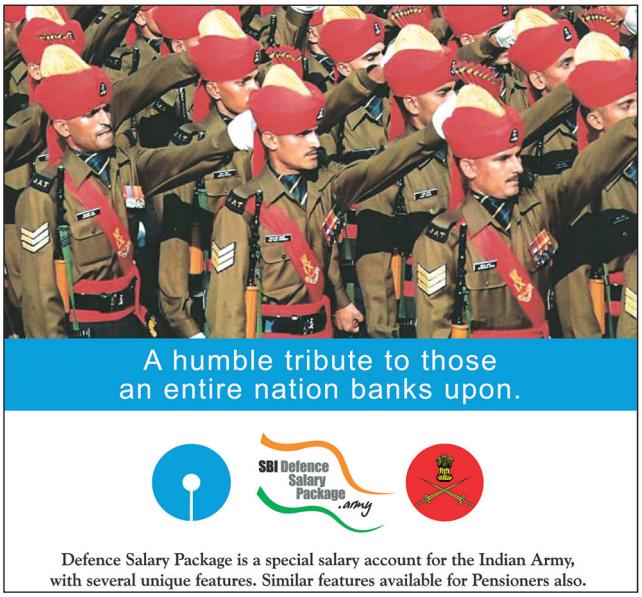

Corporate & Institutional Tie-Ups Salary Package

Particulars	31.03.2011	31.03.2012	YoY Growth in account	% growth
Defence and Para Military accounts	14,82,336	20,18,470	5,36,134	36.17
Other Accounts	31,25,129	41,57,034	10,31,905	33.02
Total	46,07,465	61,75,504	15,68,039	34.03
CASA (₹in Crores)	12,655	16,221	3,566	28.17

Education Loans

SBI Education Loans have grown at 13.2% YoY (as on March 2012). SBI has a total exposure of ₹12,566 crores as on March 2012 and is the market leader with a market share of approximately 25% amongst ASCB.

Personal Loans

The Personal Loans Portfolio, grew by ₹3,691 crores in FY' 12. The most notable growth was seen in Gold Loan which grew by 51.06% in FY' 12.

Auto Loans

SBI Auto Loans maintains its market leadership in retail car loan financing and enjoys a market share of 17.51% as on March 2012.

D2. Real Estate Habitat and Housing Development (RE, H&HD)

Home Loan portfolio of the Bank grew by ₹12,826 Crores during FY 2011-12 to ₹1,02,739 Crores.

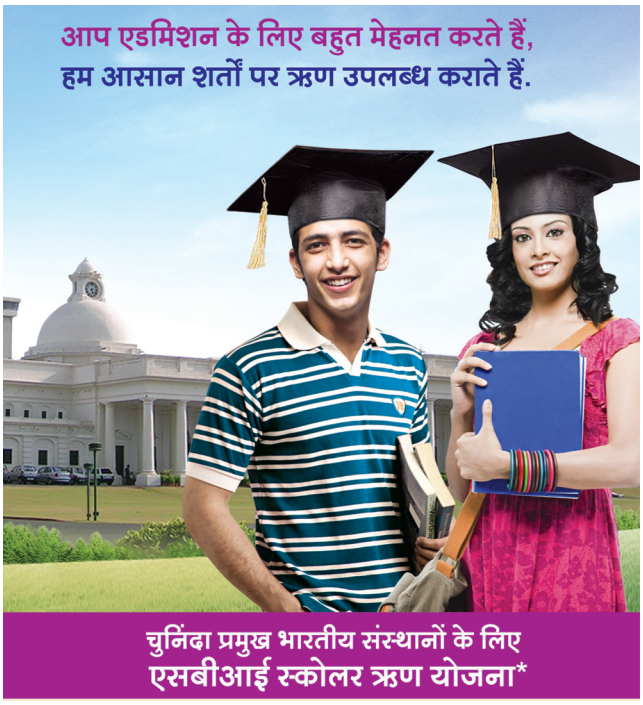

इसी अवधि के दौरान इस संविभाग में लगभग 2 लाख नए आवास ऋण ग्राहक और जुड़ गए। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान संस्वीकृत आवास ऋणों की कुल राशि ₹28,036 करोड़ रही। व्यक्तिगत आवास ऋण संविभाग के आकार के अनुसार, आवास ऋण बाजार में सभी प्रमुख आवास ऋण कंपनियों के बीच भारतीय स्टेट बैंक लगातार नम्बर 1 आवास ऋण प्रदात्ता बना हुआ है। 31 मार्च 2012 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में इसकी बाजार में 26% से अधिक हिस्सेदारी रही।

वित्त वर्ष 2011-12 में ब्याज दर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई, इसे देखते हुए निम्नलिखित उपाय किए गए है जिससे आवास ऋण दरों में हुई वृद्धि से बढ़नेवाले दबाव की संभावना को न्यूनतम किया जा सके;

- अधिकतम 35 वर्षों की अवधि के अध्यधीन, ईएमआई को अपरिवर्तित रखते हुए अदायगी अवधि में 5 वर्ष तक विस्तार करना।
- अधिकतम ऋण अवधि भी 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई।
- सभी फ्लोटिंग रेट ग्राहकों को वर्तमान न्यूनतर ब्याज दर अपनाने का विकल्प दिया गया जिसके लिए उन्हें 1% परिवर्तन शुल्क देना होगा।

वर्तमान आवास ऋण ग्राहकों को आवास में लगे हुए अपने धन का उपयोग करने का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए होम ईक्विटी नामक एक नया उत्पाद शुरू किया गया है जिससे वे अपनी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न ब्याज दरों पर अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, युवा होम लोन और मैक्सगेन उत्पादों में आशोधन किए गए हैं जिससे उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सके और इस योजना का फायदा ज्यादा ग्राहकों को प्राप्त हो सके।

एसबीआई सुरक्षा के अंतर्गत आवास ऋण ग्राहकों के लिए ऐच्छिक जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध है। ग्राहक के पास यह विकल्प रहता है कि वह नाममात्र प्रीमियम के भुगतान पर एसबीआई लाईफ के उत्पाद, अर्थात ऋण रक्षा या स्मार्ट शील्ड पॉलिसी में से कोई एक उचित उत्पाद का चयन कर लें। प्रीमियम के भुगतान के लिए बैंक आधारिक आवास ऋण के लिए लागू समान शर्तों पर अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराता है।

सस्ते आवास उपलब्ध कराने की बैंक की पहल को सदृढ़ बनाने के लिए, सस्ते आवास हेतु ऋण प्रदान करने की एक उचित कार्यपद्धति तैयार करने के लिए परामर्शकों के साथ बातचीत चल रही है।

घ.3. लघु एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय इकाई (एसएमईबीयू)

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान एसएमई व्यवसाय इकाई के अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 17.40% वृद्धि दर्ज की गई। एसएमई व्यवसाय इकाई के कारोबारी आंकड़े 31.03.2012 को निम्नवत रहे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011 को	31.03.2012 को	वृद्धि
अग्रिम	139470	163745	24274 (17.40%)

उल्लेखनीय तथ्य और नई पहल:

- **ग्राहक संबंध बैंकिंग**

  एकल खिड़की दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक एसएमई उद्यगियों को संबंध बैंकिंग सुविधा मयस्सर करा रहा है। मध्यम उद्यमों के लिए रिलेशनशिप मैनेजरों की संख्या में वृद्धि की गई। 31.03.2012 को इनकी संख्या 510 थी। देश भर में मध्यम उद्यम इकाइयों खास तौर से ₹1.00 करोड़ और अधिक की ऋण सीमाओं वालों को इनकी सेवाएँ मुहैया कराई गई। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बेहतर ढंग से ऋण देने के लिए ₹10.00 लाख से ₹1.00 करोड़ के बीच ऋण सीमाओं वाली सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाइयों के लिए रिलेशनशिप मैनेजरों (एसई) की नई शुरुआत की गई।

- **विशेषीकृत एसएमई शाखाएँ**

  एसएमई उद्यमियों को विशेषीकृत सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए 400 शाखाओं का 'एसएमई शाखा' के रूप में पुनर्नामकरण किया गया जिनका उनके ऋणों में एसएमई अग्रिमों का खासा हिस्सा है।

- **सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को ऋण देना**

  i. बैंक सीजीटीएमएसई की गारंटी के तहत एमएसई सेक्टर को ₹1.00 करोड़ तक कोलेट्रल फ्री ऋण दे रहा है। इसके अलावा, इन इकाइयों को राहत देने के लिए बैंक ने सीजीटीएमएसई को देय गारंटी शुल्क वहन करने का निर्णय लिया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को कोलेट्रल फ्री ऋण देने का कारोबार बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान **''एसएमई बोनांजा''** जनवरी-मार्च 2012 तक की तीन मास की अवधि के लिए शुरू किया गया।

  ii. एक नया उत्पाद वीवर्स क्रेडिट कार्ड बुनकरों के लिए शुरू किया गया।

दस्तकारों को वित्त

The Bank received "National Awards for Excellence in MSE Lending". The President of India Smt. Pratibha Devisingh Patil presenting the Award to Shri Pratip Chaudhuri, Chairman.

About 2 lacs new Home Loan customers were added to the portfolio during the same period. Total Home Loan limits sanctioned during FY 2011-12 were ₹28,036 Crores. State Bank of India continues to be the No.1 Home Loan player in terms of size of the Individual Home Loan portfolio – amongst all players in the Home Loan market. State Bank of India had a market share of over 26% in Home Loan levels achieved by Scheduled Commercial Banks as of 31st March 2012.

FY 2011-12 saw an uptrend in the interest rate cycle, keeping this in view the following steps were taken to minimise the possibility of stress arising from rise in Home Loan rates –

- Maximum repayment tenure for new Home Loan borrowers increased from 25 to 30 years.
- Extension of repayment tenure up to 5 years keeping EMI unchanged, subject to maximum tenure of 35 years.
- Existing borrowers on floating rate loans have been given a one time option to switchover to current interest rates by paying a 1% switchover fee.

A new Home Equity product has been launched to provide existing home loan customers an option to leverage their equity in the house to raise additional loans at low interest rates for meeting their liquidity requirements. Furthermore, modifications have been carried out in the Yuva Home Loan and Maxgain products to extend their coverage, so that more customers are able to get benefitted by the schemes.

Optional Life Insurance cover is available to Home Loan customers under SBI Suraksha. The customer has option for selecting a suitable product from SBI Life namely, RiNn Raksha or Smart Shield policy at payment of nominal premium. Bank provides additional loan for payment of premium at similar terms as applicable to the underlying Home Loan.

Technology initiatives like dashboards for monitoring of slippages, account tracking centres etc. have been undertaken towards management of collections and prevention of fresh slippages. In order to strengthen Bank's affordable housing initiatives, consultations are underway with consultants for arriving at a suitable methodology for delivering finance for affordable housing.

₹1,00,000 crore (₹1 lac crore)
in home loans to over
20,00,000 happy families.

D3. SME Business Unit (SMEBU)

During the financial year 2011-12, the advances under SME Business Unit has registered YoY growth of 17.40%. The business figures of SME Business Unit as on 31.03.2012 have remained as under:

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.2011	As on 31.03.2012	Growth
Advances	139470	163745	24274 (17.40%)

Highlights and Initiatives:

- **Relationship Banking :**

  Under single window approach, the Bank is offering relationship banking to SME entrepreneurs. The strength of Relationship Managers (Medium Enterprises) was augmented to 510 as on 31.03.2012 and mapped to ME units with credit limits ₹1.00 crore and above across the country. Further, to improve credit flow to Micro and Small Enterprises a new channel of Relationship Managers (SE), was introduced for MSE units having Credit limits between ₹10.00 lacs to ₹1.00 crore.

- **Specialized SME Branches :**

  To provide specialized services to SME Entrepreneurs, 400 branches having predominant share of SME advances in their portfolio were identified for rebranding as **"SME BRANCH"**.

- **प्रोजेक्ट अपटेक और क्लस्टर वित्तपोषण:**

  बैंक एसएमई को सलाहकारी सेवाएँ मुहैया कराता है जिससे वे अपनी उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी कर सकें। शुरुआत के बाद से 28 क्लस्टरों में अब तक 1600 इकाइयाँ लाभान्वित हुई हैं। वर्ष के दौरान, इंजीनियरी और फैब्रीकेशन की परियोजना नागपुर में शुरू की गई जबकि जमशेदपुर और त्रिची में दो परियोजनाएँ चल रही हैं। क्लस्टर दृष्टिकोण के अंतर्गत मंडलों द्वारा 13 क्लस्टरों का वित्तपोषण हाथ में लिया गया।

- **सप्लाई चेन वित्तपोषण:**

  ई-डीएफएस और ई-वीएफएस के तहत बैंक 60 प्रमुख उद्योगों के साथ जुड़ गया। आटो, ऑइल, स्टील, पॉवर, फर्टिलाइजर, एफएमसीजी और टेक्सटाइल जैसे सभी उद्योग खंडों के साथ कुल कारोबार ₹3,325 करोड़ से अधिक रहा।

- **देयता और लेनदेन उत्पाद :**

- **अनफिक्स्ड डिपॉजिट :** बैंक ने 7 दिन से 1 वर्ष तक की अल्पावधि जमा की एक नई योजना शुरू की जिसकी आकर्षक विशेषता है समयपूर्व भुगतान दंड से छूट। यह सफल रही है और इसे अगले वर्ष जारी रखने की योजना है।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मे अंशदान जमा करने की नई प्रक्रिया देशभर मे हमारी 7000 से अधिक शाखाओं में कार्यान्वित की गई। सीआईएनबी के माध्यम से ऐसे अंशदान जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

- मल्टी सिटी चैकों के भुगतान पर सेवा शुल्कों में एसएमई ग्राहकों को छूट दी गई है।

- **कैश पिक-अप नामक सुविधा** एस एम ई ग्राहकों के द्वार से नकदी उगाही के लिए देश भर में शुरू की गई।

- एक इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन उत्पाद-सी आई एन बी **सरल सिंगल** यूजर प्रयोग की सुविधा के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए शुरू किया गया।

- एस एम ई अग्रिमों पर बेहतर ढंग से निगरानी रखने के लिए लोन आरिजिनेशन सॉफ्टवेअर के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरंभ की गई।

- वर्ष के दौरान हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए भारत सरकार के नेशनल अवार्ड्स फार एक्सिलेंस इन एम एस ई लैंडिंग के अंतर्गत दूसरा अवार्ड प्राप्त किया।

अनफिक्स्ड डिपॉजिट

अल्पावधि जमाराशियों के लिए एक आकर्षक योजना

घ. 4 सरकारी व्यवसाय इकाई (जी बी यू)

- सरकारी व्यवसाय में 58.50% बाजार अंश के साथ बैंक ने न केवल अपना अव्वल स्थान बरकरार रखा बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में अपने बाजार अंश मे 70 आधार बिन्दु की वृद्धि भी की।

- बैंक ने ₹2,008 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹1,939 करोड़ रही थी।

- केंद्र और राज्य सरकारों के इ-गवर्नेंस परियोजना ने आने वाले दिनों में सरकारी व्यवसाय के संचालन मे आमूल परिवर्तन लाया है। इन परियोजनाओं को बैंक के तगड़े कोर बैंकिंग समाधान/इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्म के साथ जोड़ने से हम सरकारी व्यवसाय देश भर में कम लागत पर और बेतार संचालित कर सकेंगे।

- बैंक देश भर में स्थापित अपने 14 केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया कक्षों (सीपीपीसी) के माध्यम से 32.72 लाख पेंशनरों के पेंशन भुगतान का कार्य संचालित कर रहा है। ये कक्ष पेंशनरों को पेंशन और बकाया राशियों के भुगतान के लिए कम लागत सेवाएं और समय पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इससे पेंशन खातों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वर्ष से, पेंशन की जानकारी पेंशनरों को एसएमएस के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजी जा रही है।

- ''थर्ड पार्टी ई-टैक्स'' एक नया उत्पाद है जिसके द्वारा हमारी सभी शाखाएँ सभी ग्राहकों, गैर-ग्राहकों जिन्हें इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है या जो इसका उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके करों का भी ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाता है।

- भारतीय रेल की ई - आक्शन परियोजना के अंतर्गत भुगतान/रजिस्ट्रेशन फीस/ईएमडी/आक्शन मनी की सुविधा 06-03-2012 से सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दी गई।

- यूपीएससी/एसएससी आदि की फीस की उगाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटेग्रेशन (ईडीआई) मॉडल शुरू किया गया जिसके अंतर्गत ग्राहकों से संबंधित जानकारी सीबीएस में स्वत: अद्यतन हो जाती है। इस उत्पाद का भर्ती बोर्ड की फीस की उगाही, कॉलेजों, स्कूलों, लोक सेवा आयोगों आदि के परीक्षा शुल्कों की उगाही के लिए उपयोग किया जा रहा है।

- **Credit Flow to Micro and Small Enterprises**
  i. Bank is extending collateral free lending upto ₹1.00 crore to MSE sector under guarantee of CGTMSE. Additionally, to provide relief to these units, the Bank decided to absorb the guarantee charges payable to CGTMSE. To ramp up collateral free lending to Micro and Small Enterprises, a special campaign **"SME BONANZA"** was launched for a period of three months from January-March 2012.
  ii. A new product Weavers Credit Card launched for weavers.
- **Project Uptech and Cluster Financing :**
  The Bank is providing consultancy services to SMEs to enable them to increase productivity and reduce costs. Since inception of the initiative, 1600 units have benefitted in 28 clusters. During the year, a project for engineering and fabrication was launched in Nagpur along with two ongoing projects at Jamshedpur and Trichy. Under cluster approach 13 clusters were taken up for financing by the Circles.
- **Supply Chain Finance:**
  Under e-DFS and e-VFS, the Bank has tied up with 60 Industry Majors(IMs) with aggregate business of over ₹3,325 crores across all Industry Verticals like Auto, Oil, Steel, Power, Fertilizer, FMCG & Textiles.
- **Liability & Transaction Products:**
- **unFIXED Deposit**: The Bank launched a new scheme for short term deposits for 7 days to less than 1 year with an attractive feature of waiver of prepayment penalty. It met with success and we plan to take it forward next year.
- New process for deposit of contributions to Employees Provident Fund Organisation **(EPFO)** was implemented across the country in our 7000 plus branches. Deposit of such contributions through CINB was also put in place.
- Service charge on payment of Multi City Cheques was waived for SME customers.
- **Cash Pick up facility** was launched across the country for cash collection of SME customers at their door steps.
- An Internet banking transaction product- **CINB SARAL** with single user interface was launched for micro & small entrepreneurs.
- The process of implementation of Loan Origination Software was started for better monitoring of SME advances.
- During the year our Bank has been conferred with the Second Award under National Awards for **Excellence in MSE Lending** by Government of India for the financial year 2010-11.

D.4 Government Business Unit (GBU)

- With 58.50% market share in Government Business, the Bank has not only retained its leadership but also increased its market share by 70 basis points over previous year.
- Bank earned a commission income of ₹2,008 crores as against ₹1,939 crores during the previous year.
- E-Governance Project of Central & State Governments have brought a paradigm shift in the way Government Business will be conducted in the days to come. Integration of these projects with the Bank's robust Core Banking Solutions/Internet Banking platform has enabled us to conduct Government Business efficiently and seamlessly throughout the country.
- Bank is handling pension payment to 32.72 lacs pensioners through its 14 Centralized Pension Processing Cells (CPPCs), established across the country. These cells provide efficient services & timely payment of pension & arrears to the pensioners, leading to a steady growth in pension accounts. From this year, pension details are being sent to the pensioners on their registered mobile number through SMS.
- "THIRD PARTY E-TAX", a new product enables all our branches to pay taxes online, on behalf of all customers/ non customers who either do not have access to Internet Banking or are not comfortable using it.
- E-AUCTION Project of Indian Railways for Payment/ Registration Fee/EMD/Auction Money was successfully implemented on 06.03.2012.
- Electronic Data Integration (EDI) Model of Fee Collection of UPSC/SSC etc. was launched with relevant details of the customers being auto uploaded in CBS. The Product is also being used for collecting fee for Recruitment Boards,

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसी सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के लिए फंड कम आथोराइजेशन मॉडल बैंक द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए चयनित 26 राज्यों में से 22 राज्यों मे भारतीय स्टेट बैंक भागीदार है।
- बैंक को गवर्नमेंट ई पेमेंट गेटवे (जीईपीजी) जैसी केंद्र सरकार की परियोजनाओं से जुड़ने पर गर्व है। जीईपीजी पोर्टल से जुड़कर बैंक देशभर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों/वेंडरों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर पाएगा।
- बैंक विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा खोले गए सभी 77 पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) से जुड़ा हुआ है।
- बैंक अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न करों का आनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2012-13 में देश भर में इसके परिचालित होने की उम्मीद है।

घ.5 ग्रामीण व्यवसाय इकाई (आरबीयू)

कृषि व्यवसाय

- बैंक ने 1,00,00,000 से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर ₹1,00,00,000 करोड़ (₹1,16,910 करोड़) (कृषि प्राथमिकता स्तर) का मील पत्थर पार कर लिया है। बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) में कृषि प्राथमिकता अग्रिमों की हिस्सेदारी 17.60% हो गई है जो पिछले वर्ष 16.59 % थी।
- प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का एएनबीसी में हिस्सा 12.09% से बढ़कर 13.10% हो गया है।
- बैंक ने प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों मे अब तक की सर्वाधिक वृद्धि ₹18,348 करोड़ (27%) हासिल की है जो पिछले वर्ष ₹5,911 करोड़ (9%) थी और कुल कृषि प्राथमिकता अग्रिमों में ₹22,084 करोड़ की उच्चतम वृद्धि भी प्राप्त की है जो पिछले वर्ष ₹10,675 करोड़ थी।
- बैंक ने वित्त वर्ष 12 के दौरान ₹53,214 करोड़ की कुल राशि के ऋण संवितरित किए और इस वर्ष के दौरान 13.31 लाख नए किसानों को वित्त उपलब्ध कराया।

कृषि अग्रिम और कृषि संस्थागत जमाराशियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011 को	31.03.2012 को	वृद्धि %
क) प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम	68,663	87,011	27%
ख) अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम	26,163	29,899	14%
कृषि प्राथमिकता अग्रिम (क + ख)	94,826	1,16,910	23%
कृषि संस्थागत जमाराशियाँ	19,724	24,309	23%

1,00,00,000 किसानों को ऋण

कृषि प्राथमिकता स्तर अग्रिम ₹1,00,000 करोड़ के पार

अन्य उल्लेखनीय तथ्य

- बैंक ने कमजोर वर्गों को 31.03.2012 को ₹71,382 करोड़ की राशि के अग्रिम दिए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10% के न्यूनतम लक्ष्य की तुलना में बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 10.75% हैं।
- भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों (पीएसएल) के भारत सरकार द्वारा निर्धारित 15% लक्ष्य की तुलना में बैंक ने 31.03.2012 को 16.17% का स्तर हासिल लिया।
- भंडारण क्षमता बढ़ाने की भारत सरकार की नीति के अनुरूप कम लागत पर मालगोदाम और शीत गृह बनाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।
- ''एसबीआई का अपना गाँव योजना'' के अंतर्गत वर्ष के दौरान 199 गावों को अंगीकृत किया गया जिससे इनकी कुल संख्या 1,063 पर पहुँच गई। 220 किसान क्लब भी बनाए गए जिससे इनकी कुल संख्या 10,047 पर पहुँच गई।
- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन पर बैंक ने देश भर में आबंटित जिलों में 31.03.2012 तक 106 ग्रामीण स्वायत रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर दिए हैं। इनमें 4186 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए जिनमें 1,11,049 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित कर 45,285 प्रशिक्षणार्थियों को आजीविका प्राप्त करने में सहायता की।
- बैंक ने अल्पसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्रों में बैंकिंग की अल्प सुविधा वाले/बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में 133 नई शाखाएँ खोली जिससे 31.03.2012 को इनकी कुल संख्या 3,266 पर पहुंच गई।
- बैंक द्वारा 9 चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ₹125.64 करोड़ राशि की अतिरिक्त पूंजी निविष्ट की गई जिससे वे मार्च 2012 तक जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में कम से कम 9% पूंजी का स्तर लगातार प्राप्त कर सकें।

बैंक द्वारा वित्तपोषित एक हाई-टेक डेरी

Examination Fee for Colleges, Schools, State Public Service Commissions etc.

- Fund cum Authorization Model for Social Sector Flagship Schemes like National Literacy Mission (NLM) has been successfully implemented by the Bank in coordination with MoHRD. Out of the 26 States identified for implementation of the NLM Scheme, SBI is a partner in 22 States.
- The Bank is proud to be associated with Central Government Projects like Government e Payment Gateway (GePG). By integrating with GePG portal, the Bank has been enabled to make electronic payments to employees/vendors of Central Government, across the country.
- Bank has partnered in all 77 Passport Seva Kendra (PSK) opened by the Ministry of External Affairs (MEA).
- Bank is providing the facility of online payment of various taxes in most of the States and Union Territories and is expected to become operational throughout the country in 2012-13.

D.5 RURAL BUSINESS UNIT (RBU)

AGRI BUSINESS

- The Bank has crossed the milestone (Agri Priority level) of ₹1,00,000 crores (₹1,16,910 crores) by covering more than 1,00,00,000 farmers, taking Agri Priority Advances to 17.60% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against 16.59% last year.
- Direct Agri Advances have grown from 12.09% to 13.10% to ANBC.
- The Bank achieved highest ever growth of ₹18,348 crores (27%) under Direct Agri against the last year's growth of ₹5,911 crores (9%) and also achieved highest growth of ₹22,084 crores under Total Agri Priority advances against last years growth of ₹10,675 crores.
- The Bank has disbursed credits aggregating to ₹53,214 crores in FY' 12 and financed 13.31 lacs new farmers during this year.

Position of Agri Advances and Agri institutional Deposits:

(₹in Crores)

Particulars	As on 31.03.2011	As on 31.03.2012	Growth %
a) Direct Agri Advances	68,663	87,011	27%
b) Indirect Agri Advances	26,163	29,899	14%
Agri Priority Advances (a+b)	94,826	1,16,910	23%
Agri Institutional Deposits	19,724	24,309	23%

1,00,00,000 Farmers covered

Agri Priority Level advances crossed ₹1,00,000 crores

Other Highlights

- The Bank has extended advances to the tune of ₹71,382 crores as on 31.03.2012 to the weaker sections, which is 10.75% of ANBC against the benchmark of 10 % set by Reserve Bank of India.
- Against GoI stipulated target of 15% of the total Priority Sector Lending (PSL) to Minority Communities, the Bank has achieved a level of 16.17% as on 31.03.2012.
- Special focus has been given for creation of efficient Warehouses and Cold Storages in line with GoI's policy for augmenting storage capacity.
- During the year 199 villages were adopted under "SBI Ka Apna Gaon Scheme" taking the total to 1,063 villages & 220 Farmers Clubs were formed taking the total to 10,047 Farmers Club.
- Under the guidance of Ministry of Rural Development (MoRD), GoI, the Bank has set up 106 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) as on 31.03.2012 in the allotted districts across the country; conducted 4,186 training programmes, trained 1,11,049 candidates and helped to settle 45,285 trainees.
- The Bank has opened 133 new branches in under-banked/unbanked areas in Minority Community Districts(MCDs) taking the total number of such branches to 3,266 as on 31.03.2012.
- The Bank has infused additional capital amounting to ₹125.64 crores to 9 identified RRBs to enable them to achieve 'Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)' of at least 9% by March 2012 on a sustainable basis.

- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी 2960 शाखाओं को सीबीएस प्लेटफार्म से जोड़ दिया गया जिससे वे बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान कर सकें।

सूक्ष्म वित्तपोषण :

- बैंक स्वयं सहायता समूह-बैंक ऋण जुड़ाव कार्यक्रम में 31.03.2012 को लगभग 25.55% बाजार अंश के साथ बाजार दिग्गज है। यह अब तक 20.65 लाख स्वयं सहायता समूहों (वित्त वर्ष 11-12 के दौरान 1.71 लाख स्वयं सहायता समूहों से ऋण जुड़ाव कर चुका है) और 31.03.2012 तक कुल मिलाकर ₹17,600 करोड़ की राशि के ऋण संवितरित कर चुका है। स्वयं सहायता समूहों को आगे ऋण देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत बैंक 175 इकाइयों से ऋण जुड़ाव कर चुका है और 31 मार्च 2012 को ₹927 करोड़ की राशि बकाया थी। सूक्ष्म बीमा उत्पाद-ग्रामीण शक्ति शुरू की गई है और 1.14 मिलियन लोगों का जीवन बीमा किया जा चुका है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/काले धन को वैध बनाना रोकने (एएमएल)/आंतकवाद वित्तीयन रोकधाम (सीएफटी) उपाय

बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/काले धन को वैध बनाना रोकने (एएमएल)/आतंकवाद वित्तीयन रोकधाम (सीएफटी) उपायों पर बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित नीति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय में जारी मास्टर परिपत्र के अनुरूप लागू की है।

लेन देन पर नजर रखी जाती है जिससे फायनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया को विभिन्न रिपोर्टें भेजी जा सकें। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के नियमों के अनुसार ये रिपोर्टें भेजना अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने हर वर्ष 1 अगस्त को 'अपने ग्राहक को जानिए और धोखाधड़ी रोकिए दिवस' मनाने का निर्णय लिया है जिससे पूरे बैंक में समुचित जागरूकता का विकास कर स्टाफ की संबद्धता बढ़ाई जा सके और आम जनता में केवाईसी के विषय में समुचित समझदारी विकसित की जा सके।

जेद्दाह शाखा का उद्घाटन. इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (आईबी) श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर और प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एनबी) श्री ए. कृष्ण कुमार.

173

विदेश स्थित कार्यालय
34 देशों में फैले हैं

ङ अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग

ङ 1. विदेश स्थित कार्यालयों का कारोबार

विदेश स्थित शाखाओं का आस्ति स्तर मार्च 2011 में 32.04 बिलियन अमरीकी डॉलर था जिसमें 12% की वृद्धि हुई और यह मार्च 2012 में 35.826 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुँच गया। वित्त वर्ष 12 के दौरान निवल ग्राहक ऋणों में 9% वृद्धि हुई और ये 24.525 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से बढ़कर 26.681 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुँच गए, ग्राहक की जमाराशियों में 15% की वृद्धि हुई और ये 10.490 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से 12.075 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुँच गई और निवल लाभ 21% से बढ़कर 396 मिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुँच गया।

विदेश विस्तार

विदेश स्थित कार्यालयों की संख्या 31 मार्च 2011 के स्तर 156 से बढ़कर 31 मार्च 2012 को 173 हो गई। ये कार्यालय 34 देशों में फैले हैं। इन कार्यालयों में 50 शाखाएँ, 8 प्रतिनिधि कार्यालय, छह विदेशी बैंकिंग अनुषंगियों के 103 कार्यालय और 12 अन्य कार्यालय हैं।

संसाधन प्रबंधन

व्यापक जोखिम निवारण के बावजूद और बाजार में उथल-पुथल की स्थितियों के चलते बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों ने पर्याप्त नकदी की स्थिति बनाए रखी। बैंक 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के मीडियम नर्म नोट (एमटीएन) कार्यक्रम में संलग्न है और वित्त वर्ष 2012 के अंत में 4.43 बि. अमरीकी डॉलर की राशि बकाया थी। एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत रिवर्स इन्क्यारीज के रूप में 200 मि. अमरीकी डॉलर (₹1,017.50 करोड़) की राशि का कारोबार जुटाया गया। बैंक 800 मि. अमरीकी डॉलर (₹4,070 करोड़) मूल्य के बांडों का अपने विदेश स्थित कार्यालयों पर नकदी की स्थिति को प्रभावित किए बिना मोचन कर पाया।

बैंक ने समूहन व्यवस्था के अंतर्गत तीन वर्षों के लिए जून 2011 में 3 मास लीबॉर पर 105 आधार बिंदुओं की प्रतिस्पर्धी कीमत पर 460 मि. अमरीकी डॉलर की राशि जुटाई। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न परिपक्वताओं वाले द्विपक्षीय ऋणों के रूप में 367.08 मि. अमरीकी डॉलर (₹1,867.52 करोड़) की राशि जुटाई।

धन प्रेषण

वित्त वर्ष 12 में धन प्रेषण की राशि बढ़कर ₹61,457 करोड़ पर पहुंच गई जो वित्त वर्ष 11 में ₹46,396 करोड़ थी और इस प्रकार

- All the 2,960 branches of SBI sponsored RRBs have migrated to CBS platform in order to provide better customer service.

Micro Finance:

- The Bank is the market leader (market share around 25.55%) in SHG-Bank Credit Linkage programme having credit linked so far 20.73 lac SHGs (1.79 lac SHGs credit linked during FY 11-12) and disbursed loans to the extent of ₹17,837 crores (cumulative) up to 31.03.2012. Under the scheme for financing NGOs / MFIs for on-lending to SHGs, the Bank has covered 174 units with outstanding of ₹927 crores as on 31st March 2012. Micro Insurance product - Grameen Shakti has been introduced & 1.14 million lives have been covered.

KYC/AML/CFT Measures

The Bank has put in place the Board approved revised policy on Know Your Customer (KYC) / Anti Money Laundering (AML) / Combating Financing of the Terrorism (CFT) measures in line with Master Circular issued by Reserve Bank of India on the subject.

Monitoring of Transactions is done with a view to submit various reports to Financial Intelligence Unit-India mandated by rules of Prevention of Money Laundering Act, 2002.

The Bank has decided to observe 1st August every year as "KYC Compliance and Fraud Prevention day" to maintain appropriate awareness and involvement levels across the Bank as also to create proper understanding of KYC issues among the members of public.

Inauguration of QFC Doha Branch. Among the dignitaries are Shri Hemant G. Contractor, MD & GE (IB) and Shri A. Krishna Kumar, MD & GE (NB).

173

Foreign Offices
Spread across 34 countries

E. INTERNATIONAL BANKING

E-1. Operation of Foreign Offices

The asset level of foreign branches rose by 12%, from USD 32.04 bn in March 2011 to USD 35.826 bn in March 2012. During FY'12, net customer credit grew by 9% from USD 24.525 bn to USD 26.681 bn, customer deposits grew by 15%, from USD 10.490 bn to USD 12.075 bn and net profit rose by 21%, to USD 396 mn.

Overseas Expansion

The number of foreign offices increased from 156 as on 31st March 2011 to 173 as on 31st March 2012 spread across 34 countries. The offices comprised 50 branches, 8 Representative Offices, 103 offices of the six foreign banking subsidiaries and 12 other offices.

Resource Management

Despite widespread risk aversion and volatile market conditions, the Bank's foreign offices maintained comfortable liquidity position. The Bank has a USD 10 bn Medium Term Note (MTN) programme in place under which the outstanding at the close of FY-2012 was USD 4.43 bn. *Under the MTN programme* USD 200 mn (₹1,017.50 crores) was raised by way of reverse inquiries. The Bank was able to redeem bonds worth USD 800 mn (₹4,070 crores) without having any impact on the liquidity at its foreign offices.

The Bank raised USD 460 mn funds through Syndication Arrangement for three years at a competitive pricing of 145 basis points over 3 months LIBOR in June 2011. During the fiscal the Bank also raised a sum of USD 367.08 mn (₹1,867.52 crores) by way of bilateral loans of different maturities.

Remittance

Remittances grew from ₹46,396 crores in FY'11 to ₹61,457 crores in FY'12, clocking a growth of 32%. The Bank had a tie-up with 26 exchange

भारतीय स्टेट बैंक- अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क

- 173 कार्यालय 34 देशों में

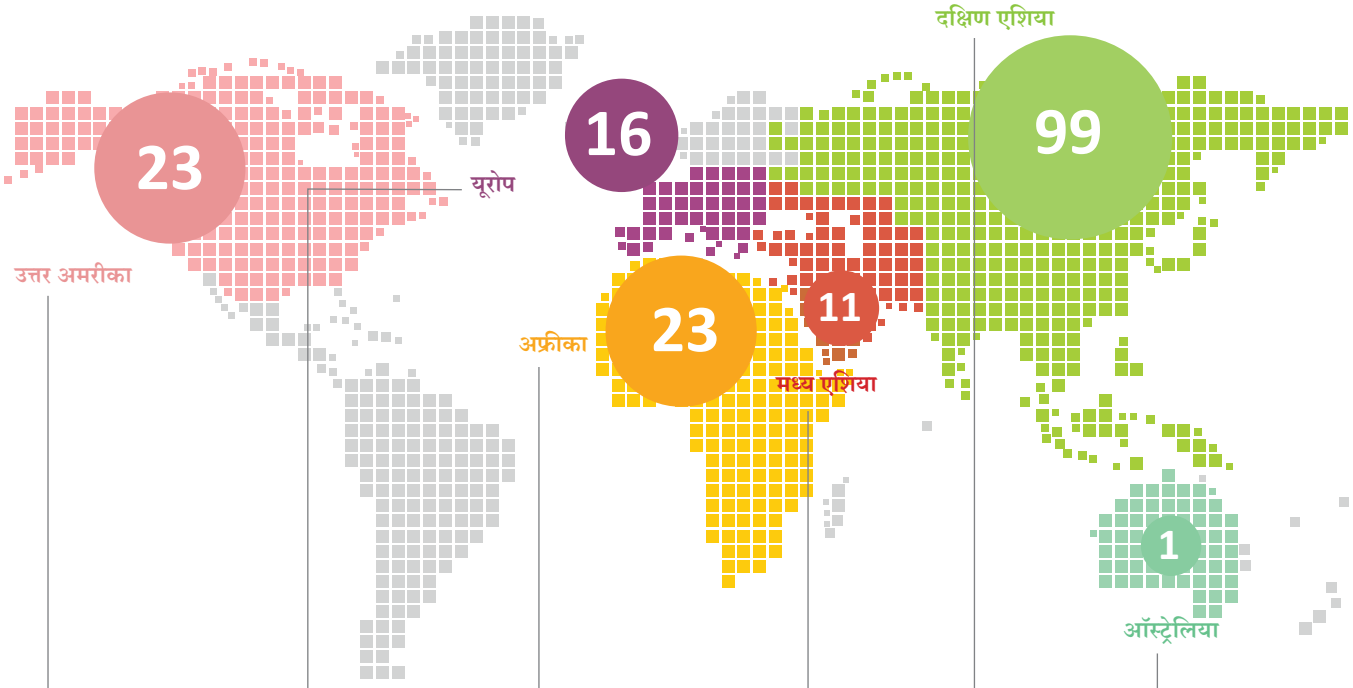

शाखाएँ/एसओ
बहामास (1)
यूएसए (4)

अनुषंगियाँ
कैलिफोर्निया (10)
कनाडा (7)

प्रतिनिधि कार्यालय
वाशिंग्टन

शाखाएँ/एसओ
बेल्जियम (1)
फ्रांस (1)
जर्मनी (1)
यूके (10)

अनुषंगी
रूस (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
इटली
टर्की

शाखा/एसओ
दक्षिण
अफ्रीका (5)

अनुषंगी/सं.उ.
मारिशस (15)
नाइजीरिया (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
अंगोला
मिस्र

शाखाएँ/एसओ
बहरीन (3)
इजरायल (1)
ओमान (1)
कतर (1)
साउदी अरेबिया (1)
यूएई (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
इरान

प्रबंध
अधीन एक्सचेंज
सीओएस
ओमान
कतर

शाखाएँ/एसओ
बांग्लादेश (6)
चीन (3)
जापान (2)
मालदीव (3)
श्रीलंका (5)
सिंगापुर (7)

अनुषंगी/सं.उ.
इंडोनेशिया (14)
नेपाल (56)
भूटान (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
चीन
फिलीपाइन्स

शाखा/एसओ
ऑस्ट्रेलिया (1)

STATE BANK OF INDIA - INTERNATIONAL BANKING NETWORK

— 173 offices in 34 Countries

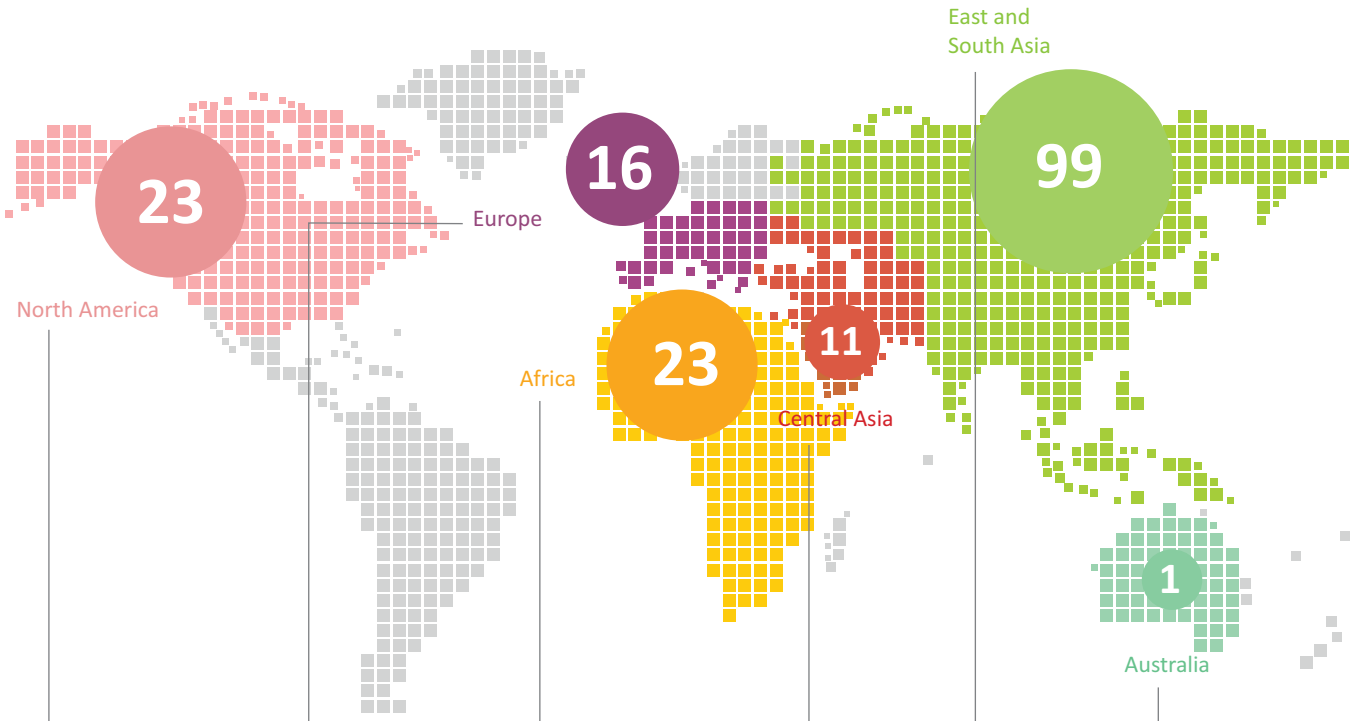

Branches/SO
Bahamas (1)
USA (4)

Subsidiaries
California (10)
Canada (7)

Rep Office
Washington

Branches/SO
Belgium (1)
France (1)
Germany (1)
UK (10)

Subsidiary
Russia (1)

Rep Office
Italy
Turkey

Branch/SO
South
Africa (5)

Subsidiary/JV
Mauritius (15)
Nigeria

Rep Offices
Angola
Egypt

Branches/SO
Bahrain (3)
Israel (1)
Oman (1)
Qatar (1)
Saudi Arabia (1)
UAE (1)

Rep Offices
Iran

Managed Exchange Cos
Oman
Qatar

Branches/SO
Bangladesh (6)
China (3)
Japan (2)
Maldives (3)
Sri Lanka (5)
Singapore (7)

Subsidiary/JV
Indonesia (14)
Nepal (56)
Bhutan

Rep Offices
China
Philippines

Branch/SO
Australia (1)

इसमें 32% की वृद्धि हुई। बैंक का एसबीआई के माध्यम से धनप्रेषण करने के लिए 26 एक्सचेंज कंपनियों और मध्य-पूर्व देशों में चार बैंकों के साथ गठजोड़ है। वर्ष के दौरान एसबीआई रूपी इंस्टैंट, एसबीआई एक्सप्रेस वर्ल्डवाइड जैसे नए धन प्रेषण उत्पाद शुरू किए गए जिससे धन प्रेषण व्यवसाय में वृद्धि की जा सके।

ङ 2. देश में कारोबार

मर्चेंट बैंकिंग

बैंक ने मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान को छोड़कर किंतु आस्ट्रेलिया को शामिल करके मैंडेटिडलीड अरेंजर और बुक रनर के रूप में अपना अव्वल स्थान बरकरार रखा।

वर्ष के दौरान, भारतीय कारपोरेटों की विदेशी वाणिज्यिक उधारियों की आवश्यकताओं के लिए वित्तपोषण और कुल 4758 मि. अमरीकी डॉलर राशि के अभिग्रहण संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चौदह उच्च मूल्य वाले सौदे किए।

वर्ष के दौरान समूहन और द्विपक्षीय सौदों से 86 मि. अमरीकी डॉलर की शुल्क आय अर्जित की गई।

वैश्विक संपर्क सेवाएँ (जीएलएस)

वर्ष 2011-12 में, घरेलू शाखाओं की ओर से जीएलएस ने कुल 13.36 बि. अमरीकी डॉलर के 1,09,413 निर्यात बिलों और 1,09,086 विदेशी मुद्रा चैक उगाहियों का कार्य संपन्न किया। इसके अतिरिक्त, इसने मिडिल ईस्ट, यूके और यूएसए के विभिन्न केंद्रों से 5.89 बि. अमरीकी डॉलर राशि के 58,53,632 आवक घन प्रेषण लेन देन का कार्य भी निष्पादित किया।

संपर्की संबंध

बैंक ने विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को तार रहित सेवाएँ प्रदान करने के लिए 476 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ संपर्की बैंकिंग करार जारी रखे। ये संपर्की बैंक 121 देशों में स्थित हैं। बैंक के पास वित्तीय संदेशों का स्विफ्ट के माध्यम से शीघ्र घन प्रेषण करने के लिए 1,871 रिलेशनशिप मैनेजमेंट अप्लीकेशन (आरएमए) व्यवस्थाएँ भी हैं।

देश जोखिम एवं बैंक ऋण जोखिम

बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप देश जोखिम प्रबंधन नीति लागू है। इस नीति में देश, बैंक, उत्पाद एवं प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सीमाओं के न्यूनीकरण के कारगर जोखिम प्रबंधन मॉडल निर्धारित किए गए हैं। देशवार और बैंकवार ऋण जोखिम सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी एवं समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिमों के स्वरूप में उतार-चढ़ाव के अनुरूप ऋण जोखिम की उच्चतम सीमाओं और वर्गीकरणों को घटाया-बढ़ाया जाता है। बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए आवधिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

एसएमएस अनहैपी सर्विस

48 घंटों में समाधान

2. ग्राहक सेवा गुणवत्ता उपाय

- भारतीय बैंक संघ द्वारा बनाई गई मॉडल पॉलिसी एवं भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड द्वारा ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता पर जारी संशोधित कोड के प्रावधानों के अनुसार शिकायत निवारण नीति के कार्यान्वयन के पश्चात बैंक अब अधिकांश ग्राहकों की शिकायतों का उनकी प्राप्ति के अधिकतम 3 सप्ताह की अवधि में निवारण कर पा रहा है जबकि इसके लिए निर्धारित अवधि 30 दिन है। भारिबैं द्वारा निर्धारित 7 दिनों की अवधि में एटीएमों संबंधी सभी शिकायतों का समाधान बैंक द्वारा किया जा रहा है।
- स्थानीय प्रधान कार्यालयों में ग्राहक सेवा पर गठित स्थायी समिति मंडल में ग्राहक सेवा की समग्र स्थिति की समीक्षा की जाती है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों सहित ग्राहकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सभी मंडलों से प्राप्त ग्राहक शिकायतों के समेकित डाटा को केन्द्रीय बोर्ड की सेवा समिति के समक्ष प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत किया जाता है जहाँ उन सामान्य व्यवस्था से संबंधित मामलों की पहचान की जाती है जिनका समाधान करना आवश्यक है। इसके अलावा इस समिति द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे सुधार उपायों की भी समीक्षा की जाती है।
- एटीएम संबंधी शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए दिसम्बर 2009 में प्रारंभ की गई वेब आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) को अब सभी प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए लागू किया गया है। ग्राहक अब अपनी शिकायतें संपर्क केन्द्र के टोल फ्री नंबर या www.sbi.co.in पर अपनी शिकायतें ऑन

companies and four banks in Middle-East countries for routing remittances through SBI. During the year, new remittance products like SBI Rupee Instant, SBI Express WorldWide were launched to boost remittances business.

E-2. Domestic Operations

Merchant Banking

The Bank retained the leadership as Mandated Lead Arranger and Book Runner for syndicated loans in Asia Pacific (excluding Japan but including Australia) for the year ended March 2012.

During the year, fourteen high value transactions for financing ECB requirements of Indian Corporates, as well as their acquisition related financing requirements aggregating USD 4758 mn, were syndicated successfully with a participation of USD 1423 mn. Apart from this, a large number of bilateral deals aggregating USD 2190 mn were also concluded with Indian Corporates.

A fee income of USD 86 mn was earned from syndications and bilateral deals concluded during the year.

Global Link Services (GLS)

In the year 2011-12, GLS on behalf of domestic branches, handled 1,09,413 export bills and 1,09,086 foreign currency cheque collections aggregating USD 13.36 billion. In addition, it handled 58,53,632 inward remittances transactions amounting to USD 5.89 billion from various centres in the Middle East, UK and USA.

Correspondent Relations

The Bank maintains correspondent banking arrangement with 476 reputed International Banks to extend seamless services to varied clients. These correspondent Banks are located in 118 countries. The Bank also has 1,871 Relationship Management Application (RMA) arrangements with SWIFT, facilitating speedier flow of financial messages.

Country Risk and Bank Exposures

The Bank has in place Country Risk Management Policy in tune with RBI guidelines. The policy outlines robust risk management model with prescriptions for Country, Bank, Product and Counter party exposure limits. Both Country-wise and Bank-wise exposure limits are monitored and reviewed on a regular basis. The exposure ceilings and classifications are moderated in line with the dynamics of their risk profiles. Periodical corrective steps are initiated to safeguard the Bank's interests.

SMS Unhappy Service

with resolution within 48 hours

2. CUSTOMER SERVICE QUALITY INITIATIVES

- The Grievance Redressal Policy of the Bank is based on the Model Policy Framed by Indian Bank's Association and provisions of the revised Code of Commitments to Customers released by Banking Codes and Standards Board of India. The Bank has been able to redress majority of the customer grievances within a maximum period of three weeks of receipt as against the time limit of 30 days. Bank has also been able to resolve almost all ATM related complaints within the RBI stipulated period of 7 days.
- The Standing Committee on Customer Service constituted at the Local Head Offices with representatives from customers including Senior Citizens review the overall position of Customer Service in the Circle. Analysis of the consolidated data for Customer Grievances for all Circles is being put up to the Customer Service Committee of the Central Board every quarter to identify common systemic issues that require rectification, and also review the remedial measures taken by the Bank for improving the Customer Service.
- The web based Complaint Management System (CMS), launched in December 2009 for early resolution of ATM related complaints, has since been extended to accept all types of complaints. The customers can register their complaints at the Toll Free number of Contact Centre or online at

लाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके पश्चात उन्हें एक पृथक शिकायत संख्या का आबंटन किया जाता है जिसकी मदद से वे संपर्क केन्द्र पर संपर्क कर अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

- बैंक ने मोबाइल एवं वेब आधारित सेवा 'एसएमएस अनहैप्पी सर्विस' भी शुरू की है जिसके माध्यम से ग्राहक की शिकायत का 48 घंटों में समाधान करने का प्रावधान है।

ग्राहक सेवा दामोदरन समिति रिपोर्ट, 2010

इस रिपोर्ट का बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्राहक सेवा पर दूरगामी प्रभाव होगा, यह देखते हुए बैंक ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति ने प्रत्येक सिफारिश पर विचार विमर्श किया। 50% से अधिक सिफारिशों को लागू किया जा चुका है।

3. अनर्जक आस्ति(एनपीए) प्रबंधन

31.03.2012 को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में कमी लाए जाने की स्थिति यहाँ नीचे प्रस्तुत की गई है:

आस्ति गुणवत्ता (₹ करोड़ में)

1	सकल अनर्जक आस्तियाँ	39,676
	सकल अनर्जक आस्तियाँ का प्रतिशत	4.44%
2	निवल अनर्जक आस्तियाँ	15,819
	निवल अनर्जक आस्तियाँ का प्रतिशत	1.82%
3	अनर्जक आस्तियाँ की नकदी वसूली	4,159
4	मानक आस्तियों के रूप में श्रेणी उन्नयन	5,459
5	बट्टे खाते	744
6	अनर्जक आस्तियों में सकल कमी (3+4+5)	10,362
7	मानक आस्तियों से अनर्जक आस्तियों के रूप में हालिया गिरावट	24,712
8	बट्टे खाते डाले गए ऋणों में वसूली	962

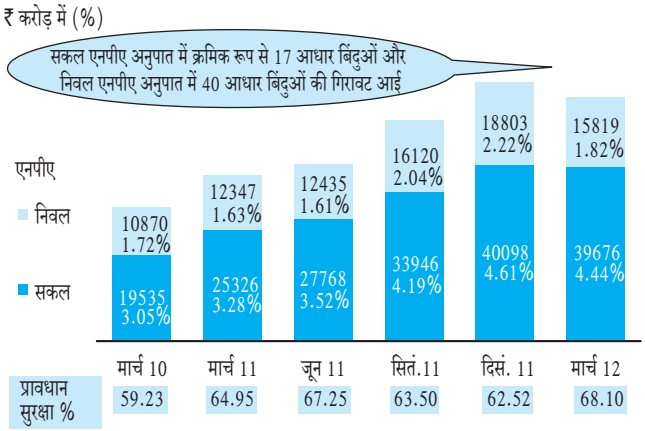

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (एसएएमजी):

लघु एवं मध्यम उद्यम और कारपोरेट खंड में उच्च मूल्यवाली अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (एसएएमजी) को अप्रैल 2011 से कारपोरेट बैंकिंग समूह (सीबीजी) से अलग करके एक उप प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक के नियंत्रणाधीन कर दिया गया।

एसएएमजी की 14 तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएँ (एसएएमबी) और 1 रेजीडेंट कार्यालय हैं जो बैंक के सभी मंडलों में फैले हैं। समूह द्वारा मार्च 2012 में दो नई शाखाएँ (एक लुधियाना में और 1 एर्नाकुलम) में खोली गईं। ये शाखाएँ ₹1 करोड़ से अधिक की बकाया राशियों वाले एनपीए और वसली अधीन अग्रिम खातों की देखरेख करती हैं। प्रत्येक शाखा में अनर्जक आस्ति प्रबंधन के लिए अलग और प्रशिक्षित स्टाफ है जिसमें इनके शीघ्र समाधान के लिए एक कानूनी विशेषज्ञ भी है। इन विशेषज्ञों के साथ में शाखाएँ सरफेसी अधिनियम, डी आर टी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करके बड़ी मात्रा में वसूलियाँ करवा रही हैं और ए आर सी कंपनियों को बिक्री और निपटारा करा पा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, 115 तनावग्रस्त आस्ति समाधान शाखाएँ/केंद्र (एसएआरबी/एसएआरसी) भी देश भर में महानगरीय/शहरी केंद्रों पर राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के तहत एमएसएमई और वैयक्तिक खंडों मे ₹1 करोड़ तक की बकाया राशियों वाली अनर्जक आस्तियों का शीघ्रता से सावधान करा पा रही हैं।

एसएएमजी का 2011-12 की अवधि में निष्पादन निम्नवत हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

1	अनर्जक आस्तियों की नकद वसूली	826
2	मानक आस्तियों का श्रेणी उन्नयन	154
3	बट्टे खाते	9
4	अनर्जक आस्तियों में कुल कमी (1+2+3)	989
5	बट्टे खाते डाले गए ऋणों में वसूली	216
	कुल समाधान	1205

- **पुनर्संरचित आस्तियाँ**

  तनावग्रस्त मानक आस्तियों और संभावनाशील अनर्जक आस्तियों की पुनर्संरचना को समुचित महत्व दिया जा रहा है। अनर्जक आस्तियों की वृद्धि रोकने और अनर्जक आस्तियों को वर्तमान स्तर से नीचे लाने के लिए ऐसा बैंक के अपने दिशानिर्देशों के अंतर्गत और सीडीआर तंत्र के तहत किया जा रहा है।

  ₹9,131 करोड़ की बैंक की कुल ऋण राशि वाले 48 मामले वर्ष 2011-12 के दौरान सीडीआर के लिए संदर्भित किए गए जिनमें

www.sbi.co.in and obtain a unique complaint number which helps them to trace the status of complaints thereafter through Contact Centre.

- The Bank also has a mobile and web based service for customer grievance redressal - 'SMS Unhappy Service' with resolution within 48 hours.

DAMODARAN COMMITTEE REPORT ON CUSTOMER SERVICE, 2010

Keeping in view the far reaching impact the Report would have on Customer Service in the Banking Industry, the Bank has constituted a High Level Committee which has deliberated on each of the recommendations. Over 50% of the recommendations have already been implemented.

3. NPA MANAGEMENT

The position of NPA reduction as on 31.03.2012 is given hereunder:

Asset Quality (₹ in crores)

1	Gross NPAs	39,676
	Gross NPA percentage	4.44%
2	Net NPAs	15,819
	Net NPA percentage	1.82%
3	Cash Recovery in NPA	4,159
4	Up gradation to Standard Assets	5,459
5	Write offs	744
6	Gross reduction in NPAs (3+4+5)	10,362
7	Fresh Slippages of Standard Assets to NPA category	24,712
8	Recovery in written off accounts	962

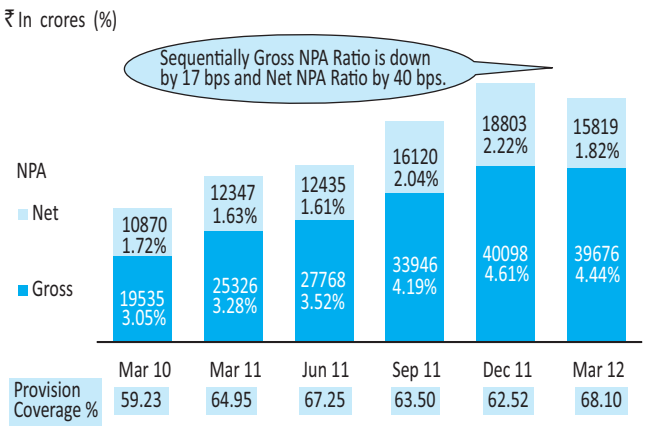

Stressed Assets Management Group (SAMG) :

In order to give focussed attention to high value NPAs in SME and Corporates, Stressed Assets Management Group (SAMG) was created in April 2011 headed by a Deputy Managing Director.

SAMG has 14 Stressed Assets Management Branches (SAMBs) and 1 Resident Office under its wings. The Group opened two new branches in March 2012 (one each at Ludhiana and Ernakulam). These branches handle NPAs and AUCAs with outstandings in excess of ₹1 crore. Each branch has dedicated, trained staff including a legal expert for expeditious resolution and is able to effect significant recoveries by resorting to action under SARFAESI Act, DRT Act, sale to ARCs and negotiated settlements.

In addition, 115 Stressed Assets Resolution Branches/ Centres (SARB/SARCs) have also been functioning under NBG across the country in Metro/ Urban centres for quicker resolution of NPAs with outstandings upto ₹1 crore in MSME and Personal segments.

The performance of SAMG for the period 2011-12 is given below:

(Amount in crores)

1	Cash Recovery in NPA	826
2	Upgradations in Standard Assets	154
3	Write – Offs	9
4	Gross reduction in NPAs (1+2+3)	989
5	Recovery in written off accounts	216
	Total Resolution	1205

- **Restructured assets**

  Adequate importance is being given to restructuring of standard assets under stress, as well as viable non-performing assets. This is done under the Bank's own guidelines as well as through CDR mechanism, for arresting additions to NPAs and reducing existing level of NPAs.

  48 cases with the Bank's aggregate exposure of ₹9,131 crores were referred to CDR mechanism

से ₹3,782 करोड़ की कुल राशि के 24 मामले अनुमोदित किए गए और ₹5,349 करोड़ की राशि के 24 मामले प्रक्रियाधीन हैं। इन मामलों में समय पर हस्तक्षेप किए जाने से कारपोरेटों को तनाव से उबरने का अवसर मिलेगा।

एनपीए प्रबंधन के लिए नई पहल

वसूली प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और मानक आस्तियों से अनर्जक आस्तियों के रूप में गिरावट रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। इनमें एसएमए की समय पर पहचान करना और परिचालन इकाइयों को सूचना का प्रसार करना, जिसका ब्योरा निम्नानुसार है:

ऋण प्रस्ताव मूल्यांकन मानदंडों / ऋण पात्रता मापदंड को कड़ा करना (उदाहरण के लिए वाहन ऋणों के लिए न्यूनतम आय मापदंड ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख प्रति वर्ष किया गया है)।

रिस्क स्कोरिंग मॉडल उद्देश्यपरक मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय मॉडलों के आधार पर सभी पी-सेग्मेंट ऋणों हेतु विकसित किए गए हैं।

अकाउंट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑन लाइन (एटी@एम) की खातावार अनुवर्तन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गयी है।

एनपीए की तत्काल निगरानी करने के लिए एनपीए डैशबोर्ड की एक डाटा टूल के रूप में शुरुआत की गई।

तनावग्रस्त एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक ने अविवेकाधीन और अविभेदकारी योजना - ''एसबीआईओटीएस-एमएसएमई - 2012'' नाम से शुरू की है जिसके अंतर्गत ऋण की बकाया राशि का उदार शर्तों पर एकबारगी निपटारा किया जा सकेगा।

सभी मंडलों में एटीएस कार्यरत हैं जो एसएमए में ₹25 लाख तक की बकाया राशियों वाले और एसएमई में सॉफ्ट एनपीए खातों के ऋणियों से संपर्क करते हैं।

4. कारपोरेट कार्य नीति एवं नव व्यवसाय

क. मर्चेंट अधिग्रहण व्यवसाय

बाजार में उपलब्ध अपार संभावनाओं से लाभ उठाने और हमारे 108 मिलियन से अधिक डेबिट कार्डों को सक्रिय करने के लिए एक व्यापक भुगतान व्यवस्था स्थापित करने के लिए बैंक ने मर्चेंट अधिग्रहण व्यवसाय (एमएबी) क्षेत्र में प्रवेश किया है। बैंक अब तक 28,000 से अधिक पीओएस टर्मिनल लगाने का अनुमोदन कर चुका है। बैंक इस व्यवसाय के लिए विभिन्न खंडों में कई प्रमुख कारपोरेटों के साथ गठबंधन कर चुका है।

आईआईटी खड़गपुर में पाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीन

ख. वित्तीय आयोजना एवं सलाहकारी सेवाएं

ग्राहकों के वर्गीकरण के अनुसार वित्तीय सेवाएं प्रदान करने एवं उच्च मालियत वाले ग्राहकों को संपर्की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तिनीतियाँ बनाई जा रही हैं।

ग. प्राइवेट ईक्विटी

बैंक ने अपने सर्वप्रथम प्राइवेट ईक्विटी व्यवसाय के रूप में आस्ट्रेलिया के मैक्वेरी ग्रुप एवं इंटरनेशल फायनेंस कारपोरेशन वाशिंगटन के साथ सहयोग करके एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया है। इसने ₹5,265 करोड़ की राशि जुटा ली है। फंड ने महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों जैसे हवाई अड्डों, दूरसंचार मीनारों, ताप विद्युत एवं पनबिजली क्षेत्रों में ₹3,092 करोड़ के पांच निवेश किए हैं। अपने गठन के समय से ही फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडों के क्षेत्र में सबसे अव्वल फंडों में से एक रहा है तथा इसे 2010 का नंबर वन प्राइवेट ईक्विटी फंड माना गया है तथा 2011 के लिए 'सबसे पसंदीदा इंफ्रास्ट्रक्चर ईक्विटी वित्तीयनकर्ता' घोषित किया गया है।

ओमान के सबसे बड़े सरकारी फंड - स्टेट जनरल रिज़र्व फंड ऑफ सल्तनत आॉफ ओमान के साथ सयुंक्त उद्यम 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रारंभिक राशि के साथ एक फंड शुरू किया है।

घ. डेबिट कार्ड

31 मार्च 2012 को 110 मिलियन डेबिट कार्डों के साथ स्टेट बैंक समूह इस बाजार में लगातार सबसे अग्रणी बैंक बना हुआ है। देश के कुल डेबिट कार्डों में इसकी हिस्सेदारी

during 2011-12, out of which 24 cases aggregating ₹3,782 crores have been approved and 24 cases aggregating ₹5,349 crores are under process. In these cases, timely intervention has given the Corporates an opportunity to recover from the stress.

Initiatives for NPA Management

To give thrust to recovery efforts and to prevent slippages, various measures were undertaken, which included, timely identification of SMAs and dissemination of information to operating units, etc., brief details of which are as under:

Tightening of appraisal norms / loan eligibility criteria (e.g: The minimum income criteria for Auto Loans has been raised from ₹1 lac to ₹2.5 lacs p.a.).

Risk Scoring Models have been developed for all P-Segment Loans on the basis of statistical models for objective assessment.

Account Tracking & Monitoring online (AT@M) launched for updation of account wise follow up in P-Segment.

NPA Dashboard is being utilised as a data tool for real time monitoring of NPAs.

To provide relief to stressed MSME sector, Bank has launched non-discretionary and non-discriminatory scheme named "SBIOTS-MSME-2012", for one time settlement of loan outstanding with liberal terms.

ATCs have been operationalised in all Circles to contact borrowers with outstanding up to ₹25 lacs in SMAs and soft NPA accounts in SME.

4. CORPORATE STRATEGY AND NEW BUSINESSES

A. Merchant Acquiring Business

In order to tap huge potential available in the market and also to create a comprehensive electronic payment infrastructure to activate our more than 108 million debit cards, Bank has entered into Merchant Acquiring Business (MAB). Bank has, so far, approved deployment of more than 28,000 PoS terminals. Bank has already entered into several corporate tie-ups with prominent players in different segments.

Point of Sale (POS) machines installed at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital & Medical Research Institute, Mumbai.

B. Financial Planning & Advisory Services

It is strategising to provide financial solutions driven by customer segmentation and offer relationship banking to high end customers.

C. Private Equity

The Bank's maiden Private equity foray, the SBI Macquarie Infrastructure Fund, set up in collaboration with Macquarie Group of Australia and International Finance Corporation, Washington closed for subscription and raised a corpus of ₹5,265 crores. The Fund has made five investments worth ₹3,092 crores in Key infrastructure sectors such as airports, telecom towers, thermal power and hydro power. Since its inception, the fund has been rated as the Number one Private Equity Fund in 2010 and adjudged as the "Most Admired Infrastructure Equity Financier 2011".

The Joint venture with State General Reserve Fund of Sultanate of Oman, the largest sovereign fund of Oman, named Oman India Joint Investment Fund has been operationalised with an initial corpus of USD 100 million.

D. Debit Cards

State Bank Group continues to lead the Debit Card market with over 110 million

40% है। स्टेट बैंक समूह के कुल डेबिट कार्डों से खरीदी ₹11,000 करोड़ रही है जो इस उद्योग से कुल खरीदी की 20.5% है। अपने डेबिट कार्ड को पॉइंट ऑफ सेल (विक्रय स्थलों) ई-कामर्स से अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने के लिए स्टेट बैंक समूह अपने डेबिट कार्ड को 16 अंकों के संस्करण में भी जारी कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक वर्चुअल कार्ड के रूप में एक ई-कार्ड भी जारी किया है जो बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों द्वारा तैयार कर ऑनलाइन उपयोग में लाया जा सकता है। यह कार्ड ई-कॉमर्स के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होगा।

ङ प्रीपेड कार्ड

i. विश्व यात्रा फॉरेन ट्रेवल कार्ड (वीवाईएफटीसी)

विश्व यात्रा फॉरेन ट्रेवल कार्ड अब एक प्रकार का चिप आधारित ईएमवी समर्पित कार्ड है जो आठ मुद्राओं- अमरीकी डॉलर (यूएसडी), ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड (जीबीपी), यूरो, कनाडियन डॉलर (सीएडी), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (एयूडी), जापानी येन, (जेपीवाई), साउदी रियाल (एसएआर) तथा सिंगापुर डॉलर (एसजीडी) में उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2011-12 में इसकी बिक्री 59.93 मिलियन अमरीकी डॉलर रही।

ii. इज़ी-पे कार्डों को कारपोरेट निकायों के वेतन भुगतान के अलावा सरकार की सामाजिक योजनाओं के साथ जोड़कर चलाया जाता है जिस वजह से इसकी पहुँच लाखों घरों तक है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान इसके माध्यम से ₹860.87 करोड़ रुपये का विक्रय हुआ है।

iii. गिफ्ट कार्ड

ग्राहक ऑन लाइन गिफ्ट कार्ड बना सकते हैं। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान इसके माध्यम से ₹106.44 करोड़ की बिक्री दर्ज हुई।

च. ग्रीन चैनल काउन्टर

'ग्रीन चैनल काउन्टर' 2010 में प्रारंभ किए गए जो अब 5,660 शाखाओं में उपलब्ध हैं।

i. स्वयं सेवा कियोस्क (एसएसके)

एसएसके जिसके माध्यम से ग्राहक विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेन अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है, 1 जुलाई 2011 को शुरू किया गया था। वर्तमान में 59 शाखाओं में इसे पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में इन पर 20 प्रकार के लेनदेन किए जा रहे हैं। इनमें पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

110 मिलियन

डेबिट कार्ड
देश में कुल डेबिट कार्डों का लगभग 40%

ii. नकदी जमा मशीन (सीडीएम)

सीडीएम एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से नकदी जमा कर सकता है। वर्ष के दौरान, देश भर में 35 सीडीएम मशीनें लगाई गईं। प्रति दिन औसतन प्रति मशीन 50 नकदी जमा लेनदेन इसके माध्यम से किए जा रहे हैं।

iii. ग्रीन रेमिट कार्ड (जीआरसी)

गैर होम नकदी जमाओं में सुविधा के लिए बैंक ने ग्रीन रेमिट कार्डों की शुरुआत 3 जनवरी 2012 को की है, ताकि ऐसे धन प्रेषक जो बैंक के ग्राहक नहीं हैं, इसके माध्यम से धन प्रेषण कर सकें। इस सुविधा के अंतर्गत धन प्रेषकों को जमा पर्ची भरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन चैनल काउन्टरों वाली समस्त शाखाएं इस सुविधा का उपयोग करने के लिए सक्षम हैं।

5 वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन आयोजना (एफआईपी) 2011-12 के अंतर्गत बैंक ने उसे आबंटित सभी 12,931 गाँवों को शामिल कर लिया है। वित्त वर्ष 12 के दौरान बैंक ने एफआईपी गाँवों में 40 लाख खाते खोले हैं।

- 32 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 400 जिलों में 1.36 करोड़ नो फ्रिल खाते खोले गए हैं।
- बैंक ने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन के माध्यम से 30,000 बीसी ग्राहक सेवा केन्द्रों की स्थापना की है। इसी प्रकार से व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) की सहायता के लिए देश भर में 113 वित्तीय समावेशन केन्द्रों की भी स्थापना की गई है।

Debit Cards as on 31st March 2012 which constitutes about 40% of the total Debit Cards in the country. Debit Card spends of State Bank Group crossed ₹11,000 crores which constitutes around 20.5% of total Debit Card spends in the industry. State Bank Group has also switched over to issuance of 16-digit variants with a view to making its Debit Cards more Point of Sale/ e-Commerce friendly. State Bank of India also introduced State Bank Virtual Card, an e-Card that can be created by Bank's Internet Banking customers and used online, to provide a fillip to e-Commerce.

E. Prepaid Cards

i. Vishwa Yatra Foreign Travel Cards (VYFTC)

Vishwa Yatra Foreign Travel Cards (VYFTC) is now a CHIP based EMV Compliant Card and is available in eight currencies, viz. US Dollar (USD), Great Britain Pound (GBP), Euro, Canadian Dollar (CAD), Australian Dollar (AUD), Japanese Yan (JPY), Saudi Riyal (SAR) and Singapore Dollar (SGD). Sales for FY 2011-12 were to the tune of USD 59.93 million.

ii. **eZ-Pay Cards** are aligned with most of the Government social schemes in addition to salary payments by Corporate entities, thus reaching millions of households. Sales for FY 2011-12 were to the tune of ₹860.87 crores.

iii. Gift Cards

Customers can create Gift Cards online. Sales registered for FY 2011-12 was ₹106.44 crores.

F. The Green Channel Counter

The **'Green Channel Counter**' launched in 2010 is available at 5,660 branches.

i. Self Service Kiosk (SSK)

SSK launched on 1st July, 2011 through which a customer can make various financial and non-financial transactions by using his Debit Card has been completed in 59 branches across India. Currently, 20 types of transactions including Pass Book Printing are enabled.

ii. Cash Deposit Machine (CDM)

CDM is a machine wherein customer can deposit cash by using his Debit Card. During the year, Bank had deployed 35 CDMs across the country. On each day, average 50 Cash Deposits are being made through each CDM.

iii. Green Remit Cards (GRC)

In order to facilitate Non-Home Cash deposits, Bank introduced Green Remit Cards on 3rd January, 2012 to the remitters who need not be the account holders of the Bank. This facility does not require filling up pay-in-slips by the remitter. All Branches with Green Channel Counters are enabled to offer this facility.

110 million

Debit Cards
Constituting about 40% of the total Debit Cards in the country

5. FINANCIAL INCLUSION

Bank has achieved 100% coverage of allotted 12,931 villages under Financial Inclusion Plan (FIP) 2011-12 and has opened 40 lacs accounts in FIP villages during the FY 12.

- 1.36 crores 'No Frills' accounts have been opened in 400 districts of 32 States/UTs.
- Bank has set up around 30,000 BC Customer Service Points through alliances both at national and regional level. Also, 113 Financial Inclusion Centres to support the Business Correspondent (BCs) have been set up across the country.

- बैंक यूआईडीएआई के एक रजिस्ट्रार का कार्य कर रहा है। राज्य सरकारों के बाद भारतीय स्टेट बैंक इस क्षेत्र में 252 लाख पंजीकरणों के साथ सबसे बड़ा पंजीयक है। आधार के माध्यम से खाते खोलने का कार्य यूआईडीएआई से प्राप्त डाटा के द्वारा प्रारंभ किया जा गया है।
- व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से उपलब्ध कराए गए सभी उत्पाद प्रौद्योगिकी से संचालित हैं। बीसी चैनलों के माध्यम से बचत बैंक, आवर्ती जमा, धन प्रेषण और एसबी-ओडी सुविधाएं प्रदान की जा रही है।
- एमजीएनआरईजीएस, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतानों आदि योजनाओं के अधीन ग्रामीण गरीबों/निम्न आय वर्गीय समूह के लोगों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने अभी तक 27 लाख खाते खोले हैं तथा वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹310 करोड़ का संवितरण किया है (वित्त वर्ष 2010-11 में ₹167 करोड़ के संवितरण किए थे)।

वित्तीय समावेशन के लिए अनेक सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित माध्यम:

देश के वंचित नागरिकों को न्यूनतम खर्च पर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बैंक ने प्लेटफॉर्म, सोल्यूशन, परिचालन जानकारी एवं सेवा विषयक सामान्य क्षेत्रों से भी आगे जाकर सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने आक्रामक नीति अपनाई है। इनमें से कुछ माध्यम निम्नानुसार हैं:-

एसबीआई टाइनी कार्ड – वित्त वर्ष के दौरान 10 लाख ग्राहकों को इस सुविधा के लिए पंजीकृत किया गया है (कुल मिलाकर 62 लाख से भी अधिक ग्राहक)। टाइनी कार्ड अब बचत बैंक, आवर्ती जमा, एसबी व ओडी एवं धन प्रेषण उत्पादों के लिए भी उपलब्ध हैं।

चलता-फिरता बैंक (ग्राहक सेवा वाहन) का शुभारंभ करते हुए श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष

'ग्रीन चैनल काउन्टर'

बैंक की एक नवोन्मेषी पहल-पारंपरिक कागज आधारित बैंकिंग के स्थान पर कार्ड आधारित 'ग्रीन बैंकिंग'

कियोस्क बैंकिंग – यह बैंक की प्रौद्योगिकी आधारित शुरुआत है जो इंटरनेट सुविधाओं वाले पीसी (कियोस्क) में बायोमेट्रिक वैधीकरण के माध्यम से 9,211 सीएसपी पर परिचालित है। इसके अंतर्गत 29 लाख ग्राहकों का पंजीकरण किया गया है तथा यह 30 राज्यों के 412 जिलों में लागू की गई है।

मोबाइल ग्रामीण बैंकिंग – मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बैंक की अपनी प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा अब कम मूल्य के मोबाइलों पर भी प्रारंभ की गई है तथा वर्तमान में यह 70 ग्राहक सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है।

सेल फोन मेसेजिंग चैनल – यह कम मूल्य का प्रभावी मॉडल जो कम मूल्यों के साधारण मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यह पिन/हस्ताक्षर सुरक्षित है। 7 राज्यों में 14 जिलों के 1803 ग्राहक सेवा केन्द्रों पर शुरू किया गया है।

शहरी वित्तीय समावेशन – शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए वित्त वर्ष 12 के दौरान शहरों/महानगरों में 3600 बीसी केन्द्रों पर इसे प्रारंभ किया गया है। वित्त वर्ष 2012 के दौरान ₹3,888 करोड़ के 88 लाख धन प्रेषण संबंधी लेनदेन किए गए।

समर्थन एवं नियंत्रण परिचालन:

1. सूचना प्रौद्योगिकी :

क. कोर बैंकिंग:

प्राथमिक एवं आपदा बचाव तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हार्डवयर एवं डाटा भंडारण प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए प्रमुख आधारभूत सुविधा उपाय प्रारंभ किए गए हैं ताकि निर्बाध एवं कम लागत परिचालन सुनिश्चित किए जा सकें, संसाधन समय को कम किया जा सके और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसके विस्तार के लिए प्रावधान किए जा सकें।

Financial Inclusion

100% Coverage of allotted 12,931 villages
40 lacs accounts opened

- All products offered through Business Correspondent (BC) channel are technology enabled. Savings Bank, RD, remittance & SB-OD facilities are the products offered through BC channel.
- SBI is one of the Registrars of UIDAI. After State Governments, SBI is the top enroller with more than 252 lac enrollments. Aadhaar enabled Account opening started from data received from UIDAI.

Dr. D. Subba Rao, Governor, RBI handing over Aadhaar Excellence Award 2011 to Shri Pratip Chaudhuri, Chairman

- To facilitate Electronic Benefit Transfer to the rural poor / low income group populace under the MGNREGS, Social Security Pension payments, etc. the Bank has opened more than 27 lac accounts so far and disbursed ₹310 crores during FY 2011- 12 (₹167 crores disbursed during FY 2010-11).

Multiple IT enabled channels for Financial Inclusion:

The Bank has gone beyond the usual domains of technology in terms of platform, solution, operational details and service contents in a very aggressive manner to serve the excluded common citizen with minimal costs. Some of these channels are:

Mobile ATM cum Kiosk Van.

SBI Tiny Card – About 10 lac customers have been enrolled during the Financial Year (cumulative more than 62 lac customers). Tiny Cards now support Savings Bank, Recurring Deposit, SB-Cum-Overdraft and Remittance products.

Kiosk Banking – The Bank's own Technology Initiative, operated at internet enabled PC (Kiosk) with bio-metric validation at 9,211 CSPs, covering 29 lac customer enrollments, has been rolled out in 30 states and 412 districts.

Mobile Rural Banking - The Banks own technology on mobile platform, operable also in low cost mobile introduced and covered 70 CSP outlets.

Cell Phone Messaging Channel – This cost effective model, working on low – cost simple mobile phones and well secured through PIN / signature based security has been rolled out in 7 states across 14 districts and covered 1803 CSP outlets.

Urban Financial Inclusion - To cater to Urban excluded populace, more than 3,600 BC outlets have been set up in Urban/Metro centers. 88 lac remittance transactions for ₹3,888 crores were registered during FY 12.

SUPPORT & CONTROL OPERATIONS

1. INFORMATION TECHNOLOGY

A. Core Banking:

A major infrastructure upgrade of hardware and data storage system has been undertaken for the Primary and the Disaster Recovery set up to ensure uninterrupted and efficient operations, reduce processing time and make provision for scalability

सभी चालू खाता ग्राहकों के लिए खातों के विवरण, आवास ऋण ब्याज/किस्त भुगतान प्रमाणपत्र और टीडीएस विवरणों के साथ वर्ष के दौरान प्रदत्त टीडीआर/एसटीडीआर ब्याज प्रमाणपत्र तैयार एवं उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीकृत कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई है। बेहतर ग्राहक सेवा के लिए इस प्रकार की नई पहल विचाराधीन हैं। वार्षिक लेखाबंदी कार्य के संबध में डाटा के समेकन के लिए एक केन्द्रीकृत ऋण डाटा संसाधन (सीसीडीपी) प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है।

ख. वैकल्पिक माध्यमों के द्वारा विस्तार:

		मार्च 11	मार्च 12
एटीएम	समूह के एटीमों की संख्या	25,005	27,286
	एसबीआई के एटीएमों की संख्या	20,084	22,141
	प्रति दिन औसत हिट	285	285
	डेबिट कार्ड (लाख में)	728	910
इंटरनेट बैंकिंग	ग्राहकों की संख्या (लाख में)	62.57	89.63
	वित्त वर्ष के दौरान लेनदेन की संख्या (लाख में)	1,437.46	2,610.32
मोबाइल बैंकिंग	पंजीकृत मोबाइल प्रयोक्ता (लाख में)	10.13	36.45
	कुल सफल वित्तीय लेनदेन की संख्या (लाख में)	49.30	190.65
	गैर वित्तीय लेनदन की संख्या (लाख में)	95.23	317.72
संपर्क केन्द्र	कुल पंजीकृत ग्राहकों की संख्या(लाख में)	9.96	15.31

(i) एटीएम

स्टेट बैंक समूह में विभिन्न प्रकार के एटीएम उपलब्ध हैं जैसे बंच नोट एक्सेप्टर, बायोमेट्रिक, कम लागत वाले ग्रामीण एटीएम, सौर ऊर्जा से प्रचालित एटीएम, मल्टी फंक्शन कियोस्क जिसका उपयोग पासबुक, खाता विवरण प्रिंटिंग करने, उपभोक्ता बिलों के भुगतान के लिए बार कोड रीडर, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि के लिए होता है। कुछ एटीएमों पर नकदी जमा करने की सुविधा शुरू की गई है। हम अब एटीएम स्थलों पर बड़ी संख्या में नकदी जमा मशीनों (बंच नोट एक्सेप्टर्स) लगा रहे हैं। ग्राहक इन मशीनों का नकदी जमा करने के लिए चौबीसों घंटे सात दिन उपयोग कर सकते हैं। ऐसी 50 मशीनें

समूह के एटीएमों की संख्या

25005 मार्च - 2011 | **27286** मार्च - 2012

लगाई जा चुकी हैं। हमारी इस वर्ष और 600 नकदी जमा मशीनें लगाने की योजना है। एटीएमों पर नकदी न होने के मामले अब नहीं होते।

(ii) मोबाइल बैंकिंग:

31 मार्च 2012 को इस सेवा का उपयोग करने वाले 3.65 मिलियन ग्राहक थे। प्रतिदिन 1.20 लाख से अधिक लेनदेन होते हैं जिसमें से लगभग 46% कुल ₹2.45 करोड़ के वित्तीय लेनदेन होते हैं।

संख्या एवं वित्तीय लेनदेन के मूल्यों की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक बाजार में सबसे आगे है। लेनदेन की संख्या के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी 83.70 % एवं लेनदेन के मूल्य के हिसाब से 49% हिस्सेदारी है। (स्रोत: मोबाइल बैंकिंग लेनदेन पर भारिबैं के आंकड़े- फरवरी 2012)

स्टेट बैंक फ्रीडम प्रीमियम नई जीपीआरएस आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रारंभ की गई है जिसमें तत्काल बिल भुगतान की सुविधा है।

एसबीआई मोबिकैश के ब्रांड नाम से एसबीआई ने प्रौद्योगिकी आधारित प्रीपेड भुगतान सेवाओं की प्रायोगिक आधार पर बैंक के दिल्ली एवं मुंबई मंडलों में शुरुआत की है।

(iii) इंटरनेट बैंकिंग:

बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा **www.onlinesbi.co.in** के माध्यम से रिटेल एवं कारपोरेट दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। रिटेल इंटरनेट बैंकिंग: उपभोक्ता बिलों के भुगतान के लिए 'इंस्टा पे' नाम से एसबीआई ने शुरू की है। कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग: सीआईएनबी सरल-छोटे उद्यमियों आदि के लिए एक सरलीकृत एकल प्रयोक्ता कारपोरेट बैंकिंग सुविधा भी वर्ष के दौरान शुरू की गई।

ग. विदेश स्थित कार्यालय:

24 देशों में 137 शाखाएं, जिनमें 2 भारत में स्थित विदेशी बैंकिंग इकाइयाँ भी शामिल हैं, अपने परिचालन एक सामान्य बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कार्यरत हैं जिनका डाटा बेस केंद्रीय डाटा केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ी आपदा

for future requirements. Milestones of managing 307 million accounts, 56 million transactions in a day and 2,067 transactions per second have been achieved.

A centralized functionality to generate and provide statements of accounts to all Current Account customers, Home Loan interest/installment payments certificates and TDR/STDR interest paid during the year with TDS particulars have been rolled out. Similar customer service initiatives are on the anvil. A centralized Credit Data Processing (CCDP) functionality fully integrated with CBS has been implemented to collate data for annual closing activities.

B. Expanding foot prints through Alternate Channels:

		March 11	March 12
ATMs	No. of ATMs of the Group	25,005	27,286
	No. of ATMs of SBI	20,084	22,141
	Average hits per day	285	285
	Debit Cards (in lakh)	728	910
Internet Banking	No. of Customers (in lakh)	62.57	89.63
	No. of transactions during the Financial year (in lakh)	1,437.46	2,610.32
Mobile Banking	Registered Mobile users (in lakh)	10.13	36.45
	No. of successful financial transactions (in lakh)	49.30	190.65
	No. of Non financial transactions (in lakh)	95.23	317.72
Contact Centre	No. of registered customers (in lakh)	9.96	15.31

(i) ATM

State Bank Group has in its stable, variants of ATMs namely Bunch Note Acceptors, Bio metric ATMs, Low Cost Rural ATMs, Solar Powered ATMs, Multi function Kiosks - for printing passbooks, statement of accounts, bar code readers for utility bill payments, internet banking etc. While cash deposit facility has been activated at some of the ATMs, we are now going to deploy a large number of Cash Deposit Machines

No. of ATMs for the Group

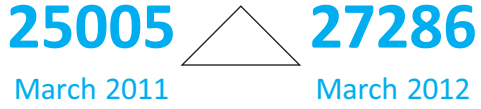

(Bunch Note Acceptors) at ATM locations which customers can use 24x7 to deposit cash. 50 such machines have already been deployed and we plan to deploy another 600 Cash Deposit Machines this year.

Cash out incidents in ATMs have been eliminated.

(ii) Mobile Banking:

As on 31st March 2012, there were 3.65 Million customers using the Service with more than 1.20 lacs daily transactions, around 46% of which are financial transactions amounting to ₹2.45 crores.

SBI is the market leader in this space, both in the number and value of the financial transactions with 83.70% market share in number of transactions and 49% share in transaction value (source: RBI data on mobile banking transactions – Feb 2012).

StateBank Freedom Premium, the new GPRS based mobile banking service has been rolled out.

SBI has launched mobile technology based prepaid payment services under the brand name of ***StateBank MobiCash*** on pilot basis in Delhi and Mumbai Circles of the bank.

(iii) Internet Banking:

Internet banking service is available through **www.onlinesbi.co.in** for both retail and corporate customers of the bank. Retail Internet Banking: SBI 'Instapay' for utility bills payment, Corporate Internet Banking: CINB Saral- a simplified single user Corporate Internet Banking facility for small entrepreneurs etc. have been added during the year.

C. Foreign Offices:

137 branches in 24 countries, including 2 OBUs in India, run their operations on a common banking applications software, with their databases connected to a Central Data

प्रबंधन साइट से उसे बैक अप सुविधा प्रदान की जाती है। सभी विदेश स्थित कार्यालय इंटरनेट बैंकिंग चैनल का प्रयोग करते हैं तथा विदेश में विभिन्न केन्द्रों पर स्थित 130 एटीएम बैंक के विदेशी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनमें से अधिकांश एटीएम भारत में स्थित केन्द्रीकृत एटीएम स्विच से जुड़े हुए हैं।

घ. एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस:

एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस का दूसरा चरण वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है। शीर्ष कार्यपालकों को निर्णय लेने में सुविधा की दृष्टि से डैशबोर्डों का विकास एवं स्थापना की जा रही है। कैंपेन मैनेजमेंट टूल का कार्यान्वयन कर दिया गया है तथा विभिन्न खंडों के ग्राहकों को लक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवसाय इकाइयों के लिए ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से अभियान चलाए जा रहे हैं।

ड. भुगतान प्रणाली समूह:

एनईएफटी एवं आरटीजीएस धन प्रेषण के सबसे सस्ते एवं प्रभावी माध्यम बने हुए हैं। 31 मार्च 2012 को हमारे बैंक का एनईएफटी में दूसरे स्थान के साथ 13.70% बाजार अंश है। आरटीजीएस के क्षेत्र में 13.85% बाजार अंश के साथ प्रथम स्थान बना हुआ है। चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) चेन्नई में कार्यान्वियत की गई है जो सीटीएस चेकों के लिए दक्षिण ग्रिड का हिस्सा है। स्विफ्ट गेटवे के यूके, यूएस एवं फ्रैंकफर्ट परिचालनों को स्थानांन्तरित करके अब इन्हें मुंबई स्थित स्विफ्ट केन्द्र में केन्द्रीकृत कर दिया गया है।

च. नेटवर्किंग:

बैंक ने एक सुरक्षित, मजबूत वैन संरचना वाले नेटवर्क का कार्यान्वयन किया है जो एसबीआई के अपने उपकरणों पर बनाया गया है। यह लीज लाइनों, वीसेट एवं सीडीएमए टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टेट बैंक समूह की समस्त शाखाओं/ कार्यालयों एवं एटीएमों को जोड़े हुए है। यद्यपि कनेक्टिविटी के लिए प्राइमरी लिंग हेतु लीज लाइनें प्राप्त की गई है, फिर भी बैकअप के रूप में आईएसडीएन लाइनें या वीसैट उपलब्ध कराए गए हैं। जहाँ कहीं लीज लाइनों को व्यवहार्य नहीं पाया गया है, वहां बैंक के नेटवर्क से जुड़ने के लिए शाखाओं में वीसैट उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्थानों पर वीसैट के लिए बैंडविथ की क्षमता को 32 केबीपीएस से बढ़ाकर 64 केबीपीएस तक अपग्रेड किया जा रहा है। वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए बैंक 3जी, सीडीएमए-ईवीडीओ जैसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर भी विचार कर रहा है। बैंक बैंडविथ उपयोगिता पर कार्यक्षम रूप से निगरानी रखता है और जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ उसे अपग्रेड करता है। बैंक में सभी प्रशासनिक कार्यालयों और महत्वपूर्ण शाखाओं को जोड़नेवाली अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा उपलब्ध है।

2. जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण

भारतीय स्टेट बैंक में जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन तंत्र

- बैंक में स्थापित जोखिम प्रबंधन तंत्र निम्नानुसार है:

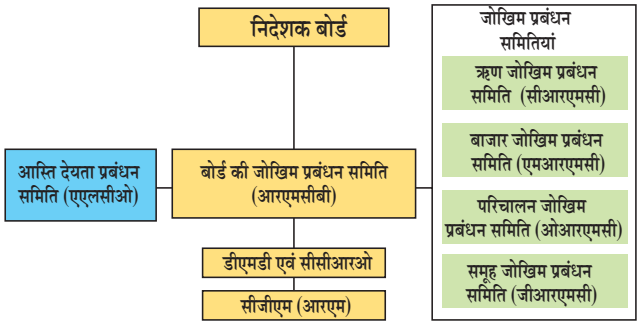

- समेकित जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम नियंत्रण तंत्र कार्यरत है जो उद्यम, ऋण, बाजार, परिचालन एवं समूह के जोखिमों का आकलन करता है। यह तंत्र परिचालन स्तर पर व्यवसाय इकाइयों को अधिकार देने की संकल्पना पर आधारित है जिसमें प्रौद्योगिकी को प्रमुख प्रचालक के रूप मे प्रयोग में लाया जाता है ताकि उद्गम के स्थान पर ही जोखिम की पहचान एवं उसके प्रबंधन की व्यवस्था की जा सके।

बेसल का कार्यान्वयन

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2008 से ऋण जोखिम के आकलन के लिए मानकीकृत पद्धति और परिचालन जोखिम के आकलन के लिए मूल संकेतक पद्धति के साथ बेसल-2 ढांचा अपनाया है। दिनांक 31 मार्च 2006 से बाजार जोखिम के आकलन के लिए मानकीकृत आकलन पद्धति लागू कर चुका है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में बेसल-3 पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर चुका है। ये दिशानिर्देश 1 जनवरी 2013 से लागू हो जाएँगे। बैंक में इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए समुचित व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

- वर्ष के दौरान, बैंक ने बेसल - 2 के अंतर्गत उच्चस्तरीय पद्धतियाँ लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करने/आशय पत्र देने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया शुरू कर दी है। बेसल 2 में तीन स्तंभ हैं - ऋण जोखिम के आकलन हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित

Centre backed up by a synchronized Disaster Recovery Site. All foreign offices use Internet Banking channel and 130 ATMs at various locations abroad cater to the Bank's overseas customers with most of the ATMs connected to the centralized ATM Switch in India

D. Enterprise Data Warehouse:

The second phase of Enterprise Data Warehouse Project is under implementation. Dashboards have been developed and deployed to facilitate decision making by top executives of the Bank. Campaign Management tool has been implemented and campaigns through emails/ SMS have been launched by various Business Units targeting customers under various segments.

E. Payment System Group:

NEFT and RTGS continue to remain the most cost-effective and efficient modes for remittance. Our Bank has maintained 2nd position as on 31st March 2012 with market share of 13.70% in NEFT and continues to be the market leader in RTGS with a share of 13.85 % as on 31st March 2012. Cheque Truncation System (CTS) has been implemented in Chennai which will become part of the southern Grid for CTS. Swift Gateway has been centralized by shifting UK, US and Frankfurt operations to Swift Operation Centre, Mumbai.

F. Networking:

The Bank has implemented a secured, robust WAN architecture network built with equipment owned by SBI, connecting branches/offices and ATMs of State Bank Group through leased lines, VSATs and CDMA technology. While leased lines have been procured for the primary link for connectivity, ISDN lines or VSAT's have been provided as backup. Wherever leased lines have not been found feasible, VSAT's have been provided to the branches for connecting to Bank's network. The bandwidth for VSATs is being upgraded from 32 kbps to 64 kbps at all locations. The Bank is also exploring alternate technologies like 3G, CDMA-EVDO, etc. to provide alternate connectivity. The Bank proactively monitors the bandwidth utilization and upgrades wherever warranted.

The Bank has in operation a state of the art video conferencing facility connecting all administrative offices and important branches.

2. RISK MANAGEMENT & INTERNAL CONTROLS

Risk Management in SBI

Risk Management Structure

- The Risk Governance Structure in place in the Bank is as under:

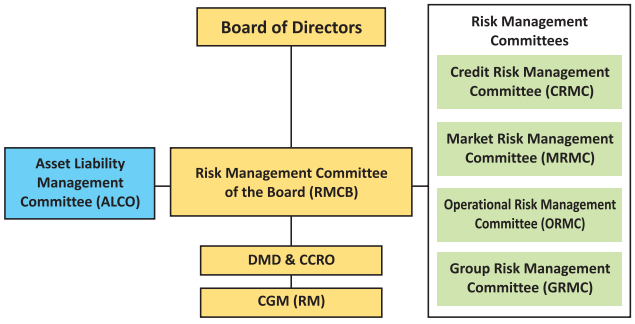

- An independent Risk Governance Structure is in place for Integrated Risk Management covering Enterprise, Credit, Market, Operational and Group Risks. This framework visualises empowerment of Business Units at the operating level, with technology being the key driver, enabling identification and management of risk at the place of origination.

Basel Implementation

- In accordance with RBI guidelines, the Bank has migrated to the Basel II framework, with the Standardised Approach for Credit Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk w.e.f. March 31, 2008, having already implemented the Standardised Measurement Method for Market Risk w.e.f. March 31, 2006.
- RBI has issued Guidelines on Implementation of Basel III Capital Regulations in India on 2nd May, 2012. These Guidelines will become effective from January 1, 2013. Bank is in the process of putting in place appropriate mechanism to comply with these guidelines.

Enterprise Risk Management

- During the year, the Bank has set in motion the due process required for filing of application/letter of intent to RBI for implementing Advanced Approaches under Basel II, comprising of the three Pillar I Risks viz. Internal Rating Based (IRB)

(आईआरबी) पद्धति, बाजार जोखिम के आकलन हेतु आंतरिक मॉडल पद्धति और परिचालन जोखिमों के आकलन हेतु उच्चस्तरीय आकलन पद्धति।

- बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेसल 2 के तहत निर्धारित नई पूंजी पर्याप्तता संरचना के स्तंभ 2 के अंतर्गत अपेक्षित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) लागू की है।
- आईसीएएपी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रबंधन, मुद्रा आकलन और तनाव परीक्षण करने के साथ-साथ उन जोखिमों के कारण अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं की जानकारी देना शामिल है। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त तीन स्तंभों में से स्तंभ 1 के जोखिमों के साथ साथ स्तंभ 3 जोखिमों जैसे बैंक की बहियों में नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ऋण संकेंद्रण जोखिम, साख जोखिम, कार्यनीतिक जोखिम आदि का आकलन भी किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन (सीआरएम)

- इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त मानकीकृत पद्धति के कार्यान्वयन के साथ साथ ऋण जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) मॉडल, उद्योग ऋण जोखिम मानदंड, प्रतिपक्ष ऋण सीमाएं, बड़ी सीमाओं के लिए मानदंड समाविष्ट आर्थिक तनाव परीक्षण आदि जैसे सुपरिभाषित मूलभूत जोखिम उपाय लागू किए गए जिससे ऋण जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। ऋण जोखिम प्रीमियम (सीआरपी) की गणना ऋण जोखिम घटकों जैसे चूक होने की संभावना (पीडी), हानि पहुँचाने वाली चूक (एलजीडी) तथा चूक के प्रकटन (ईएडी) के आधार पर की जा रही है।
- बैंक ने अब आंतरिक रेटिंग (आईआरबी) पद्धति अपनाने की एक परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है।
  - ★ चूक की संभावना के आकलन (पीडी), हानिप्रद चूक (एलजीडी) और चूक के समय ऋण जोखिम के आकलन के मॉडल विकसित किए जा रहे हैं।
  - ★ ऋण जोखिम डाटा मार्ट स्थापित किया जा रहा है।
  - ★ रिटेल स्कोरिंग और व्यवहार स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम)

बाजार जोखिम प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश, ट्रेडिंग, विदेशी मुद्रा, डेरीवेटिव, जोखिम मूल्य एवं तनाव परीक्षण संबधी नीतियों के द्वारा किया जाता है जो पोर्टफोलियो में व्याप्त विभिन्न उत्पादों, एवं जोखिम के प्रकारों के लिए सीमाओं का निर्धारण करती हैं। बाजार जोखिम को अनुमोदित नीति सीमाओं के अंदर रखने के लिए अन्य प्रबंधन कार्य शुरू करने के साथ साथ इन स्टॉप लॉस सीमाओं की नियमित जाँच की जाती है और उल्लंघन होने की स्थिति में नीतियों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार व्यवसाय इकाइयों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम)

- बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य प्रणालियों एवं नियंत्रण तंत्र की निरन्तर समीक्षा करना, सम्पूर्ण बैंक में परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जोखिम दायित्व का निर्धारण करना, व्यवसाय कार्यनीति में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों को शामिल करना एवं नियामक अपेक्षओं की पूर्ति करना शामिल है।
- बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में परिचालन जोखिम की प्रणालीगत एवं कारगर पहचान, मूल्यांकन, मापन, निगरानी और जोखिम कम करने संबंधी एक स्थायी संरचना स्थापित की गई है। बैंक के अंदर यह नीति सभी व्यवसाय एवं कार्य क्षेत्रों के लिए लागू होती है तथा इसमें परिचालन प्रणालियों, कार्यप्रणालियों एवं दिशा-निर्देशों को समय समय पर अद्यतन करके जोड़ा जाता है।

समूह जोखिम प्रबंधन (जीआरएम)

- जहाँ भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन का नियंत्रण है और ईक्विटी शेयरों मे निवेश 30% और उससे अधिक है, वहाँ विशिष्ट नियामकों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत और संबंधित लेखा मानकों का अनुपालन करते हुए समूह जोखिम प्रबंधन नीति स्टेट बैंक समूह के सभी सहयोगी बैंकों, बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के लिए समुचित नीति लागू की गई है।
- समूह की सभी कंपनियों को उनकी नीतियों और व्यवहारों को समूह की नीतियों और व्यवहारों के अनुरूप ढालने, बेसल के सुझावों, उनके नियामकों के दिशानिर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- स्टेट बैंक समूह के लिए समूह आईसीएएपी प्रलेख भी तैयार किए गए हैं और नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के स्तंभ 2 की अपेक्षाओं के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है।

- **मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)**

  बैंक द्वारा एक परिपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी नीति और सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति लागू की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप है। इन नीतियों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और इन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तदनुसार मजूबत बनाया जाता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्टाफ में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित सुरक्षा अभ्यास और कर्मचारी जागरूकता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, बेलापुर में व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) लागू की गई है। बैंक इस क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूरी करने में भी सबसे आगे है।

approach for Credit Risk, Internal Model Approach for Market Risk and Advanced Measurement Approach for Operational Risk.

- The Bank has in place the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Document as required by Pillar II of New Capital Adequacy Framework under Basel II as prescribed by RBI.
- The ICAAP process covers identification, measurement, management, capital assessment and stress testing of material risks and also detailed additional capital requirements on account of such risks. Besides the aforesaid three Pillar I Risks, the ICAAP also covers Pillar II Risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book, Credit Concentration Risk, Reputation Risk, Strategic Risk etc.

Credit Risk Management (CRM)

- In addition to implementing the Standarised Approach, well defined credit risk practices such as use of Credit Risk Assessment (CRA) Models, Industry Exposure Norms, Counterparty Exposure Limits, Substantial Exposure Norms, Macro Economic Stress Tests etc., have also been put in place to improve credit risk management
- The Bank has now set in process a project to migrate to Internal Rating Based (IRB) Approach.
  - ★ Models for estimation of Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), and Exposure At Default (EAD) are being developed.
  - ★ Credit risk data mart is being set up.
  - ★ Retail scoring and behavioural scoring models are being implemented.

Market Risk Management (MRM)

In accordance with RBI guidelines, Market Risk Management is governed by the Board approved policies covering Investment, Trading, Foreign Exchange, Derivatives, Value at Risk & Stress Testing which stipulate limits for various products and risk types in the portfolio. These limits along with Management Action Triggers & Stop Loss Triggers are monitored on a daily basis and in case of breaches; appropriate actions are initiated by the business units as per the policy prescriptions.

Operational Risk Management(ORM)

- The main objectives of the Bank's ORM are to continuously review systems and control mechanisms, create awareness of operational risk throughout the Bank, assign risk ownership, alignment of risk management activities with business strategy and ensuring compliance with regulatory requirements.
- The Operational Risk Management Policy of the Bank establishes a consistent framework for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring and mitigation of operational risk & applies to all business and functional areas within the Bank, and is supplemented by operational systems, procedures and guidelines which are periodically updated.

Group Risk Management (GRM)

- A Group Risk Management policy is in place which applies to all Associate Banks, Banking and Non-banking Subsidiaries and Joint Ventures of the State Bank Group under the jurisdiction of specified regulators and complying with the relevant Accounting Standards, where SBI has investment in equity shares of 30% and more with control over management of the entity.
- All Group entities are encouraged to align their policies and practices with the Group, follow Basel prescriptions, guidelines of their regulators besides international best practices.
- The Group ICAAP Document for the State Bank Group is also prepared and submitted to RBI as required by Pillar II of New Capital Adequacy Framework.

- **Chief Information Security Officer [CISO]**

  Bank has implemented a robust IT policy and Information System Security policy which are in line with the international best practices. These policies are reviewed periodically and suitably strengthened in order to address emerging threats. Regular security drills and employee awareness programs are conducted to ensure security and increase awareness among staff. Business Continuity Management System (BCMS) has been implemented at Global IT centre, Belapur. Bank is also among the forerunners in the process of implementing the new RBI Guidelines for the Banking Sector in this area.

आंतरिक नियंत्रण

बैंक में अंतर्निर्मित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर सुस्पष्ट जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई है। बैंक अपने निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा परीक्षा विभाग के माध्यम से आंतरिक लेखा परीक्षा करता है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) विभाग की कार्यप्रणाली पर निगरानी और नियंत्रण रखती है। निरीक्षण व्यवस्था का जोखिम की पहचान, नियंत्रण और प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके लिए आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के अंतर्गत सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों का उपयोग किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को कारपोरेट अभिशासन के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक माना गया है। बैंक मुख्यतया दो स्तरीय लेखा परीक्षाएँ करता है - जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए) और प्रबंधन लेखापरीक्षा जिसकी परिधि में आंतरिक लेखा परीक्षा की विभिन्न अपेक्षाएँ आती हैं। बैंक की सभी लेखा इकाइयाँ जैसे - शाखाएँ, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (बीपीआर) इकाइयाँ, कारपोरेट केंद्र के प्रमुख विभाग जैसे-विदेशी लेखा कार्यालय, ट्रेजरी कारोबार, केंद्रीय लेखा कार्यालय आदि की जोखिम केंद्रित लेखा परीक्षा की जाती है। प्रशासनिक कार्यालयों की प्रबंधन लेखा परीक्षा की जाती है। इसके साथ साथ नीतियों और कार्यविधियों तथा उनके निष्पादन की गुणवत्ता की परीक्षा की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विभाग ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली संपरीक्षा, होम आफिस लेखा परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा परीक्षा) तथा खर्च लेखा परीक्षा भी करता है। जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआइए) परिचालन इकाइयों के सभी प्रकार के जोखिमों का समुचित रूप से पता लगाने में सहायता करती है। ऋण लेखा परीक्षा बही ऋण सीमाओं वाली इकाइयों में और संगामी लेखा परीक्षा ऐसी शाखाओं में की जाती है जिनमें बड़ी जमाराशियों अग्रिम राशियों और अन्य जोखिमपूर्ण निवेशों वाली बीपीआर इकाइयाँ भी शामिल हैं। खर्च लेखा परीक्षा में खातों की संवीक्षा और किए गए खर्च की सत्यता की प्रशासनिक कार्यालयों यथा कारपोरेट केंद्र संस्थापनाओं और लीड बैंक कार्यालयों आदि में परीक्षा की जाती है। शाखाओं द्वारा अनियमितताओं के निराकरण के स्तर का सत्यापन करने के लिए चुनिंदा शाखाओं में अनुपालन की संपरीक्षा भी की गई है। केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापनाओं की सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएस आडिट) भी की जाती है। वर्ष के दौरान देश में 8416 शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई। इसमें लेखा परीक्षा की अपेक्षा वाली 99% से अधिक शाखाओं को शामिल कर लिया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए कोई शाखा परीक्षा हेतु शेष नहीं रही।

सतर्कता

सतर्कता की अवधारणा एक अन्वेषण प्रक्रिया के रूप में और दंडात्मक कार्रवाई के निष्पादन के लिए विकसित हुई है। इसका लक्ष्य 'कारपोरेट विकास के लिए सतर्कता' है। इसका बल अब दंडात्मक सतर्कता के बजाय निवारक और पूर्वोपायी सतर्कता पर है जिसमें सभी संबंधितों की सक्रिय सहभागिता हो।

इस परिप्रेक्ष्य में, दो महत्वपूर्ण विषयों का विशेष रूप से उल्लेख आवश्यक है यथा (1) निवारक सतर्कता समिति (पीवीसी) बैठकें जो शाखाओं और बीपीआर इकाइयों पर आयोजित होती हैं, (2) विसल ब्लोअर स्कीम/पीबिसी बैठकों के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी निवारक सतर्कता पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपने कार्यस्थल की विशेष आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न उपाय सुझाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकता है तथा अपने पद के कार्यों में सावधानी और सजगता सुनिश्चित करने की सामूहिक प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। 'विसल ब्लोअर स्कीम' में स्टाफ सदस्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सहकर्मियों व वरिष्ठों के भी नियमविरुद्ध और अनैतिक आचरण, यदि कोई हों, की जानकारी संबंधित प्राधिकारियों को दें।

सतर्कता प्रशासन का एक कार्य यह भी है कि अपराधी कर्मचारियों को उचित दंड दे और संगठन के हित में लिए गए नियमानुकूल और सदाशयतापूर्ण निर्णयों को संरक्षण भी दे। वर्ष 2011-12 के दौरान 1447 सतर्कता मामलों पर निर्णय लिए गए, जिनमें से 1307 कर्मचारियों पर सिद्ध कदाचार के लिए विभिन्न दंड लगाए गए।

भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियमावली के नियम-19(3) के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों की संख्या 54 से काफी कम होकर 11 रही। इन मामलों को यथासंभव कम से कम करने के भरसक प्रयास किए गए।

अपने बैंक के बृहत् आकार को देखते हुए हमने 14 मंडलों में उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में सतर्कता विभाग स्थापित किए हैं। कारपोरेट केंद्र स्थित शीर्ष सतर्कता विभाग मुख्य महाप्रबंधक के स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करता है। यह विभाग सीधे अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है और अपने कार्यों का संचालन स्वतंत्र रूप से करता है। सतर्कता संस्थापनाओं द्वारा अपने कार्यों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

धोखाधड़ी रोकना एवं निगरानी रखना

धोखाधड़ी रोकने के लिए किए गए उपाय निम्नवत् हैं:

- प्रत्येक वर्ष पहली अगस्त को 'अपने ग्राहक को जानिए और धोखाधड़ी रोकिए दिवस' मनाया जाता है।
- निवारण सतर्कता समितियाँ 10 या अधिक स्टाफ वाली शाखाओं में (तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाओं में भी) और केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्रों/कक्षों, चाहे उनकी स्टाफ संख्या कितनी भी क्यों न हो, में कारपोरेट केंद्र के सतर्कता विभाग द्वारा अनुमोदित की गई संशोधित योजना के अनुसार गठित की गई हैं।

INTERNAL CONTROLS

The Bank has in-built internal control systems with well-defined responsibilities at each level and conducts internal audit through its Inspection & Management Audit Department. Audit Committee of the Board (ACB) exercises supervision and control over the functioning of the department. The inspection system plays an important and critical role in identification, control and management of risks by using international best practices in the internal audit function which is regarded as one of the most important components of Corporate Governance. The Bank carries out mainly two streams of audits – Risk Focussed Internal Audit (RFIA) and Management Audit covering different facets of Internal Audit requirement. All accounting units of the Bank like branches, Business Process Reengineering (BPR) entities, major critical corporate centre departments like Foreign Account Office, Treasury operations, Central Accounts Office etc., are subjected to RFIA. Management Audit covers administrative offices and examines policies and procedures besides quality of execution thereof.

Besides the above, the department conducts Credit Audit, Concurrent Audit, Information Systems Audit, Home Office Audit (audit of foreign offices) and Expenditure Audit. Risk Focussed Internal Audit (RFIA) helps in appropriately capturing all types of risks residing in operating units. Credit Audit is conducted for units with large credit limits and Concurrent Audit is carried out at branches including BPR outfits having large deposits, advances & other risk exposures. Expenditure Audit, involving scrutiny of accounts and correctness of expenditure incurred, is conducted at administrative offices including Corporate Centre Establishments and Lead Bank Offices, etc. To verify the level of rectification of irregularities by branches, audit of compliance at select branches is also undertaken. The Information System Audit (IS Audit) of the centralised IT establishments is also being conducted.During the year, 8416 domestic branches/ BPR entities were audited covering more than 99% of branches falling due for audit. No branch remained due for audit beyond the periodicity prescribed by RBI.

VIGILANCE

The concept of Vigilance as an investigative process and an exercise for punitive action has evolved to that of "Vigilance for Corporate Growth", the emphasis getting shifted from punitive vigilance to "Preventive and Proactive Vigilance" through an active participation of all concerned.

In this context, two important issues deserve a special mention viz. (i) Preventive Vigilance Committee (PVC) Meetings being held at the branches and the BPR outfits and (ii) Whistle Blower Scheme. Through PVC meetings every employee can share his views on preventive vigilance, suggest and implement various measures specifically suited to his workplace and participate in a collective exercise of ensuring watchfulness and alertness in his official functions. Under "Whistle Blower Scheme" the staff members are expected to advise appropriate authorities about irregular and unethical practices, if any, being indulged in by colleagues and even seniors.

While Vigilance Administration seeks, as one of its functions, to suitably punish the delinquent employees, it also protects the legitimate and bona fide decisions taken in the interest of the organization. The number of vigilance case brought to conclusion during the year 2011-12 is 1447, in which 1307 employees have been inflicted with various penalties for their proven misconducts.

The number of officers retired under Rule-19(3) of SBI Officers' Service Rules has substantially come down from 54 to 11 during the year. All efforts are made to conclude such cases in the shortest possible time.

Considering the size of our Bank, we have set up Vigilance Departments at each of the 14 Circles, headed by Deputy General Managers. The apex Vigilance Department at Corporate Centre is headed by the Chief Vigilance Officer of the rank of Chief General Manager. The Department reports to the Chairman directly and conducts its affairs in an independent manner. The guidelines of the Central Vigilance Commission (CVC) are followed by the vigilance set-up in its functioning.

Fraud Prevention & Monitoring

The measures taken for prevention of frauds are as under:

- The KYC Compliance and Fraud Prevention day was observed on 1st August every year.
- The Preventive Vigilance Committees are formed at the branches having staff strength of 10 or more (including SAM branches) and at CPCs/Cells irrespective of their staff strength, as per the revised scheme approved by the Vigilance Department at Corporate Centre.

- 'विसल ब्लोअर' नीति को प्रोत्साहित करने/लोकप्रिय बनाने के लिए कारपोरेट केंद्र में उप महाप्रबंधक (सतर्कता) और स्थानीय प्रधान कार्यालय में भी उप महाप्रबंधक (सतर्कता) को इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारी बनाया गया है।
- 100 संवेदनशील शाखाओं में शीघ्र ही और शेष शाखाओं में सितंबर 2012 से चरणबद्ध ढंग से बायोमैट्रिक पहचान व्यवस्था कार्यान्वित की जा रही है।
- सॉफ्टवेयर द्वारा दिए जा रहे अलर्टों के माध्यम से होने वाले लेनदेन पर निगरानी रखने के लिए धोखाधड़ी विश्लेषण कक्ष (एफएसी) जयपुर में स्थापित किया गया है।

3. व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)

बैंक द्वारा बीपीआर की शुरुआत करने का उद्देश्य नए उच्च मालियत वाले ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए स्वयं से आगे आकर संपर्क करके, वर्तमान ग्राहकों के साथ घनिष्ठ और दूरगामी संबंध बनाकर और सभी ग्राहकों को बहुविध माध्यमों से सर्वोत्कृष्ट कोटि की सेवा प्रदान करके बैंक का एक विश्व स्तरीय वित्तीय संस्था के रूप में कायाकल्प करना है। बहुनगरीय चेकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया गया है और इन लिखतों का देश भर में बैंक की सभी शाखाओं में भुगतान किया जा सकता है। बीपीआर शुरू होने के बाद कार्यों में एकरूपता लाए जाने के कारण बढ़े हुए कारोबार का संचालन करने की क्षमता का विकास करना, विशेष प्रकार के कार्य करने की योग्यता रखने वाले स्टाफ को कतिपय कार्यालयों आदि में पदस्थ करना, खर्च घटाना, बेहतर साज-सजावट करना, ग्राहकों के लिए पहले से कहीं अधिक और उचित स्थान उपलब्ध कराना संभव हो पाया है। भविष्य में बीपीआर के अंतर्गत नई प्रणालियों व प्रौद्योगिकी उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे बाजार आधारित नई कार्यप्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन किया जा सके और भारतीय बैंकिंग उद्योग में अपना प्रमुख स्थान बनाए रखा जा सके।

देश भर में 14 देयता केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्र (एलसीपीसी) खोले गए हैं। इसके पहले इनकी संख्या 4 थी। इससे खाता खोलने के बृहत् कार्य के संचालन और ग्राहकों को व्यक्तिगत चैक बुकों और एटीएम कार्डों की तेजी से सुपुर्दगी में सुविधा होगी। इससे केवाईसी मानदंडों के अनुरूप खाता खोलने के फार्मों की छानबीन करने के कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद मिली है।

ऑनसाइट एटीएमों पर ड्रॉप बॉक्स

सभी ऑनसाइट एटीएमों पर 6660 ड्रॉप बॉक्स लगाए गए हैं। इससे ग्राहकों को चौबीसों घंटे और सातों दिन चैक जमा करने/लिखतों की उगाही करने की सुविधा उपलब्ध हुई है।

917

प्रोबेशनरी अधिकारी और 118 अन्य विशेषज्ञ अधिकारी वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान भर्ती

4. मानव संसाधन (एचआर)

मानव संसाधन के नए प्रयास:

बैंक द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिससे कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करके बैंक की विकास योजनाओं के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

कार्मिक प्रबंधन

सेवा नियमों का उल्लंघन कर किन्हीं अनैतिक आचरणों और व्यवहारों की जानकारी देने के लिए विसल ब्लोअर नीति लागू की गई है जिसमें विसल ब्लोअर के हित/पहचान की रक्षा करने का प्रावधान भी रखा गया है।

पेंशन निधि, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि का निवेश

क) कई वर्षों के लगातार प्रयासों के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि के नियम 10 में संशोधन किया गया है जिससे पेंशन निधि संग्रह में बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अतिरिक्त अंशदान किया जा सकेगा। इस संग्रह राशि का अब बाजार प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है। इससे इन निधियों को बैंक को शोधन-क्षमता के जोखिम से बचाया जा सकेगा।

ख) पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि संग्रह, जो बैंक के पास जमा राशियों के रूप में थे, को बैंक के तुलन पत्र से अलग किया गया है। इसका बाजार निर्धारित प्रतिभूतियों में बेहतर लाभप्रदता के लिए अपने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से भारत सरकार आयकर निवेश के अनुमोदित निवेश मानकों के अनुरूप निवेश किया गया है। ऐसा हितधारकों के व्यापक हित में वित्त वर्ष 2011-12 में भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के नियम 13 में संशोधन करके किया गया है।

संवर्ग प्रबंधन

क) निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को युक्तिसंगत बनाया गया है। इसमें उच्च अधिकारियों के निष्पादनों पर प्रति सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था है।

- To encourage/popularize 'Whistle Blower' Policy, DGM (Vigilance) at Corporate Centre and DGM (Vigilance) at LHO have been made the Designated Officers for the purpose.
- Biometric authentication by users is being implemented in 100 sensitive Branches shortly and remaining branches by September 2012 in phases.
- Fraud Analysis Cell (FAC) has been created at Jaipur to monitor transactions through alerts being thrown by the software

3. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

BPR initiatives have been undertaken by the Bank with the objective to "transform the Bank into a world class financial institution by proactively reaching out to acquire new high net worth customers, building deep and lasting relationships with existing customers and providing all customers with the best quality of service across multiple channels". The usage of Multi City Cheques has been popularised & these instruments can be paid at all the branches of the Bank across the country. The BPR initiatives have resulted in handling increased volume with deriving the benefits of standardisation, skill pooling, economies of scale, improved ambience, significantly increased and proper customer space. Under future initiatives, the BPR would be focussing on new processes & technology upgrades in order to create and sustain market – leading practices so as to retain leadership position in the Indian Banking Industry.

14 Liability Centralised Processing Centres (LCPSs) have been opened across the country as against 4 previously, in order to handle increased volume of account opening and faster delivery of personalised cheque books & ATM cards to the customers. They have also contributed in improving the quality of scrutiny of the Account Opening Forms in terms of KYC compliance.

Drop Boxes at onsite ATMs

6660 Drop Boxes have been installed at all onsite ATMs for providing 24x7 facility to the customers to deposit cheques / collection instruments.

4. HUMAN RESOURCES (HR)

NEW HR INITIATIVES:

A number of key initiatives have been taken by the Bank during the current year to motivate the employees and increase productivity so as to achieve the Bank's growth plans.

Mr. Pranab Mukherjee, Hon'ble Finance Minister inaugurating Golden Jubilee Celebrations of SBI Staff College, Hyderabad.

PERSONNEL MANAGEMENT

A Whistle Blower Policy has been put in place for reporting any unethical practices or behaviour by the employees for violation of their service rules with a provision for protection of interest/identity of the whistleblower.

Investment of the Pension Fund, Provident Fund, Gratuity Fund

a) After persistent efforts of many years, **Rule 10 of the SBI Employees' Pension Fund could be amended** to permit additional contributions to the Pension Fund Corpus as per the actuarial valuation. The Corpus has now been invested in market securities. This has led to insulating the funds from the solvency risk of the Bank.

b) The Pension, Provident and Gratuity Fund Corpus, which were held as 'deposits' with the Bank, have been separated from the Bank's balance sheet and are invested in market determined securities through our Portfolio Managers, as per the approved investment pattern of GOI/IT Rules. This was made in the larger interests of the stakeholders by making an amendment in Rule 13 of the SBI Employees' Provident Fund Rules in FY 2011-12.

CADRE MANAGEMENT

a) The Performance Management System (PMS) has been rationalized -a feedback system-on the performances of the officers in Scale V and above.

ख) विशेष कौशल प्राप्त मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने और नए व्यवसाय अवसरों का लाभ उठाने के लिए वर्ष के दौरान 166 विशेषज्ञता प्राप्त प्रबंधन एक्सीक्यूटिव की भर्ती की गई। ये सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए (फायनैंस, मार्केटिंग) योग्यता प्राप्त हैं।

ग) 7 विशेष तकनीकी एक्सीक्यूटिव; जिन्हें केमिकल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रीकल, मेटलर्जिकल इंजीनियरी में बी. ई./बी टेक की डिग्री प्राप्त है; मंडलों में सलाहकारी सेवा कक्ष का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।

घ) 917 प्रोबेशनरी अधिकारी और 118 विशेषज्ञ अधिकारी वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान भर्ती किए गए। इससे परिचालन और विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों की बैंक में आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा।

ङ) जेएमजीएस I से एमएमजीएस II में पदोन्नति की ऑनलाइन परीक्षाओं के सफल आयोजन के अलावा उप प्रबंध निदेशक श्रेणी तक के अधिकारियों की सभी पदोन्नति प्रक्रियाएँ वर्ष के दौरान ही समय पर पूरी की गईं।

औद्योगिक संबंध

अधिकारी और कर्मचारी दोनों परिसंघों के साथ वर्ष के दौरान सार्थक संवाद/चर्चा करके सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए। परिसंघों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विधिवत विचार किया गया और इनका समुचित समाधान किया गया। हालांकि अधिकारी परिसंघ द्वारा 8 और 9 नवंबर 2011 को हड़ताल का आह्वान किया गया था जिससे बैंक सार्वजनिक लेनदेन के लिए लगातार 5 दिन की अवधि के लिए बंद हो जाता। प्रबंधन द्वारा समुचित कदम उठाए गए और हड़ताल नहीं हुई। इस बीच, दोनों परिसंघों द्वारा उठाए गए विषयों पर सम्यक विचार कर उनका समाधान किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)

1. भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ मैसूर और स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के सभी कर्मचारियों के वेतन की गणना और भुगतान एक केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है।
2. भविष्य निधि से संबंधित केंद्रीकृत सेवाओं का स्वचालन करने से सेवांत हितलाभों के शीघ्र निर्धारण में सुविधा हुई है।

कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई (एसटीयू)

कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई ने 5 अप्रैल 2010 से कार्य करना शुरू किया है। बैंक के प्रशिक्षण तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इसके द्वारा वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख प्रयास निम्नवत हैं:

1. 2 लाख से अधिक (बैंक के कुल स्टाफ में से 96.7%) कर्मचारियों को 5 शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और 47 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया गया।
2. स्टेट बैंक प्रशिक्षण प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण संबंधी व्यापक डाटाबेस और प्रशिक्षण की स्थिति जानने का कार्य करना शुरू किया गया।
3. एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ई-ज्ञानार्जन प्रणाली का विस्तार किया गया है, जिसमें वर्तमान में 213 पाठ्यक्रम शामिल हैं और लगभग 83% स्टाफ पोर्टल पर पंजीकरण करा चुका है।
4. शीर्ष कार्यपालकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
5. बैंक कर्मचारियों द्वारा अनुसंधान अध्ययनों को बैंकॉन, आईसीआरआईईआर, आईबीएफए जैसे विभिन्न बाह्य प्रकाशनों/एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई।

स्टाफ संख्या

बैंक में 31 मार्च 2012 को कुल 2,15,481 स्थायी स्टाफ था। इसमें 80,404 (37.32%) अधिकारी, 95,715 (44.42%) लिपिकीय कर्मचारी और शेष 39,362 (18.26%) अधीनस्थ कर्मचारी थे।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 9500 नए लिपिकीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। इससे बैंक की बढ़ती व्यवसाय आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी।

स्टाफ संख्या – 5 वर्षों की तुलना

बैंक की श्रेणीवार स्टाफ संख्या मार्च 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नानुसार थी:

	31.03.08	31.03.09	31.03.10	31.03.11	31.03.12
अधिकारी	57765	64685	70622	79728	80404
सहायक	76818	96974	87356	102701	95715
अधीनस्थ	44622	44237	42321	40504	39362
कुल	179205	205896	200299	222933	215481
वर्ष के दौरान वृद्धि	6183(-)	26691	5597(-)	22634	7452(-)

बौद्धिक पूँजी

31.03.2012 को कुल स्टाफ 2,15,481 की शैक्षिक योग्यताएँ निम्नानुसार हैं:

स्नातक-1,14,943 (53.34%), स्नातकोत्तर-37,263 (17.30%), एमबीए-3,239 (1.50%), इंजीनियर/तकनीकी-165 (0.08%), डॉक्टरेट-166 (0.08%).

b) To meet requirement of the skilled manpower and to tap the emerging business opportunities, 166 Specialist Management Executives with qualification of CA/ICWA/ MBA (Finance, Marketing) were recruited during the year.

c) 7 Special Technical Executives with B.E./ B.Tech qualification in the fields of Chemical, Mechanical, Electrical, Metallurgical Engineering appointed for manning consultancy cells in Circles.

d) Further, 917 Probationary Officers and 118 other Specialist Officers have been recruited during FY 2011-12. This will take care of the Bank's requirements of officers in operations and specialised areas.

e) Besides successfully holding online examination for promotion from JMGS I to MMGS II, all promotion exercises in respect of officers up to the grade of Deputy Managing Director were completed in time during the year.

INDUSTRIAL RELATIONS

Cordial industrial relations were maintained with both Officers' and Staff Federation through meaningful dialogue / discussions with them during the year. However, there was a strike call from the Officers' Federation on 8th and 9th November 2011 which would have closed the Bank for public transactions for a continuous period of 5 days. The Management took appropriate steps and the strike did not materialise. Meanwhile, issues raised by both the Federations were duly examined and addressed.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SOLUTIONS (HRMS)

1. Processing and payment of salary of all the employees of SBI, SBP, SBM & SBH is being done through a centralised platform.
2. Automation of centralised PF related services has facilitated faster settlement of terminal benefits.

STRATEGIC TRAINING UNIT (STU)

The Strategic Training Unit (STU), operationalized on 5th April 2010, has undertaken a number of initiatives during the year to increase the efficiency and effectiveness of the Bank's training system. Some of the major initiatives in this regard are as follows:

1. Over 2 lacs (96.7% of Bank's staff strength) employees were trained at 5 ATIs and 47 SBLCs.
2. State Bank Training Management System has been operationalised for creating a comprehensive database and tracking of training of all employees.
3. E-learning through HRMS portal has been expanded to over 213 courses and about 83% of the staff are now registered on the portal.
4. Leadership Development Programmes were organised for Top Executives and Senior Management.
5. Research studies by the Bank officials were recognised by various outside publications / agencies like Bancon, ICRIER, IBFA.

STAFF STRENGTH

The Bank had a total permanent staff strength of 2,15,481 on the 31st March, 2012. Of this, 80,404 (37.32%) are officers, 95,715 (44.42%) clerical staff and the remaining 39,362 (18.26%) were sub-staff.

It has been decided to recruit 9500 new clerical staff during the FY 2012-13 to meet the growing business needs of the Bank.

5 YEARS COMPARISION OF STAFF STRENGTH

The category wise staff strength of the Bank for the year ended March 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012 was as under :

	31.03.08	31.03.09	31.03.10	31.03.11	31.03.12
officers	57765	64685	70622	79728	80404
Assistants	76818	96974	87356	102701	95715
subordinate	44622	44237	42321	40504	39362
Total	179205	205896	200299	222933	215481
Addition during the year	6183(-)	26691	5597(-)	22634	7452(-)

INTELLECTUAL CAPITAL

Out of a total staff strength of 2,15,481 as on 31.03.2012, the academic qualifications of the employees are as under:

Graduate – 1,14,943 (53.34 %), Post – Graduate – 37,263 (17.30 %) MBA – 3,239 (1.50 %), Engg / Technical – 165 (0.08 %) Doctorate – 166 (0.08 %)

नि:शक्त व्यक्ति कार्यान्वयन (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम 1995

हमारा बैंक भारत सरकार के दिशानिर्देशों और नि:शक्त व्यक्ति कार्यान्वयन (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम 1995 की धारा 33 के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों को आरक्षण देता है। बैंक ने ऐसी भूमिकाओं के निर्धारण का कार्य हाथ में लिया है, जो नि:शक्त कर्मचारियों द्वारा किए जा सकते हैं। इसके द्वारा वे अपनी भूमिकाओं से बेहतर ढंग से जुड़ पाएँगे और उन्हें समुचित प्रशिक्षण देकर उनकी उत्पादकता सुनिश्चित की जा सकेगी। 31.03.2012 को नियुक्त नि:शक्त व्यक्तियों की कुल संख्या 2,332 थी (ब्योरा निम्नानुसार है)।

श्रेणी	कुल	नि:शक्त व्यक्तियों की सं.
अधिकारी	80,404	554
लिपिकीय	95,715	1557
अधीनस्थ	39,362	221
योग	2,15,481	2,332

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या अन्य कर्मचारियों की तुलना में 31.03.2012 को

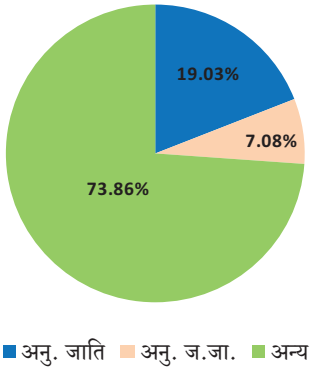

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अन्य कर्मचारियों की तुलना में प्रतिनिधित्व

31 मार्च 2012 को बैंक के कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 41,019 (19.03%), अनुसूचित जनजाति से संबद्ध 15,267 (7.08%) और अन्य श्रेणियों से संबद्ध 1,59,195 (73.89%) थी।

आरक्षण नीति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और अजा/अजजा के कर्मचारियों की शिकायतों के कारगर समाधान के लिए बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों और कारपोरेट केंद्र, मुंबई में भी संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं।

बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष अधिकारियों, अजा/अजजा कल्याण संघ के प्रतिनिधियों और संपर्क अधिकारियों को आरक्षण नीति और संबंधित क्षेत्रों के बारे में अद्यतन जानकारी देने/नवीनतम परिचालन अनुदेश बताने के लिए अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नीति पर कार्यशालाएँ संचालित कर रहा है।

भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने सभी 14 मंडलों में अजा/अजजा/अ.पि.व./वि.व्य. के आरक्षण रोस्टरों का निरीक्षण किया और उन्हें संतोषजनक ढंग से रखे गए पाया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए निर्धारित मानदंड पूरा करने में समर्थ बनाने हेतु भर्ती-पूर्व और पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

5. राजभाषा

भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयास किए गए। कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) में हिंदी की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य तत्परता के साथ पूरा कर लिया गया और बैंक की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग में हिंदी में कार्य करने की सुविधा सफलतापूर्वक सक्रिय कर दी गई। इस वर्ष बैंक के एटीएमों पर हिन्दी में 52063356 हिट हुए जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 48811432 थी, इस प्रकार इनमें लगभग 6.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। कार्यालयीन पत्राचार में स्टाफ द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधान बैंक की इंटरानेट साइट पर उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त, बैंक की हिंदी गृह-पत्रिका 'प्रयास' को वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित 'हिंदी गृह-पत्रिका प्रतियोगिता' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। 'प्रयास' को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव छठी बार मिला है।

6. सेवा में कमी से संबंधित क्षतिपूर्ति नीति

देश के एक प्रमुख बैंक के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक हमेशा ग्राहक सेवा के उच्चतम मानकों का सृजन करने और उन्हें बनाए रखने का प्रयास करता है तथा ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की अनजानी गलती की किसी घटना में, ऐसी गलतियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक क्षतिपूर्ति नीति का कार्यान्वयन किया है। इस नीति से यह सुनिश्चित होगा कि इन सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं को उनसे इसके लिए अनुरोध प्राप्त किए बिना उचित वित्तीय मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाए।

7. बैंक की आउटसोर्सिंग नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नॉन-कोर कार्यों की आउटसोर्सिंग करने के लिए बैंकों को अनुमति प्रदान कर दी है। तदनुसार बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आउटसोर्सिंग नीति का कार्यान्वयन किया है।

IMPLEMENTATION OF PERSONS WITH DISABILITIES (PWD) ACT 1995

Our Bank provides reservation to persons with disabilities (PWDs) as per the guidelines of the Government of India and section 33 of the PWD Act 1995. The Bank undertook the work of identifying roles that could be handled by challenged employees, so as to ensure their better integration and productivity through suitable training. The total number of persons with disabilities who were employed as on 31.03.2012 was 2,332 (details given as under).

Category	Total	No. of Persons With Disabilities
Officers	80,404	554
Assistants	95,715	1,557
Sub-staff	39,362	221
TOTAL	2,15,481	2,332

SC/ST Employees vis-a-vis other Employees as on 31-03-2012

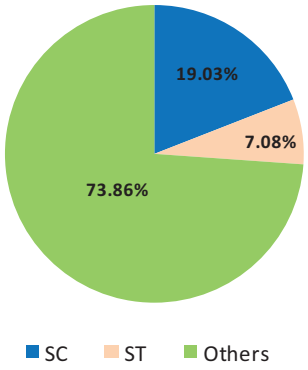

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES VIS-A-VIS OTHER EMPLOYEES

As on the 31st March, 2012, 41,019 (19.03 %) of the Bank's total staff strength belonged to Scheduled Caste, 15,267 (7.08 %) belonged to Scheduled Tribes and 1,59,195(73.89%) belonged to other categories.

In order to discuss issues relating to reservation policy and effectively redress the grievances of the SC/ST employees, Liaison Officers have been designated at all Local Head Offices of the Bank as also at the Corporate Centre at Mumbai.

The Bank has been conducting workshops on reservation policy for SCs/STs/OBCs to impart up-to-date knowledge/latest operative instructions about the reservation policy and related areas to the SC/ST cell officers, representatives of SC/ST welfare Association and the Liaison officers.

Government of India representatives, inspected the reservation roasters for SCs/STs/OBCs/PWDs at all the 14 Circles and found this maintained satisfactorily.

Pre-recruitment and pre-promotion training programmes are being conducted to enable SC/ST candidates to achieve the prescribed standards to effectively compete with other candidates.

5. OFFICIAL LANGUAGE

Efforts have been made by the Bank during the year for meeting various requirements and targets fixed by GOI with regard to the implementation of Official Language policy in the Bank. The task of providing facility of Hindi in Core Banking System (CBS) has been completed with all earnestness and provision of facility to work in Hindi in CBS have been successfully activated in all the branches of the bank. ATM hits through Hindi medium were 52063356 this year, as compared to 48811432 hits recorded last year reporting an increase of about 6.70%. To augment the usage of Hindi by staff in office correspondence, the provisions of Official Language Policy of the Government have been uploaded in the Bank's Intranet Site. Further, the Bank's in-house Hindi Magazine "Prayas" bagged 1st prize in the Hindi In-house Magazine Competition organised by RBI for the year 2010-11. This is the sixth time that our magazine touches this glorious adornment.

6. COMPENSATION POLICY FOR DEFICIENCY IN SERVICE

As a premier Bank of the nation, SBI always strives to create and maintain highest standards of customer service and in any unlikely event of any slippage in services extended to customers, the Bank has put in place a Board approved Compensation Policy to compensate for such slippages. The policy ensures that appropriate financial compensation is provided to the recipients to these services, without requesting for it.

7. BANK'S OUTSOURCING POLICY

RBI have permitted banks to outsource non-core functions and the Bank has accordingly put in place a Board approved Outsourcing Policy.

8. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

समाज के हर क्षेत्र में सेवारत

मे. शांता मेमोरियल, भुवनेश्वर को एक मोबाइल मेडिकल वैन दान करते हुए श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष

भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करता रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक में हमारा मानना है कि समाज के अल्प सुविधाप्राप्त और वंचित सदस्यों के विकास के लिए सतत सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु उनके प्रति हमारा एक बड़ा दायित्व है।

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए एक व्यापक नीति अगस्त 2011 में अनुमोदित की है।

हमारे कारपोरेट सामाजिक दायित्व से जुड़े कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है:

- शिक्षा में सहयोग
- स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग
- बालिकाओं और बाल विकास में सहयोग
- निर्धन और अल्प सुविधाप्राप्त लोगों को सहायता
- पर्यावरण संरक्षण
- प्रदूषणरहित ऊर्जा
- उद्यमी विकास कार्यक्रम
- राष्ट्रीय आपदाओं में सहायता

8. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Serving the Community Everywhere

Our Chairman Shri Pratip Chaudhuri donating an ambulance to Indian Red Cross Society in the presence of Hon'ble Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee & Shri D. K. Mittal, Secretary Financial Services, Ministry of Finance.

Corporate Social Responsibility has always been a part of the State Bank of India covering various social, environmental and welfare activities.

In SBI, we believe that we owe a solemn duty to the less fortunate and underprivileged members of the society to make a sustainable social change in their development.

The Executive Committee of the Central Board has approved in August 2011 a comprehensive policy for Corporate Social Responsibility.

Focus areas for our CSR activities are:

- Supporting Education
- Supporting Healthcare
- Supporting Girl Children & Child development.
- Assistance to poor & underprivileged.
- Environment protection.
- Clean Energy.
- Entrepreneur development programme.
- Help in National calamities.

श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष सावली एनजीओ के विकलांग बच्चों को उपहार प्रदान करते हुए

स्टेट बैंक ने स्वर्ण मयूर कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार-2012 जीता

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक की कारपोरेट सामाजिक दायित्व से जुड़ी गतिविधियों के संचालन में नई ऊँचाइयाँ और गौरव प्राप्त किया। हमारे बैंक ने प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार-2012 जीता।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार हमारा बैंक पिछले वर्ष के निवल लाभ का 1% वर्ष के सीएसआर बजट के रूप में खर्च करता है। बैंक की कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के अनुसार, सीएसआर दान केवल उन संगठनों को दिए जाते हैं जिन्हें धारा 80 के अंतर्गत आयकर में छूट प्राप्त है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किए गए खर्च का तुलनात्मक ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक
राष्ट्रीय दान (प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की सहायता हेतु)	5.15	2.00	5.50
सामान्य दान और अन्य प्रत्यक्ष कार्यकलाप	14.57	22.44	65.68
कुल सीएसआर खर्च	**19.72**	**24.44**	**71.18**

विगत दशक में पहली बार सीएसआर खर्च के लिए निर्धारित बजट (सामान्य दान और अन्य प्रत्यक्ष कार्यकलाप) से अधिक राशि खर्च की गई, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कहीं अधिक राशि आबंटित की गई थी।

श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष द्वारा बी.एम.सी. स्कूल, कोलाबा, मुंबई को पंखों का दान

क्षेत्रवार खर्च:

वर्ष के दौरान हमारे द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किए गए खर्च का ब्योरा निम्नानुसार है:

राशि (₹ करोड़ में)

राष्ट्रीय दान	5.50
शिक्षा में सहयोग	38.33
स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग	15.03
अल्प सुविधाप्राप्त लोगों को सहायता	5.37
अनुसंधान और विकास	3.75
सांस्कृतिक सहयोग	1.15
पर्यावरण संरक्षण	0.67
अन्य परियोजनाएँ	1.38
योग	71.18

शिक्षा में सहयोग:

- स्कूली शिक्षा में सहयोग करना और लाखों स्कूली बच्चों विशेषकर अल्प सुविधाप्राप्त बच्चों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, बैंक ने पूरे भारत में 12,000 स्कूलों को 1,20,000 बिजली के पंखे प्रदान किए।
- वर्ष के दौरान बैंक ने जरूरतमंद स्कूलों को बसें/वैनें उपलब्ध कराईं। ऐसे स्कूलों को वरीयता दी गई जिनमें शारीरिक/मानसिक रूप से अशक्त बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों आदि के

MD & GE (NB) Shri A. Krishna Kumar receiving the Golden Peacock Award for Corporate Social Responsibility 2012 at a glittering function held in Dubai on 25th April, 2012.

State Bank wins Golden Peacock Award for Corporate Social Responsibility-2012

The year 2011-12 saw the CSR activities of the Bank scaling new heights of achievement and glory with our Bank winning the prestigious Golden Peacock Award for Corporate Social Responsibility in 2012.

As per the Reserve Bank of India instructions, our Bank earmarks 1% of previous year's net profit, as CSR spend budget for the year. In terms of CSR policy of the Bank, CSR donations are given to only those organizations that enjoy IT exemption under Sec 80. This ensures that the Bank's support is extended to deserving cases only.

The comparative chart of CSR spends for the last three years is as under:

₹ in crores

	2009-10 Actual	2010-11 Actual	2011-12 Actual
National Donations (To provide succor to victims of natural calamities)	5.15	2.00	5.50
Normal Donations & other direct activities	14.57	22.44	65.68
Total CSR spend	**19.72**	**24.44**	**71.18**

For the first time in the last decade, the budget for CSR spend (normal donations and other direct activities) has been surpassed even though the allocation was much higher than the previous years.

Sector wise Deployment:

The breakup of sectoral deployment of our CSR spends during the year has been as under:

Amount (₹ in crores)

National Donations	5.50
Supporting Education	38.33
Supporting Healthcare	15.03
Assistance to underprivileged	5.37
Research & Development	3.75
Supporting Culture	1.15
Environment Protection	0.67
Other projects	1.38
Total	71.18

Supporting Education:

- To support school education and to bring happiness to millions of school children specially the underprivileged children, Bank provided 1,20,000 electric fans to 12,000 schools across India.
- During the year, the Bank also provided large number of buses/vans to needy schools. Preference has been given to schools for

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) श्री ए. कृष्ण कुमार एक स्कूल को वाटर प्युरिफायर भेंट करते हुए

बच्चे पढ़ते हैं। हमने उन्हें कंप्यूटरों, फर्नीचर और अन्य सामग्री के रूप में भी सहायता उपलब्ध कराई।

- बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए और उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए हम निधिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में सहायता:

बैंक आम आदमी की स्थिति में सुधार लाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। एम्बुलेंसों, मेडिकल वाहनों और मोबाइल रक्त संग्रहण वाहनों के रूप में भी सहायता प्रदान की गई है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों के संचालन में मदद मिलेगी। हमारे 14 मंडलों द्वारा जरूरतमंद संगठनों/अस्पतालों को अनेक प्रकार के अन्य चिकित्सा उपकरण भी दान किए गए। इससे नाजुक हालत वाले मरीजों को तीव्र परिवहन सुविधा और देश भर में दूरदराज के हिस्सों में चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया हो पाएँगी।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹7.40 करोड़ खर्च करके ऐसे 95 वाहन दान किए गए। जरूरतमंद अस्पतालों/स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को ₹6.10 करोड़ की राशि के चिकित्सा उपकरण दान किए गए।

- बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ - स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना स्कूलों के लिए सदैव से चुनौतीपूर्ण रहा है। हाल ही में हमने एक परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत 13,600 वाटर प्युरिफायर लगभग इतने ही स्कूलों में लगाए गए हैं। इससे स्कूलों में लाखों बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित पेय जल सुनिश्चित हो पाएगा।

13,600

वाटर प्युरिफायर इतने ही स्कूलों को उपलब्ध कराए गए

राष्ट्र के प्रति दायित्व:

- **बालिकाओं को गोद लेना** – हमारी शाखाओं ने अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की 17627 बालिकाओं को गोद लिया और उन्हें शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

बैंक द्वारा गोद ली गई बालिकाओं के लिए कार्यक्रम

- भारतीय स्टेट बैंक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की सहायता करने में सदैव आगे रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ओड़ीशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों की सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाता रहा है। बैंक ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। बैंक द्वारा वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए ₹5.50 करोड़ दान किए गए।

राज्य	आपदा (₹ करोड़ में)	राशि
ओड़ीशा	बाढ़	1.00
पुडुचेरी	चक्रवात	0.50
सिक्किम	भूकंप	1.00
तमिलनाडु	चक्रवात	2.00
पश्चिम बंगाल	भूकंप	1.00
योग		5.50

- देश भर में हमारी शाखाओं ने हरियाली बढ़ाने के लिए फलदार वृक्ष लगाने के विशेष अभियान चलाए। फल पक्षियों के लिए भी लाभकारी होंगे।
- हमारे कार्यालय/शाखाएँ तरह तरह की अन्य सामाज कल्याण गतिविधियों, जैसे रक्तदान शिविरों, चिकित्सा शिविरों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं, स्थानीय लोगों के कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन भी करती हैं।

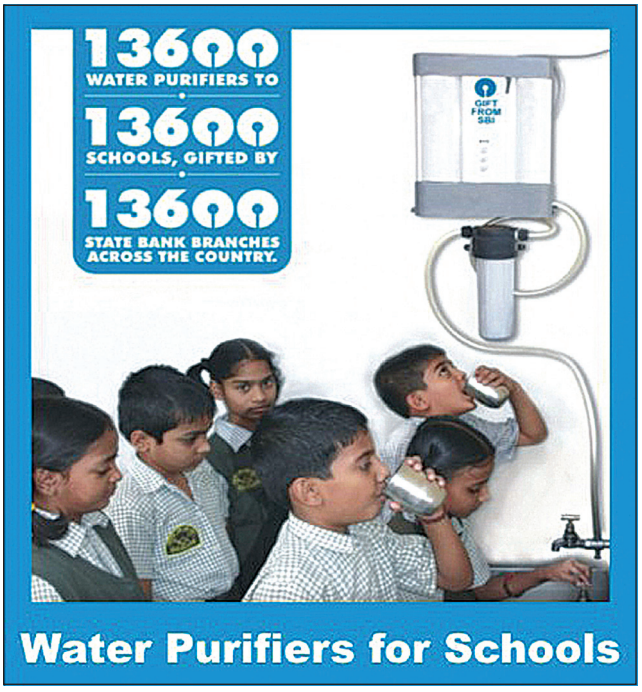

physically/mentally challenged children, and children belonging to economically weaker sections etc. We also assisted them with computers, furniture and other accessories.

- To transform and upgrade the efficacy of education in schools run by Municipal Corporation of Greater Mumbai, we are extending funding support.

Supporting Healthcare:

The focus of the Bank has been to help provide the basic infrastructure support to ameliorate the condition of the common man. Ambulances, medical vans to enable medical camps in remote areas and mobile blood collection vans and host of other medical equipments were donated to needy organizations/hospitals by our 14 Circles for speedy transportation of critical patients as well as to provide medical services to the remotest parts of the country.

The Bank has donated 95 such vehicles with an expenditure of ₹7.40 crores during the year. Medical equipments costing ₹6.10 crores were donated to needy hospitals/healthcare institutions.

- Healthcare to Children- Providing safe drinking water has always been a challenge for schools. Recently we took up the project, and installed 13,600 water purifiers in as many schools, ensuring clean & safe drinking water to millions of children in schools.

13,600

Water purifiers provided to as many schools

Responsibility to the Nation:

- **Girl Child adoption**- Our branches have adopted girl children from underprivileged class and assist them financially for their education. Bank has adopted 17627 girl children.

Girl Children adopted by SBI

- **Assistance for Natural Calamities:** SBI has always been at forefront to help the States affected by natural calamities. During the current fiscal, the Bank has lent its helping hand to the following states, with donations of Rs 5.50 Crores to the Chief Minister's Relief Fund of the respective states to provide help to the people affected by natural calamities.

State	Calamity (Rs in Crores)	Amount
Odisha	Flood	1.00
Puducherry	Cyclone	0.50
Sikkim	Earthquake	1.00
Tamil Nadu	Cyclone	2.00
West Bengal	Earthquake	1.00
Total		5.50

- Our branches across the country made special drives to plant fruit bearing trees to improve green coverage. Fruits will also help birds.
- Our offices/branches undertake various other social welfare activities like blood donation camps, medical camps, tree plantations, adult literacy classes, imparting skills to local community.

ग्रीन बैंकिंग:

- संसाधनों विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा के समुचित उपयोग को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति का कारगर प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन भी कर रहे हैं।
- ऊर्जा के किफायती इस्तेमाल के तरीके भी अपना रहे हैं।
- हमारे बैंक ने विश्व भर में सर्वाधिक सौर एटीएम स्थापित किए हैं। हर वर्ष 2000 टन CO_2 से अधिक की बचत की है।
- कागजरहित बैंकिंग लेनदेन - ग्रीन चैनल बैंकिंग।
- बैंक द्वारा तीन राज्यों में ऊर्जा की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15 मेगा वाट क्षमता वाली पवन चक्कियों की स्थापना की गई है।
- ग्राहकों को निर्माण कार्यों में किफायती तौर-तरीके अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंक रियायती ब्याज दरों पर परियोजना ऋण उपलब्ध करा रहा है।

आंतरिक कारपोरेट सामाजिक दायित्व

- हमारे संगठन में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हैं।
- हम अपने कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएँ और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं। अनेक कर्मचारी कल्याण योजनाएँ प्रेरणा-प्रोत्साहन के लिए लागू की गई हैं।
- व्यापक आंतरिक प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- स्टाफ को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं और उन्हें संघ बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है।

अनुसंधान और विकास कोष:

बैंक अपने अनुसंधान और विकास कोष से बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियों से जुड़े अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर 100,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का वार्षिक अंशदान लंदन स्कूल आफ इकनॉमिक्स स्थित एशिया रिसर्च सेंटर के लिए किया।

एसबीआई यूथ फार इंडिया फेलो द्वारा सावद गांव, महाराष्ट्र में आयोजित युवा मार्गदर्शन कार्यक्रम.

भारतीय स्टेट बैंक बाल कल्याण कोष:

बैंक द्वारा वर्ष 1983 में भारतीय स्टेट बैंक बाल कल्याण कोष का गठन किया गया। कोष की राशि स्टाफ सदस्यों द्वारा किए गए अंशदान और उतनी ही राशि के बराबर बैंक द्वारा किए गए अंशदान से जुटाई गई। अल्प

श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष नेशनल एसोसिएशन आफ दि ब्लाइंड, लखनऊ को ब्रेल मशीन दान करते हुए

सुविधाप्राप्त/निचले तबके के बच्चों जैसे लावारिसों, असहायों, अशक्तों और वंचितों के कल्याण में लगी संस्थाओं को अनुदान दिए गए। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 8 परियोजनाओं के लिए ₹7.26 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई।

एसबीआई यूथ फार इंडिया:

- एसबीआई यूथ फार इंडिया फेलोशिप - बैंक द्वारा शिक्षित युवाओं को फेलोशिप प्रदान की गई और उन्हें ग्रामीण निर्धनों की स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करने के लिए नई परियोजनाएँ हाथ में लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया है।
- इसके अंतर्गत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं, किसानों और मछवारों के लिए आईवीआरएस हेल्पलाइन, करियर परामर्श, कृषि पैदावार का बाजार में विपणन बढ़ाने, आईसीटी के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कई अन्य कार्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई।

भविष्य में भी निरंतर योगदान:

हम समाज और हरी-भरी धरती के विकास की दिशा में इसी प्रकार उत्तरोत्तर अनेकानेक सार्थक प्रयास करते रहेंगे।

Green Banking:

- We effectively propagate and implement sustainable usage of resources including renewable energy.
- Adopted energy efficient measures.
- Our Bank is the largest deployer of solar ATMs in the World. Saving more than 2000 tons of CO_2 per year.

Generation of clean energy

- Paperless Banking transaction- Green Channel Banking.
- The Bank has installed windmills with capacity of 15 MW in three states for internal energy needs.
- The Bank extends project loans on concessionary interest rates to encourage customers to reduce Green House gases by adopting efficient manufacturing practices.

Internal CSR

- We are an equal opportunity organization.
- We provide best of the facilities and healthcare to our employees. A large number of Employee Welfare schemes are in place as motivational incentive.
- Extensive in-house training facilities.
- Motivational incentives, Freedom of Association.

SBI Youth for India Fellow conducts career guidance programme at Risod village, Maharashtra.

R & D Fund:

The Bank supports research work relevant broadly to the activities of the Bank from its Research & Development Fund. The Bank makes an annual contribution of GBP 100,000 towards a Chair set up by the Bank jointly with RBI at the Asia Research Centre at London School of Economics.

SBI Children's Welfare Fund:

The Bank constituted SBI Children's Welfare Fund as a Trust in 1983. The Corpus of the Fund is made up of contributions by staff members and matching contribution provided by the Bank. Grants are extended to institutions engaged in the welfare of underprivileged/downtrodden children like orphans, destitute, challenged and deprived, etc. During the FY 2011-12, 8 projects were assisted with ₹7.26 lacs.

SBI Youth for India:

- SBI Youth for India Fellowship- Bank has granted fellowship to educated youth and deployed them to rural areas to undertake innovative projects to address local problems of rural poor.
- This touched upon many projects like Rural Employment Guarantee Schemes, IVRS helpline for farmers & fishermen, career guidance, Enhancing marketability of farm produce, Education of rural youth through ICT, Environment protection, and many others.

SBI Youth for India Fellow conducts English classes for village children at Keezh Agraharam, Tamil Nadu.

Looking ahead:

We will continue with our multi pronged efforts to meaningfully contribute towards more sustainable development of the society and Green Planet.

9. सहयोगी एवं अनुषंगियाँ

स्टेट बैंक समूह अपनी 20193 शाखाओं के साथ भारत में बैंकिंग उद्योग का सिरमौर है। समूह में इसके पांच सहयोगी बैंकों की 5096 शाखाएँ भी हैं। बैंकिंग के अतिरिक्त यह समूह अपनी विभिन्न अनुषंगियों के माध्यम से सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है। यह जीवन बीमा, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग, प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, पेंशन फंड प्रबंधन, अभिरक्षा सेवाएँ, साधारण बीमा (गैर-जीवन बीमा) और मुद्रा बाजार में प्राथमिक व्यापारी की सेवाएँ देता है।

परस्पर विक्रय

स्टेट बैंक समूह देश भर में फैली अपनी शाखाओं के माध्यम से एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड, एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि., एसबीआई जनरल और बैंक के साथ गठजोड़ व्यवस्था वाली अन्य थर्ड पार्टी कंपनियों के उत्पादों की बिक्री भी करता है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 5.93 लाख व्यक्तिगत जीवन बीमा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए। एसबीआई लाइफ द्वारा 'ऋण रक्षा' योजना सभी खुदरा ऋणियों के लिए शुरू की गई। ऐसे ही, छोटे निवेशकों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बैंक द्वारा सिप (नियमित निवेश योजना) उत्पाद की बिक्री की गई। इसके अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के ग्राहक म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश कर सकते हैं। कुल 1.99 लाख ग्राहकों ने वर्ष के दौरान इस योजना में निवेश किया। 'एसबीआई जनरल' बैंक की संयुक्त उद्यम गैर-जीवन बीमा कंपनी है। इसने 46 उत्पाद शुरू किए हैं। ये लघु एवं मध्यम उद्यम और खुदरा ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा' योजना बैंक के बचत बैंक खातेदारों की सुरक्षा के लिए 'एसबीआई जनरल' द्वारा एक प्रयोग के तौर पर मुंबई और अहमदाबाद मंडल में शुरू की गई है। काउंटर पर भुगतान का विकल्प एसबीआई कार्ड ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया है। यह कंपनी भुगतान विकल्प कारोबार में पूरे उद्योग में सबसे आगे है।

1 सहयोगी बैंक

भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों की मार्च 2012 के अंतिम शुक्रवार को बाजार में जमाराशियों में 6.02% और अग्रिमों में 6.05% की हिस्सेदारी थी।

तालिका: सहयोगी बैंकों का समेकित प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को	31.03.2012 को	परिवर्तन (%)
कुल आस्तियाँ	3,73,963	4,34,947	16.31
सकल जमाराशियाँ	3,11,645	3,61,589	16.03
कुल अग्रिम	2,40,423	2,89,149	20.27
परिचालन लाभ	7,568.68	8,213.91	8.53
निवल लाभ	3,598.43	3,626.35	0.78
ऋण जमा अनुपात	77.29%	79.97%	268 आधार बिंदु
पूँजी पर्याप्तता अनुपात	13.25	13.16	-0.09 आधार बिंदु
सकल अनर्जक आस्तियाँ	5,066.50	8,537.95	68.52
निवल अनर्जक आस्तियाँ	2,443.69	4,417.76	80.78
ईक्विटी पर आय	19.08%	15.64%	-344 आधार बिंदु

9. ASSOCIATES AND SUBSIDIARIES

The State Bank Group with a network of 20193 branches including 5096 branches of its five Associate Banks dominates the banking industry in India. In addition to banking, the Group, through its various subsidiaries, provides a whole range of financial services, which include Life Insurance, Merchant Banking, Mutual Funds, Credit Card, Factoring, Security trading, Pension Fund Management, Custodial Services, General Insurance (Non Life Insurance) and Primary Dealership in the Money Market.

CROSS SELLING

The large network of branches of the State Bank Group is being leveraged to deliver products of SBI Life Insurance Co., SBI Mutual Fund, SBI Card, SBICap Securities Ltd., SBI General and other third party companies having tie-up arrangements with the Bank, thereby offering a wider range of financial products to our customers.

During the year, the Bank covered 5.93 lac lives under various schemes of SBI Life Insurance. 'Rinn Raksha', a Group insurance product was made available for all retail borrowers. Also, for encouraging investment among small investors, the Bank distributed the 'SIP (Systematic Investment Plan)' product by which middle income group customers can invest regularly in the Mutual Funds. A total of 1.99 lac customers were covered in the year under the scheme. 'SBI General', the Bank's non-life insurance JV, rolled out 46 products designed to meet various needs of SME and Retail clients. The 'Personal Accident Insurance' cover for savings bank account holders of the Bank has been rolled out by 'SBI General', as a pilot, in Mumbai and Ahmedabad Circles. An over the counter payment option has been extended to SBI Card customers, thus making the company the industry leader in payment options.

1 Associate Banks

SBI's five Associate Banks had a market share of 6.02% in deposits and 6.05% in advances as on the last Friday of March 2012.

Table: Performance Highlights of Associate Banks (ABs) together :

(₹in Crores)

	As on 31.03.2011	As on 31.03.2012	Change (%)
Total Assets	3,73,963	4,34,947	16.31
Agg. Deposits	3,11,645	3,61,589	16.03
Total Advances	2,40,423	2,89,149	20.27
Operating Profit	7,568.68	8,213.91	8.53
Net Profit	3,598.43	3,626.35	0.78
Credit Deposit Ratio	77.29%	79.97%	268 bps
Capital Adequacy Ratio	13.25	13.16	-0.09 bps
Gross NPA	5,066.50	8,537.95	68.52
Net NPA	2,443.69	4,417.76	80.78
Return on Equity	19.08%	15.64%	-344 bps

सहयोगियों एवं अनुषंगियों की वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाएँ:

- एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. के कुल 10,20,670 ईक्विटी शेयरों की भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को 30.11.2011 को ₹32/- प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹10/- और प्रीमियम ₹22/-) के प्रतिफल पर बिक्री की गई। इससे भारतीय स्टेट बैंक की इसमें हिस्सेदारी 86.82% से घटकर 86.18% रह गई। ऐसा एसबीआईजीएफएल के राइट्स इश्यू के तहत किया गया। एसबीआईजीएफएल के राइट्स इश्यू में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निवेश किया गया है। सिडबी को इस निवेश के लिए अभी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
- एसबीआईकैप वेंचर्स लि. द्वारा **9,38,000 शेयरों (कुल शेयरों के 18.39%) की ₹12.26 प्रति शेयर की दर से - ₹1,14,99,880/-** की वापसी खरीद की।
- ₹585/- करोड़ की राशि का ईक्विटी और राइट्स इश्यू में अपनी 75% हिस्सेदारी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में अप्रैल 2011 में निवेश किया गया।
- एसबीआईसीआई बैंक लि. का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 29.07.2011 को अभिग्रहण किया गया। इस कारण एसबीआई की एसबीबीजे में शेयरधारिता 75% से बढ़कर 75.07% हो गई क्योंकि एसबीआईसीआई लि. की एसबीबीजे में हिस्सेदारी अब एसबीआई की बहियों में आ गई है।

2. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप)

एसबीआईकैप एक पूर्ण सेवा निवेश बैंकिंग इकाई है जो परियोजना सलाहकारी सेवा प्रदायगी, संरचित वित्त व्यवस्था, पूँजी बाजार सेवा, जैसे - ईक्विटी निर्गमन, विलय व अभिग्रहण तथा प्राइवेट ईक्विटी, आदि सेवाएँ उपलब्ध कराती है। एसबीआईकैप भारत में परियोजना वित्तपोषण में सबसे आगे है और इसकी इस बाजार में 40% हिस्सेदारी है।

इस कंपनी ने वर्ष के दौरान अनेक पुरस्कार/सम्मान प्राप्त किए, जिनमें से कुछ का नीचे उल्लेख किया गया है:

- नंबर 1 मैंडेटिड लीड अरेंजर, पीएफआई द्वारा पूरे विश्व में प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परियोजना वित्त ऋण कारोबार के लिए।
- नंबर 1 मैंडेटिड लीड अरेंजर, डीलॉजिक द्वारा पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ परियोजना वित्तपोषण ऋण कारोबार के लिए।
- नंबर 1 वित्तीय सलाहकार, डीलॉजिक द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ऋण कारोबार के लिए।
- नंबर 1 लोन्स मैंडेटिड अरेंजर, ब्लूमबर्ग द्वारा जापान को छोड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ।
- नंबर 1 लोन्स बुक रनर, ब्लूमबर्ग द्वारा जापान को छोड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ।
- नंबर 1 अर्हताप्राप्त संस्थागत निवेश, ब्लूमबर्ग द्वारा पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ घोषित।
- नंबर 1 राइट्स इश्यू में, प्राइम द्वारा पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ।
- नंबर 1 बांडों के पब्लिक इश्यू में, प्राइम द्वारा पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ।

एसबीआईकैप ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹492.66 करोड़ (शुल्क बंटवारे के पूर्व) का कर पूर्व लाभ अकेले दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2010-11 में ₹579.35 करोड़ का लाभ कमाया था। वित्त वर्ष 2011-12 में ₹250.98 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया जबकि वित्त वर्ष 2010-11 में ₹374.72 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया था।

एसबीआई कैंप और इसकी 4 अनुषंगियों ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹513.68 करोड़ का कर पूर्व लाभ (शुल्क बंटवारे के पूर्व) दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2010-11 में ₹593.89 करोड़ का लाभ कमाया था। वित्त वर्ष 2011-12 में ₹265.30 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया जबकि वित्त वर्ष 2010-11 में ₹384.56 करोड़ का लाभ दर्ज किया था। लाभ पूँजी बाजार में मंद गतिविधि के कारण पहले की तुलना में नीचे रहे।

2.1 एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)

एसएसएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है। यह खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों को नकद एवं वायदा विकल्प सौदों में ईक्विटी ब्रोकिंग सेवाएँ प्रदान करने के अलावा म्यूचुअल फंड जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों के विक्रय और वितरण में संलग्न है। एसएसएल की 89 शाखाएँ हैं और यह खुदरा एवं संस्थागत दोनों प्रकार के ग्राहकों को डीमैट, ई-ब्रोकिंग, ई-आईपीओ और ई-एमएफ सेवाएँ उपलब्ध कराती है। एसएसएल के उसकी बहियों में इस समय 2.52 लाख से अधिक ग्राहक हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹4.03 करोड़ का लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इसे ₹4.59 करोड़ का कर पश्चात लाभ हुआ था। मंद पूंजी बाजार और कर्मचारी लागतों में वृद्धि होने के कारण लाभ पहले की तुलना में कम रहे।

2.2 एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसवीएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है। इसने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹0.23 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जबकि वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इसे ₹0.56 करोड़ का निवल लाभ हुआ था।

Important Developments during the year in Associates & Subsidiaries:

- A total of 10,20,670 equity shares of SBI Global Factors Ltd. were sold by SBI to SIDBI on 30.11.2011 at a consideration of ₹32/- per share (FV ₹10/- and premium ₹22/-) bringing down the stake of SBI from 86.82% to 86.18%. This was part of the Rights Issue of SBIGFL which was subscribed by SBI, pending SIDBI receiving approval for this investment.
- SBICAP Ventures Ltd. bought back **9,38,000 (18.39% of total shares) at ₹12.26 per share- ₹1,14,99,880/-.**
- An amount of ₹585 crores, as equity, was infused in SBBJ by SBI in April, 2011, representing its 75% share in the Rights Issue.
- SBICI Bank Ltd. was acquired by SBI on 29.07.2011. As a result, the shareholding of SBI in SBBJ went up from 75% to 75.07%, as the stake of SBICI Ltd. in SBBJ has now come into the books of SBI.

2 SBI Capital Markets Limited (SBICAP)

SBICAP is a full service investment banking outfit offering Project Advisory Services, arrangements for Structured Finance, Capital Market Services like Equity Issuances, Mergers & Acquisitions and arrangement for Private Equity, etc. SBICAP is a leader in India in Project Finance, with over 40% market share.

The following are some of the many awards / recognitions won by the Company during the year:

- Ranked No 1 Mandated Lead Arranger for Project Finance Loans for Global Asia Pacific by Project Finance International (PFI).
- Ranked No 1 Mandated Lead Arranger for Project Finance Loans for Global by Dealogic.
- Ranked No 1 Financial Advisor for Loans for Asia Pacific by Dealogic.
- Ranked No1 Loans Mandated Arranger for Asia Pacific Ex- Japan by Bloomberg.
- Ranked No 1 Loans Book Runner for Asia Pacific Ex-Japan by Bloomberg.
- Ranked No 1 Qualified Institutional Placements in India by Bloomberg.
- Ranked No1 in Rights Issues in India by PRIME.
- Ranked No 1 in Public Issues of Bonds in India by PRIME.

SBICAP on standalone basis posted a PBT of ₹492.66 crores (before fee sharing) during the FY 2011-12 as against ₹579.35 crores earned in FY 2010-11 and a PAT of ₹250.98 crores in FY 2011-12 as against a PAT of ₹374.72 crores for FY 2010-11.

SBICAP and its 4 subsidiaries posted a PBT of ₹513.68 crores (before fee sharing) during the FY 2011-12 as against ₹593.89 crores earned during FY 2010-11, and a PAT of ₹265 .30 crores in FY 2011-12 as against ₹384.56 crores in FY 2010-11. The profits are lower due to the dampened activity in Capital Markets.

2.1 SBICAP Securities Limited (SSL)

SSL, a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd., besides offering equity broking services to retail and institutional clients both in cash as well as in Futures and Options segments, is also engaged in Sales and Distribution of other financial products like Mutual Funds, etc. SSL has 89 branches and offers Demat, e-broking, e-IPO and e-MF services to both retail and institutional clients. SSL currently has more than 2.52 lac customers on their books. The Company posted a profit of ₹4.03 crores during the FY 2011-12 as against a PAT of ₹4.59 crores during the FY 2010-11. The profits are lower on account of subdued Capital Markets.

2.2 SBICAPS Ventures Limited (SVL)

SVL is a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd. SVL earned a net profit of ₹0.23 crore during 2011-12 as against ₹0.56 crore in 2010-11.

2.3 एसबीआईकैप (यूके) लि. (एसयूएल)

एसयूएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है। इसने ₹9.29 करोड़ की आय दर्ज की। इसने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान विश्व स्तर पर मंद परिदृश्य के बावजूद, ₹4.82 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जबकि वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इसे ₹0.20 करोड़ का निवल लाभ हुआ था।

एसयूएल, यूके और यूरोप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के लिए एक संबंध इकाई के रूप में अपनी स्थिति बना रही है। एसबीआई कैप के व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थात्मक निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, विधि फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं।

2.4 एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसबीआईकैप ट्रस्टी कं. लि. (एसटीसीएल), जिसने 1 अगस्त 2008 से प्रतिभूति न्यासी व्यवसाय शुरू किया था, वर्ष 2011-12 के दौरान ₹11.62 करोड़ की सकल आय और ₹5.86 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जबकि वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान ₹8.31 करोड़ की सकल आय और ₹4.43 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया था।

3. एसबीआई डीएफएचआई लि. (एसबीआई डीएफएचआई)

- एसबीआई समूह की इस प्राथमिक डीलर कंपनी में 71.56% हिस्सेदारी है। यह प्राथमिक नीलामियों में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में सहायता करती है और द्वितीयक बाजार को जी सिक्युरिटीज में आधार और चलनिधि उपलब्ध कराती है।
- 31 मार्च 2012 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का कर पश्चात लाभ ₹43.50 करोड़ था जबकि वित्त वर्ष 2010-11 में इसने ₹56.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। पहले की तुलना में लाभ में कमी उच्चतर ब्याज दरों के कारण आई जिस वजह से पहले अधिक मात्रा में एमटीएम प्रावधान करने पड़े।
- 31.03.2011 को एसबीआईडीएफएचआई की बाजार सहभागियों के बीच हिस्सेदारी 3.41% थी जो 31.03.2012 को बढ़कर 4.34% पर पहुँच गई।
- वर्ष के दौरान द्वितीयक बाजार टर्नओवर की राशि ₹1,51,680 करोड़ रही जबकि वर्ष 2011 की इसी अवधि के दौरान ₹97,885 करोड़ थी। (वर्षानुवर्ष 55% वृद्धि रही)।

4. एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआईसीपीएसएल)

- एसबीआईसीपीएसएल कार्ड जारी करने वाली भारत में एकमात्र अकेली कंपनी है। यह भारतीय स्टेट बैंक और जीई कैपिटल कारपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की 60% हिस्सेदारी है।
- ''कंपनी के सक्रिय कार्डों'' की संख्या 31 मार्च 2012 को 22.25 लाख थी । औसत प्राप्य राशियाँ मार्च 2012 के अंत में ₹2,178 करोड़ रही है जो मार्च 2011 के अंत में ₹1,795 करोड़ थी।
- कंपनी ने मार्च 2012 को ₹37.90 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया जबकि मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में ₹7.10 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया था।

5. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआईलाइफ)

- एसबीआई लाइफ भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी पारीबास के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 74% है।
- एसबीआई लाइफ के पास अनेक प्रकार के उत्पादों, जैसे - बैंकएश्योरेंस, रिटेल एजेंसी व संस्थागत गठजोड़ों और ग्रुप कारपोरेट चैनलों के बीमा उत्पादों की बिक्री करने की अतुल्य व्यवस्था है।
- कंपनी का सकल प्रीमियम ₹13,000 करोड़ को पार कर गया।
- एसबीआई लाइफ की प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों के बीच नव व्यवसाय प्रीमियम (एनबीपी) बाजार में 19.9% की हिस्सेदारी है। एनबीपी बाजार (जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम भी शामिल है) में एसबीआई लाइफ की 31 मार्च 2012 को कुल मिलाकर 5.7% हिस्सेदारी है।
- एनबीपी बाजार में एसबीआई लाइफ प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों के बीच वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अव्वल नंबर पर आ गई है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान यह दूसरे स्थान पर थी।
- ₹555.80 करोड़ का कर पश्चात लाभ 31.03.2012 को दर्ज किया जबकि 31.03.2011 को यह ₹366.30 करोड़ था। इस प्रकार वर्षानुवर्ष 51.73% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- एसबीआई लाइफ की 'प्रबंध अधीन आस्तियों' में वर्षानुवर्ष 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये 31 मार्च 2012 को ₹46,576 करोड़ पर पहुँच गई।

2.3 SBICAP (UK) Ltd. (SUL)

SUL is a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd. During the year, SUL booked a revenue of ₹9.29 crores and posted a net profit of ₹4.82 crores during FY 2011-12, as against ₹0.20 crore during FY 2010-11, despite the global recessionary scenario.

SUL is positioning itself as a Relationship outfit for SBI Capital Markets in UK and Europe. Relationships are being built with FIIs, Financial Institutions, Law Firms, Accounting Firms, etc to market the business products of SBICAP.

2.4 SBICAP Trustee Co. Ltd. (STCL)

STCL, a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd., which commenced security trustee business with effect from 1st August 2008, has earned a Gross Income of ₹11.62 crores and a Net Profit of ₹5.86 crores during 2011-12, as against Gross Income of ₹8.31 crores and Net Profit of ₹4.43 crores during 2010-11.

3 SBI DFHI Ltd. (SBI DFHI)

- SBI group holds a 71.56% share in the Company, which is a primary dealer to support the book building process in Primary Auctions and to provide depth and liquidity to secondary markets in G-Secs.
- For the period ended 31st March 2012, the Company's PAT was ₹43.50 crores as against ₹56.94 crores earned during FY 2010-11. The profit is lower because of the high interest regime leading to higher MTM provisions.
- The market share of SBIDFHI amongst market participants has increased from 3.41% as on 31.03.2011 to 4.34 % as on 31.03.2012.
- The secondary market turnover during the year was ₹1,51,680 crores as against ₹97,885 crores during the corresponding period in 2011 (YoY growth of 55%).

4 SBI Cards & Payments Services Pvt. Ltd. (SBICPSL)

- SBICPSL, the only stand-alone credit card issuing company in India, is a joint venture between State Bank of India and GE Capital Corporation, wherein SBI holds a 60% stake.
- The "Cards in Force" (CIF) of the Company stood at 22.25 lacs as at 31st March 2012. The average receivables stood at ₹2,178 crores as at the end of March 2012, as against ₹1,795 crores at the end of March 2011.
- The Company posted a net profit of ₹37.90 crores as on March 2012 as against ₹7.10 crores earned during the year ended March 2011.

5 SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE)

- SBI Life is Joint Venture Company between SBI and BNP Paribas Cardiff, in which SBI holds a 74% stake.
- SBI Life has a unique multi-distribution model comprising Bancassurance, Retail Agency and Institutional Alliances and Group Corporate Channels for distribution of insurance products.
- The Gross Premium of the Company crossed ₹13,000 crores.
- SBI Life has a market share of 19.9% in respect of New Business Premium (NBP) amongst Private Life Insurers . The overall market share (including Life Insurance Corporation of India) of SBI Life in terms of NBP stood at 5.7% as on 31st March 2012.
- In NBP, SBI Life's ranking improved to the FIRST position amongst Private Life Insurers during FY 2011-12 from the Second position during FY 2010-11.
- SBI Life recorded a PAT of ₹555.80 crores as on 31.03.2012 as against ₹366.30 crores as on 31.03.2011 recording a YoY growth of 51.73%.
- The 'Assets under Management' of SBI Life recorded a growth of 16% YoY to reach ₹46,576 crores as on 31st March 2012.

- एसबीआई लाइफ ने वर्ष के दौरान और 85 शाखाएँ खोली। इसकी अब कुल 714 शाखाएँ हो गई हैं।
- आईसीआरए ने कंपनी को फिर से iAAA रेटिंग दी और इसे बीमा दावों का भुगतान करने में सर्वोच्च क्षमतावान कंपनी घोषित किया है।
- क्रिसिल ने कंपनी को फिर से उच्चतम वित्तीय रेटिंग AAA/स्टेबल रेटिंग दी है।

कंपनी को वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त कुछ पुरस्कारों/सम्मानों का नीचे उल्लेख किया गया है:

- 'एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड' का वर्ष 2011 और 2010 में लगातार दो बार विजेता।
- मोस्ट ट्रस्टिड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड 2011 जो द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा कराए गए ब्रांड ईक्विटी मोस्ट ट्रस्टिड ब्रांड सर्वे के आधार पर दिया गया।
- आईएमसी रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स 2011 के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट विजेता।
- 'आईसीएआई अवार्ड फॉर एक्सिलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग', वित्त वर्ष 10-11 के लिए जीता।
- साफा द्वारा 'बेस्ट प्रेसेंटिड अकाउंट्स अवार्ड' का विजेता।
- एसबीआई लाइफ लीड्स ग्लोबली एट मिलियन डॉलर राउंड टेबल (एमडीआरटी) 2011

6. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (प्रा.) लि. (एसबीआईएफएमपीएल)

- एसबीआईएफएमपीएल भारतीय स्टेट बैंक की म्यूचुअल फंड इकाई है। यह 'प्रबंध अधीन आस्तियों' की दृष्टि से छठी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड इकाई है। इस बाजार की यह प्रमुख इकाई है जिसके 60 लाख निवेशक हैं।
- इसकी वार्षिक रैंकिंग लगभग सभी ईक्विटी स्कीमों में बेहतर हुई है।
- इस फंड हाउस की स्कीमें पिछले वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं। निवेशकों द्वारा इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता रहा है।
- कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹60.52 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया गया।
- कंपनी की 'प्रबंध अधीन आस्तियों' का औसत जनवरी- मार्च 2012 तिमाही के दौरान ₹42,042 करोड़ रहा जबकि जनवरी-मार्च 2011 तिमाही के दौरान यह ₹41,672 करोड़ था।

कंपनी को वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त कुछ पुरस्कारों/सम्मानों का नीचे उल्लेख किया गया है:

- ब्लूमबर्ग यूटीवी अवार्ड्स में स्थायी आय श्रेणी में वर्ष के सर्वोत्कृष्ट फंड हाउस के लिए नामांकित।
- क्रिसिल सीएनबीसी अवार्ड में अति अल्पावधि निधि और नकदी निधि श्रेणी में 3 सर्वोत्कृष्ट फंडों के लिए नामांकित।
- आईसीआरए पुरस्कार समारोह में 5 पुरस्कार जीते।

7. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. (एसबीआईजीएफएल)

- एसबीआईजीएफएल भारत में एक प्रमुख फैक्टरिंग कंपनी है। इसकी देश में और निर्यात एवं आयात फैक्टरिंग में बाजार में सबसे अधिक हिस्सेदारी है।
- 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी का टर्नओवर बढ़कर ₹9,014 करोड़ पर पहुँच गया। यह 31 मार्च 2011 को ₹7,605 करोड़ था। इस प्रकार वर्षानुवर्ष 18.53% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कंपनी को 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹66.78 करोड़ की हानि हुई जबकि 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹125.62 करोड़ की हानि हुई थी। कंपनी की अब कायापलट हो गई है और सितंबर 2011 के बाद से इसने परिचालन लाभ कमाना शुरू कर दिया है।

8. एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि. (एसबीआईपीएफ)

- एसबीआईपीएफ पेंशन निधि नियमन और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा केंद्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए गठित नई पेंशन व्यवस्था की पेंशन निधियों के प्रबंधन के लिए नियुक्त तीन निधि प्रबंधन इकाइयों में से एक है।
- पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के लिए और 4 पीएफएम नियुक्त किए हैं।
- एसबीआईपीएफ, स्टेट बैंक समूह की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है जिसने अप्रैल 2008 से अपना कारोबार शुरू किया है। कंपनी की 31 मार्च 2012 को कुल ₹6,022 करोड़ (वर्षानुवर्ष 60% वृद्धि) की 'प्रबंध अधीन आस्तियाँ' रहीं।

- SBI Life expanded its branch network by adding 85 branches during the year bringing the total number of branches to 714.
- ICRA has reaffirmed its iAAA rating to the company indicating highest claim paying ability.
- CRISIL has reaffirmed its highest financial rating of AAA/ Stable.

The following are some of the awards / recognitions received by the Company during 2011-12:

- Winner of 'NDTV Profit Business Leadership Award' twice in a row, 2011 and 2010.
- Awarded the Most Trusted Private Life Insurance Brand 2011 by The Economic Times, Brand Equity Most Trusted Brand Survey.
- Won IMC Ramkrishna Bajaj National Quality Awards 2011 - Certificate of Merit.
- Winner of 'ICAI Award for Excellence in Financial Reporting' for FY 10 – 11.
- Winner of 'Best Presented Accounts Award' by SAFA.
- SBI Life leads globally at Million Dollar Round Table (MDRT) 2011.

6. SBI Funds Management (P) Ltd. (SBIFMPL)

- SBIFMPL, the Asset Management Company of SBI Mutual Fund, is the 6th largest Fund House in terms of average "Assets Under Management" and is a leading player in the market with 6 million investors.
- The Annual Rankings have improved for almost all Equity Schemes.
- The schemes of the Fund House have performed consistently over the years, and have emerged as the preferred investment for investors.
- The company has posted a PAT of ₹60.52 crores during FY 2011-12.
- The average "Assets Under Management" (AUM) of the company for Jan-Mar 2012 quarter stood at ₹42,042 crores as against ₹41,672 crores during Jan-Mar 2011 quarter.

The following are some of the awards / recognitions received by the Company during 2011-12:

- Nominated for Best Fund House of the Year in Fixed Income Category - Bloomberg UTV Awards.
- Nominated amongst 3 Best Funds in Ultra Short Term Fund and Liquid Fund Category- CRISIL CNBC Award.
- Won 5 awards at ICRA Award Ceremony.

7. SBI Global Factors Ltd. (SBIGFL)

- SBIGFL is one of the leading factoring companies in India which has the highest market share in domestic as well as export & import factoring.
- During the year ended 31st March 2012, the turnover of the company increased to ₹9,014 crores from ₹7,605 crores as on 31st March 2011, registering a YoY growth of 18.53%.
- The company incurred a loss of ₹66.78 crores during the year ended 31.03.2012 as against a loss of ₹125.62 crores incurred during the year ended 31.03.2011. The Company has turned around and has started making operating profits since Sept 2011.

8. SBI Pension Funds Pvt. Ltd. (SBIPF)

- SBIPF is one of the three Pension Fund Managers (PFM) appointed by Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) for management of Pension Funds under the National Pension System (NPS) for Central Government (except Armed Forces) and State Government Employees.
- PFRDA has appointed 4 more PFMs for the informal sector under the NPS.
- SBIPF, a wholly owned subsidiary of the State Bank Group, commenced operations from April 2008. The total "Assets Under Management" of the company as on 31st March 2012 were ₹6,022 crores (YoY growth of 60 %).

- कंपनी ने संगठित और गैर-संगठित दोनों क्षेत्रों के लिए प्रबंध अधीन आस्तियों की दृष्टि से 7 पेंशन फंड प्रबंधकों के बीच अपना अव्वल स्थान बनाए रखा।
- गैर-संगठित क्षेत्र में कंपनी की बाजार में कुल 52.31% जबकि संगठित क्षेत्र में 39.41% हिस्सेदारी रही।
- कंपनी को वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान मुख्यतया फीस प्रबंधन में पहले से कम ब्याज आय (प्रबंध अधीन आस्तियों का 0.0009%) होने के कारण ₹33.45 लाख की निवल हानि हुई।

9. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसबीआईजीआईसी)

- एसबीआईजीआईसी भारतीय स्टेट बैंक और आईएजी आस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की 74% हिस्सेदारी है।
- एसबीआईजीआईसी ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान पूरी तरह से अपना कारोबार शुरू करने का दूसरा वर्ष पूरा कर लिया।
- कंपनी को 31 मार्च 2012 को ₹250 करोड़ का कुल लिखित प्रीमियम (₹10.94 करोड़ पुनर्बीमा सहित) प्राप्त हुआ।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹135.20 करोड़ हानि के अनुमान की तुलना में ₹95.35 करोड़ की निवल हानि दर्ज की जबकि वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इसे ₹26.82 करोड़ की हानि हुई थी।
- एसबीआईजीआईसी में अनेक प्रकार के बीमा उत्पादों, जैसे बैंकएश्योरेंस, एजेंटों, दलालों के माध्यम से और ग्राहकों को सीधे स्वयं बिक्री करने की व्यवस्था है।

10. एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआईएसजी)

- एसबीआईएसजी भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की सोसाइटी जनरल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसकी स्थापना किसी वित्तीय समूह द्वारा दी जाने वाली अनेक प्रकार की वित्तीय सेवाओं को पूरा करने के लिए उच्च कोटि की अभिरक्षा और निधि संचालन सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।
- एसबीआईएसजी ने मई 2010 से वाणिज्यिक अभिरक्षा कारोबार और सितंबर 2010 से निधि लेखाकरण सेवाएँ शुरू कीं।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹24.71 लाख का निवल लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इसे ₹137.47 लाख की निवल हानि हुई थी।
- अभिरक्षाधीन आस्तियाँ 31 मार्च 2012 को ₹28,659.47 करोड़ थीं जबकि प्रशासनाधीन आस्तियाँ ₹42,671.35 करोड़ थीं।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों की 31.03.2012 की स्थिति की सूचना

क. देश में स्थित बैंकिंग अनुषंगियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एसबीआई की स्वामित्व में हिस्सेदारी		कुल आस्तियाँ	कुल जमा राशियाँ	कुल अग्रिम	परि. लाभ	निवल लाभ	ऋण-जमा अनुपात	पूँजी पर्याप्तता अनुपात %	कुल एनपीए %	निवल एनपीए %	ईक्विटी पर आय %
		राशि	%										
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	676.12	75.07	72528	61255	49986	1490	652	81.60	13.76	3.30	1.92	15.66
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	367.55	100	117568	100552	78336	2653	1298	78.08	13.56	2.56	1.30	19.98
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	628.63	92.33	60404	49663	40652	1060	369	81.86	12.55	3.70	1.93	9.26
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	445.10	100	98498	79154	64140	1763	796	81.03	12.30	2.94	1.35	16.66
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	120.85	75.01	85949	70965	56034	1249	511	78.96	13.55	2.66	1.54	13.62

- The Company maintained its lead position amongst the 7 Pension Fund Managers in terms of AUM, for both the organized and Informal sectors.
- The overall AUM market share in the Informal sector was 52.31%, while in the organized sector it was 39.41%.
- The Company recorded a net loss of ₹33.45 lacs during the FY 2011-12 mainly on account of lower interest management of fee (0.0009% of AUM).

9. SBI General Insurance Company Ltd. (SBIGIC)

- SBIGIC is a joint venture between State Bank of India and IAG Australia, in which SBI holds a 74% stake.
- SBIGIC has completed its second year of full operations during FY 2011-12.
- Gross Written Premium stood at ₹250 crores (including ₹10.94 crores of re-insurance) as at 31st March 2012.
- The Company recorded a net loss of ₹95.35 crores as against the estimated loss of ₹135.20 crores during the FY 2011-12 and a loss of ₹26.82 crores was incurred during the FY 2010-11.
- SBIGIC has a multi-distribution model comprising Bancassurance, Agents, Broker and Direct Channels for distribution of insurance products.

10. SBI SG Global Securities Services Pvt. Ltd. (SBISG)

- SBISG, a joint venture between State Bank of India and Societe Generale of France, was set up to offer high quality custody and fund administration services to complete the bouquet of financial services on offer by a financial conglomerate.
- SBISG commenced commercial operations in Custody in May 2010 and Fund Accounting Services in Sept 2010.
- The Company recorded a net profit of ₹24.71 lacs during the FY 2011-12 as against a net loss of ₹137.47 lacs during the FY 2010-11.
- The Assets Under Custody as on 31st March 2012 stood at ₹28,659.47 crores, while the Assets Under Administration were at ₹42,671.35 crores.

INFORMATION WITH REGARD TO SUBSIDIARIES & JOINT VENTURES AS ON 31.03.2012

A. Domestic Banking Subsidiaries

(Amount in crores)

S. No	Name of the Bank	SBI Share of ownership		Total Assets	Agg. Deposits	Total Advances	Op. Profit	Net Profit	CD Ratio	CAR %	Gross NPAs %	Net NPA %	Return on Equity %
		Amt.	%										
1	State Bank of Bikaner & Jaipur	676.12	75.07	72528	61255	49986	1490	652	81.60	13.76	3.30	1.92	15.66
2	State Bank of Hyderabad	367.55	100	117568	100552	78336	2653	1298	78.08	13.56	2.56	1.30	19.98
3	State Bank of Mysore	628.63	92.33	60404	49663	40652	1060	369	81.86	12.55	3.70	1.93	9.26
4	State Bank of Patiala	445.10	100	98498	79154	64140	1763	796	81.03	12.30	2.94	1.35	16.66
5	State Bank of Travancore	120.85	75.01	85949	70965	56034	1249	511	78.96	13.55	2.66	1.54	13.62

ख. गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक की हिस्सेदारी)	स्वामित्व का %	निवल लाभ (हानि) वित्त वर्ष 2011-12
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (समेकित)	58.03	100	265.30
2	एसबीआई डीएफएचआई लि.	139.15	63.78	43.50
3	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	2.00	100	(0.76)
4	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.10	100	3.21
5	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	137.79	86.18	(66.78)
6	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	18.00	90	(0.33)
7	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	31.50	63	60.52
8	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.	471.00	60	37.90
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	740.00	74	555.80
10	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.	52.00	65	0.25
11	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	111.00	74	(95.35)

ग. संयुक्त उद्यम

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक की हिस्सेदारी)	स्वामित्व का %	निवल लाभ (हानि) वित्त वर्ष 2011-12
1	सी-एज टेक्नोलॉजीस लि.	4.90	49	18.96
2	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेज. सर्विसेज प्रा. लि.	10.80	40	(0.40)
3	मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेज. प्रा. लि.	2.25	45	20.60
4	एसबीआई मैकवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेज. प्रा. लि.	18.57	45	8.81
5	एसबीआई मैकवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	0.025	45	(0.0157)
6	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेज. कं. प्रा. लि.	2.30	50	3.32
7	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कं. प्रा. लि.	0.01	50	0.003

घ. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक की हिस्सेदारी)	स्वामित्व का %	निवल लाभ (हानि) वित्त वर्ष 2011-12
1	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	420.27	100	3.08
2	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	567.17	100	8.49
3	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया लि.ला.कं., मॉस्को	54.94	60	18.19
4	एसबीआई (मारिशस) लि.	412.74	93.40	74.93
5	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	67.84	76	11.47
6	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	75.74	55.05	28.23

B. Non Banking Subsidiaries

(Amount in crores)

S. No	Name of the Subsidiary Company	Ownership (State Bank interest)	% of Ownership	Net Profit (Loss) for the FY 2011-12
1	SBI Capital Markets Ltd. (Consolidated)	58.03	100	265.30
2	SBI DFHI Ltd.	139.15	63.78	43.50
3	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	2.00	100	(0.76)
4	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd.	0.10	100	3.21
5	SBI Global Factors Ltd.	137.79	86.18	(66.78)
6	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.	18.00	90	(0.33)
7	SBI Funds Management Pvt. Ltd.	31.50	63	60.52
8	SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.	471.00	60	37.90
9	SBI Life Insurance Company Ltd.	740.00	74	555.80
10	SBI-SG Global Securities Services Pvt. Ltd.	52.00	65	0.25
11	SBI General Insurance Company Ltd.	111.00	74	(95.35)

C. Joint Ventures

(Amount in crores)

S. No	Name of the Subsidiary Company	Ownership (State Bank interest)	% of Ownership	Net Profit (Loss) for the FY 2011-12
1	C-Edge Technologies Ltd.	4.90	49	18.96
2	GE Capital Business Process Mgt. Services Pvt. Ltd.	10.80	40	(0.40)
3	Macquarie SBI Infrastructure Mgt. Pte. Ltd.	2.25	45	20.60
4	SBI Macquarie Infrastructure Mgt. Pvt. Ltd.	18.57	45	8.81
5	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	0.025	45	(0.0157)
6	Oman India Joint Investment Fund-Mgt. Co Pvt. Ltd.	2.30	50	3.32
7	Oman India Joint Investment Fund-Trustee Co Pvt. Ltd.	0.01	50	0.003

D. Foreign Banking Subsidiaries

(Amount in crores)

S. No	Name of the Subsidiary Company	Ownership (State Bank interest)	% of Ownership	Net Profit (Loss) for the FY 2011-12
1	State Bank of India (California)	420.27	100	3.08
2	State Bank of India (Canada)	567.17	100	8.49
3	Commercial Bank of India Llc, Moscow	54.94	60	18.19
4	SBI (Mauritius) Ltd.	412.74	93.40	74.93
5	PT Bank SBI Indonesia	67.84	76	11.47
6	Nepal SBI Bank Ltd.	75.74	55.05	28.23

10. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई एक्ट 2005)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों और अपीलों का निपटान करने हेतु शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों/क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों/स्थानीय प्रधान कार्यालयों में समुचित व्यवस्था की गई है। जनता की सुविधा के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट http://statebankofindia.com और http://www.sbi.co.in पर भी एक लिंक सृजित किया है।

उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशक बोर्ड एतदद्वारा उल्लेख करता है कि:

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्त्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2012 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ एवं हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत हैं;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और

iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

आभार

वर्ष के दौरान श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (ख) के अंतर्गत) अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर, 30 जून 2011 को सेवानिवृत्त हो गए। श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, नामिती निदेशक अधिवार्षिता आयु पूर्ण होने पर 20 जून 2011 को सेवानिवृत्त हो गईं। डॉ. अशोक झुनझुनवाला, शेयरधारकों द्वारा धारा 19 (ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक, अपना दूसरा कार्यकाल पूरा होने पर 23 जून 2011 को बोर्ड से निवृत्त हो गए। डॉ. राजीव कुमार, भारत सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक, अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 7 सितंबर 2011 को बोर्ड से निवृत्त हो गए।

श्री दिलीप सी. चौकसी, श्री वी. वेंकटाचलम और श्री डी. सुंदरम द्वारा 23 जून 2011 को अपना पहला कार्यकाल पूरा होने पर वे केंद्रीय बोर्ड में नहीं रहे और श्री पार्थसारथी अय्यंगार 24 जून 2011 को आयोजित साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा पहली बार चुने जाने के साथ उक्त सभी निदेशक भी 25 जून 2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुन: निदेशक चुने गए।

श्री डी. के. मित्तल, सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में धारा 19 (ङ) के अंतर्गत दिनांक 3 अगस्त 2011 की अधिसूचना के द्वारा श्री शशिकांत शर्मा के स्थान पर नामित किए गए। डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण दिनांक 4 अगस्त 2011 की अधिसूचना के द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत श्रीमती श्यामला गोपीनाथ के स्थान पर भारतीय रिजर्व के नामिती निदेशक के रूप में नामित किए गए। श्री ज्योतिभूषण महापात्र दिनांक 21 नवंबर 2011 से धारा 19 (ग क) के अंतर्गत कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित किए गए। श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन दिनांक 24 जनवरी 2012 से बोर्ड में धारा 19 (घ) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित किए गए।

निदेशक, बोर्ड की चर्चाओं में श्री आर. श्रीधरन, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, डॉ. अशोक झुनझुनवाला, डॉ. राजीव कुमार और श्री शशिकांत शर्मा द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हैं और साथ ही बोर्ड में निदेशकों के रूप में शामिल हुए श्री पार्थसारथी अय्यंगार, श्री डी. के. मित्तल, डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, श्री ज्योतिभूषण महापात्र और श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन का स्वागत करते हैं।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम की उन्होंने सराहना की है।

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से,

दिनांक : 18 मई, 2012

अध्यक्ष

10. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 (RTI ACT 2005)

Suitable structure has been put in place at Branches/Administrative Offices/Regional Business Offices/Local Head Offices for handling requests and appeals under RTI Act 2005. For convenience of the public, the bank has also created an RTI link on its website http://www.statebankofindia.com and http://www.sbi.co.in

Responsibility Statement

The Board of Directors hereby states:

i. that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

ii. that they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates as are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on the 31st March 2012, and of the profit and loss of the bank for the year ended on that date;

iii. that they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and State Bank of India Act, 1955 for safeguarding the assets of the Bank and preventing and detecting frauds and other irregularities; and

iv. that they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

During the year, Shri R. Sridharan, Managing Director [under Section 19(b)of SBI Act 1955], retired on attaining superannuation on 30th June 2011. Smt. Shymala Gopinath, Dy. Governor, Reserve Bank of India Nominee Director, retired on attaining superannuation, as on 20th June 2011. Dr. Ashok Jhunjhunwala, Director, elected by shareholders under Section 19(c), retired from the Board on 23rd June 2011 consequent upon completion of his second term. Dr. Rajiv Kumar, Director nominated under Section 19(d) by Govt. of India, retired from the Board on 7th September 2011 consequent upon completion of his term of three years.

Shri Dileep C. Choksi, Shri S.Venkatachalam and Shri D. Sundaram retired from the Central Board on 23rd June 2011 consequent upon completion of their first term and were re-elected as Directors, alongwith Shri Parthasarathy Iyengar, elected for the first time, for a period of three years w.e.f. 25th June 2011, by the shareholders at the General Meeting held on 24th June 2011.

Shri D.K. Mittal was nominated as Govt. Nominee Director, vice Shri Shashi Kant Sharma, under Section 19(e), vide Notification dated 3rd August 2011. Dr. Subir V. Gokarn was nominated as RBI Nominee Director, vice Smt. Shyamala Gopinath, under Section 19(f), vide Notification dated 4th August 2011. Shri Jyoti Bhushan Mohapatra was nominated as Workmen Employee Director, under Section 19(ca), w.e.f. 21st November 2011. Shri Deepak Ishwarbhai Amin, was nominated as Director, under Section 19(d), by Govt. of India, w.e.f. 24th January 2012.

The Directors place on record their appreciation for the contribution made by Shri R. Sridharan, Smt. Shyamala Gopinath, Dr. Ashok Jhunjhunwala, Dr. Rajiv Kumar and Shri Shashi Kant Sharma to the deliberations of the Board and welcome Shri Parthasarathy Iyengar, Shri D.K.Mittal, Dr. Subir V. Gokarn, Shri Jyoti Bhushan Mohapatra and Shri Deepak I. Amin, who joined the Board, as Directors, for the first time.

The Directors express their gratitude for the guidance and cooperation received from the Government of India, RBI, SEBI, IRDA and other government and regulatory agencies.

The Directors also thank all the valued clients, shareholders, banks and financial institutions, stock exchanges, rating agencies and other stakeholders for their patronage and support, and take this opportunity to express their appreciation of the dedicated and committed team of employees of the Bank.

For and on behalf of the
Central Board of Directors

Date : 18th May 2012

Chairman

कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरश: अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन का महत्व विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन से अधिक होता है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है । इसके अनुपालन से बैंक व्यावसायिक सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने सभी हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा कार्यों के मामले में प्रभावी नेतृत्व तथा व्यावहारिक - ज्ञान प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित एवं पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदार हों। अध्यक्ष की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो, तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार बैंक ने उन मामलों को छोड़कर जहाँ खंड 49 के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (अधिनियम) से हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभों में अधिकाधिक वृद्धि करना।

बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। 31 मार्च 2012 को बोर्ड में प्रौद्योगिकी, लेखाविधि, वित्त तथा आर्थिक जगत की शख्सियतों सहित कुल दस अन्य निदेशक थे। इनमें शेयरधारकों के प्रतिनिधि, बैंक का स्टाफ, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत भारत सरकार

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank's Philosophy on Code of Governance

State Bank of India is committed to the best practices in the area of Corporate Governance, in letter and in spirit. The Bank believes that good Corporate Governance is much more than complying with legal and regulatory requirements. Good governance facilitates effective management and control of business, enables the Bank to maintain a high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders. The objectives can be summarised as:

- To protect and enhance shareholder value.
- To protect the interest of all other stakeholders such as customers, employees and society at large.
- To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.
- To ensure accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels.
- To provide corporate leadership of highest standard for others to emulate.

The Bank is committed to:

- Ensuring that the Bank's Board of Directors meets regularly, provides effective leadership and insights in business and functional matters and monitors Bank's performance.
- Establishing a framework of strategic control and continuously reviewing its efficacy.
- Establishing clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting.
- Providing free access to the Board to all relevant information, advices and resources as are necessary to enable it to carry out its role effectively.
- Ensuring that the Chairman has the responsibility for all aspects of executive management and is accountable to the Board for the ultimate performance of the Bank and implementation of the policies laid down by the Board. The role of the Chairman and the Board of Directors are also guided by the SBI Act, 1955, with all relevant amendments.
- Ensuring that a senior executive is made responsible in respect of compliance issues with all applicable statutes, regulations and other procedures, policies as laid down by the GOI/RBI and other regulators and the Board, and reports deviations, if any.

The Bank has complied with the provisions of Corporate Governance as per Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges except where the provisions of Clause 49 are not in conformity with SBI Act, 1955 and the directives issued by RBI/GOI. A report on the implementation of these provisions of Corporate Governance in the Bank is furnished below.

Central Board : Role and Composition

State Bank of India was formed in 1955 by an Act of the Parliament, i.e., The State Bank of India Act, 1955 (Act). A Central Board of Directors was constituted according to the Act.

The Bank's Central Board draws its powers from and carries out its functions in compliance with the provisions of SBI Act & Regulations 1955. Its major roles include, among others,

- Overseeing the risk profile of the Bank;
- Monitoring the integrity of its business and control mechanisms;
- Ensuring expert management, and
- Maximising the interests of its stakeholders.

The Central Board is headed by the Chairman, appointed under section 19(a) of SBI Act; four Managing Directors are also appointed members of the Board under section 19(b) of SBI Act. The Chairman and Managing Directors are whole time Directors. As on 31st March 2012, there were *ten* other directors on the Board including eminent professionals representing Technology, Accountancy, Finance and Economics. These included representatives of shareholders and staff of the Bank, nominee officials of Govt. of India and Reserve Bank of India and directors nominated by the Govt. under Section 19(d) of the State Bank of India

और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित अधिकारी शामिल हैं। पूर्णकालिक निदेशकों, अध्यक्ष और तीन प्रबंध निदेशकों के अलावा 31 मार्च 2012 को बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार था :

- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (ग क) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (ग ख) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित दो निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (ङ) के अंतर्गत नामित (भारत सरकार का एक अधिकारी) एक निदेशक।
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित (भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी) एक निदेशक।

निदेशक मंडल का गठन सूचीबद्धता व्यवस्था के खंड 49 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की **बारह** बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तिथियाँ और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तिथियाँ और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 12

बैठकों की तिथियाँ : 17.05.2011, 20.06.2011, 30.06.2011, 06.08.2011, 13.08.2011, 15.10.2011, 24.10.2011, 09.11.2011, 24.12.2011, 13.02.2012, 01.03.2012, 24.03.2012

श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष, श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (आईबी), श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एनबी) और श्री जी. डी. नडाफ सभी बारह बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (30.06.2011 तक)	3	3
श्री दिवाकर गुप्ता	12	11
डॉ. अशोक झुनझुनवाला (23.06.2011 तक)	2	2
श्री दिलीप सी. चौकसी	12	10
श्री एस. वेंकटाचलम	12	11
श्री डी. सुंदरम	12	8
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (25.06.2011 से)	10	6
डॉ. राजीव कुमार (07.09.2011 तक)	5	4
श्री ज्योतिभूषण महापात्रा (21.11.2011 से)	4	4
श्री रशपाल मल्होत्रा (10.05.2011 से)	12	10
श्री दीपक आई. अमिन (24.01.2012 से)	3	2
श्री शशिकांत शर्मा (02.08.2011 तक)	3	1
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ (20.06.2011 तक)	2	2
श्री डी. के. मित्तल (03.08.2011 से)	9	7
श्री सुबीर वि. गोकर्ण (04.08.2011 से)	9	6

Act, 1955. Apart from the whole time Directors, comprising Chairman and three Managing Directors in office, the composition of the Central Board, as on 31st March 2012, was as under :

- four directors, elected by the shareholders under Section 19(c),
- one director, nominated by the Central Government under Section 19(ca),
- one director, nominated by the Central Government under Section 19(cb),
- two directors, nominated by the Central Government under Section 19(d),
- one director (official from the Govt. of India), nominated by the Central Government under Section 19(e), and
- one director (official from the Reserve Bank of India), nominated by the Central Government under Section 19(f).

The composition of the Board complies with provisions laid down in Clause 49 of the Listing Agreement. There is no inter-se relationship between Directors.

A brief resume of each of the Non-Executive Directors is presented in Annexure I. Particulars of the directorships/memberships held by all the Directors in various Boards/Committees are presented in Annexure II and the details of their shareholding in the Bank are mentioned in Annexure III.

Meetings of the Central Board

The Bank's Central Board meets a minimum of six times a year. During the year 2011-12, **twelve** Central Board Meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the directors are as under :

Dates & Attendance of Directors at Board Meetings during 2011-12

No. of Meetings held : 12

Dates of the Meetings : 17.05.2011, 20.06.2011, 30.06.2011, 06.08.2011, 13.08.2011, 15.10.2011, 24.10.2011, 09.11.2011, 24.12.2011, 13.02.2012, 01.03.2012, 24.03.2012

Shri Pratip Chaudhuri, Chairman, Shri Hemant G. Contractor, MD & GE (IB), Shri A. Krishna Kumar, MD & GE(NB) & Shri G. D. Nadaf Director attended all the twelve Meetings.

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/election/ during incumbency	No. of Meetings attended
Shri R. Sridharan, Managing Director & Group Executive (A&S) (upto 30.06.2011)	3	3
Shri Diwakar Gupta	12	11
Dr. Ashok Jhunjhunwala (upto 23.06.2011)	2	2
Shri Dileep C. Choksi	12	10
Shri S. Venkatachalam	12	11
Shri D. Sundaram	12	8
Shri Parthasarathy Iyengar (w.e.f 25.06.2011)	10	6
Dr. Rajiv Kumar (upto 07.09.2011)	5	4
Shri Jyoti Bhushan Mohapatra (w.e.f. 21.11.2011)	4	4
Shri Rashpal Malhotra (w.e.f. 10.05.2011)	12	10
Shri Deepak I. Amin (w.e.f. 24.01.2012)	3	2
Shri Shashi Kant Sharma (upto 02.08.2011)	3	1
Smt. Shyamala Gopinath (upto 20.06.2011)	2	2
Shri D. K. Mittal (w.e.f. 03.08.2011)	9	7
Dr. Subir V. Gokarn (w.e.f. 04.08.2011)	9	6

वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ:

भारत के माननीय वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने दिनांक 06 अगस्त 2011 को केंद्रीय बोर्ड की एक विशेष रूप से बुलाई गई बैठक को संबोधित किया और देश के वित्तीय समेकन, मुद्रास्फीति प्रबंधन और समावेशी संवृद्धि, लोगों को विभिन्न विधिक अधिनियमों यथा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार के माध्यम से लोगों को ''पात्रता'' प्रदान करने और बैंकों द्वारा विगत कई वर्षों से राष्ट्र निर्माण में निर्वाह की जानेवाली भूमिका पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने सुपुर्दगी प्रणाली/परियोजनाओं के समय से कार्यान्वयन में सुविधा की दृष्टि से विधिक अनुमति, पूँजी में बढ़ोत्तरी और बैंकिंग उद्योग के समेकन जैसे विभिन्न विषयों पर भी निदेशकों के साथ बातचीत की।

डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, जो हमारे केंद्रीय बोर्ड में भी शामिल हैं, ने 24 दिसंबर 2011 और पुन: 1 मार्च 2012 को केंद्रीय बोर्ड को संबोधित किया जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव और भारतीय रुपये के मूल्यह्रास, घरेलू आर्थिक सरकारों, यूरोप को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मेक्सिको में आयोजित जी-20 बैठक की चर्चाओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही कोमोडिटी फ्यूचर्स, कर अपवंचन पर नियंत्रण तथा कौशल विकास जैसे विषयों पर व्यापक चर्चाएं की गईं।

श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी ने कारपोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता की। इस सम्मेलन का विषय था ''कारपोरेट गवर्नेंस सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों के माध्यम से बोर्डों की प्रभावशीलता बढ़ाना''। इस सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2011 में मारीशस में एशियन सेंटर फॉर कारपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा किया गया था। इसमें श्री दिवाकर गुप्ता ने ''क्या बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं क्षेत्र में गवर्नेंस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है'' विषय पर वार्ता प्रस्तुत की। श्री गुप्ता ने अपने संबोधन में भारत और विदेश में कारपोरेट गवर्नेंस का उद्भव और बैंकों/वित्तीय क्षेत्र में इसकी महत्ता तथा बोर्डों को मजबूत बनाने, उच्च स्तर पर कार्यरत कार्य समूहों में तबदील करने, बोर्ड के सदस्यों द्वारा परस्पर विश्वास के साथ-साथ तर्क-वितर्क करने और जटिल विषयों पर वरिष्ठ प्रबंधनों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संक्षेप में चर्चा की।

इसके पहले 30 जून 2011 को, श्री प्रतीप कार (पूर्व कार्यपालक निदेशक, सेबी) वरिष्ठ सलाहकार, डेलोइट और उनकी टीम ने केंद्रीय बोर्ड को कारपोरेट अभिशासन पर एक व्यापक प्रस्तुति की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के स्वरूप, प्रथाओं, कार्यविधियों पर प्रस्तुति शामिल थी। इसमें बोर्ड द्वारा स्वामित्व एवं प्रबंधन, बोर्ड के समक्ष चुनौतियों, बेसल के कार्यान्वयन में वैश्विक रुझानों और अमरीका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का विशिष्ट उल्लेख किया गया। प्रस्तुतियों के बाद संबंधित विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में केंद्रीय बोर्ड और अन्य समितियों के समक्ष प्रस्तुत की गई विभिन्न समीक्षाओं की विषय-वस्तु और उसकी संरचना में सुधार लाने की दृष्टि से बैंक द्वारा गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के उपाय लागू किए गए।

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष 2011-12 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति

आयोजित बैठकों की कुल संख्या : 53

	निदेशक	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष	52
2.	श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) (30.06.2011 तक)	12
3.	श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)	48
4.	श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	41
5.	श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	44
6.	डॉ. अशोक झुनझुनवाला (23.06.2011 तक)	05
7.	श्री दिलीप सी. चौकसी	30
8.	श्री एस. वेंकटाचलम	51
9.	श्री डी. सुंदरम	28
10.	श्री पार्थसारथी अय्यंगार (25.06.2011 से)	09
11.	श्री ज्योति बी. महापात्रा (21.11.2011 से)	05
12.	श्री जी. डी. नडाफ	21
13.	डॉ. राजीव कुमार (07.09.2011 तक)	01
14.	श्री रशपाल मल्होत्रा (10.05.2011 से)	10
15.	श्री दीपक आई. अमिन (24.01.2012 से)	02
16.	श्री शशिकांत शर्मा (सरकार द्वारा नामित) (02.08.2011 तक)	-
17.	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, भा. रि. बैं. द्वारा नामित (20.06.2011 तक)	03
18.	श्री डी. के. मित्तल (सरकार द्वारा नामित) (03.08.2011 से)	01
19.	श्री सुबीर वि. गोकर्ण (भा. रि. बैं. द्वारा नामित) (04.08.2011 से)	04

Highlights of the year :

The Hon'ble Finance Minister of India Shri Pranab Mukherjee addressed the Central Board at a meeting specially convened on 6th August 2011 and shared his thoughts on the country's major challenges like fiscal consolidation, inflation management and inclusive growth, various Government initiatives on providing 'entitlement' to people through legal enactment viz. Right to Information, Right to Education and Right to Food and the role played by the Banks in the country towards inclusive growth and nation building. He also interacted with the Directors on various issues like improving delivery mechanisms/legal clearances facilitating timely implementation of Projects, capital augmentation and consolidation in the banking industry.

Dr. Subir V. Gokarn, Deputy Governor RBI, also on the Central Board, addressed the Board on 24th December 2011 and again on 1st March 2012 covering major challenges faced by the global economy, volatility and depreciation of the Indian Rupee, domestic economic concerns, deliberations at the G20 meeting held at Mexico on IMF's funding Europe and other issues. Wide ranging discussions followed on themes like commodity futures, controlling tax evasion and skill development programmes.

Shri Diwakar Gupta, Managing Director & Chief Financial Officer, attended an International Conference on Corporate Governance & Sustainability: "Enhancing Effectiveness of Boards through Corporate Governance Best Practices" organised by the Asian Centre for Corporate Governance & Sustainability at Mauritius in September 2011 and delivered a talk on "Does Governance of the Banking and Financial Services Sector need a rethink". Shri Gupta's address covered, in brief, genesis of Corporate Governance in India and abroad and its importance in Banks/Financial Sector with an emphasis on the need to rise above procedural roles towards enabling the evolution of Boards as strong, high functioning workgroups, whose members trust and challenge one another and engage directly with Senior Managers on critical issues.

Earlier, on 30th June 2011, Shri Pratip Kar (former Executive Director, SEBI), Senior Advisor, Deloitte and his team made a detailed presentation to the Central Board on Corporate Governance covering, inter alia, Board structures, practices, procedures highlighting critical areas the Board should own and manage, challenges faced by the Board, global trends in BASEL implementation and the features of Foreign Account Tax Compliance Act of USA. The presentation was followed by detailed deliberations on the subject. As a follow up, a Quality Improvement Initiative was set in place by the Bank with a view to bringing about improvements in the content and structure of various reviews placed before the Central Board and Other Committees.

Executive Committee of the Central Board

The Executive Committee of the Central Board (ECCB) is constituted in terms of Section 30 of the SBI Act, 1955. The State Bank of India General Regulations (46 & 47) provide that, subject to the general or special directions of the Central Board, ECCB may deal with any matter within the competence of the Central Board. ECCB consists of the Chairman, the Managing Directors, the Director nominated under Section 19(f) of the SBI Act (Reserve Bank of India nominee), and all or any of the other Directors *who are normally residents* or may for the time being be present *at any place within India where the meeting is held*. The ECCB meetings are held once every week. The details of attendance of ECCB Meetings during the year 2011-12 are as under :

Attendance of Directors at ECCB Meetings during 2011-12

No. of Meetings held : 53

	Directors	No. of meetings attended
1.	Shri Pratip Chaudhuri, Chairman	52
2.	Shri R. Sridharan, MD & GE(A&S) (upto 30.06.2011)	12
3.	Shri Hemant G. Contractor, MD & GE(IB)	48
4.	Shri Diwakar Gupta, MD & CFO	41
5.	Shri A. Krishna Kumar, MD & GE (NB)	44
6.	Dr. Ashok Jhunjhunwala (upto 23.06.2011)	05
7.	Shri Dileep C. Choksi	30
8.	Shri S. Venkatachalam	51
9.	Shri D. Sundaram	28
10.	Shri Parthasarathy Iyengar (w.e.f. 25.06.2011)	09
11.	Shri Jyoti B. Mohapatra (w.e.f. 21.11.2011)	05
12.	Shri G. D. Nadaf	21
13.	Dr. Rajiv Kumar (upto 07.09.2011)	01
14.	Shri Rashpal Malhotra (w.e.f. 10.05.2011)	10
15.	Shri Deepak I. Amin (w.e.f. 24.01.2012)	02
16.	Shri Shashi Kant Sharma, Govt. Nominee (upto 02.08.2011)	-
17.	Smt. Shyamala Gopinath, RBI Nominee (upto 20.06.2011)	03
18.	Shri D. K. Mittal, Govt. Nominee (w.e.f. 03.08.2011)	01
19.	Dr. Subir V. Gokarn, RBI Nominee (w.e.f. 04.08.2011)	04

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों और भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय सात समितियाँ गठित की हैं जैसे लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति, बड़ी राशि (₹1 करोड़ तथा उससे अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति और बोर्ड की पारिश्रमिक समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं जिनमें प्रमुख क्षेत्र हैं- लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा के कैलेन्डर के आधार पर आवधिक रूप में सामान्यत: तिमाही अंतराल पर आयोजित होती हैं ताकि नीतिगत मामलों और/या प्रमुख निष्पादन की समीक्षा की जा सके। इन समितियों द्वारा बैंक के उच्च कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्यवृत्त और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 1 जुलाई 2011 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है और सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन न होने पाए।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भी करती है और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश।
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र ।
- खंड 49 और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन।
- घोष और जिलानी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से मासिक रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और विस्तृत (लांग फार्म) लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श करती है।

केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है जिसे समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 16.03.2011 को इसमें संशोधन किया गया था।

गठन एवं वर्ष 2011-12 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में सात सदस्य होते हैं, इनमें दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संविधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा करने के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की नौ बैठकें आयोजित की गईं।

Other Board Level Committees :

In terms of the provisions of SBI Act and General Regulations, 1955 and Govt./RBI/SEBI guidelines, the Central Board has constituted seven Board Level Committees viz. Audit Committee, Risk Management Committee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (₹1 crore and above), Customer Service Committee, IT Strategy Committee & Remuneration Committee of the Board. These Committees provide effective professional support in the conduct of Board level business in key areas like Audit & Accounts, Risk Management, resolution of Shareholders'/Investors' grievances, Fraud Review and Control, Review of customer service and redressal of customer grievances, Technology Management and Payment of Incentives to Executive Directors. While the Remuneration Committee approves, once in a year, payment of incentives to wholetime Directors, based on Govt. of India guidelines, the other Committees meet periodically, once in a quarter generally, to deliberate on policy issues and/or review domain performance, as per the calendar of reviews approved by the Central Board. The Committees also call external specialists, besides drawing upon the services of top executives from the Bank, as and when needed. The minutes and proceedings containing brief reports on the discussions held at the meetings of the Committees are placed before the Central Board.

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted on 27th July 1994 and last re-constituted on the 1st July 2011. The ACB functions as per RBI guidelines and complies with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement to the extent that they do not violate the directives/guidelines issued by RBI.

Functions of ACB

(a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank, and follow-up on the statutory/external audit, compliance of RBI inspection. It also appoints Statutory Auditors of the Bank and reviews their performance from time to time.

(b) ACB reviews the Bank's financial, Risk Management, IS Audit Policies and Accounting Policies/Systems of the Bank to ensure greater transparency.

(c) ACB reviews the internal inspection/audit plan and functions in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It also, especially, focuses on the follow up of:
- KYC-AML Guidelines;
- Major areas of housekeeping;
- Compliance of Clause 49 and other guidelines issued by SEBI from time to time;
- Status of implementation of Ghosh and Jilani Committee recommendations.

(d) It obtains and reviews reports from the Compliance Department in the Bank.

(e) ACB follows up on all the issues raised in RBI's Annual Financial Inspection Reports under Section 35 of Banking Regulation Act, 1949 and Long Form Audit Reports of the Statutory Auditors and other Internal Audit Reports. It interacts with the external auditors before the finalisation of the annual/quarterly financial accounts and reports.

A formal 'Audit Charter' or 'Terms of Reference' laid down by the Central Board is in place and updated periodically, the last revision effected from 16.03.2011.

Composition & Attendance during 2011-12

The ACB has seven members of the Board of Directors, including two whole time Directors, two official Directors (nominees of GOI and RBI) and three non-official, non-executive Directors. Meetings of the ACB are chaired by a Non-Executive Director. The constitution and quorum requirements, as per RBI guidelines, are complied with meticulously. During the year, nine meetings of ACB were held to review the various matters connected with the internal control, systems and procedures and other aspects as required in terms of the Audit Charter.

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तिथियाँ और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 9
बैठकों की तिथियाँ : 16.05.2011, 11.06.2011, 12.08.2011, 10.09.2011, 08.11.2011, 10.12.2011, 11.02.2012, 01.03.2012, 30.03.2012

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) (30.06.2011 तक)	2	2
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)	9	8
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (01.07.2011 से)	7	6
डॉ. अशोक झुनझुनवाला (23.06.2011 तक)	2	2
श्री एस. वेंकटाचलम (30.06.2011 तक)	2	2
श्री दिलीप सी. चौकसी	9	9
श्री डी. सुंदरम (01.07.2011 से)	7	6
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (01.07.2011 से)	7	3
श्री शशिकांत शर्मा (02.08.2011 तक)	2	–
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, (20.06.2011 तक)	2	2
श्री डी. के. मित्तल (03.08.2011 से)	7	1
श्री सुबीर वि. गोकर्ण (04.08.2011 से)	7	4

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम प्रबंधन संबंधी नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 1 जुलाई 2011 को पुनर्गठित की गई जिसमें 18 मई 2012 को 5 सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक और वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तिथियाँ : 29.04.2011, 15.07.2011, 29.11.2011, 04.02.2012

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एंड एस) (30.06.2011 तक)	1	1
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)	4	4
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (01.07.2011 से)	3	1
डॉ. अशोक झुनझुनवाला (23.06.2011 तक)	1	1
श्री दिलीप सी. चौकसी (30.06.2011 तक)	1	1
डॉ. राजीव कुमार (07.09.2011 तक)	2	–
श्री एस. वेंकटाचलम (01.07.2011 से)	3	3
श्री डी. सुंदरम (01.07.2011 से)	3	3
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (01.07.2011 से)	3	2

Dates of Meetings of ACB held & Attendance of Directors during 2011-12

No. of Meetings held : 9

Dates of the Meetings : 16.05.2011, 11.06.2011, 12.08.2011, 10.09.2011, 08.11.2011, 10.12.2011, 11.02.2012, 01.03.2012, 30.03.2012

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/ election/ during tenure	No. of Meetings attended
Shri R. Sridharan, Managing Director & GE(A&S) (upto 30.06.2011)	2	2
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE(IB)	9	8
Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & GE (NB) (w.e.f. 01.07.2011)	7	6
Dr. Ashok Jhunjhunwala (upto 23.06.2011)	2	2
Shri S. Venkatachalam (upto 30.06.2011)	2	2
Shri Dileep C. Choksi	9	9
Shri D. Sundaram (w.e.f. 01.07.2011)	7	6
Shri Parthasarathy Iyengar (w.e.f. 01.07.2011)	7	3
Shri Shashi Kant Sharma (upto 02.08.2011)	2	-
Smt. Shyamala Gopinath (upto 20.06.2011)	2	2
Shri D. K. Mittal (w.e.f. 03.08.2011)	7	1
Dr. Subir V. Gokarn (w.e.f. 04.08.2011)	7	4

Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board (RMCB) was constituted on the 23rd March 2004, to oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee was last reconstituted on the 1st July 2011 and has, as on 18th May 2012, five members. The Senior Managing Director is the Chairman of the Committee. RMCB meets a minimum of four times a year, once in each quarter. During 2011-12, four meetings of the RMCB were held.

Dates of Meetings of RMCB held & Attendance of Directors during 2011-12

No. of Meetings held : 4

Dates of the Meetings : 29.04.2011, 15.07.2011, 29.11.2011, 04.02.2012

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/ election/ during tenure	No. of Meetings attended
Shri R. Sridharan, Managing Director & GE (A&S) (upto 30.06.2011)	1	1
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE (IB)	4	4
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & CFO (w.e.f 01.07.2011)	3	1
Dr. Ashok Jhunjhunwala (upto 23.06.2011)	1	1
Shri Dileep C. Choksi (upto 30.06.2011)	1	1
Dr. Rajiv Kumar (upto 07.09.2011)	2	-
Shri S. Venkatachalam (w.e.f. 01.07.2011)	3	3
Shri D. Sundaram (w.e.f. 01.07.2011)	3	3
Shri Parthasarathy Iyengar (w.e.f. 01.07.2011)	3	2

बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बांडों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति **(एसआईजीसीबी)** का 30 जनवरी 2001 को गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 1 जुलाई 2011 को पुनर्गठित की गई थी जिसमें 18 मई 2012 को पाँच सदस्य हैं और इसकी बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की वर्ष 2011-12 के दौरान चार बैठकें हुईं जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2011-12 के दौरान शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 21.04.2011, 29.08.2011, 01.12.2011, 24.03.2012

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) (30.06.2011 तक)	1	1
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)	4	4
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (01.07.2011 से)	3	3
श्री डी. सुंदरम (30.06.2011 तक)	1	1
डॉ. राजीव कुमार (01.07.2011 से 07.09.2011 तक)	2	-
श्री एस. वेंकटाचलम	4	4
श्री दिलीप सी. चौकसी	4	3
श्री रशपाल मल्होत्रा (01.07.2011 से)	3	1

अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) : 536

उन शिकायतों की संख्या, जिनका समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया गया : निरंक

लंबित शिकायतों की संख्या : निरंक

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम : : श्री श्यामल सिन्हा, महाप्रबंधक (अनुपालन)

बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

बड़ी राशियों वाली धोखाधड़ियों (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की निगरानी के लिए विशेष समिति **(एससीबीएमएफ)** का 29 मार्च 2004 को गठन किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है जिससे यह समिति प्रणालीगत खामियों, धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने एवं सूचित करने में देरी के कारणों का पता लगा सकेगी और सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रख सकेगी तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निराकरण उपाय भी शुरू कर सकेगी। इस समिति को पिछली बार 1 जुलाई 2011 को पुनर्गठित किया गया जिसमें 18 मई 2012 को छह सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board

In pursuance of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchange, Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (**SIGCB**) was formed on the 30th January 2001, to look into the redressal of shareholders' and investors' complaints regarding transfer of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of interest on bonds/declared dividends, etc. The Committee was last reconstituted on the 1st July 2011 and has, as on 18th May 2012, five members and is chaired by a Non-Executive Director. The Committee met four times during 2011-12 and reviewed the position of complaints.

Dates of Meetings of SIGCB held & Attendance of Directors during 2011-12

No. of Meetings held : 4

Dates of the Meetings : 21.04.2011, 29.08.2011, 01.12.2011, 24.03.2012

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/ election/ during tenure	No. of Meetings attended
Shri R. Sridharan, Managing Director & GE (A&S) (upto 30.06.2011)	1	1
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE(IB)	4	4
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & CFO (w.e.f. 01.07.2011)	3	3
Shri D. Sundaram (upto 30.06.2011)	1	1
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 01.07.2011 upto 07.09.2011)	2	-
Shri S. Venkatachalam	4	4
Shri Dileep C. Choksi	4	3
Shri Rashpal Malhotra (w.e.f. 01.07.2011)	3	1

Number of shareholders' complaints received so far (during the year) : 536

Number not solved to the satisfaction of shareholders : NIL

Number of Pending Complaints : NIL

Name and designation of Compliance officer : Shri Shyamal Sinha, GM (Compliance)

Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (₹1 crore and above)

The Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (₹1 crore and above) (**SCBMF**) was constituted on the 29th March 2004. The major functions of the Committee are to monitor and review all large value frauds with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed quickly, reviewing the efficacy of remedial action taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Committee was last reconstituted on the 1st July 2011 and has, as on 18th May 2012, six members. The Senior Managing Director on the Committee is the Chairman. The Committee met four times during 2011-12:

तालिका : वर्ष 2011-12 के दौरान बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 10.06.2011, 29.08.2011, 01.12.2011, 30.03.2012

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (30.06.2011 तक)	1	1
श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर. बैंकिंग) (30.06.2011 तक)	1	1
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (01.07.2011 से)	3	3
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (01.07.2011 से)	3	3
श्री दिलीप सी. चौकसी	4	3
श्री एस. वेंकटाचलम	4	4
श्री डी. सुंदरम (30.06.2011 तक)	1	1
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (01.07.2011से)	3	2
डॉ. राजीव कुमार (01.07.2011 से 07.09.2011 तक)	2	-
श्री रशपाल मल्होत्रा (01.07.2011 से)	3	1

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर एवं उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन किया गया था । यह समिति पिछली बार 1 जुलाई 2011 को पुनर्गठित की गई और 18 मई 2012 को समिति के छह सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 12.05.2011, 29.08.2011, 01.12.2011, 24.03.2012

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (30.06.2011 तक)	1	1
श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग) (30.06.2011 तक)	4	4
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (01.07.2011 से)	3	3
श्री एस. वेंकटाचलम	4	4
श्री दिलीप सी. चौकसी	4	4
डॉ. राजीव कुमार (07.09.2011 तक)	2	-
श्री रशपाल मल्होत्रा (01.07.2011 से)	3	1
श्री जी. डी. नडाफ (01.07.2011 से)	3	2

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति (टीसीबी) गठित की गई। समिति ने बैंक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक कार्यनीतिक भूमिका का निर्वाह किया है। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर समिति का नाम

Dates of Meetings of SCBMF held & Attendance of Directors during 2011-12

No. of Meetings held : 4

Dates of the Meetings : 10.06.2011, 29.08.2011, 01.12.2011, 30.03.2012

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/ election/ during tenure	No. of Meetings attended
Shri R. Sridharan, Managing Director & GE(A&S) (upto 30.06.2011)	1	1
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE(IB) (upto 30.06.2011)	1	1
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & CFO (w.e.f. 01.07.2011)	3	3
Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & GE(NB) (w.e.f.01.07.2011)	3	3
Shri Dileep C. Choksi	4	3
Shri S. Venkatachalam	4	4
Shri D. Sundaram (upto 30.06.2011)	1	1
Shri Parthasarathy Iyengar (w.e.f. 01.07.2011)	3	2
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 01.07.2011 and upto 07.09.2011)	2	-
Shri Rashpal Malhotra (w.e.f. 01.07.2011)	3	1

Customer Service Committee of the Board

The Customer Service Committee of the Board (CSCB) was constituted on the 26th August 2004, to bring about ongoing improvements on a continuous basis in the quality of customer service provided by the Bank. The Committee was last reconstituted on the 1st July 2011 and has, as on 18th May 2012, six members. The Senior Managing Director on the Committee is the Chairman. During the year 2011-12, four meetings of the Committee were held.

Dates of Meetings of CSCB held & Attendance of Directors during 2011-12

No. of Meetings held : 4

Dates of the Meetings : 12.05.2011, 29.08.2011, 01.12.2011, 24.03.2012

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/ election/ during tenure	No. of Meetings attended
Shri R. Sridharan, Managing Director & GE(A&S) (upto 30.06.2011)	1	1
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE(IB)	4	4
Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & GE(NB) (w.e.f. 01.07.2011)	3	3
Shri S. Venkatachalam	4	4
Shri Dileep C. Choksi	4	4
Dr. Rajiv Kumar (upto 07.09.2011)	2	-
Shri Rashpal Malhotra (w.e.f. 01.07.2011)	3	1
Shri G. D. Nadaf (w.e.f. 01.07.2011)	3	2

IT Strategy Committee of the Board

With a view to tracking the progress of the Bank's IT initiatives, the Bank's Central Board constituted a Technology Committee of the Board on 26th August 2004. The Committee has played a strategic role in the Bank's technology domain. Based on RBI guidelines received during the year, the Committee has been renamed as IT Strategy Committee

बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) कर दिया गया और 18 मई 2012 को इसके पाँच सदस्य हैं। समिति को निम्नांकित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

1) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक कारगर कार्यनीतिक आयोजना प्रणाली अपनाई है।
2) यह सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा के अनुरूप हैं।
3) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश, जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन दर्शाता हो और बजट स्वीकार्य हों।
4) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों पर प्रबंधन द्वारा निगरानी करने की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जानेवाली कुल निधियों की निगरानी करना; और
5) सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन आकलन और व्यवसाय में योगदान (अर्थात् वचनबद्ध मूल्य प्रदान करने) की समीक्षा करना।

यह समिति 24 अक्तूबर 2011 को पुनर्गठित की गई। समिति के पाँच सदस्य हैं। एक गैर कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की छह बैठकें हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तिथियाँ : 03.06.2011,07.09.2011,30.09.2011,09.12.2011,04.02.2012, 30.03.2012

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (30.06.2011 तक)	1	-
श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर. बैंकिंग) (30.06.2011 तक)	1	1
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (01.07.2011 से)	5	4
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (01.07.2011 से)	5	5
डॉ. अशोक झुनझुनवाला (23.06.2011 तक)	1	1
डॉ. राजीव कुमार (07.09.2011 तक)	2	1
श्री डी. सुंदरम	6	6
श्री एस. वेंकटाचलम (01.07.2011से)	5	4
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (01.07.2011से)	5	4

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशियों के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 1 जुलाई 2011 को किया गया था। इस समिति के चार सदस्य हैं जिसमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो अन्य निदेशक - श्री दिलीप चौकसी एवं श्री एस. वेंकटाचलम सम्मिलित हैं। इस समिति द्वारा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु पूर्णकालिक निदेशकों की प्रोत्साहन राशियों की जांच-पड़ताल तथा उनका भुगतान करने की संस्तुति की गई।

बोर्ड की नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय बोर्ड द्वारा, शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के चयन हेतु नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के चयन में यथेष्ट सावधानी बरतने और उनकी उपयुक्तता एवं सही स्थिति ज्ञात करने हेतु 24 जून 2011 को आयोजित शेयरधारकों की साधारण सभा में स्वतंत्र निदेशकों की एक नामांकन समिति गठित की गई। इस नामांकन समिति की बैठक 3 जून 2011 को आयोजित की गई और इसने तदनुसार उम्मीदवारों की 'उपयुक्तता एवं सही' स्थिति घोषित की।

(ITSC) of the Board and has, as on 18th May 2012, five members. The Committee is entrusted with the following roles and responsibilities :

(i) approving IT strategy and policy documents, ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place;

(ii) ensuring that the IT Organisational structure complements the business model and its direction ;

(iii) ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable;

(iv) evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks and overseeing the aggregate funding of IT at the Bank level; and

(v) reviewing IT performance measurement and contribution of IT to businesses (i.e. delivering the promised value).

The Committee was last reconstituted on the 24th October 2011 with five members and is chaired by a Non-Executive Director. The Committee met six times during 2011-12.

Dates of Meetings of ITSC held & Attendance of Directors during 2011-12

No. of Meetings held : 6

Dates of the Meetings : 03.06.2011, 07.09.2011, 30.09.2011, 09.12.2011, 04.02.2012, 30.03.2012

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/ election/ during tenure	No. of Meetings attended
Shri R. Sridharan, Managing Director & GE(A&S) (upto 30.06.2011)	1	-
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE (IB) (upto 30.06.2011)	1	1
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & CFO (w.e.f. 01.07.2011)	5	4
Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & GE(NB) (w.e.f. 01.07.2011)	5	5
Dr. Ashok Jhunjhunwala (upto 23.06.2011)	1	1
Dr. Rajiv Kumar (upto 07.09.2011)	2	1
Shri D. Sundaram	6	6
Shri S. Venkatachalam (w.e.f. 01.07.2011)	5	4
Shri Parthasarathy Iyengar (w.e.f. 01.07.2011)	5	4

Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee was constituted on 22nd March 2007, for evaluating the performance of Whole Time Directors of the Bank in connection with the payment of incentives, as per the scheme advised by Government of India in March 2007. The Committee was last reconstituted on 1st July 2011. The Committee has four members consisting of (i) the Government Nominee Director, (ii) the RBI Nominee Director and (iii) two other Directors – Shri Dileep C. Choksi and Shri S. Venkatachalam. The Committee scrutinised and recommended payment of incentives to whole-time Directors for the year ended 31st March 2011.

Nomination Committee of the Board :

In terms of RBI guidelines, a Nomination Committee of independent Directors was constituted by the Central Board at its meeting held on 17th May 2011 to carry out necessary due diligence and arrive at the 'fit and proper' status of candidates filing nominations for election as Directors by shareholders at the General Meeting held on 24th June 2011. The Nomination Committee met on 3rd June 2011 and declared the 'fit and proper' status of candidates accordingly.

स्थानीय बोर्ड

प्रत्येक केन्द्र में जहाँ पर बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक केंद्र पर बैंक का एक स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ), स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2012 को दस स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ और अन्य चार स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्डों की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक फीस

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार बैठक फीस अदा की जाती है। तथापि गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड की समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। दिनांक 18 अक्तूबर 2011 से निदेशकों को केंद्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक मे सहभागिता करने हेतु दी जानेवाली बैठक फीस ₹ 5,000 से बढ़ाकर ₹ 10,000 तथा बोर्ड स्तरीय समितियों की एक बैठक के लिए ₹ 2,500 से बढ़ाकर ₹ 5,000 कर दी। तथापि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नामित निदेशकों को बैठक फीस नहीं दी जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान अदा की गई बैठक फीस का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने, वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वर्ष 2011-12 में संदत्त वेतन व भत्ते

	मूल वेतन ₹	महंगाई भत्ता ₹	प्रोत्साहन ₹	अन्य बकाया ₹	कुल पारिश्रमिक ₹
अध्यक्ष श्री प्रतीप चौधरी (01.04.2011-31.03.2012)	9,44,000.00	4,81,440.00	-	77,778.00	15,03,218.00
प्रबंध निदेशक श्री आर. श्रीधरन (सेवानिवृत्त 01.04.2011-30.06.2011)	4,08,000.00	2,22,480.00	-	-	6,30,480.00
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर (01.04.2011-31.03.2012)	8,90,900.00	4,54,359.00	-	-	13,45,259.00
श्री दिवाकर गुप्ता (01.04.2011-31.03.2012)	8,90,900.00	4,54,359.00	-	65,893.00	14,11,152.00
श्री ए. कृष्ण कुमार (01.04.2011-31.03.2012)	8,90,900.00	4,54,359.00	-	-	13,45,259.00

वार्षिक महासभा में उपस्थिति:

वर्ष 2010-11 की वार्षिक महासभा 20 जून 2011 को आयोजित की गई जिसमें 10 निदेशक उपस्थित थे। इनके नाम हैं - श्री प्रतीप चौधरी, श्री आर. श्रीधरन, श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, श्री दिवाकर गुप्ता, श्री ए. कृष्ण कुमार, श्री डी. सुंदरम, श्री दिलीप सी. चौकसी, श्री एस. वेंकटाचलम, श्री रशपाल मल्होत्रा और श्री जी. डी. नडाफ।

वार्षिक महासभाएँ

बैंक के शेयरधारकों की वर्ष 2010-11 की वार्षिक महासभा 20 जून 2011 को, वर्ष 2009-10 की 16 जून 2010 को और वर्ष 2008-09 की 19 जून 2009 को आयोजित की गई । से सभी सभाएं, मुंबई में आयोजित की गईं । इसके अलावा पूर्व में आयोजित 3 बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

Local Boards

In terms of the provisions of SBI Act and General Regulations 1955, at every centre where the Bank has a Local Head Office (LHO), Local Boards / Committees of Local Boards are functional. The Local Boards exercise such powers and perform such other functions and duties delegated to them by the Central Board. As on 31st March 2012, Local Boards at Ten LHOs and Committees of the Local Boards at the remaining four LHOs were functional. The minutes and proceedings of the meetings of Local Boards/Committees of Local Boards are placed before the Central Board.

Sitting Fees

The remuneration of the whole-time Directors and the Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors for attending the meetings of the Board/Committees of the Board are as prescribed by GOI from time to time. No remuneration, other than the Sitting Fees for attending Board and/or its Committee meetings, is paid to Non Executive Directors. With effect from 18th October 2011, the Sitting Fees have been revised from ₹ 5,000/- to ₹10,000/- for attending the meetings of the Central Board and from ₹2,500/- to ₹5,000/- for attending the meetings of other Board level Committees. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Directors of the Bank and GOI Nominee/RBI Nominee Directors. Details of sitting fees paid during the year 2011-12 are placed in Annexure-IV.

Compliance with Bank's Code of Conduct

The Directors on the Bank's Central Board and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2011-12. Declaration to this effect signed by the Chairman is placed in Annexure-V. The Code is posted on the Bank's website.

Salary and Allowances paid to the Chairman and Managing Directors in 2011-12

	Basic	DA	Incentives	Others Arrears	Total Remuneration
	₹	₹	₹	₹	₹
Chairman					
Shri Pratip Chaudhuri (01.04.2011-31.03.2012)	9,44,000.00	4,81,440.00	—	77,778.00	15,03,218.00
Managing Directors					
Shri R. Sridharan (Retd. 01.04.2011-30.06.2011)	4,08,000.00	2,22,480.00	—	—	6,30,480.00
Shri Hemant G. Contractor (01.04.2011-31.03.2012)	8,90,900.00	4,54,359.00	—	—	13,45,259.00
Shri Diwakar Gupta (01.04.2011-31.03.2012)	8,90,900.00	4,54,359.00	—	65,893.00	14,11,152.00
Shri A. Krishna Kumar (01.04.2011-31.03.2012)	8,90,900.00	4,54,359.00	—	—	13,45,259.00

Attendance of the Annual General Meeting

The Annual General Meeting for the year 2010-11, held on the 20th June 2011, was attended by 10 directors, viz., Shri Pratip Chaudhuri, Shri R. Sridharan, Shri Hemant G. Contractor, Shri Diwakar Gupta, Shri A. Krishna Kumar, Shri D. Sundaram, Shri Dileep C. Choksi, Shri S. Venkatachalam, Shri Rashpal Malhotra and Shri G. D. Nadaf.

Annual General Meetings

The Annual General Meeting for 2010-11 was held on the 20th June 2011, for 2009-10 on the 16th June 2010 and for 2008-09 on the 19th June 2009. All these meetings were held at Mumbai. Further, no Special resolutions were passed in the previous 3 Annual General Meetings.

प्रकटीकरण

बैंक ने स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है - बशर्ते की खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों या निदेशों का अतिक्रमण नहीं कर रहीं हों।

निदेशक बोर्ड का गठन, लेखा परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खण्ड 49 की सांविधिक अपेक्षाएँ बैंक पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

शेयरधारकों के आवास पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय निष्पादन तथा महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षेप में प्रेषित करने को छोड़कर बैंक ने खण्ड 49 की सभी गैर-सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

सूचीकरण करार के खंड 49 (V) के अनुसार, वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

बैंक अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों, आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्त्वपूर्ण भौतिक लेनदेन से असंबद्ध रहा है जो बृहत्तर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो सकते थे।

बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों अथवा सेबी अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोय नियमों और विनियमों का विगत तीन वर्षों के दौरान पालन किया गया है। इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विसल ब्लोअर नीति लागू की गई है और सभी स्टाफ सदस्यों की जानकारी के लिए इसे बैंक की इंटरानेट साइट पर उपलब्ध कराया गया है।

संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ़ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2011-12 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न उत्पाद-प्रस्तावों का ब्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें बेंक के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुति तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे बैंक के कार्यनिष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना :

शेयरधारकों की वार्षिक महासभाः दिनांक 22.06.2012, समय अपराह्न 3.30 बजे, स्थान : 'वाई.बी.चह्वान सेंटर', जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग; नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

वित्तीय कैलेंडर	:	01.04.2011 से 31.03.2012
बहीबंदी की तिथि	:	26.05.2012 से 31.05.2012
₹ /- प्रति शेयर की दर से लाभांश का भुगतान	:	₹ 35/-
भुगतान की तिथि	:	15.06.2011
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	:	भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों के लाभांशों का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी किया जा रहा है।
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	:	मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई. जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं) लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई), एसबीआईएन (एनएसई), सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)

हमारे बैंक को बीएसई-ग्रीनेक्स में सम्मिलित किया गया है जो भारत का पहला कार्बन-एफिशिएंट लाइव इंडेक्स है और कार्बन उत्सर्जन के संबंध में कंपनियों के प्रदर्शन की माप करता है। इस इंडेक्स में देश की ऐसी शीर्ष 20 कंपनियाँ शामिल हैं जो कार्बन उत्सर्जन में किफायत बरतती हैं, जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइनेशन और टर्न ओवर है।

Disclosure:

The Bank has complied in all respects with the requirements of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of State Bank of India Act 1955, the Rules and Regulations made thereunder and guidelines or directives issued by the Reserve Bank of India.

Mandatory requirements of Clause 49 as to the composition of the Board of Directors, composition and quorum of the Audit Committee, Non-executive Directors' compensation, the appointment, re-appointment of the Statutory Auditors and fixation of their fees are not binding on the Bank, as separate provisions in the State Bank of India Act, SBI General Regulations and the Reserve Bank of India guidelines deal with the same.

The Bank has complied with all applicable non-mandatory requirements of Clause 49, except for sending half-yearly declaration of financial performance and summary of significant events to the households of shareholders, since detailed information on the same is posted on the website of the Bank.

In terms of Clause 49(V) of the Listing Agreement, a certificate by the Managing Director & Chief Financial Officer on the financials statements & internal controls relating to financial reporting has been obtained.

The Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters, Directors, or Management, their subsidiaries or relatives, etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by stock exchanges or SEBI or any other statutory authority relating to the capital markets during the last three years. No penalties or strictures have been imposed by them on the Bank.

The Whistle Blower Policy, approved by the Board of the Bank, is in place and has been uploaded on the Bank's intranet site for information of all the staff members.

Means of Communication

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. Annual, half-yearly and quarterly results of the Bank for the year 2011-12 were published in the leading newspapers of the country. The results were also displayed on the Bank's website (www.sbi.co.in and www.statebankofindia.com). The Annual Report is sent to all shareholders of the Bank. The Bank's website displays, interalia, official news releases of the Bank, the Bank's Annual Report and Half-yearly report, and details of various product offerings. Every year, after the annual and half-yearly results are declared, a Press-meet is held on the same day, in which the Chairman makes a presentation and answers the queries of the media. This is followed by another meeting to which a number of investment analysts are invited. Details of the Bank's performance are discussed with the analysts in the meeting. After declaring quarterly results, press notifications are issued.

General Shareholder Information:

The Annual General Meeting of the Shareholders: Date: 22.06.2012, Time 3.30 p.m. Venue: "Y. B. Chavan Centre", General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Financial Calendar	:	01.04.2011 to 31.03.2012
Period of Book Closure	:	26.05.2012 to 31.05.2012
Dividend @ ₹/- per Share	:	₹ 35/-
Payment Date	:	15.06.2012 Record Date : 25.05.2012
Electronic Clearing	:	Dividend on SBI shares is also being paid through various electronic modes.
Listing on Stock Exchanges	:	Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, New Delhi, Chennai and National Stock Exchange, Mumbai. GDRs listed on London Stock Exchange (LSE). Listing fees have been paid upto date to all Stock Exchanges including LSE.
Stock Code/CUSIP	:	Stock Code 500112 (BSE) SBIN (NSE) CUSIP US 856552203 (LSE)

Our Bank is included in the BSE-Greenex, India's first carbon-efficient live index that measures the performances of companies in terms of carbon emissions. The index comprises the top 20 companies of the country which are good in terms of Carbon Emissions, Free-Float Market Capitalisation and Turnover.

शेयर-हस्तांतरण व्यवस्था	:	शेयर हस्तांतरण की कार्रवाई कागज पर की जाती है तथा निर्धारित समयावधि में इसे शेयरधारक को लौटा दिया जाता है। एक स्वतंत्र निजी कंपनी सचिव द्वारा सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार त्रैमासिक हस्तांतरण लेखा परीक्षा तथा मिलान किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेंट तथा उनका पता	:	मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक,प्लॉट बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093
बोर्ड फोन नं.	:	022-6671 2151 से 56 तक (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक तथा अपराह्न 2.00 बजे से 4.30 बजे तक)
सीधी लाइनें	:	022-6671 2198, 6671 2199/ 022-6671 2201 से 6671 2203 तक
ई-मेल पता	:	**sbi_eq@dfssl.com**
फैक्स	:	(022) 66712204
पत्र व्यवहार के लिए पता	:	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पाइंट, मुंबई 400 021.
टेलीफोन	:	(022) 22740841 से 22740848 (8 लाइनें)
फैक्स	:	(022) 22855348
ई-मेल पता	:	**gm.snb@sbi.co.in, investor.complaints@sbi.co.in**

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

बैंक के पास 31.03.2012 को 84,88,749 जीडीआर से संबंधित 1,69,77,498 शेयर थे ।

शेयरों का डीमैटीरियलाइजेशन और लिक्विडिटी

रूप	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की %	फोलियो संख्या	कुल फोलियो का %
कागज़ रूप में	1,09,89,688	1.64%	2,15,801	25.16%
कागज़ रहित	66,00,55,150	98.36%	6,42,053	74.84%
कुल	67,10,44,838	100.00%	8,57,854	100.00%

प्रति शेयर बही मूल्य : ₹ 1,214.78 **आर्थिक मूल्य वर्धित (ईवीए): ₹ 5,469 करोड़**

दावारहित शेयर : सूचीकरण करारों की धारा 5क में किए गए संशोधन के अनुसार हमने 25,881 शेयर ट्रांस्फर और डीमैटीरियलाइज्ड किए है, जिसमें 1,130 शेयर प्रमाणपत्र और 1,083 फोलियो शामिल हैं जो 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - अनक्लेम्ड सिक्युरिटीज सस्पेंस अकाउंट' में अंतरित कर दिए गए हैं। बैंक इन्हें कागज रहित बनाने की कार्रवाई कर रहा है।

लाभांश निष्पादन : भारतीय स्टेट बैंक पिछले कई वर्षों से अपने शेयरधारकों को निरंतर वृद्धिशील लाभांश भुगतान करता आ रहा है।

ई-पहल : कारपोरेट अभिशासन में 'ग्रीन प्रयासों' पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार इस वर्ष से हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं जो इसे अपने ई-मेल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हम इन शेयरधारकों का आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमारी हरी-भरी धरती पहल में शामिल हुए हैं और ई-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

निवेशक सेवा :

निवेशकों की शेयरधारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुंबई में बैंक के कारपोरेट केंद्र में एक पूर्ण व्यवस्थित विभाग - शेयर एवं बांड विभाग - और 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शेयर एवं बांड कक्ष हैं। निवेशकों की शिकायतें, चाहे बैंक कार्यालयों को या रजिस्ट्रार ऑर ट्रांस्फर एजेंटों को मिली हों, तुरंत ध्यान देकर उनका समाधान किया जाता है। इस कार्य की निगरानी शीर्ष प्रबंधन स्तर पर की जाती है।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव :

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स / एनएसई निफ्टी निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंक के शेयरों का 30.03.2012 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 4.10% और एनएसई निफ्टी में 3.31% था।

Share Transfer System	:	Share transfers in Physical form are processed and returned to the shareholders within stipulated time. Quarterly Share Transfer Audit and Reconciliation of Share Capital Audit in terms of the Listing Agreements are regularly carried out by an independent private Company Secretary.
Registrar and Transfer Agent and their Unit Address	:	M/s Datamatics Financial Services Limited Unit: State Bank of India, Plot B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Marol, Andheri (E), Mumbai 400 093.
Board Phone Numbers	:	022-6671 2151 to 56 (between 10 a.m. to 1.00 p.m. and 2 p.m. to 4.30 p.m.)
Direct Numbers	:	022-6671 2198, 6671 2199/ 022-6671 2201 to 6671 2203
E-mail address	:	**sbi_eq@dfssl.com**
Fax	:	(022) 6671 2204
Address for Correspondence	:	State Bank of India, Shares & Bonds Department, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madam Cama Road, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Telephones	:	(022) 22740841 To 22740848 (8 lines)
Fax	:	(022) 22855348
E-mail address	:	**gm.snb@sbi.co.in, investor.complaints@sbi.co.in**

Outstanding Global Depository Receipts (GDR)

The Bank had 84,88,749 GDRs as on 31.03.2012 representing 1,69,77,498 shares.

Dematerialisation of Shares and Liquidity

Mode	No. of Shares	% of Total Shares	Folio Nos.	% of Total Folios
Physical	1,09,89,688	1.64%	2,15,801	25.16%
Demat	66,00,55,150	98.36%	6,42,053	74.84%
Total	67,10,44,838	100.00%	8,57,854	100.00%

Book Value per Share: ₹ 1,214.78 **Economic Value added (EVA): ₹ 5,469 Crores**

Unclaimed Shares: In terms of Amendment in Clause 5A of the Listing Agreement, we have transferred and dematerialised 25,881 shares comprised in 1,130 share certificates involving 1,083 folios into "State Bank of India-Unclaimed Securities Suspense Account".

Dividend History: SBI has the distinction of making uninterrupted dividend payment to the shareholders at an increasing rate for the last so many years.

E-initiative: In accordance with SEBI guidelines on Green Initiative in the Corporate Governance, we are issuing Annual Report in electronic form from this year to those shareholders who opt for receiving the same in electronic form through their e-mail. We are grateful to the shareholders who have joined us in Green initiative and opted for e-annual report.

Investors' Care:

To meet various requirements of the investors regarding their holdings, the Bank has a full-fledged Department - Shares & Bonds Department - at Mumbai and Shares & Bonds Cells at the 14 Local Head Offices. The investors' grievances, whether received at the Banks offices or at the office of the Registrar and Transfer Agents, are redressed expeditiously and monitored at the Top Management level.

Share Price Movement:

The movement of the share price and the BSE Sensex / NSE Nifty is presented in the following Tables. The market capitalisation of the Bank's shares had a weightage of 4.10% in BSE Sensex and 3.31% in NSE Nifty as on 30.03.2012.

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े (बाजार बंद होने के समय मूल्य)

मास	बीएसई में भारतीय स्टेट बैंक के शेयर का भाव (₹)		बीएसई सेंसेक्स	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-11	2959.90	2707.00	19811.14	18976.19
मई-11	2819.55	2165.00	19253.87	17786.13
जून-11	2430.00	2123.00	18873.39	17314.38
जुलाई-11	2529.50	2335.00	19131.70	18131.86
अगस्त-11	2383.85	1872.00	18440.07	15765.53
सितंबर-11	2049.00	1812.90	17211.80	15801.01
अक्तूबर-11	1989.50	1708.55	17908.13	15745.43
नवंबर-11	2018.25	1629.10	17702.26	15478.69
दिसंबर-11	1951.75	1576.00	17003.71	15135.86
जनवरी-12	2083.80	1611.50	17258.97	15358.02
फरवरी-12	2474.80	1975.05	18523.78	17061.55
मार्च-12	2374.00	2047.65	18040.69	16920.61

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े (बाजार बंद होने के समय मूल्य)

मास	एनएसई में भारतीय स्टेट बैंक के शेयर का भाव (₹)		एनएसई सेंसेक्स	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-11	2960.05	2705.10	5944.45	5693.25
मई-11	2819.00	2165.00	5775.25	5328.70
जून-11	2433.00	2120.05	5657.90	5195.90
जुलाई-11	2529.70	2334.70	5740.40	5453.95
अगस्त-11	2383.00	1866.60	5551.90	4720.00
सितंबर-11	2047.95	1808.50	5169.25	4758.85
अक्तूबर-11	1989.00	1710.00	5399.70	4728.30
नवंबर-11	2017.50	1627.25	5326.45	4639.10
दिसंबर-11	1959.85	1571.10	5099.25	4531.15
जनवरी-12	2085.95	1611.40	5217.00	4588.05
फरवरी-12	2475.00	1982.30	5629.95	5159.00
मार्च-12	2374.40	2047.15	5499.40	5135.95

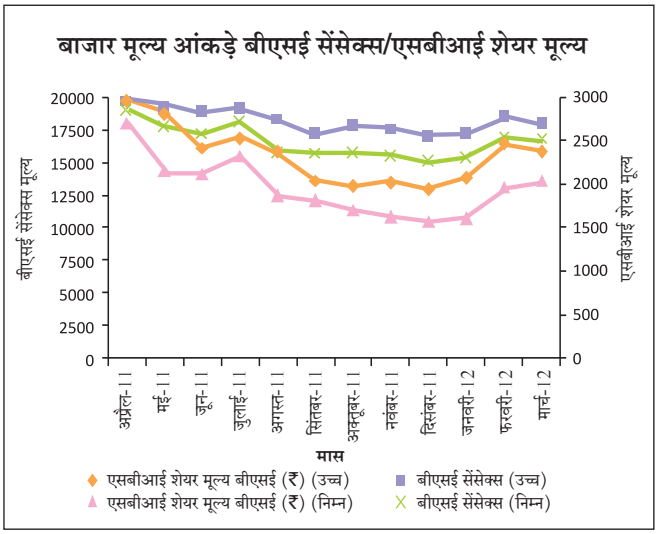

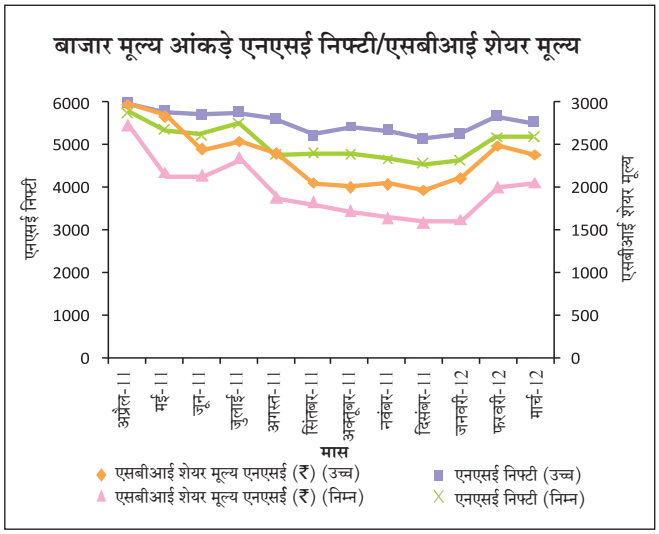

पिछले 10 वर्षों में एनएसई (निफ्टी) में एसबीआई शेयरों पर लाभ

	निफ्टी (% लाभ)	बैंक निफ्टी (% लाभ)	एसबीआई (% लाभ)
पिछले 2 वर्ष	0.88	7.96	0.87
पिछले 3 वर्ष	75.29	147.09	96.45
पिछले 5 वर्ष	38.57	92.38	110.80
पिछले 7 वर्ष	160.14	188.77	220.15
पिछले 10 वर्ष	368.82	888.09	853.10

Table: Market Price Data (Closing Values)

Months	SBI's Share Price at BSE (₹)		BSE Sensex	
	High	Low	High	Low
Apr-11	2959.90	2707.00	19811.14	18976.19
May-11	2819.55	2165.00	19253.87	17786.13
Jun-11	2430.00	2123.00	18873.39	17314.38
Jul-11	2529.50	2335.00	19131.70	18131.86
Aug-11	2383.85	1872.00	18440.07	15765.53
Sep-11	2049.00	1812.90	17211.80	15801.01
Oct-11	1989.50	1708.55	17908.13	15745.43
Nov-11	2018.25	1629.10	17702.26	15478.69
Dec-11	1951.75	1576.00	17003.71	15135.86
Jan-12	2083.80	1611.50	17258.97	15358.02
Feb-12	2474.80	1975.05	18523.78	17061.55
Mar-12	2374.00	2047.65	18040.69	16920.61

Table: Market Price Data (Closing Values)

Months	SBI's Share Price at NSE (₹)		NSE Sensex	
	High	Low	High	Low
Apr-11	2960.05	2705.10	5944.45	5693.25
May-11	2819.00	2165.00	5775.25	5328.70
Jun-11	2433.00	2120.05	5657.90	5195.90
Jul-11	2529.70	2334.70	5740.40	5453.95
Aug-11	2383.00	1866.60	5551.90	4720.00
Sep-11	2047.95	1808.50	5169.25	4758.85
Oct-11	1989.00	1710.00	5399.70	4728.30
Nov-11	2017.50	1627.25	5326.45	4639.10
Dec-11	1959.85	1571.10	5099.25	4531.15
Jan-12	2085.95	1611.40	5217.00	4588.05
Feb-12	2475.00	1982.30	5629.95	5159.00
Mar-12	2374.40	2047.15	5499.40	5135.95

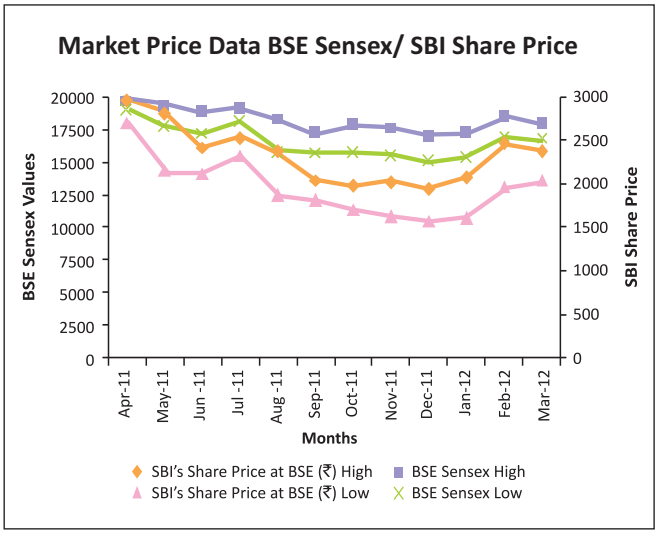

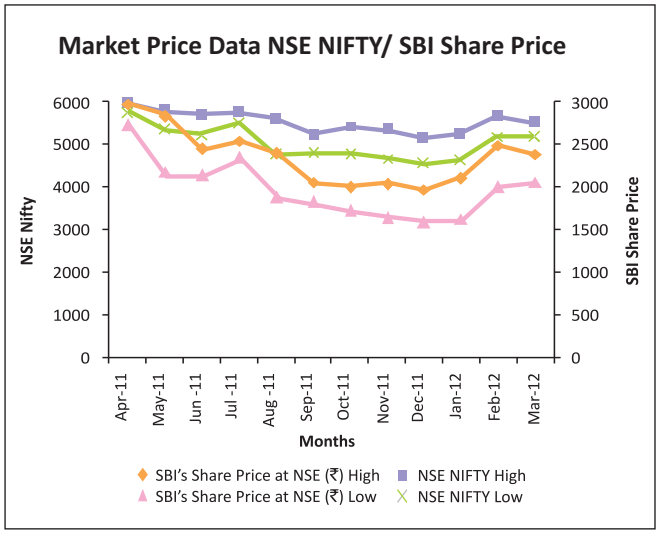

Return on SBI shares on NSE (NIFTY) in the last 10 years

	NIFTY (% Return)	BANK NIFTY (% Return)	SBI (% Return)
Last 2 years	0.88	7.96	0.87
Last 3 years	75.29	147.09	96.45
Last 5 years	38.57	92.38	110.80
Last 7 Years	160.14	188.77	220.15
Last 10 years	368.82	888.09	853.10

मास	एलएसई में भारतीय स्टेट बैंक के (जीडीआर)		
	उच्च	निम्न	बकाया जीडीआर (संख्या)
अप्रैल-11	139.00	126.50	90,52,680
मई-11	137.00	100.10	90,52,680
जून-11	110.10	97.10	90,52,680
जुलाई-11	115.90	109.80	90,52,680
अगस्त-11	108.20	91.10	90,52,680
सितंबर-11	95.70	82.80	90,44,344
अक्तूबर-11	84.50	75.00	90,44,344
नवंबर-11	83.90	65.25	90,44,344
दिसंबर-11	75.40	60.70	90,23,188
जनवरी-12	83.50	63.95	90,19,188
फरवरी-12	98.55	83.65	86,08,308
मार्च-12	93.75	81.60	84,88,749

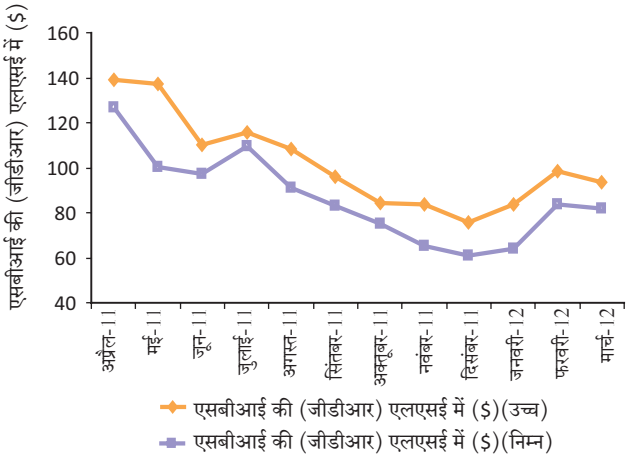

31.03.2012 को शेयरधारिता का विवरण

क्र.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत की राष्ट्रपति	61.58
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी कारपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/ वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	11.39
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	4.82
4	निजी कारपोरेट निकाय	3.95
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	12.14
6	अन्य निवासी व्यक्तियों सहित	6.12
	कुल	100.00

तालिका : बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र.	नाम	कुल ईक्विटी में शयरों का प्रतिशत %
1	भारत की राष्ट्रपति	61.58
2	भारतीय जीवन बीमा निगम एवं समूह	11.08
3	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन	2.53
4	आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.87
5	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड खाता एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड मॉरिशस लि.	0.76
6	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - टॉप 200 फंड	0.67
7	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी ईक्विटी फंड	0.63
8	भारतीय साधारण बीमा निगम	0.48
9	स्केजेन कॉन-टिकी वर्डिप एपिरफांड	0.34
10	जेनस ओवरसीज फंड	0.34

31.03.2012 को शेयरधारिता प्रतिशत

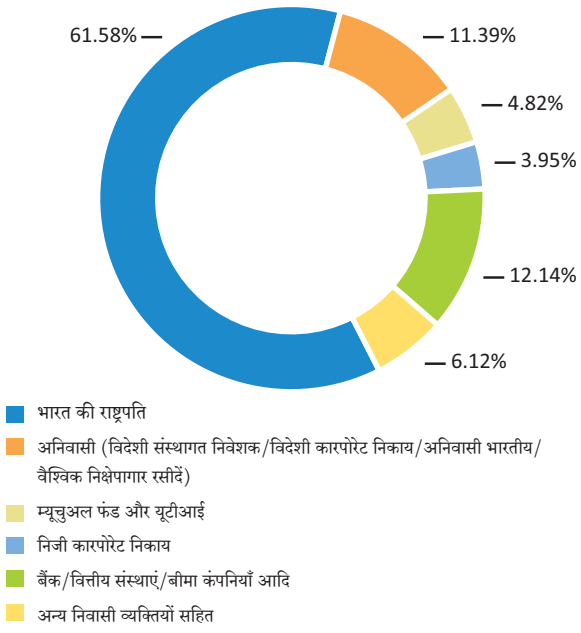

Months	SBI's (GDR) at LSE ($)		
	High	Low	GDRs Outstanding (Nos.)
Apr-11	139.00	126.50	90,52,680
May-11	137.00	100.10	90,52,680
Jun-11	110.10	97.10	90,52,680
Jul-11	115.90	109.80	90,52,680
Aug-11	108.20	91.10	90,52,680
Sep-11	95.70	82.80	90,44,344
Oct-11	84.50	75.00	90,44,344
Nov-11	83.90	65.25	90,44,344
Dec-11	75.40	60.70	90,23,188
Jan-12	83.50	63.95	90,19,188
Feb-12	98.55	83.65	86,08,308
Mar-12	93.75	81.60	84,88,749

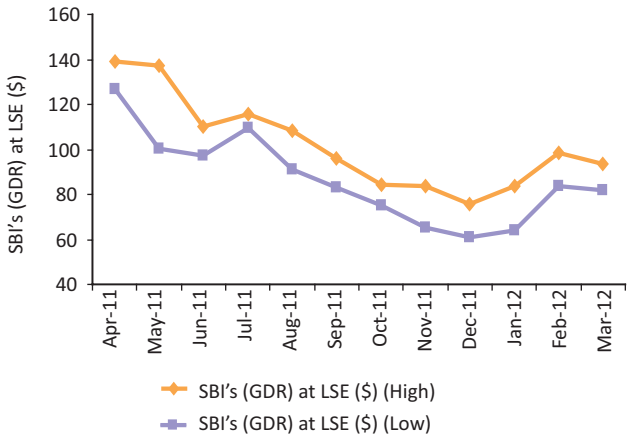

Distribution of Shareholding as on 31.03.2012

Sr. No.	Description	% to Total
1	PRESIDENT OF INDIA	61.58
2	Non residents (FIIs/OCBs/NRIs/GDRs)	11.39
3	Mutual Funds & UTI	4.82
4	Private Corporate Bodies	3.95
5	Banks/FIs/Insurance Cos etc	12.14
6	Others including Resident Individuals	6.12
	Total	100.00

TOP TEN SHAREHOLDERS

Sr. No.	Name	% of Shares in total Equity
1	PRESIDENT OF INDIA	61.58
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA - GROUP	11.08
3	THE BANK OF NEW YORK MELLON	2.53
4	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	0.87
5	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS A/C HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS MAURITIUS LIMITED	0.76
6	HDFC TRUSTEE COMPANY LIMITED-HDFC TOP 200 FUND	0.67
7	HDFC TRUSTEE COMPANY LIMITED-HDFC EQUITY FUND	0.63
8	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	0.48
9	SKAGEN KON-TIKI VERDIP APIRFOND	0.34
10	JANUS OVERSEAS FUND	0.34

Distribution of Shareholding as on 31.03.2012

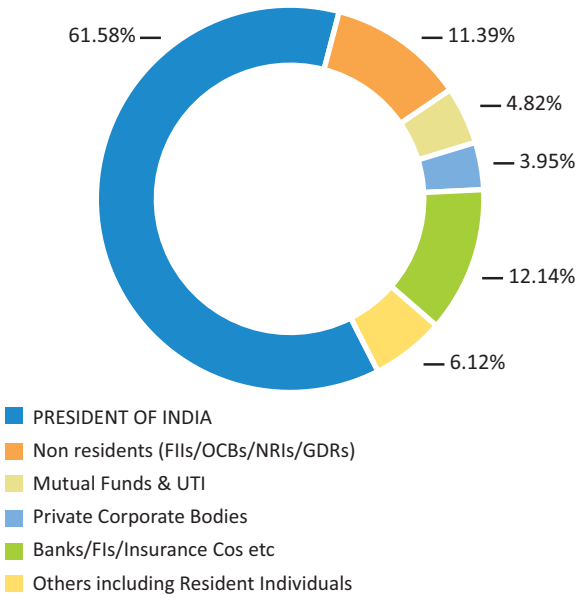

अनुलग्नक I

दिनांक 18 मई 2012 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री दिलीप सी. चौकसी (जन्म तिथिः 26 दिसंबर 1949)

श्री दिलीप सी. चौकसी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 को तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा पुनः निर्वाचित निदेशक हैं। वे पिछले 36 वर्षों से सक्रिय सनदी लेखाकार हैं और सी3 एडवाईज़र्स पी. लि. के मुख्य परामर्शदाता हैं। वे यूनिवर्सल ट्रस्टीज़ पी. लि. के प्रवर्तक तथा वर्ल्ड टैक्स सर्विस इंडिया पी. लिमिटेड सहित अनेक कंपनियों में निदेशक हैं। वे योग्यता प्राप्त लागत लेखाकार एवं अधिवक्ता हैं तथा डेलोइट कंपनी को स्थापित करने में उनका प्रमुख योगदान था और वे इस कंपनी के संयुक्त प्रबंध भागीदार थे। वे बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज, भारतीय रिज़र्व बैंक और जमनालाल बजाज प्रबंध अध्ययन संस्थान, मुंबई के अतिथि संकाय रहे हैं।

श्री एस. वेंकटाचलम (जन्म तिथिः 8 नवंबर 1944)

श्री एस. वेंकटाचलम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा पुनः निर्वाचित निदेशक हैं। वे सक्रिय सनदी लेखाकार हैं और सिटी ग्रुप एवं सिटी बैंक एनए इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में 31 वर्षों से वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे।

श्री डी. सुंदरम (जन्म तिथिः 16 अप्रैल 1953)

श्री डी. सुंदरम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा पुनः निर्वाचित निदेशक हैं। वे टीवीएस कैपिटल फंड्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अकाउंटेंट (एफआइसीडब्ल्युए) हैं और वित्त तथा लेखा के क्षेत्र में वृहद् अनुभव रखते हैं। वे हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के उपाध्यक्ष एवं मुख्य वित्त अधिकारी, कारपोरेट अकाउंटेंट, वाणिज्यिक प्रबंधक एवं कोषपाल, वित्त सदस्य, टॉमको इंटीग्रेशन टीम और वित्त निदेशक, ब्रुक बांड लिप्टन इंडिया लिमिटेड, जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वे यूनीलीवर लिमिटेड, लंदन में अफ्रीका एवं मध्यपूर्व हेतु वाणिज्यिक अधिकारी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष-वित्त, सेंट्रल एंड मिडिल ईस्ट ग्रुप जैसे विभिन्न पदों पर भी कार्यरत रहे।

श्री पार्थसारथी अय्यंगार (जन्म तिथिः 2 जून 1961)

श्री पार्थसारथी अय्यंगार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। श्री अय्यंगार को यूएसए से इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन (प्रबंधन सूचना प्रणाली) में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त है। उन्हें यूएस और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे विश्वविख्यात सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं सलाहकार संस्था गार्टनर के उपाध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित विश्लेषक हैं और वर्तमान में भारत में इसके क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री ज्योति बी. महापात्रा (जन्म तिथिः 23 सितंबर 1957)

श्री ज्योति बी. महापात्रा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग क) के अंतर्गत 21 नवंबर 2011 से केंद्र सरकार के द्वारा नामित वर्कमेन कर्मचारी निदेशक हैं।

श्री जी. डी. नडाफ (जन्म तिथिः 1 जून 1952)

श्री जी. डी. नडाफ, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग ख) के अंतर्गत 4 नवंबर 2010 से केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक हैं।

श्री रशपाल मल्होत्रा (जन्म तिथिः 10 नवंबर 1936)

श्री रशपाल मल्होत्रा, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 10 मई 2011 से 1 वर्ष तथा 3 माह के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र (सीआरआरआईडी), चंडीगढ़ के संस्थापक निदेशक रहे हैं और वर्तमान में वे इसके कार्यपालक उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले श्री मल्होत्रा इलाहाबाद बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया के बोर्डों में निदेशक रहे हैं।

Annexure I

Brief Resumes of the Non-Executive Directors on the Board as on 18th May 2012

Shri Dileep C. Choksi (Date of Birth: 26th December 1949)

Shri Dileep C. Choksi is a Director re-elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 25th June 2011, for three years. He is a practising Chartered Accountant since 36 years and is the Chief Mentor of C3 Advisors P. Ltd. and promoter of Universal Trustees P. Ltd. and director in several companies including World Tax Service India P. Ltd. He is also a qualified Cost Accountant and Lawyer and was a leader in establishing Deloitte, of which he was the Joint Managing Partner. He has been a visiting faculty at Bankers Training College, Reserve Bank of India and Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai.

Shri S. Venkatachalam (Date of Birth: 8th November 1944)

Shri S. Venkatachalam is a Director re-elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 25th June 2011, for three years. He is a practising Chartered Accountant and was employed with Citi Group and Citibank NA India Organisation in the Senior Management Cadre for a period of 31 years in various capacities.

Shri D. Sundaram (Date of Birth: 16th April 1953)

Shri D. Sundaram is a Director re-elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f 25th June 2011, for a period of three years. He is Vice Chairman and Managing Director of TVS Capital Funds Limited. He is a professionally qualified Accountant (FICWA) and carries a rich experience in the area of Finance and Accounting. He held many important positions in Hindustan Unilever Ltd. (HUL) group as Vice-Chairman & CFO, Corporate Accountant, Commercial Manager and Treasurer, Finance Member, TOMCO Integration Team, and Finance Director, Brooke Bond Lipton India Ltd. He had also held various positions in Unilever Ltd., London as Commercial Officer for Africa and Middle East and Senior Vice President – Finance, Central and Middle East Group.

Shri Parthasarathy Iyengar (Date of Birth : 2nd June 1961)

Shri Parthasarathy Iyengar is a Director elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 25th June 2011, for three years. Shri Iyengar holds Post graduate degrees in Engineering and Management (Management Information Systems) from USA. He has more than 25 years of experience in the field of Information Technology in US and India. He is Vice President and Distinguished Analyst in Gartner, a world renowned IT research and advisory services entity and currently its Regional Research Director in India.

Shri Jyoti B.Mohapatra (Date of Birth : 23rd September 1957)

Shri Jyoti B. Mohapatra is a Workmen Employee director u/s 19(ca) of SBI Act, nominated by the Central Government, w.e.f. 21st November 2011.

Shri G.D. Nadaf (Date of Birth : 1st June 1952)

Shri G.D. Nadaf is an Officer Employee director u/s 19(cb) of SBI Act, nominated by the Central Government, w.e.f. 4th November 2010.

Shri Rashpal Malhotra (Date of Birth : 10th November 1936)

Shri Rashpal Malhotra is a director nominated by the Central Government u/s 19(d) of SBI Act, w.e.f. 10th May 2011 for one year and three months. He is the Founder Director of Centre for Research in Rural and Industrial Development (CRRID), Chandigarh and presently its Executive Vice-Chairman. Earlier, Shri Malhotra was a Director on the Boards of Allahabad Bank and Bank of India.

श्री दीपक आई. अमिन (जन्म तिथिः 20 अप्रैल 1966)

श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 जनवरी 2012 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री अमिन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी. टेक तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएस की डिग्री प्राप्त हैं। श्री अमिन कोविलिक्स, इंक सीटल व भारत आधारित अंतराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी (एमटेक आइएनसी के द्वारा अधिगृहीत) के सह संस्थापक व सीईओ हैं। इससे पहले श्री अमिन विजंगल, आइएनसी एक वेब सर्विसेस सॉफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसका अधिग्रहण स्ट्रीमसर्व द्वारा किया गया है, के संस्थापक व सीईओ रहे हैं। श्री अमिन कई वर्षों तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नेटवर्किंग टीम के प्रमुख इंजीनियर तथा माइक्रोसाफ्ट, यूएसए के मूल इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र टीम के वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं।

श्री डी.के. मित्तल (जन्म तिथिः 25 जनवरी 1953)

श्री डी.के. मित्तल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 3 अगस्त 2011 से केंद्र सरकार के द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री डी.के. मित्तल वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं।

डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण (जन्म तिथिः 3 अक्तूबर 1959)

डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 4 अगस्त 2011 से केंद्र सरकार के द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर हैं।

अनुलग्नक II

31.03.2012 को निदेशक बोर्ड/बैंक/अन्य कंपनियों की बोर्ड स्तरीय समितियों@ की कुल संख्या जिनमें निदेशक बोर्ड के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं

क्र. सं	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिए गए हैं)	
1	श्री प्रतीप चौधरी	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे. एम. मेहता मार्ग मुंबई-400 006	07.04.2011	अध्यक्ष निदेशक	18 03
2	श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक समिति सदस्य	06 02
3	श्री दिवाकर गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक समिति सदस्य	02 01
4	श्री ए. कृष्ण कुमार	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक समिति सदस्य	03 03
5	श्री दिलीप सी. चौकसी	सनदी लेखाकार सी 3 एडवाइज़र्स प्रा.लिमिटेड मफतलाल हाउस, बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई	25.06.2011	निदेशक समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्य	12 04 05
6	श्री एस. वेंकटाचलम	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक बिल्डिंग बी-1, फ्लैट 1-डी (प्रथम तल) हार्बर हाइट्स, एनए सावंत मार्ग, कोलाबा, मुंबई	25.06.2011	निदेशक समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्य	04 01 02

@शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा I (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया गया है।

Shri Deepak I. Amin (Date of Birth: 20th April 1966)

Shri Deepak Ishwarbhai Amin is a Director nominated by the Central Government u/s 19(d) of SBI Act, w.e.f. 24th January 2012, for a period of three years. Shri Amin holds a B.Tech. in Computer Science & Engineering from IIT, Mumbai and MS in Computer Science from University of Rhode Island, USA. Shri Amin is the co-founder and CEO of Covelix, Inc, a Seattle and India based international software consulting (acquired by Emtec Inc). Prior to this, Shri Amin was the founder and CEO of vJungle, Inc, a web services software infrastructure company, which was acquired by Streamserve, Inc. Shri Amin also worked at Microsoft for many years as a lead engineer in Microsoft Windows Networking teams and was a senior engineer in the original Internet Explorer browser team at Microsoft, USA.

Shri D.K. Mittal (Date of Birth : 25th January 1953)

Shri D.K.Mittal is a Director u/s 19(e) of SBI Act, nominated by the Central Government, w.e.f. 3rd August 2011. Shri D.K.Mittal is Secretary, Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India.

Dr. Subir V. Gokarn (Date of Birth : 3rd October 1959)

Dr. Subir V. Gokarn is a Director u/s 19(f) of SBI Act, nominated by the Central Government, w.e.f. 4th August 2011. Dr. Subir V. Gokarn is Deputy Governor, Reserve Bank of India.

Annexure II

Details of Memberships/Chairmanships held by the Directors on the Boards/ Board-level Committees of the Bank@/Other Companies as on 31.03.2012

Sr. No.	Name of Director	Occupation & Address	Appointed to Board since	Number of Companies including the Bank (Details given in Annexure II A)	
1.	Shri Pratip Chaudhuri	Chairman No.5, Dunedin, J.M.Mehta Road, Mumbai 400006.	07.04.2011	Chairman Director	18 03
2.	Shri Hemant G. Contractor	Managing Director M-1, Kinnellan Towers, 100A, Napean Sea Road, Mumbai 400 006	07.04.2011	Director Committee Member	06 02
3.	Shri Diwakar Gupta	Managing Director M-2, Kinnellan Towers, 100A, Napean Sea Road, Mumbai 400 006	07.04.2011	Director Committee Member	02 01
4.	Shri A. Krishna Kumar	Managing Director D-11, Kinnellan Towers, 100A, Napean Sea Road, Mumbai 400 006	07.04.2011	Director Committee Member	03 03
5.	Shri Dileep C. Choksi	Chartered Accountant C3 Advisors Pvt. Ltd., Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbai	25.06.2011	Director Chairman of Committee Committee Member	12 04 05
6.	Shri S. Venkatachalam	Retired Bank Executive Building B-1, Flat 1-D (First Floor) Harbour Heights,NA Sawant Marg, Colaba, Mumbai	25.06.2011	Director Chairman of Committee Committee member	04 01 02

@Only Memberships/Chairmanships of Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance Committee are reckoned in due compliance with para I (C) (ii) Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange.

अनुलग्नक II *(जारी)*

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिए गए हैं)	
7	श्री डी. सुंदरम	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टीवीएस कैपिटल, फंड्स लि., आइएल एण्ड एफएस फायनैंशियल सेंटर, क्वाडरेंट बी, द्वितीय तल, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	25.06.2011	निदेशक समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्य	08 03 01
8	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	133 नेशनल सोसाइटी औंध रोड, पुणे-411007	25.06.2011	निदेशक समिति सदस्य	02 01
9	श्री रशपाल मल्होत्रा	हाउस नं. 108, फेस V एसएएस नगर, मोहाली-160059	10.05.2011	निदेशक समिति सदस्य	01 01
10	श्री दीपक आई. अमिन	बी-72 आईसीओएन, डीएलएफ फेस V गुड़गांव-122002	24.01.2012	निदेशक	03
11	श्री ज्योति बी. महापात्रा वर्कमेन निदेशक	विशेष सहायक भारतीय स्टेट बैंक, कटक शाखा कलक्ट्रेट कंपाउंड, कटक-753002	21.11.2011	निदेशक	01
12	श्री जी. डी. नडाफ अधिकारी कर्मचारी निदेशक	उप प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय बेंगलूर	04.11.2010	निदेशक	01
13	श्री डी. के. मित्तल (भारत सरकार द्वारा नामित)	सचिव (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग), जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001	03.08.2011	निदेशक समिति सदस्य	05 01
14	डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित)	उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001	04.08.2011	निदेशक समिति सदस्य	02 01

@शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा I (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया गया है।

Annexure II (contd.)

Sr. No.	Name of Director	Occupation & Address	Appointed to Board since	Number of Companies including the Bank (Details given in Annexure II A)	
7.	Shri D. Sundaram	Vice Chairman & Managing Director TVS Capital Funds Ltd. IL&FS Financial Centre, Quadrant B, 2nd floor,BKC, Bandra (E), Mumbai 400 051	25.06.2011	Director Chairman of Committee Committee member	08 03 01
8.	Shri Parthasarathy Iyengar	133 National Society Aundh Road, Pune 411007	25.06.2011	Director Committee Member	02 01
9.	Shri Rashpal Malhotra	House No. 108, Phase V, SAS Nagar, Mohali - 160059.	10.05.2011	Director Committee Member	01 01
10.	Shri Deepak I. Amin	B-72 ICON, DLF Phase 5 Gurgaon – 122 002	24.01.2012	Director	03
11.	Shri Jyoti B. Mohapatra Workmen Director	Special Assistant State Bank of India, Cuttack Branch, Collectorate Compound, Cuttack – 753 002	21.11.2011	Director	01
12.	Shri G. D. Nadaf Officer Employee Director	Dy. Manager State Bank of India, Local Head Office Bangalore	04.11.2010	Director	01
13.	Shri D. K. Mittal (GOI Nominee)	Secretary (Financial Services), Ministry of Finance, Government of India (Banking Division), Jeevan Deep Bldg. Parliament Street, New Delhi 110 001	03.08.2011	Director Committee Member	05 01
14.	Dr. Subir V. Gokarn (Reserve Bank of India Nominee)	Deputy Governor RBI, Central Office, Shaheed Bhagat Singh Road, Mumbai 400 001	04.08.2011	Director Committee Member	02 01

@Only Memberships/Chairmanships of Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance Committee are reckoned in due compliance with para I (C) (ii) Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange.

अनुलग्नक II ए

31.03.2012 को निदेशक बोर्ड/बैंक@/अन्य कंपनियों की बोर्ड स्तरीय समितियों की कुल संख्या जिनमें निदेशक बोर्ड के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं।

(@ केवल लेखापरीक्षा समिति एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया है)

1. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष
1.	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष
3.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष
4.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष
6.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष
7.	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	अध्यक्ष
8.	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	अध्यक्ष
9.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट पी. लिमिटेड	अध्यक्ष
10.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष
11.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष
12.	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लि.	अध्यक्ष
13.	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष
14.	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस पी. लि.	अध्यक्ष
15.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	अध्यक्ष
16.	एसबीआई पेंशन फंडस् पी. लि.	अध्यक्ष
17.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
18.	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज लि.	अध्यक्ष
19.	भारतीय आयात निर्यात बैंक	निदेशक
20.	जीई कैपिटल बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	निदेशक
21.	भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान	निदेशक

2. श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति(यों) का/के नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति- सदस्य
2.	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	निदेशक	
3.	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	निदेशक	
4.	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशस)	निदेशक	
5.	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	निदेशक	
6.	न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	निदेशक	

ANNEXURE IIA

Total Number of Memberships/Chairmanships held by the Directors on the Boards/ Board-level Committees of the Bank@/Other Companies as on 31.03.2012

(@Only Memberships/Chairmanships of Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance Committee are reckoned)

1. Shri Pratip Chaudhuri, Chairman

Sr. No.	Name of the Company/Concern/Society	Member/Director/Chairman
1	State Bank of India	Chairman
2	State Bank of Patiala	Chairman
3	State Bank of Bikaner & Jaipur	Chairman
4	State Bank of Hyderabad	Chairman
5	State Bank of Mysore	Chairman
6	State Bank of Travancore	Chairman
7	State Bank of India (California)	Chairman
8	State Bank of India (Canada)	Chairman
9	SBI Funds Management P. Ltd.	Chairman
10	SBI Life Insurance Company Ltd.	Chairman
11	SBI Capital Markets Ltd.	Chairman
12	SBI CAPS Ventures Ltd.	Chairman
13	SBI DFHI Ltd.	Chairman
14	SBI Cards & Payment Services P. Ltd.	Chairman
15	SBI Global Factors Limited	Chairman
16	SBI Pension Funds P. Ltd.	Chairman
17	SBI General Insurance Company Ltd.	Chairman
18	SBI SG Global Securities Ltd.	Chairman
19	Export Import Bank of India	Director
20	GE Capital Business Process Management Services P. Ltd.	Director
21	Indian Institute of Banking and Finance	Director

2. Shri Hemant G. Contractor, Managing Director

Sr. No.	Name of the Company/ Concern/Society	Member/Director/ Chairman	Name(s) of the Committee(s)@
1	State Bank of India	Managing Director	Audit Committee of the Board-Member Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board-Member
2	State Bank of India (Canada)	Director	
3	Nepal SBI Bank Ltd.	Director	
4	State Bank of India (Mauritius)	Director	
5	State Bank of India (California)	Director	
6	Nuclear Power Corporation of India Ltd.	Director	

अनुलग्नक II ए *(जारी)*

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/ अध्यक्ष	समिति(यों) का/के नाम@
3. श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति- सदस्य
2.	नेशनल सिक्युरिटीज डिपासिटरी लि.	निदेशक	
4. श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
2.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
3.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राईवेट लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
5. श्री दिलीप सी. चौकसी			
1.	आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
2.	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कपंनी लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
3.	एनएसई. आईटी लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
4.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
			बोर्ड शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
5.	रिलायन्स जेनी. मेडिक्स पीएलसी	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
6.	3आई इनफोटेक लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
7.	आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
8.	एसीई डेरीवेटिव्ज एण्ड कमोडिटी एक्सचेंज लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
9.	वर्ल्ड टैक्स सर्विस इंडिया पी. लि.	निदेशक	—
10.	यूनिवर्सल ट्रस्टीज पी. लि.	निदेशक	—
11.	डाटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेस लि.	निदेशक	—
12.	मफतलाल साइफरस्पेस पी. लि.	निदेशक	—
6. श्री एस. वेंकटाचलम			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-**अध्यक्ष**
2.	ओरेकल फाइनैंशियल सर्विसेस सॉफ्टवेयर लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
			शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
3.	ईक्वीफैक्स क्रेडिट इनफरमेशन सर्विसेस पी. लि.	निदेशक	—
4.	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	निदेशक	—

ANNEXURE IIA (contd.)

Sr. No.	Name of the Company/Concern/Society	Member/Director/ Chairman	Name(s) of the Committee(s)@
3. Shri Diwakar Gupta, Managing Director			
1	State Bank of India	Managing Director	Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board-Member
2	National Securities Depository Ltd.	Director	
4. Shri A. Krishna Kumar, Managing Director			
1	State Bank of India	Managing Director	Audit Committee of the Board-Member
2	SBI Life Insurance Company Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
3	SBI Cards & Payment Services P. Ltd	Director	Audit Committee of the Board – Member
5. Shri Dileep C. Choksi			
1	ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
2	ICICI Prudential Asset Management Co.Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
3	NSE. IT Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
4	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
			Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board-Member
5	Reliance Gene Medix Plc	Director	Audit Committee of the Board- **Chairman**
6	3i Infotech Ltd.	Director	Audit Committee of the Board- **Chairman**
7	ICICI Home Finance Company Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
8	ACE Derivatives and Commodity Exchange Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
9	World Tax Service India P. Ltd.	Director	—
10	Universal Trustees Private Ltd.	Director	—
11	Datamatics Global Services Ltd.	Director	—
12	Mafatlal Cipherspace P. Ltd.	Director	—
6. Shri S. Venkatachalam			
1	State Bank of India	Director	Shareholders'/Investors' Grievance Committee – **Chairman**
2	Oracle Financial Services Software Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
			Shareholders'/Investors' Grievance Committee – Member
3	Equifax Credit Information Services P.Ltd.	Director	—
4	Canara Robecco Asset Management Co. Ltd.	Director	—

अनुलग्नक II ए *(जारी)*

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/ अध्यक्ष	समिति(यों) का/के नाम@
7. श्री डी. सुंदरम			
1.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – **अध्यक्ष**
2.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – सदस्य
3.	टीवीएस कैपिटल फंड्स लि.	प्रबंध निदेशक	–
4.	टीवीएस इलेक्ट्रानिक्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – **अध्यक्ष**
5.	ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – **अध्यक्ष**
6.	नाइन डाट नाइन मीडियावॉक्स पी. लि.	निदेशक	–
7.	मेडफोर्ट हॉस्पिटल्स पी. लि.	निदेशक	–
8.	मैक्सविज़न लेज़र सेंटर पी. लि.	निदेशक	–
8. श्री पार्थसारथी अय्यंगार			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – सदस्य
2.	इनफो टेक्नोलॉजी एडवाइज़र(आई) पी. लि.	निदेशक	–
9. श्री ज्योति बी. महापात्रा			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	–
10. श्री जी. डी. नडाफ			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	–
11. श्री रशपाल मल्होत्रा			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति – सदस्य
12. श्री दीपक आई. अमिन			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	–
2.	कोवीलिक्स टेक्नोलॉजीस पी. लि.	निदेशक	–
3.	रेडियन एडवाइजर्स प्रा. लि.	निदेशक	–
13. श्री डी. के. मित्तल			
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	–
2.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – सदस्य
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम लि.	निदेशक	–
4.	इंडिया इन्फास्ट्रक्सचर फाइनैंस कंपनी लि.	निदेशक	–
5.	भारतीय आयात-निर्यात बैंक	निदेशक	–
14. डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण			
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	–
2.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – सदस्य

ANNEXURE IIA (contd.)

Sr. No.	Name of the Company/Concern/Society	Member/Director/ Chairman	Name(s) of the Committee(s)@
7. Shri D. Sundaram			
1	SBI Capital Markets Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
2	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board -Member
3	TVS Capital Funds Ltd.	Managing Director	—
4	TVS Electronics Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
5	Glaxo Smith Kline Pharma	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
6	Nine Dot Nine Mediaworx P. Ltd.	Director	—
7	Medfort Hospitals P. Ltd.	Director	—
8	Maxvision Laser Centre P. Ltd.	Director	—
8. Shri Parthasarathy Iyengar			
1	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board- Member
2	Info Technology Advisor (I) P. Ltd.	Director	—
9. Shri Jyoti B. Mohapatra			
1	State Bank of India	Director	—
10. Shri G. D. Nadaf			
1	State Bank of India	Director	—
11. Shri Rashpal Malhotra			
1	State Bank of India	Director	Shareholders'/Investors' Grievance Committee – Member
12. Shri Deepak I. Amin			
1	State Bank of India	Director	—
2	Covelix Technologies P. Ltd.	Director	—
3	Radian Advisors Pt Ltd.	Director	—
13. Shri D. K. Mittal			
1	Reserve Bank of India	Director	—
2	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board-Member
3	Life Insurance Corporation of India	Director	—
4	India Infrastructure Finance Company Ltd.	Director	—
5	Export Import Bank of India	Director	—
14. Dr. Subir V. Gokarn			
1	Reserve Bank of India	Director	—
2	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board-Member

अनुलग्नक III

31.03.2012 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का ब्योरा

क्रम सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या	क्रम सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1.	श्री प्रतीप चौधरी	शून्य	8.	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	500
2.	श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रेक्टर	446	9.	श्री ज्योति बी. महापात्रा	60
3.	श्री दिवाकर गुप्ता	100	10.	श्री जी. डी. नडाफ	230
4.	श्री ए. कृष्ण कुमार	69	11.	श्री रशपाल मल्होत्रा	शून्य
5.	श्री दिलीप सी. चौकसी	500	12.	श्री दीपक आई. अमिन	शून्य
6.	श्री एस. वेंकटाचलम	500	13.	श्री डी. के मित्तल	शून्य
7.	श्री डी. सुंदरम	2640	14.	डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण	41

अनुलग्नक IV

वर्ष 2011-12 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को अदा की गई बैठक फीस का ब्योरा

क्रम सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें ₹	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें ₹	कुल ₹
1.	डा. अशोक झुनझुनवाला	10,000/-	25,000/-	35,000/-
2.	श्री दिलीप सी. चौकसी	80,000/-	1,82,500/-	2,62,500/-
3.	श्री एस. वेंकटाचलम	80,000/-	2,72,500/-	3,52,500/-
4.	श्री डी. सुंदरम	65,000/-	1,70,000/-	2,35,000/-
5.	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	45,000/-	77,500/-	1,22,500/-
6.	श्री ज्योति बी. महापात्रा	40,000/-	25,000/-	65,000/-
7.	श्री जी. डी. नडाफ	90,000/-	80,000/-	1,70,000/-
8.	डॉ. राजीव कुमार	20,000/-	7,500/-	27,500/-
9.	श्री रशपाल मल्होत्रा	75,000/-	52,500/-	1,27,500/-
10.	श्री दीपक आई. अमिन	20,000/-	10,000/-	30,000/-

अनुलग्नक V

भारतीय स्टेट बैंक

घोषणा

बैंक की आचार संहिता (2011-12) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

दिनांक : 10 मई 2012

Annexure – III

Details of shareholding of Directors on the Bank's Central Board as on 31.03.2012

Sr. No.	Name of Director	No. of Shares
1.	Shri Pratip Chaudhuri	NIL
2.	Shri Hemant G. Contractor	446
3.	Shri Diwakar Gupta	100
4.	Shri A. Krishna Kumar	69
5.	Shri Dileep C. Choksi	500
6.	Shri S. Venkatachalam	500
7.	Shri D. Sundaram	2640
8.	Shri Parthasarahty Iyengar	500
9.	Shri Jyoti B. Mohapatra	60
10.	Shri G. D. Nadaf	230
11.	Shri Rashpal Malhotra	NIL
12.	Shri Deepak I. Amin	NIL
13.	Shri D. K.Mittal	NIL
14.	Dr. Subir V. Gokarn	41

Annexure IV

Details of Sitting Fees paid to Directors for attending Meetings of the Central Board and Board-level Committees during 2011-12

Sr. No.	Name of Director	Meetings of Central Board ₹	Meetings of Other Board Level Committees ₹	Total ₹
1	Dr. Ashok Jhunjhunwala	10,000/-	25,000/-	35,000/-
2	Shri Dileep C. Choksi	80,000/-	1,82,500/-	2,62,500/-
3	Shri S. Venkatachalam	80,000/-	2,72,500/-	3,52,500/-
4	Shri D. Sundaram	65,000/-	1,70,000/-	2,35,000/-
5	Shri Parthasarathy Iyengar	45,000/-	77,500/-	1,22,500/-
6	Shri Jyoti B. Mohapatra	40,000/-	25,000/-	65,000/-
7	Shri G. D. Nadaf	90,000/-	80,000/-	1,70,000/-
8	Dr. Rajiv Kumar	20,000/-	7,500/-	27,500/-
9	Shri Rashpal Malhotra	75,000/-	52,500/-	1,27,500/-
10	Shri Deepak I. Amin	20,000/-	10,000/-	30,000/-

Annexure V

STATE BANK OF INDIA

DECLARATION

AFFIRMATION OF COMPLIANCE WITH THE BANK'S CODE OF CONDUCT (2011-12)

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2011-12.

PRATIP CHAUDHURI
CHAIRMAN

Date: 10th May 2012

मेसर्स बी. एम. चतरथ एण्ड कंपनी,
सनदी लेखाकार

कारपोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

भारतीय स्टेट बैंक के
शेयरधारकों के लिए

हमने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कारपोरेट अभिशासन की उन शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जो भारत में शेयर-बाजारों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित की गई हैं।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी निर्देशक नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण-करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम सूचित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत-निवारण समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन भारतीय स्टेट बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने भारतीय स्टेट बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते मेसर्स बी.एम. चतरथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार,
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 301011ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18 मई 2012

(आनंद चतरथ)
भागीदार
सदस्यता सं.: 052975

M/s B M CHATRATH & Co.,
Chartered Accountants

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Shareholders of
State Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by State Bank of India, for the year ended on 31st March 2012, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of State Bank of India with Stock Exchanges in India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by State Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of State Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that State Bank of India has, in all material respects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievances are pending for a period exceeding one month against State Bank of India as per records maintained by the Shareholders'/Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of State Bank of India nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the State Bank of India.

For M/s B M Chatrath & Co.,
Chartered Accountants,
Firm Registration No.:301011E

(Anand Chatrath)
Partner
Membership No.: 052975

Place : Kolkata
Date : 18.05.2012

भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET OF STATE BANK OF INDIA AS ON 31ST MARCH 2012

(000 को छोड़ दिया गया है) (000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
पूंजी और देयताएँ / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी **Capital**	1	671,04,48	634,99,90
आरक्षितियाँ और अधिशेष **Reserves & Surplus**	2	83280,16,10	64351,04,42
जमाराशियाँ **Deposits**	3	1043647,36,23	933932,81,30
उधार-राशियाँ **Borrowings**	4	127005,56,80	119568,95,50
अन्य देयताएँ और प्रावधान **Other Liabilities & Provisions**	5	80915,09,46	105248,38,93
योग TOTAL		1335519,23,07	1223736,20,05
आस्तियाँ / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ **Cash and Balances with Reserve Bank of India**	6	54075,93,86	94395,50,20
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि **Balances with Banks and money at call and short notice**	7	43087,22,63	28478,64,57
विनिधान **Investments**	8	312197,61,03	295600,56,90
अग्रिम **Advances**	9	867578,89,01	756719,44,80
अचल आस्तियाँ **Fixed Assets**	10	5466,54,92	4764,18,93
अन्य आस्तियाँ **Other Assets**	11	53113,01,62	43777,84,65
योग TOTAL		1335519,23,07	1223736,20,05
आकस्मिक देयताएँ / **Contingent Liabilities**	12	₹832605,33,43	₹730484,60,45
उगाही के लिए बिल / **Bills for collection**	—	₹66959,85,00	₹59904,98,25
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / **Significant Accounting Policies**	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / **Notes to Accounts**	18		

अनुसूचियाँ
SCHEDULES

अनुसूची 1 — पूंजी
SCHEDULE 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
प्राधिकृत पूंजी: ₹10/- प्रति शेयर दर वाले 500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000) **Authorised Capital:** 500,00,00,000 (Previous Year 500,00,00,000) shares of ₹10/- each	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी: 67,11,28,349 (पिछले वर्ष 63,50,83,106) प्रत्येक ईक्विटी शेयर ₹10/- का **Issued Capital:** 67,11,28,349 (Previous Year 63,50,83,106) Equity Shares of ₹10/- each	671,12,83	635,08,31
अभिदत्त और संदत्त पूंजी: 67,10,44,838 शेयर (पिछले वर्ष 63,49,98,991) प्रत्येक शेयर ₹10/- का [उपर्युक्त में 1,69,77,498 (पिछले वर्ष 1,81,05,360) ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं जो 84,88,749 (पिछले वर्ष 90,52,680) वैश्विक जमा रसीदों के रूप में हैं]. **Subscribed and Paid-up Capital:** 67,10,44,838 (Previous year 63,49,98,991) Equity Shares of ₹10/- each [The above includes 1,69,77,498 (Previous Year 1,81,05,360) Equity Shares represented by 84,88,749 (Previous Year 90,52,680) Global Depository Receipts]	671,04,48	634,99,90
योग **TOTAL**	671,04,48	634,99,90

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष
SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year)		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year)	
		₹	₹	₹	₹
I.	**कानूनी आरक्षितियाँ Statutory Reserves**				
	अथशेष				
	Opening Balance	32512,22,28		37107,77,71	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन				
	Additions during the year	3540,62,73		3331,85,57	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	Deductions during the year	—		7927,41,00	
			36052,85,01		32512,22,28
II.	**पूंजी आरक्षितियाँ Capital Reserves**				
	अथशेष				
	Opening Balance	1493,71,10		1381,36,16	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन				
	Additions during the year	14,37,69		112,34,94	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	Deductions during the year	—		—	
			1508,08,79		1493,71,10
III.	**शेयर प्रीमियम Share Premium**				
	अथशेष				
	Opening Balance	20658,58,29		20658,30,78	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन				
	Additions during the year	7864,05,01		27,51	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	Deductions during the year	8,78,72		—	
			28513,84,58		20658,58,29
IV.	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती Foreign Currency Translation Reserve**				
	अथशेष				
	Opening Balance	608,73,19		644,95,63	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन				
	Additions during the year	1824,75,47		—	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	Deductions during the year	—		36,22,44	
			2433,48,66		608,73,19
V.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां Revenue and Other Reserves***				
	अथशेष				
	Opening Balance	9077,45,63		5521,57,39	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन				
	Additions during the year	5694,09,50		3555,88,24	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	Deductions during the year	—		—	
			14771,55,13		9077,45,63
VI.	लाभ और हानि खाते की शेष राशि Balance of Profit and Loss Account		33,93		33,93
	योग TOTAL		83280,16,10		64351,04,42

* नोटः राजस्व एवं आरक्षितियों में
(i)एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हजार) एवं
(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती ₹3737,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹2337,00,00 हजार) की राशि शामिल हैं

*Note: Revenue and Other Reserves include
(i)₹5,00,00 thousand (Previous Year ₹5,00,00 thousand) of Integration and Development Fund (maintained under Section 36 of the State Bank of India Act, 1955)
(ii)Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 ₹3737,00,00 thousands (Previous Year ₹2337,00,00 thousand)

अनुसूची 3 — जमाराशियाँ
SCHEDULE 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
क. I. माँग जमाराशियाँ		
A. Demand Deposits		
(i) बैंकों से		
From Banks	6969,88,04	8700,33,65
(ii) अन्य से		
From Others	91480,43,79	122494,98,27
II. बचत बैंक जमाराशियाँ		
Savings Bank Deposits	369156,31,01	330326,06,46
III. सावधि जमाराशियाँ		
Term Deposits		
(i) बैंकों से		
From Banks	17405,94,82	13539,66,97
(ii) अन्य से		
From Others	558634,78,57	458871,75,95
योग TOTAL	1043647,36,23	933932,81,30
ख. I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ		
B. Deposits of Branches in India	982214,07,48	887151,77,32
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ		
Deposits of Branches outside India	61433,28,75	46781,03,98
योग TOTAL	1043647,36,23	933932,81,30

अनुसूची 4 — उधार-राशियाँ
SCHEDULE 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year)		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year)	
	₹	₹	₹	₹
I. भारत में उधार-राशियाँ Borrowings in India				
(i) **भारतीय रिज़र्व बैंक** Reserve Bank of India		—		1100,00,00
(ii) **अन्य बैंक** Other Banks		5048,10,02		9032,64,26
(iii) **अन्य संस्थाएँ और अभिकरण** Other Institutions and Agencies		3813,97,75		2368,29,33
(iv) **पूंजीगत लिखत** Capital Instruments				
(क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)				
(a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	2165,00,00		2165,00,00	
(ख) गौण ऋण				
(b) Subordinated Debt	34671,39,60		34671,39,60	
		36836,39,60		36836,39,60
योग TOTAL		45698,47,37		49337,33,19

अनुसूची 4 — उधार-राशियाँ (जारी)
SCHEDULE 4 — BORROWINGS (Contd...)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year)		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year)	
	₹	₹	₹	₹
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ Borrowings outside India				
(i) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित Borrowings and Refinance outside India		78127,33,19		67444,20,11
(ii) पूंजीगत लिखत: Capital Instruments: नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)		3179,76,24		2787,42,20
योग TOTAL		81307,09,43		70231,62,31
कुल योग GRAND TOTAL		127005,56,80		119568,95,50
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ / Secured Borrowings included in I & II above		4478,39,42		5294,47,86

अनुसूची 5 — अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 — OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year)	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year)
	₹	₹
I. संदेय बिल Bills payable	20504,85,88	21703,49,78
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (Net)	—	20455,68,73
III. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	10742,54,95	8236,49,71
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) Others (including provisions)	49667,68,63	54852,70,71
योग TOTAL	80915,09,46	105248,38,93

अनुसूची 6 — नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ
SCHEDULE 6 — CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	11186,36,07	7476,55,39
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में In Current Account	42887,03,55	86916,41,66
(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	2,54,24	2,53,15
योग TOTAL	54075,93,86	94395,50,20

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि
SCHEDULE 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. भारत में In India		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ Balances with banks		
(क) चालू खातों में		
(a) In Current Accounts	820,02,23	1205,18,63
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) In Other Deposit Accounts	3811,99,13	6,41,00
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call and short notice		
(क) बैंकों में		
(a) With banks	5995,24,93	2769,00,00
(ख) अन्य संस्थाओं में		
(b) With other institutions	—	—
योग TOTAL	10627,26,29	3980,59,63
II. भारत के बाहर Outside India		
(i) चालू खातों में In Current Accounts	23650,02,74	11669,09,70
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	422,14,68	1123,88,29
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call and short notice	8387,78,92	11705,06,95
योग TOTAL	32459,96,34	24498,04,94
कुल योग GRAND TOTAL	43087,22,63	28478,64,57

अनुसूची 8 — विनिधान
SCHEDULE 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. भारत में विनिधान Investments in India in :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	255833,61,37	230741,44,69
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities	6,14,92	423,71,13
(iii) शेयर Shares	3337,59,99	8864,64,59
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	12999,14,27	15134,10,52
(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (सहयोगियों सहित) Subsidiaries and / or Joint Ventures (including Associates)	5460,99,83	4855,42,87
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंडों की यूनिटें, वाणिज्यिक पत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की जमाराशियाँ आदि) Others (Units of Mutual Funds, Commercial Papers, Priority Sector Deposits etc.)	23383,46,96	25567,65,78
योग TOTAL	301020,97,34	285586,99,58
II. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government Securities (including local authorities)	1866,27,62	2239,07,88
(ii) विदेशों में स्थापित अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or Joint Ventures abroad	1602,78,14	1602,78,14
(iii) अन्य विनिधान (शेयर, डिबेंचर आदि) Other Investments (Shares, Debentures etc.)	7707,57,93	6171,71,30
योग TOTAL	11176,63,69	10013,57,32
कुल योग GRAND TOTAL (I & II)	312197,61,03	295600,56,90
III. भारत में विनिधान Investments in India :		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	302856,15,20	286732,71,79
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास Less: Aggregate of Provisions / Depreciation	1835,17,86	1145,72,21
(iii) निवल विनिधान (ऊपर I से) Net Investments (vide I above)	301020,97,34	285586,99,58
योग TOTAL		
IV. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India :		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	11436,68,18	10221,32,43
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास Less: Aggregate of Provisions / Depreciation	260,04,49	207,75,11
(iii) निवल विनिधान (ऊपर II से) Net Investments (vide II above)	11176,63,69	10013,57,32
योग TOTAL		
कुल योग GRAND TOTAL (III & IV)	312197,61,03	295600,56,90

अनुसूची 9 — अग्रिम
SCHEDULE 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
क. (i) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल A. Bills purchased and discounted	77138,60,77	51715,78,19
(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand ...	374143,24,94	339825,33,41
(iii) सावधि ऋण Term loans	416297,03,30	365178,33,20
योग TOTAL	867578,89,01	756719,44,80
ख. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं) B. Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	624544,52,03	494604,06,61
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	78555,19,05	109096,80,03
(iii) अप्रतिभूत Unsecured	164479,17,93	153018,58,16
योग TOTAL	867578,89,01	756719,44,80
ग. (I) भारत में अग्रिम C. Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	250176,96,36	231597,86,67
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	54707,32,31	48924,41,93
(iii) बैंक Banks	180,37,64	454,92,47
(iv) अन्य Others	428436,62,60	367698,25,17
योग TOTAL	733501,28,91	648675,46,24
(II) भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India		
(i) बैंकों से शोध्य Due from banks	17086,18,01	22423,64,94
(ii) अन्यों से शोध्य Due from others		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल (a) Bills purchased and discounted	21568,46,45	14796,19,10
(ख) अभिषद ऋण (b) Syndicated loans	47400,11,59	36737,68,12
(ग) अन्य (c) Others	48022,84,05	34086,46,40
योग TOTAL	134077,60,10	108043,98,56
कुल योग (ग-I एवं ग-II) GRAND TOTAL (C-I & C-II)	867578,89,01	756719,44,80

अनुसूची 10 — अचल आस्तियाँ
SCHEDULE 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹	₹
क. I. A. I.	**परिसर Premises**				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1791,60,63		1687,67,20	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	357,10,96		149,42,02	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	5,92,31		45,48,59	
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	859,61,78	1283,17,50	781,96,86	1009,63,77
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	10595,54,50		9233,45,58	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	1862,27,87		2044,11,71	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	610,41,98		682,02,79	
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	7996,91,40	3850,48,99	7173,42,66	3422,11,84
III.	**पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets**				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	802,13,34		852,85,15	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	—		—	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	—		50,71,81	
	प्रावधानों सहित अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date including provision	802,13,34		802,13,34	
		—		—	
	घटाएँ: पट्टा समायोजन खाता Add : Lease adjustment account ...	20,27	20,27	20,27	20,27
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियाँ (परिसर सहित) Assets under Construction (Including Premises)**		332,68,16		332,23,05
	योग TOTAL (I, II, III एवं & IV)		5466,54,92		4764,18,93

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 — OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	1573,93,79	—
II. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	11013,85,83	9132,02,77
III. अग्रिम रूप से प्रदत कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	8240,82,75	5848,00,60
IV. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	180,63,83	1167,28,24
V. लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and stamps	98,01,43	98,83,00
VI. दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	4,25,91	34,91
VII. अन्य Others	32001,48,08	27531,35,13
योग TOTAL	53113,01,62	43777,84,65

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	930,18,89	773,89,36
II. अंशत: प्रदत्त विनिधानों के लिए देयता Liability for partly paid investments	2,80,00	2,80,00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	404915,74,76	339683,99,79
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	86853,33,93	82657,98,54
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	84072,55,61	60827,95,78
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	134540,58,99	145187,30,78
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	121290,11,25	101350,66,20
योग TOTAL	832605,33,43	730484,60,45

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक का लाभ और हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF STATE BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(000 को छोड़ दिया गया है) (000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	106521,45,34	81394,36,38
अन्य आय Other Income	14	14351,44,57	15824,59,42
योग TOTAL		120872,89,91	97218,95,80
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	63230,36,87	48867,95,61
परिचालन व्यय Operating expenses	16	26068,99,21	23015,43,26
प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies		19866,24,97	17071,05,03
योग TOTAL		109165,61,05	88954,43,90
III. लाभ PROFIT			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		11707,28,86	8264,51,90
अग्रनीत लाभ Profit brought forward		33,93	33,93
समामेलन पर हस्तांतरित पूर्ववर्ती एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. का लाभ एवं हानि शेष Profit & Loss balance of e-SBI Commercial & International Bank Ltd. transferred on amalgamation		5,71,15	—
योग TOTAL		11713,33,94	8264,85,83
विनियोजन APPROPRIATIONS			
कानूनी आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Statutory Reserves		3516,97,72	2479,35,57
पूंजी आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Capital Reserves		14,37,69	9,60,89
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Revenue and other Reserves		5536,49,60	2729,86,59
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		2348,65,69	1904,99,70
लाभांश पर कर Tax on dividend		296,49,31	246,52,02
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के समामेलन से हानि Loss on Amalgamation of State Bank of Indore		—	894,17,13
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि Balance carried over to Balance Sheet		33,93	33,93
योग TOTAL		11713,33,94	8264,85,83
प्रति शेयर मूल आय Basic Earnings per Share		₹ 184.31	₹ 130.16
प्रति शेयर कम की गई आय Diluted Earnings per Share		₹ 184.31	₹ 130.16
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes to Accounts	18		

अनुसूचियाँ
SCHEDULES

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/discount on advances/bills	81077,69,77	59976,00,50
II. विनिधानों पर आय Income on investments	23949,14,17	19826,37,36
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	350,47,17	235,65,89
IV. अन्य Others	1144,14,23	1356,32,63
योग TOTAL	106521,45,34	81394,36,38

अनुसूची 14 — अन्य आय
SCHEDULE 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	12090,90,17	11563,27,50
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of investments (Net)	(919,74,24)	925,69,54
III. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on revaluation of investments (Net)...	—	(4,67,20)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets (Net)	(44,14,62)	(18,51,07)
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ / (हानि) Profit / (Loss) on exchange transactions	1432,19,47	1464,04,87
VI. विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों, आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India...	767,35,15	827,73,02
VII. वित्तीय पट्टे से आय Income from financial lease	9,68	1,88,65
VIII. प्रकीर्ण आय Miscellaneous Income	1024,78,96	1065,14,11
योग TOTAL	14351,44,57	15824,59,42

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	55644,36,92	43234,75,48
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार-राशियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	3885,64,45	2561,73,80
III. अन्य Others	3700,35,50	3071,46,33
योग TOTAL	63230,36,87	48867,95,61

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
SCHEDULE 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous year) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	16974,04,04	15211,61,87
II. भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	2065,40,88	1794,48,79
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	276,48,56	255,40,03
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	206,63,27	257,87,61
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों को छोड़कर) (a) Depreciation on Bank's Property (Other than Leased Assets)	1007,16,87	990,49,52
(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased Assets	—	—
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	48,18	74,28
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	128,49,52	124,28,30
VIII. विधि खर्च Law charges	117,29,49	118,54,59
IX. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones etc.	433,26,05	363,36,05
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	373,30,20	374,24,72
XI. बीमा Insurance	963,46,17	800,91,24
XII. अन्य व्यय Other expenditure	3522,95,98	2723,46,26
योग TOTAL	26068,99,21	23015,43,26

अनुसूची 17
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

क. तैयार करने का आधार

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं. इन सिद्धांतों में लागू सांविधिक प्रावधान, विनियामक मानदंड/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल हैं.

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं. भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं.

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है. बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय का निर्धारण उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है.

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत होते ही निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और विनिधानों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) विनिधानों की आवेदन-राशि पर ब्याज, (iii) विनिधानों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज के अलावा किया गया है, (iv) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय को ट्रेडिंग नाम दिया गया है.

1.3 विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया गया है। यद्यपि परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ का (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षिती अपेक्षाओं को घटाने के बाद) पूंजी आरक्षिती खाते में विनियोग किया गया है.

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे पर बकाया निवल विनिधान के पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है. 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है. पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है. मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल विनिधान राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है.

SCHEDULE 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of Preparation

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India.

B. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

C. Significant Accounting Policies

1. Revenue recognition

1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated. In respect of banks' foreign offices, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) interest on application money on investments, (iii) overdue interest on investments and bills discounted, (iv) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading".

1.3 Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account, however, the profit on sale of investments in the 'Held to Maturity' category *is* appropriated net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve to 'Capital Reserve Account'.

1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding in the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.

1.5 परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत शामिल किया गया है :

क. ब्याज प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री/ शोधन के समय शामिल किया गया है.

ख. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है.

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है, वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है.

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है, इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क-आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है.

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत संदत्त एक बारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है.

2 विनिधान

दिनांक 31.12.2010 तक सरकारी प्रतिभूतियों को ''सौदे की तिथि'' (ट्रेड-डेट) के अनुसार एवं 01.01.2011 के बाद इन्हें ''निपटान तिथि'' (सेटलमेंट डेट) के अनुसार रिकार्ड किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों से इतर विनिधानों को ''सौदे की तिथि'' (ट्रेड-डेट) के अनुसार ही रिकार्ड किया गया है।

2.1 वर्गीकरण

विनिधानों का 3 श्रेणियों अर्थात् परिपक्वता तक रखे गए, विक्रय के लिए उपलब्ध और व्यवसाय के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकरण किया गया है.

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन विनिधानों को परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है.

ii. उन विनिधानों को व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है.

iii. जिन विनिधानों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

iv. किसी विनिधान को इसके क्रय के समय परिपक्वता तक रखे गए, विक्रय के लिए उपलब्ध या व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात् श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है.

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए विनिधानों को परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

2.3 **मूल्यांकन :**

i. किसी विनिधान की अभिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में;

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है.

(ख) विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है.

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/ विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है.

1.5 Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :

a. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

b. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.

1.8 One time Insurance Premium paid under Special Home Loan Scheme (December 2008 to June 2009) is amortised over average loan period of 15 years.

2. Investments

The transactions in Government Securities are recorded on "Trade Date" up to 31.12.2010 and on "Settlement Date" with effect from 01.01.2011. Investments other than Government Securities are recorded on "Trade Date".

2.1 **Classification**

Investments are classified into three categories, viz. Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT)

2.2 **Basis of classification:**

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

ii. Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

iii. Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.

iv. An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

v. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.

2.3 **Valuation:**

i. In determining the acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.

(b) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

(c) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/ sale consideration.

(घ) लागत का निर्धारण, विक्रय के लिए उपलब्ध एवं व्यवसाय तक रखे गए श्रेणी के अधीन विनिधानों के मामले में भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) प्रणाली के अनुसार किया गया है.

ii. उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यह्रास, यदि हो तो, का पूर्णतया प्रावधान किया गया है.

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यन रखाव-लागत आधार पर किया गया है.

iv. **परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी :** परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी में रखे गए विनिधानों को यदि उनका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, तो अभिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए निरंतर आय आधार पर परिशोधित किया गया है. ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को ''विनिधानों पर ब्याज'' शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में विनिधान को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विनिधान को रखाव-लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया गया है. अस्थायी से इतर प्रत्येक विनिधान के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है.

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियाँ :** विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियों के विनिधानों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है. मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है.

vi. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को ऐसे विनिधानों के मूल्यन की गणना के लिए आधार बनाया गया है.

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिधानों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है. देशी कार्यालयों के विनिधान निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता पर प्राप्य राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है.

(ख) ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है-ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक विनिधान माना जाएगा.

(ग) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई है-ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता

(d) Cost is determined on the weighted average cost method for investments under AFS and HFT category and on FIFO basis (first in first out) for investments under HTM category.

ii. The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

iii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

iv. **Held to Maturity category:** Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised over the period remaining maturity on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments". Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

v. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Investments held under AFS and HFT categories are individually revalued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

vi. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.

vii. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices. Investments of domestic offices become non-performing where:

(a) Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

(b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.

(c) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in

द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा विनिधान को अनर्जक विनिधान माना जाएगा.

(घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन प्रिफरेन्स शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है.

(ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में विनिधान, जो अग्रिम की प्रकृति के माने गए हैं, पर अनर्जक विनिधान के वही मानदंड लगेंगे जो विनिधानों पर लागू होते हैं.

(च) विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक विनिधानों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था उसके अनुसार किया गया है.

viii. रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन को छोड़कर) का लेखाकरण:

(क) रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय और क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रेपो/रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची-4 (उधारियाँ) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची-7 (बैंकों में जमा तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

3 ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है. ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक (एनपीए) बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता असंयत (आउट ऑफ आर्डर) रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई भी राशि तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.

(d) The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.

(e) The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

(f) In respect of foreign offices, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.

viii. Accounting for Repo/ reverse repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI)

(a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

(b) Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3. Loans / Advances and Provisions thereon

3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by RBI. Loan assets become non-performing assets (NPAs) where:

i. In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

ii. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;

iii. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

iv. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;

v. दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं.

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक वर्ग में रह गई है.

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है.

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अव-मानक आस्तियाँ :	i. 15% का सामान्य प्रावधान
	ii. ऋण जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण-20 %
संदिग्ध आस्तियाँ :	
- प्रतिभूत भाग :	i. एक वर्ष तक-25%
	ii. एक से तीन वर्ष तक-40%
	iii. तीन वर्ष से अधिक-100%
- अप्रतिभूत भाग	100%
हानिप्रद आस्तियाँ :	100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में ऋणों एवं अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक कठोर है, के अनुसार किया गया है.

3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से कम है, तो इस कमी को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है और यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर होने वाली कमी/हानि को पूरा करने के लिए रख लिया गया है. विशिष्ट प्रावधानों तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावों को घटाने पर शेष राशि को निवल बही मूल्य कहा गया है.

3.6 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है.

iv. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons;

v. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

3.2 NPAs are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.

ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.

iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-standard Assets:	i. A general provision of 15%
	ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)
	iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%
Doubtful Assets:	
– Secured portion:	i. Upto one year – 25%
	ii. One to three years – 40%
	iii. More than three years – 100%
– Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

3.4 In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by RBI. If the sale is at a price below net book value, the shortfall is debited to the profit and loss account, and in case of sale for a value higher than net book value, the excess provision is retained and utilised to meet the shortfall / loss on sale of other financial assets. Net book value is outstandings as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.

3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.

3.7 पुनर्संरचनागत/पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिनमें यह अपेक्षित है कि पुनर्संरचना के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के संबंध में अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. उपरोक्त आस्तियों से उद्भूत उचित मूल्य में कमी एवं उत्सर्जित ब्याज के प्रावधान को अग्रिम से घटाया गया है.

3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

3.9 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के बदले वसूली गई राशि का निर्धारण आय के रूप में किया गया है.

3.10 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किए गए हैं. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य'' शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं और इन्हें निवल अनर्जक आस्तियों की गणना में शामिल नहीं किया गया है.

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, विनिधानों तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति लागू है. सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है. इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है.

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश को छोड़कर) के लिए प्रावधान किए गए हैं. इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है. यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के 'अन्य देयताएं और प्रावधान-अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है.

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय, परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार निष्पादित करता है. तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो. इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है.

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है. बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों.

3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, arising out of the above, is reduced from advances.

3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.

3.10 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at Net NPAs.

4. Floating Provisions

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created *is* assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. Provision for Country Exposure

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in schedule 5 of the balance sheet under the head "Other liabilities & Provisions – Others".

6. Derivatives:

6.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and off setting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.

6.2 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.

6.3 सिवा उपर्युक्त के, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं. बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं. डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से ''उचंत खाता कुल प्राप्य'' में प्रतिवर्तित किया गया है. ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि यह डेरीवेटिव संविदा अतिदेय प्राप्य राशियों के 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो, तो भावी आगमों से संबंधित धनात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से ''उचंत खाता धनात्मक एमटीएम'' में प्रतिवर्तित किया जाता है.

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन की अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है. विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरैक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है.

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए विनिधान को एक्सचेंज द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है.

7. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास :

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है.

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय फीस शामिल हैं. उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं.

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास लेखे में दिखाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास लेखे में दिखाने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर एवं एटीएम	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	–	अभिग्रहण वर्ष में 100% मूल्यह्रास
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	ह्रासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

6.3 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account in the period of change. Any receivable under derivatives contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through profit and loss account to "Suspense A/c Crystallised Receivables". In cases where the derivative contracts provide for more settlement in future and if the derivative contract is not terminated on the overdue receivables remaining unpaid for 90 days, the positive MTM pertaining to future receivables is also reversed from Profit and Loss Account to "Suspense A/c - Positive MTM".

6.4 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Mark to Market value for forex Over the Counter options.

6.5 Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

7. Fixed Assets and Depreciation

7.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.

7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

7.3 The rates of depreciation and method of charging depreciation in respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers & ATM	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	–	100% depreciated in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under the Companies Act, 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under the Income-tax Rules, 1962

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए लेखे में दिखाया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास – इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए लेखे में दिखाया गया है.

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1,000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है.

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष के लेखे में दिखाया गया है.

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001 को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है.

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है.

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपरोक्त पैरा 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है.

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है. धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है. यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है.

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है.

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की अंतिम तत्काल / वायदा दरों का प्रयोग करके दी गई है.

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है.

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है.

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए

7.4 In respect of assets acquired during the year for domestic operations, depreciation is charged for half a year in respect of assets used for upto 180 days and for the full year in respect of assets used for more than 180 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.

7.5 Items costing less than ₹1,000 each are charged off in the year of purchase.

7.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.

7.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.

7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations /norms of the respective countries.

8. Leases

The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to financial leases also.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. Effect of changes in the foreign exchange rate

10.1 Foreign Currency Transactions

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified

एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है. ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है.

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है.

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवतनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

क. असमाकलित परिचालन :

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है.

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है.

iii. निवल विनिधान का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में किया गया है.

iv. विदेश स्थित कार्यालयों की आस्तियों और देयताओं की विदेशी मुद्रा (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को उस देश में प्रयोज्य तत्काल दरों का प्रयोग करके स्थानीय मुद्रा में रूपांतरित किया गया है.

ख. समाकलित परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है.

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है.

maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains / Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains / losses are recognised in the profit and loss account.

10.2 Foreign Operations

Foreign Branches of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

i. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii. Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii. Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

b. Integral Operations:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.

iii. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है.

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है. बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं. बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है. इन अंशदानों को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है. बैंक - इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है.

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है.

ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है. यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है. यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि या ₹10 लाख की अधिकतम राशि होती है. यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है. बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है.

घ. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है. यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर विभिन्न चरणों में किया जाता है. बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का वार्षिक अंशदान करता है. पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियमों के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान करता है।

ङ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित की गई है. बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

11. Employee Benefits:

11.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 Post Employment Benefits:

i. Defined Benefit Plan

a. The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b. The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

c. The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days of basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of ₹10 lacs. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

d. The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes annual contribution to the pension fund at 10% of salary in terms of SBI Pension Fund Rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाता है और इस जमाराशि पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समतुल्य ब्याज मिलता है. बैंक इन वार्षिक अंशदानों और इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष का खर्च मानता है.

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क. बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है. इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है.

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है. पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हितलाभों को संबंधित देशों की स्थानीय विधियों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर

12.1 वर्तमान कर तथा आस्थगित कर की कुल राशि आय कर व्यय है. चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों के कर नियमों को शामिल करके किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजनों में समाविष्ट हैं.

12.2 आस्थगित कर – आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर – दरों और कर – कानूनों अथवा तुलनपत्र – तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमश: कर-आधार और अग्रानीत क्षतियों के बीच अवधिगत अंतर को ध्यान में रखकर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है.

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है. जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित

ii. Defined Contribution Plans

The bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 1st August, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing SBI Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures, these contributions are retained as deposits in the bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

iii. Other Long Term Employee benefits:

a. All eligible employees of the bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

11.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

12. Taxes on income

12.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax. Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

12.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax bases, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

12.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised

कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों के अग्रनयन पर किया गया है.

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है.

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियों'' में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है.

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त विरली परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है.

14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है.

15. विशेष आरक्षितियां

आय एवं अन्य आरक्षितियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत निर्मित विशेष आरक्षितियां शामिल हैं. बैंक के निदेशक बोर्ड ने आरक्षिती के सृजन को अनुमोदित करते हुए और यह पुष्टि करते हुए कि इस विशेष आरक्षिती से आहरण करने की बैंक की कोई मंशा नहीं है, एक संकल्प पारित किया है.

16. शेयर निर्गम व्यय

शेयर जारी करने के व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में शामिल किया गया है.

on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. Earnings per Share

13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 -'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

14.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 No provision is recognised for

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognised because

a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

b. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

15. Special Reserves

Revenue and Other Reserves include Special Reserve created under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that it has no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

16. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.

अनुसूची – 18
लेखा–टिप्पणियाँ

(राशि करोड़ रुपयों में)

18.1 पूंजी :

1. पूँजी–पर्याप्तता अनुपात :

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
(i)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी-अनुपात-(%) (बेसल - I)	12.05	10.69
(ii)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी-अनुपात-श्रेणी - I पूंजी (%) (बेसल - I)	8.50	6.93
(iii)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी-अनुपात-श्रेणी - II पूंजी (%) (बेसल - I)	3.55	3.76
(iv)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी-अनुपात-(%) (बेसल - II)	13.86	11.98
(v)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी-अनुपात-श्रेणी - I पूंजी (%) (बेसल - II)	9.79	7.77
(vi)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी-अनुपात-श्रेणी - II पूंजी (%) (बेसल - II)	4.07	4.21
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	61.58	59.40
(viii)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या	41,32,52,443	37,72,07,200
(ix)	गौण ऋणों की राशि श्रेणी - II पूंजी	₹34,671.40	₹34,671.40
(x)	वर्ष के दौरान श्रेणी -II पूंजी के रूप में गौण ऋण जारी करके जुटाई गई राशि	निरंक	₹7,497.00*
(xi)	इनमें (उपरोक्त, ix) के उच्च श्रेणी -II पूंजी के लिए उपयुक्त राशि	₹20,016.40	₹20,016.40
(xii)	आइपीडीआइ के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि (नीचे दर्शाए गए मिश्रित बाँडों समेत)#	₹5,344.76**	₹4,952.42**

* क) पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के द्वारा बांडों के माध्यम से जुटाई गई ₹1000 करोड़ की राशि शामिल है। पूर्ववर्ती स्टेट बैंक आफ इंदौर का 26 अगस्त 2010 को भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया था।

ख) ₹6,497 करोड़ की राशि, जो अक्टूबर 2010 एवं फरवरी 2011 में जारी सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से संग्रह की गई थी, शामिल है।

** पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जिसका 26 अगस्त 2010 को भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया था, के द्वारा जारी बाँडों की राशि ₹165 करोड़ शामिल है।

*** वित्तीय वर्ष 2009-10 में जुटाई गई ₹2,000 करोड़ की राशि, जिसमें से 550 करोड़ की राशि एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा निवेश की गई है, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार श्रेणी - 1 पूंजी के लिए शामिल नहीं की गई है.

2. शेयर पूंजी :

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी आबंटन के अंतर्गत ₹10/- प्रति शेयर दर वाले 3,60,45,243 शेयर, ₹2,181.69 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आबंटित किए जिनका कुल मूल्य ₹7,900.00 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹7,900.00 करोड़ की रकम में से ₹36.05 करोड़ की रकम शेयर पूंजी खाते में और बाकी बची ₹7,863.95 करोड़ की रकम शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई।

ख) राइटस इश्यू - 2008 के अंतर्गत रोक रखे गये शेयरों में से बैंक ने ₹10 प्रति नकदी मूल्य के 604 ईक्विटी शेयरों को ₹1,580/- प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम की दर से कुल ₹9,60,360/- के शेयर आबंटित किए है। ₹9,60,360/- के कुल प्राप्त अशंदान में से ₹6,040/- की राशि शेयर पूंजी खाते में और ₹9,54,320/- की राशि शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई थी ।

ग) बैंक ने राइट्स इश्यू के अंतर्गत ₹10 प्रति शेयर की दर से जारी किए गए 83,511 (पिछले वर्ष 84,115) ईक्विटी शेयरों के आबंटन को रोके रखा क्योंकि या तो वे विवादग्रस्त थे अथवा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन थे.

घ) शेयर जारी करने में खर्च हुई ₹8.79 करोड़ की राशि शेयर प्रीमियम खाते को नामे की गई।

Schedule - 18
NOTES TO ACCOUNTS

(Amount in Rupees in crores)

18.1 **Capital:**

1. Capital Adequacy Ratio:

Sr. No.	Items	As at 31 Mar 2012	As at 31 Mar 2011
(i)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio (%) (Basel-I)	12.05	10.69
(ii)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I capital (%) (Basel-I)	8.50	6.93
(iii)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II capital (%)(Basel-I)	3.55	3.76
(iv)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio (%) (Basel-II)	13.86	11.98
(v)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I capital (%) (Basel-II)	9.79	7.77
(vi)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II capital (%)(Basel-II)	4.07	4.21
(vii)	Percentage of Shareholding of the Government of India	61.58	59.40
(viii)	Number of Shares held by Government of India	41,32,52,443	37,72,07,200
(ix)	Amount of Subordinated Debt Tier-II capital	₹34,671.40	₹34,671.40
(x)	Amount raised by issue of Subordinated Debt Tier-II capital during the year	NIL	₹7,497.00*
(xi)	Out of which ((ix), above) amount eligible for Upper Tier –II capital	₹20,016.40	₹20,016.40
(xii)	Amount raised by issue of IPDI (inclusive of Hybrid Bonds as detailed below)#	₹5,344.76**	₹4,952.42**

* a. Includes ₹1,000 crores of bonds raised by erstwhile State Bank of Indore (SBIN) merged with SBI on 26th August 2010.

b. Includes ₹6,497 crores raised vide Public Issue of Bonds in October 2010 and February 2011

** Includes ₹165 crores of Bonds raised by erstwhile State Bank of Indore (e SBIN) merged with SBI on 26th August 2010.

\# Includes ₹2,000 crores raised during the F.Y. 2009-10, of which ₹550 crores invested by SBI Employee Pension Fund, not reckoned for the purpose of Tier I Capital as per RBI instructions.

2. Share capital:

a) During the year, the Bank has allotted 3,60,45,243 shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹2,181.69 per equity share aggregating to ₹7,900.00 crores under Preferential Allotment to GOI. Out of the total subscription of ₹7,900.00 crores received from GOI, an amount of ₹36.05 crores was transferred to Share Capital Account and ₹7,863.95 crores to Share Premium Account.

b) The Bank has allotted 604 equity shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹1,580/- per equity share aggregating to ₹9,60,360/- out of shares kept in abeyance under Right Issue - 2008. Out of the total subscription of ₹9,60,360/- received, ₹6,040/- was transferred to Share Capital Account and ₹9,54,320/- to Share Premium Account.

c) The Bank has kept in abeyance the allotment of 83,511 (Previous Year 84,115) Equity Shares of ₹10/- each issued as a part of Rights issue, since they are subject to title disputes or are subjudice.

d) Expenses in relation to the issue of shares : ₹8.79 crores debited to Share Premium Account.

3. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

क. विदेशी

विदेशी मुद्रा में जारी तथा संमिश्र श्रेणी – I पूंजी के अंतर्गत आने वाले आईपीडीआई एवं बकाया का विवरण निम्नवत है : (₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम की तिथि	अवधि	राशि	31.03.12 तक समतुल्य	31.03.11 तक समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम – 12वीं शृंखला* के अंतर्गत जारी बांड	15.02.2007	बेमीयादी नॉन कॉल 10.25 वर्ष	अमेरिकी डालर 400 मिलियन	₹2,035.07	₹1,783.80
एमटीएन कार्यक्रम – 14वीं शृंखला के अंतर्गत जारी बांड#	26.06.2007	बेमीयादी नॉन कॉल 10 वर्ष 1 दिन	अमेरिकी डालर 225 मिलियन	₹1,144.69	₹1,003.62
योग			**अमेरिकी डालर 625 मिलियन**	**₹ 3,179.76**	**₹2,787.42**

* यदि बैंक 15 मई 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

\# यदि बैंक 27 जून 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

ये बांड अप्रतिभूत है और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए है.

ख. देशी :

बकाया देशी आईपीडीआई का ब्योरा निम्नवत है:– (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	बांडों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	ब्याज की वार्षिक दर %
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमीयादी बांड 2009 – 10 (टियर – I) शृंखला – I	1,000	14.08.2009	9.10
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमीयादी बांड 2009 – 10 (टियर – I) शृंखला – II	1,000	27.01.2010	9.05
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमीयादी बांड 2007 – 08 एस बी आई एन शृंखला – VI (टियर – I)	165	28.09.2007	10.25
	कुल	**2,165**		

4. गौण ऋण

बाँड अप्रतिभूत, लम्बी अवधि, अपरिवर्तनीयएवं सममूल्य पर मोचनीय होते हैं. बकाया गौण ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	बांडों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम की तिथि/मोचन की तिथि	ब्याज की वार्षिक दर %	परिपक्वता अवधि मास में
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड – 2005 (निम्न टियर – II)	3,283.00	05.12.2005 05.05.2015	7.45	113
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 (उच्च टियर – II)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 I (उच्च टियर – II)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
4	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 III (उच्च टियर – II)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180
5	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 IV (उच्च टियर – II)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
6	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 V (उच्च टियर – II)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
7	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 VI (उच्च टियर – II)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
8	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 VII (उच्च टियर II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180

3. Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)

A. Foreign

The details of IPDI issued in foreign currency, which qualify for Hybrid Tier I Capital and outstanding are as under:

(₹in Crores)

Particulars	Date of Issue	Tenor	Amount	Equivalent as on 31-03-12	Equivalent as on 31-03-11
Bonds issued under the MTN Programme-12th Series*	15.02.2007	Perpetual Non Call 10.25 years	USD 400 million	₹2,035.07	₹1,783.80
Bonds issued under the MTN Programme-14th Series#	26.06.2007	Perpetual Non Call 10 years 1 day	USD 225 million	₹1,144.69	₹1,003.62
Total			**USD 625 million**	**₹3,179.76**	**₹2,787.42**

* If the Bank does not exercise call option by 15th May 2017, the interest rate will be raised and fixed rate will be converted to floating rate.

\# If the Bank does not exercise call option by 27th June 2017, the interest rate will be raised and fixed rate will be converted to floating rate.

These bonds are unsecured bonds and listed in Singapore stock exchange.

B. Domestic

The details of outstanding domestic IPDIs are as under:-

(₹ in Crores)

Sl. No.	Nature of Bonds	Principal Amount	Date of Issue	Rate of Interest % P.a.
1	SBI Non Convertible Perpetual Bonds 2009-10 (Tier I) Series I	1,000	14.08.2009	9.10
2	SBI Non Convertible Perpetual Bonds 2009-10 (Tier I) Series II	1,000	27.01.2010	9.05
3	SBI Non Convertible Perpetual Bonds 2007-08 SBIN Series VI (Tier I)	165	28.09.2007	10.25
	Total	**2,165**		

4. Subordinated Debts

The bonds are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par.

The details of outstanding subordinate debts are as under:-

Sr. No.	Nature of Bonds	Principal Amount	Date of Issue / Date of Redemption	Rate of Interest % P.A.	Maturity Period in Months
1	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2005 (Lower Tier II)	3,283.00	05.12.2005 05.05.2015	7.45	113
2	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (Upper Tier II)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
3	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 I (Upper Tier II)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
4	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 III (Upper Tier II)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180
5	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 IV (Upper Tier II)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
6	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 V (Upper Tier II)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
7	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 VI (Upper Tier II)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
8	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 VII (Upper Tier II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180

क्रम सं.	बांडों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम की तिथि/मोचन की तिथि	ब्याज की वार्षिक दर %	परिपक्वता अवधि मास में
9	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 VIII (उच्च टियर II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
10	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 IX (निम्न टियर - II)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
11	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2007-08 (I) (उच्च टियर II)	2,523.50	07.06.2007 07.06.2022	10.20	180
12	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2007-08 (I) (उच्च टियर II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
13	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
14	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
15	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
16	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
17	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (v) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
18	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2005-06 एस बी एस (शृंखला - I) (निम्न टियर II)	200.00	09.03.2006 09.06.2015	8.15	111
19	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 -07 एस बी एस (शृंखला - II) (निम्न टियर II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
20	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2004 -05 एस बी आई एन (शृंखला - I) (निम्न टियर II)	200.00	15.02.2005 15.05.2014	7.20	111
21	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2005 -06 एस बी आई एन (शृंखला - II) (निम्न टियर II)	140.00	29.09.2005 29.09.2015	7.45	120
22	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2005 -06 एस बी आई एन (शृंखला - III) (निम्न टियर II)	110.00	28.03.2006 28.03.2016	8.70	120
23	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 -07 एस बी आई एन (शृंखला - IV) (उच्च टियर II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	120
24	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 -07 एस बी आई एन (शृंखला - V) (उच्च टियर II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	120
25	एस बी आई अपरिवर्तनीय(निजी प्लेसमेंट) बांड - 2004 -05 एस बी आई एन (शृंखला - VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
26	एसबीआई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (शृंखला-I)	133.08	04.11.2010 04.11.2020	9.25	120
27	एसबीआई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीयबांड 2010 (शृंखला - II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
28	एसबीआई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीयबांड 2011 खुदरा (शृंखला - III)	559.40	16.03.2011 16.03.2021	9.75	120

Sr. No.	Nature of Bonds	Principal Amount	Date of Issue / Date of Redemption	Rate of Interest % P.A.	Maturity Period in Months
9	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 VIII (Upper Tier II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
10	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 IX (Lower Tier II)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
11	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2007-08 (I) (Upper Tier II)	2,523.50	7.06.2007 7.06.2022	10.20	180
12	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2007-08 (I) (Upper Tier II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
13	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09 (I) (Upper Tier II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
14	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09(II) (Lower Tier II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
15	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09 (III) (Upper Tier II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
16	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09 (IV) (Lower Tier II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
17	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09 (V) (Upper Tier II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
18	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2005-06 SBS (Series I)(Lower Tier II)	200.00	09.03.2006 09.06.2015	8.15	111
19	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006-07 SBS (Series II)(Lower Tier II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
20	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2004-05 SBIN (Series I) (Lower Tier II)	200.00	15.02.2005 15.05.2014	7.20	111
21	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2005-06 SBIN (Series II) (Lower Tier II)	140.00	29.09.2005 29.09.2015	7.45	120
22	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2005-06 SBIN (Series III) (Lower Tier II)	110.00	28.03.2006 28.03.2016	8.70	120
23	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006-07 SBIN (Series IV) (Upper Tier II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	120
24	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006-07 SBIN (Series V) (Upper Tier II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	120
25	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2004-05 SBIN (SERIES VII)(Upper Tier II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
26	SBI Public Issue of Lower Tier II Non-Convertible Bonds 2010 (Series I)	133.08	04.11.2010 04.11.2020	9.25	120
27	SBI Public Issue of Lower Tier II Non- Convertible Bonds 2010 (Series II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
28	SBI Public Issue of Lower Tier II Non- Convertible Bonds 2011 Retail (Series 3)	559.40	16.03.2011 16.03.2021	9.75	120

क्रम सं.	बांडों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम की तिथि/मोचन की तिथि	ब्याज की वार्षिक दर %	परिपक्वता अवधि मास में
29	एसबीआई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (शृंखला - III)	171.68	16.03.2011 16.03.2021	9.30	120
30	एसबीआई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (शृंखला-4)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2021	9.95	180
31	एसबीआई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीयबांड 2011 खुदरा (शृंखला-4)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
	कुल	**34,671.40**			

18.2 विनिधान :

1. बैंक के विनिधानों तथा विनिधानों पर हुए मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
ख. विनिधानों का मूल्य		
i) विनिधानों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	3,02,856.15	2,86,732.72
(ख) भारत से बाहर	11,436.68	10,221.32
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	1,835.18	1,145.72
(ख) भारत से बाहर	260.04	207.75
iii) विनिधानों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	3,01,020.97	2,85,587.00
(ख) भारत से बाहर	11,176.64	10,013.57
2. विनिधानों के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथशेष	1,353.47	700.72
ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती स्टेट बैंक कामर्शियल एंड इंटरनेशनल (पिछले वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंदौर) के अधिग्रहण के कारण वृद्धि हुई	5.58	3.77
iii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	793.82	670.76
iv) जोड़े : वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन/अतिरिक्त प्रावधान/उपयोगिता	52.89	2.23
v) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	110.54	24.01
vi) इति शेष	2,095.22	1,353.47

टिप्पणियाँ :

क. विनिधानों में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत उपयोग में ली गई ₹40,000 करोड़ की प्रतिभूतियां सम्मिलित नहीं है (पिछले वर्ष ₹27,000 करोड़)

ख. ₹5,520.21 करोड़ का विनिधान क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि./एन एस सी एल/ एम सी एक्स/यू एस ई आई एल के पास प्रतिभूति समाधान हेतु रखा गया है. पिछले वर्ष ₹11,117 करोड़ का विनिधान भारतीय रिज़र्व बैंक/क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट/प्रतिभूति समाधान (आरटीजीएस/एनडीएस) के अंतर्गत मार्जिन स्वरूप रखा गया था.

ग. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 11.08.2011 के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 28/21.04.157/2011-12 के अनुसरण में बैंक लाभ एवं हानि खाते से डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में ₹93.94 करोड़ एवं ₹39.00 करोड़ की राशि को क्रमश: उचंत खाता - कुल प्राप्य(क्रिस्टालाइज्ड रिसिवेबल्स) एवं उचंत खाता - लाभ एम टी एम में प्रतिवर्तित (रिवर्स) कर दिया है।

घ. वर्ष के दौरान बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर के राइट्स इश्यू के लिए ₹585.00 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाई है ।

ङ. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया।

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	4.33
छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	13.30
इलाकाई देहाती बैंक	23.80
लांग्पी देहांगी रूरल बैंक	2.10
नागालैंड रूरल बैंक	1.78
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7.88
उत्कल ग्राम्य बैंक	47.60
उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	5.25
वनांचल ग्रामीण बैंक	19.60
कुल	**125.64**

च. वर्ष के दौरान बैंक ने एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. के 10,20,670 शेयरों (0.64%) (बही मूल्य ₹5.82 करोड़) को ₹3.27 करोड़ में बेच दिया.

Sr. No.	Nature of Bonds	Principal Amount	Date of Issue / Date of Redemption	Rate of Interest % P.A.	Maturity Period in Months
29	SBI Public Issue of Lower Tier II Non- Convertible Bonds 2011 Retail (Series 3)	171.68	16.03.2011 16.03.2021	9.3	120
30	SBI Public Issue of Lower Tier II Non- Convertible Bonds 2011 Retail (Series 4)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2021	9.95	180
31	SBI Public Issue of Lower Tier II Non- Convertible Bonds 2011 Retail (Series 4)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
	TOTAL	**34,671.40**			

18.2 Investments

1. The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on investments of the Bank are given below:

(₹in Crores)

Particulars	As at 31-Mar-2012	As at 31-Mar-2011
1. Value of Investments		
i) Gross value of Investments		
(a) In India	3,02,856.15	2,86,732.72
(b) Outside India	11,436.68	10,221.32
ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	1,835.18	1,145.72
(b) Outside India	260.04	207.75
iii) Net value of Investments		
(a) In India	3,01,020.97	2,85,587.00
(b) Outside India	11,176.64	10,013.57
2. Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i) Opening Balance	1,353.47	700.72
ii) Add: Addition on account of acquisition of e-SBICI(P.Y. e-SBIn)	5.58	3.77
iii) Add: Provisions made during the year	793.82	670.76
iv) Add: Foreign Exchange revaluation adjustment/excess provision/utilisation during the year	52.89	2.23
v) Less: Write back of excess provision during the year.	110.54	24.01
vi) Closing balance	2,095.22	1,353.47

Notes:

a. Investments exclude securities utilised under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI ₹40,000 crores. (Previous Year ₹27,000 crores)

b. Investments amounting to ₹5,520.21 Crores are kept as margin with Clearing Corporation of India Limited/NSCCL/ MCX/ USEIL towards Securities Settlement. In the previous year investments amounting to ₹11,117 Crores were kept as margin with RBI/Clearing Corporation of India Limited towards Real Time Gross Settlement / Securities Settlement (RTGS/NDS).

c. In terms of RBI Circular DBOD.No.BP.BC.28/21.04.157/2011-12 dated August 11,2011 the Bank had reversed ₹93.94 crores and ₹39.00 crores from the Profit & Loss A/c to "Suspense A/c - Crystallised Receivables" and " suspense A/c - Profit MTM" respectively on account of derivative contracts.

d. During the year, the Bank has infused additional capital of ₹585.00 Crores in State Bank of Bikaner & Jaipur towards Right Issue.

e. During the year the Bank has infused additional capital in the following RRBs:-

(₹In crores)

Regional Rural Banks	Amount
Arunachal Pradesh Rural Bank	4.33
Chhattisgarh Gramin Bank	13.30
Ellaquai Dehati Bank	23.80
Langpi Dehangi Rural Bank	2.10
Nagaland Rural Bank	1.78
Samastipur Kshetriya Gramin Bank	7.88
Utkal Gramya Bank	47.60
Uttaranchal Gramin Bank	5.25
Vananchal Gramin Bank	19.60
Total	**125.64**

f. During the year, the Bank sold 10,20,670 shares (0.64%) in SBI Global Factors Limited for ₹3.27 crores. (Book Value ₹5.82 crores)

2. रेपो लेनदेन (चलनिधि समायोजन सुविधा समेत (एल ए फ)) / Repo Transactions (including Liquidity Adjustment Facility (LAF)

वर्ष के दौरान रेपो और प्रत्यावर्तित रेपो (एल ए एफ समेत) के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos including LAF during the year are given below:

₹ करोड़ में / ₹ In crores

विवरण /Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2012 को शेष राशि Balance as on 31 March 2012
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियां i) Government securities	— (—)	47,354.00 (43,500.00)	19,542.23 (7,015.62)	42,000.00 (27,000.00)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ ii) Corporate debt securities	— (—)	198.41 (—)	127.59 (—)	157.67 (—)
प्रतिवर्तित रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ i) Government securities	— (—)	8,500.00 (12,000.00)	350.14 (126.03)	3,150.00 (0.00)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ ii) Corporate debt securities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं) / (Figures in brackets are for Previous Year)

3. गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधान संविभाग
Non-SLR Investment Portfolio

क) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधानों की निर्गमकर्ता-संरचना :

(a) Issuer composition of Non SLR Investments :

बैंक के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधानों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है :

The issuer composition of Non-SLR investments of the Bank is given below:

₹ करोड़ में / ₹ In crores

सं. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्राइवेट प्लेसमेंट की मात्रा Extent of Private Placement	'विनिधान श्रेणी से कम' ग्रेड प्रतिभूतियों की मात्रा* Extent of `Below Investment Grade' Securities *	'बिना रेटिंग वाली' प्रतिभूतियों की मात्रा* Extent of `Unrated' Securities *	'असूचीगत' प्रतिभूतियों की मात्रा* Extent of `Unlisted' Securities *
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	9,176.71 (13,513.06)	1,200.25 (979.87)	— (50.00)	— (—)	17.40 (50.25)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ / FIs	5,103.90 (4,610.16)	4,325.74 (3,540.41)	50.37 (—)	50.83 (0.40)	50.83 (0.41)
(iii)	बैंक / Banks	10,128.32 (8,952.92)	5,332.96 (4,833.61)	40.51 (66.80)	49.21 (44.37)	315.40 (126.41)
(iv)	गैर सरकारी कारपोरेट Private Corporates	5,016.41 (8,160.26)	1,892.12 (2,744.83)	1,087.51 (22.30)	369.68 (400.81)	184.45 (596.06)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम** Subsidiaries / Joint ventures **	7,066.64 (6,461.08)	— (—)	— (—)	— (—)	1,527.04 (1,527.29)
(vi)	अन्य / Others	21,083.51 (23,543.13)	— (—)	92.29 (139.47)	1,348.87 (19,099.25)	16,257.86 (18,276.04)
(vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान Provision held towards depreciation	1,217.64 (805.20)	— (—)	189.04 (28.40)	210.76 (109.80)	190.91 (67.02)
	योग / Total	56,357.85	12,751.07	1,081.64	1,607.83	18,162.07
	पिछला वर्ष / Previous Year	(64,435.41)	(12,098.72)	(250.17)	(19,435.03)	(20,509.69)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं) (Figures in brackets are for Previous Year)

* ईक्विटी, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और ए आर सी आई एल में किए गए विनिधानों को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हे रेटिंग/लिस्टिंग दिशा निर्देशों से छूट मिली हुई है ।

** अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में विनिधानों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलगअलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं . अन्य विनिधानों में आरआईडीएफ जमा योजना के तहत नाबार्ड में जमा राशि ₹15,942.94 करोड़ शामिल है । (पिछला वर्ष ₹18,230.00 करोड़)

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Government Securities and ARCIL are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

** Investments in Subsidiaries/Joint Ventures have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI Guidelines. Other investments include deposits with NABARD under RIDF Deposit Scheme amounting to ₹15,942.94 Crores (Previous Year ₹18,230.00 Crores).

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) विनिधान

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	328.40	332.80
वर्ष के दौरान वृद्धि	588.12	8.24
वर्ष के दौरान कमी	56.02	12.64
इति शेष	860.50	328.40
रखे गए कुल प्रावधान	768.92	304.10

b) Non Performing Non-SLR Investments

₹ In crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	328.40	332.80
Additions during the year	588.12	8.24
Reductions during the year	56.02	12.64
Closing balance	860.50	328.40
Total provisions held	768.92	304.10

18.3 डेरीवेटिव्स :

क) वायदा दर करार/ब्याज दर विनिमय

₹ करोड़ में

	विवरण	31मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि	1,34,671.34#	1,05,850.77
i)	प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहने पर होने वाली हानियाँ	3,461.81	1,330.75
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपर्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	नगण्य	नगण्य
v)	विनिमय - बही का उचित मूल्य	2,020.59	671.95

बैंक के अपने कार्यालयों में आईआरएस/एफआरए के कुल ₹7600.95 करोड़ प्रविष्टियां की गई हैं और यहां दर्शाया नहीं गया है क्यों कि वे एफसीएनबी निधियों की सुरक्षा के लिए हैं और इसलिए उन्हें बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया गया है।

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज -दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
	क) ब्याज दर वायदे	74,582.00	1,26,409.89
	ख) 10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	निरंक	2.00
2	31मार्च 2012 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
	क) ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख) 10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	निरंक	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और अत्यधिक प्रभावी नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और अत्यधिक प्रभावी नहीं है.	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) ऋण चूक विनिमय

क्र.सं	मद	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेनदेन की संख्या				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/जाएंगे	निरंक	1	निरंक	निरंक
	ख) नकद निपटान	निरंक			
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई राशि के संरक्षण की मात्रा				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/ जाएंगे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) नकद निपटान	निरंक			
3.	वर्ष के दौरान लेनदेन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त /प्रदत्त किए गए				
	क) वर्तमान वर्ष से संबंधित	निरंक	1	निरंक	निरंक
	ख) पिछले वर्ष (वर्षों) से संबंधित	निरंक			
4.	वर्ष की अद्यतन तिथि तक सीडीएस लेनदेन से संबंधित निवल आय/लाभ (खर्च/हानि)	निरंक	क) प्रीमियम प्राप्त : ₹25.14 करोड़	निरंक	क) प्रीमियम प्राप्त : ₹31.79 करोड़
	क) प्रीमियम अदा/प्राप्त किया गया।				
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान :				
	* अदा (आस्तियों के वसूली मूल्य को घटाकर)	ख) ₹50.63 करोड़		ख) निरंक	
	* प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य को घटाकर)	₹0.25 करोड़			
5.	31 मार्च तक बकाया लेनदेन	निरंक	13	निरंक	26
	क) लेनदेन की संख्या		₹546.90 करोड़		₹983.32 करोड़
	ख) संरक्षण की राशि				
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया	निरंक	24	निरंक	38
	क) लेनदेन की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार)		₹1,045.48 करोड़		₹1,373.53 करोड़
	ख) संरक्षणकी मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)				

घ) डेरीवेटिव्स में जोखिम वाले निवेश का प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

i. बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर और मुद्रा वायदों का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया, उनमें रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया, उनमें मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय - प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव -व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएँ निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलनपत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार

18.3 **Derivatives**

a) Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps

₹ in Crores

	Particulars	As at 31-Mar-2012	As at 31-Mar-2011
i)	The notional principal of swap agreements	1,34,671.34#	1,05,850.77
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	3,461.81	1,330.75
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Not significant	Not significant
v)	The fair value of the swap book	2,020.59	671.95

IRS/FRA amounting to ₹ 7600.95 crores entered with the Bank's own offices are not shown here as they are for hedging of FCNB corpus and hence not marked to market.

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year		
	A Interest Rate Futures	74,582.00	1,26,409.89
	B 10 Year Government of India Security	NIL	2.00
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2012		
	A Interest Rate Futures	Nil	Nil
	B 10 Year Government of India Security	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	N.A.	N.A.
4	Marked-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective".	N.A.	N.A

c) Credit default Swaps

Sr.No.	Particulars	Current Year		Previous Year	
		As Protection Buyer	As Protection Seller	As Protection Buyer	As Protection Seller
1	No. of transactions during the year				
	a) of which transactions that are/ may be physically settled	Nil	1	Nil	Nil
	b) cash settled	Nil			
2	Amount of protection bought / sold during the year				
	a) of which transactions which are/ may be physically settled				
	b) cash settled	Nil	Nil	Nil	Nil
3	No. of transactions where credit event payment was received / made during the year				
	a) pertaining to current year's transactions	Nil	1	Nil	Nil
	b) pertaining to previous year(s)' transactions	—	Nil	—	—
4	Net income/ profit (expenditure/ loss) in respect of CDS transactions during year-to-date:	Nil	a) Premium Received	Nil	a) Premium Received
	a) premium paid / received		₹ 25.14 crores		₹31.79 crores
	b) Credit event payments:				
	• made (net of the value of assets realised)	b) ₹ 50.63 crores			b) Nil
	• received (net of value of deliverable obligation)	₹ 0.25 crores			
5	Outstanding transactions as on March 31:	Nil	13	Nil	26
	a) No. of Transactions		₹546.90 crores		₹ 983.32 crores
	b) Amount of protection				
6	Highest level of outstanding transactions during the year:				
	a) No. of Transactions (as on 1st April)	Nil	24	Nil	38
	b) Amount of protection (as on 1st April)		₹ 1,045.48 crores	Nil	₹1,373.53 crores

D) Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

(A) Qualitative Disclosure

i. The Bank currently deals in over-the-counter (OTC) interest rate and currency derivatives as also in Interest Rate and Currency Futures. Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are rupee interest rate swaps, foreign currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency derivatives dealt by the Bank are currency swaps, rupee dollar options, exchange traded options and cross-currency options. The products are offered to the Bank's customers to hedge their exposures and the Bank enters into derivatives contracts to cover such exposures. Derivatives are used by the Bank both for trading as well as hedging on balance sheet

के विभिन्न सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है. बैंक ने ग्राहकों से विकल्प सौदे और संरचनागत उत्पाद - विक्रय का लेनदेन किया है, किन्तु उनके लिए अंतर-बैंक बाजार में परस्पर मुद्रा आधारित वायदा - करार किए गए हैं.

ii. डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं, अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों/ईक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम, अर्थात् यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की डेरीवेटिव्स नीति में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आरंभिक राशि सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि आदि) भी निर्धारित किए गए हैं. केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरें उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण-सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार भी करता है.

iii. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर निगरानी रखती है.ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड - ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एम ओ आर सी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है और इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2011-12 की प्रमुख लेखा नीति (पीएपी) : अनुसूची 17 में दिया गया है.

v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यत: आस्ति और देयताओं की बचाव - व्यवस्था हेतु किया जाता है.

vi. बचाव - व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले परस्पर मुद्रा - विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यत: विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमाराशियों की बचाव - व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं.

vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादित होते थे.

items. The Bank also deals in a mix of these generic instruments. The Bank has done Option deals and Structured Products with customers, but they have been covered on a back to back basis in inter-bank market.

ii. Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates/exchange rates/equity prices and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Policy for Derivatives" approved by the Board prescribes the market risk parameters (cut-loss triggers, open position limits, duration, modified duration, PV01 etc.) as well as customer eligibility criteria (credit rating, tenure of relationship etc.) for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties satisfying the criteria prescribed in the Policy. Appropriate limits are set for the counterparties taking into account their ability to honour obligations and the Bank enters into ISDA agreement with each counterparty.

iii. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees efficient management of these risks. The Bank's Mid-Office and Risk Control (MORC) Department at Treasury, now Market Risk Management Department (MRMD) independently identifies, measures, monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.

iv. The accounting policy for derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17: Significant Accounting Policies (SAP) for the financial year 2011-12.

v. Interest Rate Swaps are mainly used at Foreign Offices for hedging of the assets and liabilities.

vi. Apart from hedging swaps, swaps at Foreign Offices consist of back to back swaps done at our Foreign Offices which are done mainly for hedging of FCNR deposits at Global Markets, Kolkata.

vii. Majority of the swaps were done with First class counterparty banks.

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण : B) Quantitative Disclosures :

(₹ करोड़ में / ₹ In crores)

विवरण Particulars		मुद्रा डेरीवेटिव्स Currency Derivatives		ब्याज दर डेरीवेटिव्स Interest Rate Derivatives	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	डेरीवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	क/a) बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए / For hedging	4,954.34	5,902.99	47,532.47	32,263.98
	ख/b) क्रय-विक्रय के लिए** / For trading**	4,36,623.65$	3,63,233.01$	87,138.87#	73,586.79#
(ii)	बाजार के बही- मूल्य के अनुसार स्थिति Marked to Market Positions				
	क/a) आस्ति / Asset	941.86	271.66	89.95	33.74
	ख/b) देयता / Liability	8.43	—	0.00	3.58
(iii)	ऋण जोखिम / Credit Exposure	14,158.22	17,143.23	4,792.43	2,393.00
(iv)	ब्याज दर (100* पीवी 01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)				
	क/a) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर / on hedging derivatives	76.95	114.90	3.15	740.32
	ख/b) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर / on trading derivatives	8.03	30.44	18.64	(8.44)
(v)	वर्ष के दौरान 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100* PV 01 observed during the year				
	क/a) बचाव व्यवस्था (हेजिंग) पर/on hedging				
	अधिकतम/Maximum	93.68	109.35	1,433.18	751.04
	न्यूनतम/Minimum	45.03	35.94	769.90	187.44
	ख/b) क्रय-विक्रय पर/on trading				
	अधिकतम/Maximum	70.78	24.49	(522.47)	15.71
	न्यूनतम/Minimum	(36.75)	(17.16)	(840.08)	(46.86)

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आईआरएस/एफआरए की ₹7,600.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5035.67 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के बचाव के लिए रखी गई है और इसलिए बाजार के लिए चिह्नित भी नहीं की गई है.

$ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ प्रविष्ट स्वेप्स की ₹7,276.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,865.62 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के बचाव के लिए रखी गई है और इसलिए बाजार के लिए चिह्नित भी नहीं की गई है.

** बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। (करेंसी डेरीवेटिव्स ₹1,260.56 करोड़ एवं ब्याज दर डेरीवेटिव्स ₹159.56 करोड़)

1. 31 मार्च 2012 तक ग्लोबल मार्केटस् डिपार्टमेंट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापार की बकाया आनुमानिक राशि ₹16,279.26 करोड़ (₹11,901.29 करोड़) है और 31 मार्च 2012 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹30,663.90 करोड़ (₹29,379.83 करोड़) है.
2. वायदा दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2012 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹57,756.33 करोड़ (₹45,525.15 करोड़) है.
3. ऋण चूक विनिमय सौदा : इस सौदे में दिनांक 31 मार्च 2012 तक कुल बकाया राशि ₹546.90 करोड़ (₹983.32 करोड़) है.

IRS/FRA amounting to ₹7,600.95 crores(Previous Year ₹5,035.67 crores) entered with the Bank's own offices are not shown here as they are for hedging of FCNB corpus and hence not marked to market.

$ The swaps amounting to ₹7,276.19 crores (Previous Year ₹6,865.62 crores) entered with the Bank's own foreign offices are not shown here as they are for hedging of FCNB corpus and hence not marked to market.

** The forward contract deals with our own Foreign Offices are not included. (Currency Derivatives - ₹1,260.56 crores and Interest Rate Derivatives - ₹159.56 crores)

1. The outstanding notional amount of derivatives done between Global Markets department and International Banking Group department as on 31st March 2012 amounted to ₹16,297.26 crores (₹11,901.29 crores) and the derivatives done between SBI Foreign Offices as on 31st March 2012 amounted to ₹30,663.90 crores (₹29,379.83 crores).
2. The outstanding notional amount of interest rate derivatives which are not marked to market where the underlying Assets/Liabilities are not marked to market as on 31st March 2012 amounted to ₹57,756.33 crores (₹45,525.15 crores)
3. Credit Default Swap : Outstanding as on 31st March 2012 amounted to ₹546.90 crores (₹983.32 crores).

18.4 आस्ति – गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.82%	1.63%
ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) अथशेष	25,326.29	19,534.89
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	24,712.22	18,145.70
उप-योग (i)	50,038.51	37,680.59
(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	5,458.36	4,499.10
(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	4,159.35	3,848.35
(ङ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	744.34	4,006.85
उप - योग (ii)	10,362.05	12,354.30
(च) इति शेष (i-ii)	39,676.46	25,326.29
iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	12,346.90	10,870.17
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	10,948.96	6,815.83
(ग) वर्ष के दौरान कमी	7,477.01	5,339.10
(घ) इति शेष	15,818.85	12,346.90
iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	12,979.39	8,664.72
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	13,763.27	11,329.87
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	2,885.05	7,015.20
(घ) इति शेष	23,857.61	12,979.39

अथशेष एवं इतिशेष में प्राप्त एवं स्थगित डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावे शामिल हैं और इनकी बकाया समायोजन राशि क्रमश: ₹25.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21.53 करोड़) एवं ₹46.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹25.38 करोड़) है।

18.4 Asset Quality

a) Non-Performing Assets

(₹ in Crores)

Particulars	As at 31-Mar-2012	As at 31-Mar-2011
i) Net NPAs to Net Advances (%)	1.82%	1.63%
ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	25,326.29	19,534.89
(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	24,712.22	18,145.70
Sub-total (I)	50,038.51	37,680.59
(c) Reductions due to upgradations during the year	5,458.36	4,499.10
(d) Reductions due to recoveries (Excluding recoveries made from upgraded accounts)	4,159.35	3,848.35
(e) Reductions due to Write-offs during the year	744.34	4,006.85
Sub-total (II)	10,362.05	12,354.30
(f) Closing balance (I-II)	39,676.46	25,326.29
iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	12,346.90	10,870.17
(b) Additions during the year	10,948.96	6,815.83
(c) Reductions during the year	7,477.01	5,339.10
(d) Closing balance	15,818.85	12,346.90
iv) Movement of provisions for NPAs		
(a) Opening balance	12,979.39	8,664.72
(b) Provisions made during the year	13,763.27	11,329.87
(c) Write-off / write-back of excess provisions	2,885.05	7,015.20
(d) Closing balance	23,857.61	12,979.39

Opening and closing balances include DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment of ₹ 25.38 crores (P.Y. ₹ 21.53 crores) and ₹ 46.32 crores (P.Y. ₹ 25.38 crores) respectively.

ख) 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के दौरान पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों का ब्योरा

b) Details of Loan Assets subjected to Restructuring during the period from 1st April 2011 to 31st March 2012

(₹ करोड़ में / ₹ In crores)

विवरण Particulars	विवरण Particulars	सीडीआर व्यवस्था CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्संरचना SME Debt Restructuring	अन्य Others	योग Total
पुनर्संरचनागत मानक अग्रिम Standard advances restructured	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	29 (25)	134 (133)	2,159 (10,277)	2,322 (10,435)
	बकाया राशि Amount outstanding	3,015.53 (752.37)	568.42 (369.42)	4,810.73 (3,578.37)	8,394.68 (4,700.16)
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	378.52 (183.70)	10.25 (5.14)	86.41 (272.23)	475.18 (461.07)
पुनर्संरचनागत अवमानक अग्रिम Sub standard advances restructured	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	3 (4)	21 (33)	105 (285)	129 (322)
	बकाया राशि Amount outstanding	182.62 (223.21)	73.37 (14.60)	336.43 (567.75)	592.42 (805.56)
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	22.44 (29.03)	5.25 (1.29)	5.62 (13.57)	33.31 (43.89)
पुनर्संरचनागत संदिग्ध अग्रिम Doubtful advances restructured	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	1 (-)	41 (17)	27 (20)	69 (37)
	बकाया राशि Amount outstanding	41.77 (-)	84.00 (30.05)	158.79 (122.28)	284.56 (152.33)
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00 (-)	5.65 (0.57)	10.82 (1.08)	16.47 (1.65)
योग TOTAL	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	33 (29)	196 (183)	2,291 (10,582)	2,520 (10,794)
	बकाया राशि Amount outstanding	3,239.92 (975.58)	725.79 (414.07)	5,305.95 (4,268.40)	9,271.66 (5,658.05)
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	400.96 (212.73)	21.15 (7.00)	102.85 (286.88)	524.96 (506.61)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं) / (Figures in brackets are for Previous Year)

ग) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा (₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	3	3
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	4.08	निरंक
iii) समग्र प्रतिफल	10.35	26.82
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/(हानि)	6.27	26.82

घ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा (₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

ङ) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा (₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	9	4
2) कुल बकाया राशि	35.69	103.23
3) कुल प्रस्तावित मूल्य प्रतिफल	12.79	47.98

च) मानक आस्तियों पर प्रावधान

बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	4296.03**	3,336.08*

* पूर्ववर्ती स्टेट बैंक आफ इंदौर से अंतरित राशि ₹106.12 करोड़ सहित

** पूर्ववर्ती एसबीआईसीआई बैंक लि. से अंतरित राशि ₹0.98 करोड़ सहित

छ) व्यवसाय अनुपात

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	8.04%	6.96%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.08%	1.35%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	2.38%	2.17%
iv. आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.88%	0.71%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ हजार में)	79,842	70,465
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	531.45	384.63

c) Details of financial assets sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC) for Asset Reconstruction (₹ in Crores)

Particulars	Current Year	Previous Year
i) No. of Accounts	3	3
ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	4.08	Nil
iii) Aggregate consideration	10.35	26.82
iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
v) Aggregate gain / (loss) over net book value	6.27	26.82

d) Details of non-performing financial assets purchased (₹ in Crores)

Particulars	Current Year	Previous Year
1) (a) No. of Accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2) (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

e) Details of non-performing financial assets sold (₹ in Crores)

Particulars	Current Year	Previous Year
1) No. of Accounts sold	9	4
2) Aggregate outstanding	35.69	103.23
3) Aggregate consideration received	12.79	47.98

f) Provision on Standard Assets

The Provision on Standard Assets held by the Bank in accordance with RBI guidelines is as under:

Particulars	As at 31-Mar-2012	As at 31-Mar-2011
Provision towards Standard Assets	4,296.03**	3,336.08*

*includes ₹106.12 crores transferred from eSBIN

** Includes ₹0.98 crore transferred from e SBICI Bank Limited.

g) Business Ratios

Particulars	Current Year	Previous Year
i. Interest Income as a percentage to Working Funds	8.04%	6.96%
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.08%	1.35%
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.38%	2.17%
iv. Return on Assets	0.88%	0.71%
v. Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in thousands)	79,842	70,465
vi. Profit per employee (₹ in thousands)	531.45	384.63

ज) आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

h) Asset Liability Management: Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at 31st March 2012 (₹ करोड़ में / ₹ In crores)

	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 मास तक 29 days to 3 months	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक Over 3 months & upto 6 months	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग TOTAL
जमाराशियाँ Deposits	24,952.42 *(24,992.66)*	24,148.78 *(21,696.53)*	23,163.49 *(20,849.71)*	17,309.22 *(15,202.16)*	54,829.96 *(45,801.60)*	1,00,330.59 *(88,669.77)*	1,37,776.39 *(1,20,303.13)*	3,06,073.55 *(2,77,716.71)*	1,78,971.15 *(1,61,534.99)*	1,76,091.82 *(1,57,165.55)*	10,43,647.36 *(9,33,932.81)*
अग्रिम Advances	39,710.85 *(46,944.31)*	6,386.88 *(7,543.86)*	17,237.21 *(25,432.64)*	10,140.95 *(8,835.11)*	47,080.98 *(48,819.28)*	38,041.23 *(31,407.67)*	43,231.60 *(27,303.96)*	4,08,461.94 *(3,54,683.76)*	81,234.24 *(69,728.43)*	1,76,053.01 *(1,36,020.43)*	8,67,578.89 *(7,56,719.45)*
विनिधान Investments	134.68 *(-)*	2,447.45 *(1,189.00)*	80.61 *(739.57)*	3,514.89 *(2,289.27)*	19,109.04 *(4,201.94)*	8,664.67 *(11,196.27)*	11,902.56 *(6,540.61)*	48,553.21 *(56,742.58)*	54,935.00 *(52,689.05)*	1,62,855.50 *(1,60,012.28)*	3,12,197.61 *(2,95,600.57)*
उधार-राशियाँ Borrowings	688.64 *(2,763.15)*	13,988.94 *(10,484.15)*	2,842.08 *(2,953.07)*	6,748.88 *(4,903.26)*	21,202.93 *(17,474.77)*	9,765.70 *(8,776.92)*	5,107.03 *(10,349.74)*	12,524.56 *(5,690.22)*	18,052.01 *(15,204.41)*	36,084.79 *(40,969.26)*	1,27,005.56 *(1,19,568.95)*
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	26,245.58 *(32,391.28)*	2,684.58 *(1,405.38)*	3,873.88 *(2,594.40)*	6,002.43 *(6,150.93)*	24,917.46 *(27,064.10)*	20,344.78 *(16,092.55)*	13,868.74 *(10,475.55)*	24,187.50 *(17,608.64)*	28,022.95 *(20,757.39)*	23,057.38 *(20,783.93)*	1,73,205.28 *(1,55,324.15)*
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	15,576.62 *(20,911.86)*	11,807.38 *(7,223.70)*	4,543.24 *(4,167.90)*	9,168.21 *(7,406.10)*	30,276.50 *(23,216.44)*	20,977.29 *(15,506.06)*	22,645.06 *(22,613.11)*	23,817.29 *(15,046.29)*	19,169.38 *(20,065.97)*	4,002.97 *(5,527.71)*	1,61,983.94 *(1,41,685.14)*

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2011 के हैं)

(Figures in brackets are as at 31st March 2011)

18.5 ऋण-जोखिम

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है.

क) स्थावर संपदा क्षेत्र (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
(I) प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i) आवासीय बंधक	1,25,992.41	1,14,199.40
जिनमें से ₹20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण	76,980.09	73,628.78
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	12,674.38	14,011.31
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में विनिधान:	154.55	186.73
क) आवासीय	127.64	164.86
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	26.9	21.87
(II) अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	5,847.03	6,226.05
योग	**1,44,668.37**	**1,34,623.49**

ख) पूंजी बाजार (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
1) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में - ऐसे प्रत्यक्ष विनिधान जिनकी राशि का सिर्फ कारपोरेट - ऋण में विनिधान नहीं किया गया है.	1,912.18	8,868.34
2) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बॉण्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फण्डों में निवेश करने के लिए शेयरों/बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर या बिना जमानत के व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम.	6.80	10.22
3) अन्य किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	355.42	0.39
4) अन्य किसी प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/ परिवर्तनशील डिबेंचरों/ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण - प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	168.56	33.67
5) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार - नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	541.21	773.95
6) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण	निरंक	40.11
7) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	0.02	0.01
8) शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	निरंक	निरंक
9) शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	निरंक	निरंक
10) उद्यम - पूंजी निधियों से संबंधित ऋण -जोखिम (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	586.07	608.61
पूंजी बाजार में कुल ऋण-जोखिम	**3,570.26**	**10,335.30**

18.5 Exposures

The Bank is lending to sectors which are sensitive to asset price fluctuations.

a) Real Estate Sector (₹ in Crores)

Particulars	As at 31-Mar-2012	As at 31-Mar-2011
(I) Direct exposure		
i) Residential Mortgages	1,25,992.41	1,14,199.40
- Of which individual housing loans up to ₹ 20 lac	76,980.09	73,628.78
ii) Commercial Real Estate	12,674.38	14,011.31
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures:	154.55	186.73
a) Residential	127.64	164.86
b) Commercial Real Estate	26.90	21.87
(II) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	5,847.03	6,226.05
Total	**1,44,668.37**	**1,34,623.49**

b) Capital Market (₹ in Crores)

Particulars	As at 31-Mar-2012	As at 31-Mar-2011
1) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1,912.18	8,868.34
2) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	6.80	10.22
3) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	355.42	0.39
4) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	168.56	33.67
5) Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	541.21	773.95
6) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	Nil	40.11
7) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	0.02	0.01
8) Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	Nil	Nil
9) Financing to stock brokers for margin trading.	Nil	Nil
10) Exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	586.07	608.61
Total Exposure to Capital Market	**3,570.26**	**10,335.30**

ग) जोखिम वर्गवार देशगत जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है. यूएसए को छोड़कर, किसी भी देश के लिए बैंक की देशगत जोखिम (कुल निधिक) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है और इसलिए यूएसए हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

c) Risk Category wise Country Exposure

As per the extant RBI guidelines, the country where exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table. The country exposure (net funded) of the Bank for any country does not exceed 1% of its total assets except on USA and hence provision for the country exposure on USA has been made.

(₹ करोड़ में/₹ In crores)

जोखिम वर्ग Risk Category	ऋण-जोखिम (निवल) Exposure (net)		किया गया प्रावधान Provision held	
	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2012	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2011	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2012	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2011
नगण्य/Insignificant	5.93	901.43	निरंक/Nil	निरंक/Nil
बहुत कम/Very Low	60,691.68	53,241.04	27.89	23.68
कम/Low	833.76	लागू नहीं/NA	निरंक/Nil	लागू नहीं/NA
मध्यम कम/Low Medium	9,782.76	11252.64	निरंक/Nil	लागू नहीं/NA
मध्यम/Medium	3,541.64	लागू नहीं/NA	निरंक/Nil	लागू नहीं/NA
अधिक/HIgh	2,067.30	1,773.20	निरंक/Nil	निरंक/Nil
अत्यधिक/Very HIgh	1,208.60	2,206.31	निरंक/Nil	निरंक/Nil
प्रतिबंधित/Restricted	3,965.87	4,098.94	निरंक/Nil	निरंक/Nil
ऋण अयोग्य/Off-Credit	निरंक/Nil	लागू नहीं/NA	निरंक/Nil	लागू नहीं/NA
योग/Total	**82,097.54**	**73,473.56**	**27.89**	**23.68**

घ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्त्ता तथा समूह उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम सीमा का ब्योरा :

d) Single Borrower and Group Borrower exposure Limits exceeded by the Bank :

बैंक ने निम्नलिखित मामलों में यथोचित सीमा के अतिक्रमण में एकल उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम लिए :

The Bank had taken single borrower exposure in excess of the prudential limit in the cases given below :

(₹ करोड़ में/₹ In crores)

उधारकर्त्ता का नाम Name of the Borrower	ऋण-जोखिम की उच्चत्तम सीमा Exposure ceiling	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर) Limit Sanctioned (Peak Level)	सीमा के अतिक्रमण की अवधि Period during which limit exceeded	31.03.12 की स्थिति के अनुसार बकाया Outstanding as on 31.03.12
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	14,779.58	15,214.49	जनवरी 2012/January 2012 तथा	
Reliance Industries Limited	14,783.26	15,358.18	फरवरी 2012/February 2012	6,867.32
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.	24,632.64	28,953.68	अप्रैल 2011 से जनवरी 2012/April 2011 to January 2012	
Indian Oil Corporation Ltd.	24,638.76	28,114.56	फरवरी 2012 से मार्च 2012/February 2012 to March 2012	24,374.33
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	14,779.58	17,670.00	अप्रैल 2011 से जनवरी 2012/April 2011 to January 2012	
Bharat Heavy Electricals Limited	14,783.23	17,670.00	फरवरी 2012 से मार्च 2012/February 2012 to March 2012	13,522.21

Note: Exposure on RIL, BHEL & IOCL are within the discretion given to Banks by RBI (additional 5% of capital funds, over Prudential Limits).

टिप्पणी: आरआईएल, बीएचईएल और आईओसीएल से संबंधित ऋण जोखिम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए विवेकाधिकार (विवेकी ऋण-सीमाओं की तुलना में पूंजीगत निधियों से 5% अधिक) के अंदर है।

ङ) अप्रतिभूत अग्रिम (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
क) बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	1,64,479.17	1,53,018.58
i) इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में मूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	4,848.24	795.72
ii) इन मूर्त प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य (ऊपर (i) के अनुसार)	4,159.48	4,114.30

18.6 विविध

क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदंडों का प्रकटन

₹0.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.13 करोड़)

ख) एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए अर्थदंड

बैंक पर एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

e) Unsecured Advances (₹ In crores)

Particulars	As at 31 Mar 2012	As at 31 Mar 2011
a) Total Unsecured Advances of the bank	1,64,479.17	1,53,018.58
i) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licences, authority etc	4,848.24	795.72
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above).	4,159.48	4,114.30

18.6 Miscellaneous

a) **Disclosure of Penalties imposed by RBI**

₹ 0.10 crore (Previous year - ₹ 0.13 crores)

b) **Penalty for Bouncing of SGL forms**

No penalty has been levied on the Bank for bouncing of SGL Forms.

18.7 लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) कर्मचारी – हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है : (₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2011 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभिक शेष	33,879.30	21,715.61	5,817.19	3,889.14
विलय एवं अधिग्रहण पर देयताएं	25.03	484.00	133.25	120.47
वर्तमान सेवा लागत	950.40	892.28	178.66	144.38
ब्याज लागत	2,879.74	1,890.02	494.46	303.80
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	82.00	–	–	–
पूर्व सेवा लागत (परिशोधित)	–	–	–	425.00
पूर्व सेवा लागत (आरक्षितयों में मान्य निहित लाभ)	–	7,927.41	–	–
पूर्व सेवा लागत (प्रावधानों से समायोजित निहित लाभ)	–	1,306.70	–	675.00
एक्चुरियल हानि (लाभ)	781.46	1,188.70	367.64	731.32
संदत्त लाभ	(1,140.37)	(744.75)	(528.38)	(471.92)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(931.88)	(780.67)	–	–
31 मार्च 2012 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	36,525.68	33,879.30	6,462.82	5,817.19
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2011 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	16,800.10	14,714.83	4,102.25	3,811.28
विलय एवं अधिग्रहण पर अंतरित आस्तियां	25.03	484.00	–	120.47
अन्य निधियों से अंतरण	–	–	2.16	–
बैंक द्वारा संदत्त महंगाई राहत	–	–	–	–
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,344.01	1,215.25	328.18	312.28
नियोक्ता द्वारा अंशदान	10,046.64	848.12	1,315.00	328.20
प्रदत्त हितलाभ	(1,140.37)	(744.75)	(528.38)	(471.92)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	130.16	282.65	32.58	1.94
31 मार्च 2012 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	27,205.57	16,800.10	5,251.79	4,102.25
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2012 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	36,525.68	33,879.30	6,462.82	5,817.19
31 मार्च 2012 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	27,205.57	16,800.10	5,251.79	4,102.25
कमी/(अधिशेष)	9,320.11	17,079.20	1,211.03	1,714.94
लेखे मे नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	–	–	300.00	400.00
लेखे मे नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	–	–	–	–
निवल देयता/(आस्ति)	9,320.11	17,079.20	911.03	1,314.94
तुलनपत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	36,525.68	33,879.30	6,462.82	5,817.19
आस्तियाँ	27,205.57	16,800.10	5,251.79	4,102.25
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	9,320.11	17,079.20	1,211.03	1,714.94
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	–	–	300.00	400.00
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	–	–	–	–
कुल देयताएं /आस्तियां	9,320.11	17,079.20	911.03	1,314.94
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	950.40	892.28	178.66	144.38
ब्याज लागत	2,879.74	1,890.02	494.46	303.80
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1,344.01)	(1,215.25)	328.18	(312.28)
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित)	–	–	100.00	25.00
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	82.00	–	–	675.00
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ), जो लेखे में लिए गए	651.30	906.05	335.06	729.38
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' में शामिल किया गया है.	3,219.43	2,473.10	780.00	1,565.28

18.7 Disclosure Requirements as per Accounting Standards

a) Employee Benefits

i. Defined Benefit Plans

The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:- (₹ In crores)

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation at 1st April 2011	33,879.30	21,715.61	5,817.19	3,889.14
Liability on merger and acquisition	25.03	484.00	133.25	120.47
Current Service Cost	950.40	892.28	178.66	144.38
Interest Cost	2,879.74	1,890.02	494.46	303.80
Past Service Cost (Vested Benefit)	82.00	–	–	–
Past Service Cost (Amortised)	–	–	–	425.00
Past Service Cost (Vested Benefit recognised in Reserves)	–	7,927.41	–	–
Past Service Cost (Vested Benefit adjusted from Provisions)	–	1,306.70	–	675.00
Actuarial losses (gains)	781.46	1,188.70	367.64	731.32
Benefits paid	(1,140.37)	(744.75)	(528.38)	(471.92)
Direct Payment by Bank	(931.88)	(780.67)	–	–
Closing defined benefit obligation at 31st March 2012	36,525.68	33,879.30	6,462.82	5,817.19
Change in Plan Assets				
Opening fair value of Plan Assets as at 1st April 2011	16,800.10	14,714.83	4,102.25	3,811.28
Asset transferred on merger and acquisition	25.03	484.00	–	120.47
Transfer from other fund	–	–	2.16	–
Dearness Relief Paid by Bank	–	–	–	–
Expected Return on Plan Assets	1,344.01	1,215.25	328.18	312.28
Contributions by employer	10,046.64	848.12	1,315.00	328.20
Benefits Paid	(1,140.37)	(744.75)	(528.38)	(471.92)
Actuarial Gains / (Loss) on plan Assets	130.16	282.65	32.58	1.94
Closing fair value of plan assets as at 31st March 2012	27,205.57	16,800.10	5,251.79	4,102.25
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
Present Value of Funded obligation at 31st March 2012	36,525.68	33,879.30	6,462.82	5,817.19
Fair Value of Plan assets at 31st March 2012	27,205.57	16,800.10	5,251.79	4,102.25
Deficit/(Surplus)	9,320.11	17,079.20	1,211.03	1,714.94
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	–	–	300.00	400.00
Unrecognised Transitional Liability Closing Balance	–	–	–	–
Net Liability/(Asset)	9,320.11	17,079.20	911.03	1,314.94
Amount Recognised in the Balance Sheet				
Liabilities	36,525.68	33,879.30	6,462.82	5,817.19
Assets	27,205.57	16,800.10	5,251.79	4,102.25
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	9,320.11	17,079.20	1,211.03	1,714.94
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	–	–	300.00	400.00
Unrecognised Transitional Liability Closing Balance	–	–	–	–
Net Liability/(Asset)	9,320.11	17,079.20	911.03	1,314.94
Net Cost recognised in the profit and loss account				
Current Service Cost	950.40	892.28	178.66	144.38
Interest Cost	2,879.74	1,890.02	494.46	303.80
Expected return on plan assets	(1,344.01)	(1,215.25)	328.18	(312.28)
Past Service Cost (Amortised) Recognised	–	–	100.00	25.00
Past Service Cost (Vested Benefit) Recognised	82.00	–	–	675.00
Net actuarial losses (Gain) recognised during the year	651.30	906.05	335.06	729.38
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	3,219.43	2,473.10	780.00	1,565.28

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,344.01	1,215.25	328.18	312.28
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	130.16	282.65	32.58	1.94
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	1,474.17	1,497.90	360.76	314.22
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के अथ और इति शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2011 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	17,079.20	7,000.78	1,314.94	77.86
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	3,219.43	2,473.10	780.00	1,565.28
विलय / अधिग्रहण से निवल देयताएं	131.09	–	–	–
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(931.88)	(780.67)	–	–
अन्य प्रावधानों के नामे	–	1,306.70	–	–
आरक्षिती में मान्य	–	7,927.41	–	
नियोक्ता का अंशदान	(10,046.64)	(848.12)	(1,315.00)	(328.20)
तुलनपत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	9,320.11	17,079.20	911.03	1,314.94

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना – आस्तियों के अधीन किए गए विनिधान निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	30.34	20.49
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.63	22.30
कारपोरेट बांड	36.06	32.71
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	0.00	19.25
अन्य	10.97	5.25
योग	**100.00**	**100.00**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.75%	8.50%	8.50%	8.50%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.60%	8.00%	8.60%	8.00%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

योजना में अधिकता / कमी

	ग्रेच्युटी योजना			
तुलन – पत्र में मान्य राशि	**31-03-2009 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2010 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2011 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2012 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के अंत में देयता	3,778.18	3,889.14	5,817.19	6,462.82
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,746.73	3,811.28	4,102.25	5,251.79
अंतर	31.45	77.86	1,714.94	1,211.03
अमान्य पूर्व सेवा लागत	–	–	400.00	300.00
अमान्य हस्तांतरण देयता	–	–	–	–
तुलन-पत्र में मान्य राशि	**31.45**	**77.86**	**1,314.94**	**911.03**
अनुभव समायोजन				
योजना देयता (लाभ)/हानि	(90.81)	(0.40)	879.37	367.64
योजना आस्ति (हानि)/लाभ	(1.24)	7.89	1.94	32.58

योजना में अधिकता/कमी

	पेंशन			
तुलन – पत्र में मान्य राशि	**31-03-2009 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2010 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2011 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2012 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के अंत में देयता	19,328.72	21,715.61	33,879.30	36,525.68
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	13,710.13	14,714.83	16,800.10	27,205.57
अंतर	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11
अमान्य पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–
अमान्य हस्तांतरण देयता	–	–	–	–
तुलन-पत्र में मान्य राशि	**5,618.59**	**7,000.78**	**17,079.20**	**9,320.11**
अनुभव समायोजन				
योजना देयता (लाभ)/हानि	905.07	5,252.37	1,188.70	1,677.80
योजना आस्ति (हानि)/लाभ	124.74	233.12	282.65	130.16

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1,344.01	1,215.25	328.18	312.28
Actuarial Gain/ (loss) on Plan Assets	130.16	282.65	32.58	1.94
Actual Return on Plan Assets	1,474.17	1,497.90	360.76	314.22
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet				
Opening Net Liability as at 1st April 2011	17,079.20	7,000.78	1,314.94	77.86
Expenses as recognised in profit and loss account	3,219.43	2,473.10	780.00	1,565.28
Net Liability on merger/ acquisition	131.09	–	–	–
Paid by Bank Directly	(931.88)	(780.67)	–	–
Debited to Other Provision	–	1,306.70	–	–
Recognised in Reserve	–	7,927.41	–	–
Employer's Contribution	(10,046.64)	(848.12)	(1,315.00)	(328.20)
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	9,320.11	17,079.20	911.03	1,314.94

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on 31st March 2012 are as follows:

Category of Assets	Pension Fund % of Plan Assets	Gratuity Fund % of Plan Assets
Central Govt. Securities	30.34	20.49
State Govt. Securities	22.63	22.30
Corporate Bonds	36.06	32.71
Insurer Managed Funds	0.00	19.25
Others	10.97	5.25
Total	**100.00**	**100.00**

Principal actuarial assumptions

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Discount Rate	8.75%	8.50%	8.50%	8.50%
Expected Rate of return on Plan Asset	8.60%	8.00%	8.60%	8.00%
Salary Escalation	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

Surplus / Deficit in the Plan

	Gratuity Plan			
Amount Recognised in the Balance Sheet	Year ended 31-03-2009	Year ended 31-03-2010	Year ended 31-03-2011	Year ended 31-03-2012
Liability at the end of the year	3,778.18	3,889.14	5,817.19	6,462.82
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	3,746.73	3,811.28	4,102.25	5,251.79
Difference	31.45	77.86	1,714.94	1,211.03
Unrecognised Past Service Cost	–	–	400.00	300.00
Un recognised Transition Liability	–			
Amount Recognised in the Balance Sheet	**31.45**	**77.86**	**1,314.94**	**911.03**
Experience adjustment				
On Plan Liability (Gain) / Loss	(90.81)	(0.40)	879.37	367.64
On Plan Asset (Loss) / Gain	(1.24)	7.89	1.94	32.58

Surplus /Deficit in the Plan

	Pension			
Amount Recognised in the Balance Sheet	Year ended 31-03-2009	Year ended 31-03-2010	Year ended 31-03-2011	Year ended 31-03-2012
Liability at the end of the year	19,328.72	21,715.61	33,879.30	36,525.68
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	13,710.13	14,714.83	16,800.10	27,205.57
Difference	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11
Unrecognised Past Service Cost	–	–	–	–
Un recognised Transition Liability	–	–	–	–
Amount Recognised in the Balance Sheet	**5,618.59**	**7,000.78**	**17,079.20**	**9,320.11**
Experience adjustment				
On Plan Liability (Gain)/Loss	905.07	5,252.37	1,188.70	1,677.80
On Plan Asset (Loss) / Gain	124.74	233.12	282.65	130.16

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध घटकों, यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव/सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है, लेखापरीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है.

बोर्ड के निदेशकों ने भारत सरकार के पत्र दिनांकित 25 जनवरी 2012 के अनुमोदन का अनुसरण करते हुए, एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि के नियम 10 को संशोधित किया है जिसमें पहले वेतन के 10% तक सीमित अंशदान की बात कही गई थी, ताकि उसमें बीमांकिक मूल्याकंन के अनुसार निधि में अंशदान की अनुमति दी जा सके. कथित संशोधन की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रक्रियाधीन है. इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बैंक ने ₹9,518 करोड़ को विशेष प्रावधान खाते से एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि न्यास को अंतरित किया है.

ii. कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा (वर्ष 2005 में संशोधित) लेखा मानक - 15 के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि को नियत लाभ योजना की तरह समझा गया है। भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि ई पी एफ अधिनियम 1952 के अधीन तो नहीं आता परंतु भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत आता है, जहाँ कोई न्यूनतम ब्याज घोषित नहीं किया जाता. इसलिए एस बी आई भविष्य निधि के लिए कोई ब्याज गारंटी प्रयोज्य नहीं है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान न्यास ने 9.26 प्रतिशत वार्षिक आधार पर लाभ अर्जित किया जबकि न्यास ने भविष्य निधि के सदस्यों को 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया है। तदनुसार, वर्ष के अंत में ऐसी कोई कमी नहीं बची थी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो और न्यास के पास अधिशेष बचा है जिसकी बैंक के खातों में आस्ति के रूप में गणना नहीं की गई है। तदनुसार, भविष्य निधि के संबंध में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है। ₹531.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹854.90 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में ''कर्मचारियों के भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत शामिल बैंक की भविष्य निधि योजना पर किए गए व्यय के रूप में शामिल किया गया है.

iii. नियत अंशदान

बैंक ने 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्य ग्रहण करनेवाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है। इस योजना का प्रबंध एनपीएस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकारण के देखरेख में किया जाएगा । योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने और अंशदाताओं का पंजीकरण केन्द्रीय रिकार्ड रखरखाव एजेन्सी में होने तक, बैंक के ₹52.47 करोड़ (पिछला वर्ष - ₹11.75 करोड़) के अंशदान को बैंक में जमा के रूप में रखा गया है और इसपर भविष्य निधि के चालू खातों पर लागू दर से ब्याज अर्जित होता है.

iv. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

₹531.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹775.74 करोड़) की राशि का प्रावधान दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किया गया है और इसे लाभ और हानि खाते में ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित अवकाश (नकदीकरण) सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण भी इसमें शामिल है	375.33	581.80
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	44.33	41.96
3	अस्वस्थता अवकाश	74.77	70.09
4	रजत जंयती अवार्ड	5.01	35.03
5	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	11.70	(8.74)
6	आकस्मिक अवकाश	14.94	11.20
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	5.25	44.40
	योग	**531.33**	**775.74**

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible, which has been relied upon by the auditors.

The Board of Directors has, pursuant to approval of Government of India vide letter dated January 25, 2012, amended Rule 10 of SBI Employees' Pension Fund, which earlier restricted contribution to 10% of salary, to permit contribution to the Fund as per actuarial valuation. The notification of the said amendment in the Gazette of India is under process. Consequent thereto, the Bank has transferred ₹9,518 crores to the SBI Employees Pension Fund Trust from the Special Provision Account, during the year.

ii. Employees' Provident Fund

In terms of the guidance on implementing AS-15 (Revised 2005) issued by the Institute of the Chartered Accountants of India, the Employees Provident Fund set up by the Bank is treated as a defined benefit plan. State Bank of India Provident Fund is not covered under the EPF Act 1952 but is covered under the Provident Fund Act 1925, wherein there is no minimum interest declared, so there will not be any interest guarantee applicable for SBI PF. During the FY 2011-12, the Trust has earned annualized yield of 9.26% whereas the Trust has paid interest to Provident Fund members at 8.25%. Accordingly, no shortfall remains unprovided for and the Trust is having a surplus balance, which is not accounted as an asset in the Banks' books. Accordingly, other related disclosures in respect of Provident Fund have not been made and an amount of ₹531.83 Crores (Previous Year ₹854.90 Crores) is recognised as an expense towards the Provident Fund scheme of the Bank included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

iii. Defined Contributions

The Bank has implemented a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after 1st August 2010. The scheme will be managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Pending the finalisation of the modalities of the scheme and registration of the subscribers with the Central Record Keeping Agency, the contributions of the Bank of ₹52.47 crores (Previous Year ₹11.75 crores) has been retained as a deposit with the Bank and earns interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund.

iv. Other Long term Employee Benefits

Amount of ₹531.33 Crores (Previous Year ₹775.74 Crores) is provided towards Long Term Employee Benefits and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of Provisions made for various Long Term Employee Benefits during the year:

(₹ in crores)

Sr. No.	Long Term Employee Benefits	Current Year	Prevous Year
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	375.33	581.80
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	44.33	41.96
3	Sick Leave	74.77	70.09
4	Silver Jubilee Award	5.01	35.03
5	Resettlement Expenses on Superannuation	11.70	(8.74)
6	Casual Leave	14.94	11.20
7	Retirement Award	5.25	44.40
	Total	**531.33**	**775.74**

ख) खंड सूचना

1. खंड अभिनिर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैं :-

— कोष

— कारपोरेट/थोक बैंकिंग

— खुदरा बैंकिंग

— अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और प्राप्ति की पृथक् व्यवस्था नहीं है. तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर मूल-खंडों को निम्नवत परिकलित किया गया है :

i. **कोष –** कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं. कोष खंड की आय मूलत: व्यापार-परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज-आय पर आधारित है.

ii. **कारपोरेट/थोक बैंकिंग –** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं.

iii. **खुदरा बैंकिंग –** खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

iv. **अन्य बैंकिंग व्यवसाय –** जो खंड उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ

III. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. कारपोरेट/थोक बैकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं. बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीयन केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है. निधीयन केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयाँ जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में जुटाती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है.

IV. व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा कोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं.

बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अत: इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है.

b) Segment Reporting:

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:-

— Treasury

— Corporate / Wholesale Banking

— Retail Banking

— Other Banking Business

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. **Treasury -** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. **Corporate/Wholesale Banking -** The Corporate/ Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. **Retail Banking -** The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. **Other Banking business –** Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore Banking units having operations in India

III. Pricing of Inter-segmental Transfers

The Retail Banking segment is the primary resource mobilising unit. The Corporate/Wholesale Banking and Treasury segments are recipient of funds from Retail Banking. Market related Funds Transfer Pricing (MRFTP) is followed under which a separate unit called Funding Centre has been created. The Funding Centre notionally buys funds that the business units raise in the form of deposits or borrowings and notionally sell funds to business units engaged in creating assets.

IV. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ratio of directly attributable expenses.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

2. खंड सूचना/Segment Information

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)/Part A: Primary (Business Segments)

₹ करोड़ में / ₹ In crores

व्यवसाय खंड Business Segment	कोष Treasury	कारपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	योग Total
राजस्व Revenue #	23,874.88 (21,665.06)	42,773.40 (32,935.11)	54,091.69 (42,062.69)		120,739.97 (96,662.86)
अनाबंटित राजस्व Unallocated Revenue #					132.93 (556.10)
कुल राजस्व Total Revenue					120,872.90 (97,218.96)
परिणाम Result #	217.24 ((-)945.27)	6,106.12 (5,496.53)	15,619.23 (12,679.45)		21,942.59 (17,230.71)
अनाबंटित आय (+)/व्यय (–) –निवल Unallocated Income(+)/ Expenses (-) - net #					(-)3,459.28 ((-)2,276.48)
परिचालन लाभ Operating Profit #					18,483.31 (14,954.23)
कर Tax #					6776.02 (6,689.71)
असाधारण लाभ Extraordinary Profit #					— —
निवल लाभ Net Profit #					11,707.29 (8,264.52)
अन्य सूचना : Other Information:					
खंड आस्तियाँ* Segment Assets*	3,35,016.51 (3,10,524.60)	3,94,421.91 (3,81,320.36)	5,95,182.88 (5,22,699.76)		13,24,621.30 (12,14,544.72)
अनाबंटित आस्तियाँ* Unallocated Assets*					10,897.93 (9,191.48)
कुल आस्तियाँ* Total Assets*					13,35,519.23 (12,23,736.20)
खंड देयताएँ* Segment Liabilities*	1,96,222.07 (1,62,149.37)	3,81,202.21 (3,67,495.28)	6,28,479.02 (5,85,015.30)		12,05,903.20 (11,14,659.95)
अनाबंटित देयताएँ* Unallocated Liabilities*					45,664.72 (44,090.21)
कुल देयताएँ * Total Liabilities*					12,51,568.02 (11,58,750.16)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)/(Figures in brackets are for previous year)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

Part B: Secondary (Geographic Segments)

₹ करोड़ में / ₹ In crores

	देशी Domestic		विदेशी Foreign		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आय Revenue #	1,14,080.91	91,086.38	6,659.06	5,576.48	120,739.97	96,662.86
परिणाम Result#	19,064.85	15,250.86	2,877.74	1,979.84	21,942.59	17,230.71
आस्तियाँ * Assets *	11,55,176.43	10,82,387.23	1,80,342.80	1,41,348.97	13,35,519.23	12,23,736.20
देयताएँ * Liabilities*	10,71,225.22	10,17,401.19	1,80,342.80	1,41,348.97	12,51,568.02	11,58,750.16

\# 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार

\# For the year ended 31st March 2012

* As at 31st March 2012

वर्ष के दौरान बैंक ने खंडीय अंतरण मूल्यन व्यवस्था को और बेहतर बनाया है ताकि और अधिक संगत खंडीय परिणाम दर्शाए जा सकें। यह परिवर्तन खंडीय परिणामों को तो परस्पर प्रभावित करता है परंतु इसका बैंक की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता। खंडीय परिणामों पर इस परिवर्तन के प्रभावों का पर्याप्त निर्धारण नहीं हो पाया है।

ग) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1. संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. देशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावंणकोर
6. एसबीआई कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. (28.07.2011 तक)

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को
5. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

iii. देशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
3. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.
5. एसबीआई कैप्स वैंचर्स लि.
6. एसबीआई कैप ट्रस्टीज कं. लि.
7. एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई - एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा.लि.
12. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा लि.

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैप (यूके) लि.
2. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि
2. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
3. मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआई मैकवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआई मैकवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.

During the year, the Bank has further refined the segmental transfer pricing mechanism in order to report more relevant segment results. This change effects the segment results inter se and has no impact on the financials of the bank. The effect of the change on the segment results is not fairly determined.

c) Related Party Disclosures:

1. Related Parties

A. SUBSIDIARIES

i. DOMESTIC BANKING SUBSIDIARIES

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. State Bank of Hyderabad
3. State Bank of Mysore
4. State Bank of Patiala
5. State Bank of Travancore
6. SBI Commercial and International Bank Ltd. (up to 28.07.2011).

ii. FOREIGN BANKING SUBSIDIARIES

1. SBI (Mauritius) Ltd.
2. State Bank of India (Canada)
3. State Bank of India (California)
4. Commercial Bank of India LLC, Moscow
5. PT Bank SBI Indonesia
6. Nepal SBI Bank Ltd.

iii. DOMESTIC NON-BANKING SUBSIDIARIES

1. SBI Capital Markets Ltd.
2. SBI DFHI Ltd.
3. SBI Mutual Funds Trustee Company Pvt. Ltd.
4. SBI CAP Securities Ltd.
5. SBI CAPS Ventures Ltd.
6. SBI CAP Trustees Company Ltd.
7. SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.
8. SBI Funds Management Pvt. Ltd.
9. SBI Life Insurance Company Ltd.
10. SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
11. SBI – SG Global Securities Services Pvt. Ltd.
12. SBI Global Factors Ltd.
13. SBI General Insurance Company Ltd
14. SBI Payment Services Pvt. Ltd.

iv. FOREIGN NON-BANKING SUBSIDIARIES

1. SBICAP (UK) Ltd.
2. SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.
3. SBICAP (Singapore) Ltd.

B. JOINTLY CONTROLLED ENTITIES

1. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.
2. C-Edge Technologies Ltd.
3. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
4. Macquarie SBI Infrastructure Trustees Ltd.
5. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
6. SBI Macquarie Infrastructure Trustees Pvt. Ltd.

7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा.लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5. डेक्कन ग्रामीण बैंक
6. इलाकाई देहाती बैंक
7. मेघालय रूरल बैंक (पूर्वनाम - का बैंक नानकिनडांग री खासी जैनटिया)
8. कृष्णा ग्रामीण बैंक
9. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10. मध्य भारत ग्रामीण बैंक
11. मालवा ग्रामीण बैंक
12. मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक
13. मिजोरम रूरल बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक
16. पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्राम्य बैंक
20. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. बैंक ऑफ भूटान लि.

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष (07.04.2011 से)
2. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) (30.06.2011 तक)
3. श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (आई. बी.) (07.04.2011 से)
4. श्री दिवाकर गुप्ता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (07.04.2011 से)
5. श्री ए कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एन.बी.) (07.04.2011 से)
6. श्री ओ पी भट्ट, अध्यक्ष (31.03.2011 तक)
7. श्री एस के भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार, ''सरकार - नियंत्रित उद्यम'' होने के कारण संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

7. Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.
8. Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.

C. ASSOCIATES

i. Regional Rural Banks

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank
3. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
4. Chhattisgarh Gramin Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank (Formerly known as Ka Bank Nongkyndong Ri Khasi Jaintia)
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangi Rural Bank
10. Madhya Bharat Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank
13. Mizoram Rural Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank
16. Purvanchal Kshetriya Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
18. Saurashtra Gramin Bank
19. Utkal Gramya Bank
20. Uttaranchal Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank

ii. Others

1. SBI Home Finance Ltd.
2. The Clearing Corporation of India Ltd.
3. Bank of Bhutan Ltd.

D. Key Management Personnel of the Bank

1. Shri Pratip Chaudhuri, Chairman (from 07.04.2011)
2. Shri R. Sridharan, Managing Director & Group Executive (A& S) (up to 30.06.2011)
3. Shri Hemant G. Contractor Managing Director & Group Executive (International Banking) (from 07.04.2011)
4. Shri Diwakar Gupta, Managing Director & Chief Financial Officer (from 07.04.2011)
5. Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & Group Executive (National Banking) (from 07.04.2011)
6. Shri O. P. Bhatt, Chairman (up to 31.03.2011)
7. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director (up to 31.10.2010)

2. Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

3. लेनदेन और शेष राशियाँ : ₹ करोड़ में

3. Transactions and Balances : ₹ In crores

विवरण **Particulars**	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम **Associates/ Joint Ventures**	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी **Key Management Personnel & their relatives**	योग **Total**
वर्ष 2011-12 के दौरान लेनदेन **Transactions during the year 2011-12**			
प्राप्त ब्याज* Interest received	0.04 (-)	- (-)	0.04 (-)
संदत्त ब्याज* Interest paid	1.29 (-)	- (-)	1.29 (-)
लाभांश के रूप में अर्जित आय* Income earned by way of dividend	- (2.80)	- (-)	- (2.80)
अन्य आय* Other Income	- (-)	- (-)	- (-)
अन्य व्यय* Other expenditure	- (-)	- (-)	- (-)
प्रबंधन संविदाएँ* Management contracts	- (-)	0.68 (0.60)	0.68 (0.60)
31 मार्च 2012 को बकाया **Outstanding as on 31st March 2012**			
देय राशियाँ Payables	127.66 (51.95)	- (0.04)	127.66 (51.99)
प्राप्तियाँ Receivables	- (-)	- (-)	- (-)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं/Figures in brackets are for Previous Year.

इस वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं है।/There are no materially significant related party transactions during the year.

घ) परिचालन पट्टे*

परिचालन लीज पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष के पश्चात् नहीं	64.32	40.43
1 वर्ष के पश्चात् और 5 वर्षों के पश्चात् नहीं	229.21	92.47
5 वर्षों के पश्चात्	66.42	25.21
योग	**359.95**	**158.11**
वर्ष के लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा भुगतान की राशि	60.61	42.68

परिचालन पट्टों में पहले कार्यालय परिसर तथा स्टाफ आवास शामिल हैं. जिनका बैंक के विकल्पानुसार नवीकरण किया जा सकता है.

* केवल निरस्त न होने वाले पट्टों के संबंध में

ङ) प्रति शेयर उपार्जन :

बैंक ने लेखा मानक 20, ''प्रति शेयर उपार्जन'' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है. वर्ष के दौरान, कर के पश्चात् निवल लाभ को बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्रति शेयर ''मूल आय'' की गणना की गई है.

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरम्भ में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	63,49,98,991	63,48,82,644
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की संख्या	360,45,847	1,16,347
वर्ष के अंत तक बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	67,10,44,838	63,49,98,991
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	63,51,96,258	63,49,52,049
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	63,51,96,258	63,49,52,049
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	11,707.29	8,264.52
प्रति शेयर मूल आय (₹)	184.31	130.16
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	184.31	130.16
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10	10

d) Operating Leases*

Premises taken on operating lease are given below:

₹ In crores

Particulars	As at 31 Mar 2012	As at 31 Mar 2011
Not later than 1 year	64.32	40.43
Later than 1 year and not later than 5 years	229.21	92.47
Later than 5 years	66.42	25.21
Total	**359.95**	**158.11**
Amount of lease payments recognised in the P&L Account for the year.	60.61	42.68

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

* In respect of Non-Cancellable leases only.

e) Earnings per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Number of Equity Shares outstanding at the beginning of the year	63,49,98,991	63,48,82,644
Number of Equity Shares issued during the year	360,45,847	1,16,347
Number of Equity Shares outstanding at the end of the year	67,10,44,838	63,49,98,991
Weighted average number of equity shares used in computing basic earnings per share	63,51,96,258	63,49,52,049
Weighted average number of shares used in computing diluted earnings per share	63,51,96,258	63,49,52,049
Net profit (₹ In crores)	11,707.29	8,264.52
Basic earnings per share (₹)	184.31	130.16
Diluted earnings per share (₹)	184.31	130.16
Nominal value per share (₹)	10	10

च) आय पर करों का लेखांकन

i. वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा लाभ और हानि खाते में ₹455.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹976.82 करोड़ जमा किया गया) नामे किया गया.

ii. बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्ति ₹180.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1167.28 करोड़) है, जिसे अन्य आस्तियों के अंतर्गत रखा गया है. प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए)और देयताओं का अलग-अलग विवरण निम्नवत है :

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	निरंक	307.90
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,873.60	1,636.10
एक्जिट विकल्प के लिए प्रदत्त अनुग्रह राशि	निरंक	9.41
अन्य	16.29	35.77
विदेशी कार्यालयों की निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)	180.95	135.71
योग	**2,070.84**	**2,124.89**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	8.16	21.53
प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,882.05*	936.08
योग	**1,890.21**	**957.61**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**180.63**	**1,167.28**

*आयकर खाते से अंतरित ₹536.56 करोड़ शामिल हैं.

छ) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में विनिधान

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के विनिधानों में ₹39.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹38.96 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	मुख्यालय	धारिता %
1	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	10.80 (10.80)	भारत	40%
2	सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआई मैकवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%
5	एसबीआई मैकवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
6	मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	0.64 (0.10)	बरमुड़ा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि	0.01 (0.01)	भारत	50%

एसबीआई मैकवेरी इन्फ्रा मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष धारिता के लिए कम्पनी ने 100% प्रावधान किया.

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	131.68	110.28
जमाराशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	6.56	0.53
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	61.50	68.70
योग	**199.74**	**179.51**

f) Accounting for Taxes on Income

i. During the year, ₹455.93 crores [Previous Year ₹976.82 crores credited] has been debited to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.

ii. The Bank has outstanding net deferred tax asset of ₹180.63 crores (Previous Year- ₹1,167.28 Crores), which is included under Other Assets. The breakup of deferred tax assets (DTA) and liabilities into major items is given below:

Particulars	As at 31 Mar 2012	As at 31 Mar 2011
Deferred Tax Assets		
Provision for wage revision	Nil	307.90
Provision for long term employee Benefits	1,873.60	1,636.10
Ex-gratia paid under Exit option	Nil	9.41
Others	16.29	35.77
Net DTAs on account of Foreign Offices	180.95	135.71
Total	**2,070.84**	**2,124.89**
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	8.16	21.53
Interest on securities	1,882.05*	936.08
Total	**1,890.21**	**957.61**
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	**180.63**	**1,167.28**

* Includes ₹536.56 Crores transferred from Income Tax Account.

g) Investments in Jointly Controlled Entities

Investments include ₹39.50 crores (Previous Year ₹38.96 crores) representing Bank's interest in the following jointly controlled entities

Sr. No.	Name of the Company	Amount ₹ In crores	Country of Residence	Holding %
1	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	10.80 (10.80)	India	40%
2	C - Edge Technologies Ltd.	4.90 (4.90)	India	49%
3	Maquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	2.25 (2.25)	Singapore	45%
4	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	18.57 (18.57)	India	45%
5	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	0.03 (0.03)	India	45%
6	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd. #	0.64 (0.10)	Bermuda	45%
7	Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.	2.30 (2.30)	India	50%
8	Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.	0.01 (0.01)	India	50%

Indirect holding through Maquarie SBI Infra Management Pte. Ltd., against which the Company has made 100% provision.

Figures in brackets relate to previous year

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

₹ In crores

Particulars	As at 31 Mar 2012	As at 31 Mar 2011
Liabilities		
Capital & Reserves	131.68	110.28
Deposits	–	–
Borrowings	6.56	0.53
Other Liabilities & Provisions	61.50	68.70
Total	**199.74**	**179.51**

आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और जमाराशियाँ	–	–
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	72.30	50.34
विनिधान	1.95	2.11
अग्रिम	–	–
अचल आस्तियाँ	21.29	11.06
अन्य आस्तियाँ	104.20	116.00
योग	**199.74**	**179.51**
पूँजी प्रतिबद्धताएं	–	–
अन्य आकस्मिक देयताएँ	0.90	0.41
आय		
अर्जित ब्याज	6.50	3.74
अन्य आय	170.76	118.98
योग	**177.26**	**122.72**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.43	-
परिचालन व्यय	144.47	105.97
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	8.72	5.54
योग	153.62	111.51
लाभ	**23.64**	**11.21**

ज) आस्तियों की अपसामान्यता

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 – ''आस्तियों की अपसामान्यता लागू'' होती हो.

झ) क) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है. बैंक यह अपेक्षा नहीं करता है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा.
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने लिए और ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय लेनदेन करता है. वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है. मुद्रा विनिमयों में पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा में ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह का वायदा किया जाता है. ब्याज दर विनिमय में अचल एवं अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाहों का विनिमय का वायदा किया जाता है. आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं.
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटियाँ जारी करता है. प्रलेखी ऋण बैंक के ग्राहकों की ऋण-साख को बढ़ाती है. गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन देयताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा.
4	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है.	बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है. बैंक की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेयरों का अभिदान करने का वायदा किया है.

Assets		
Cash and Balances with RBI	–	–
Balances with Banks and money at call and short notice	72.30	50.34
Investments	1.95	2.11
Advances	–	–
Fixed Assets	21.29	11.06
Other Assets	104.20	116.00
Total	199.74	179.51
Capital Commitments	–	–
Other Contingent Liabilities	0.90	0.41
Income		
Interest earned	6.50	3.74
Other income	170.76	118.98
Total	177.26	122.72
Expenditure		
Interest expended	0.43	-
Operating expenses	144.47	105.97
Provisions & contingencies	8.72	5.54
Total	153.62	111.51
Profit	**23.64**	**11.21**

h) Impairment of Assets

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

i) a) Description of Contingent Liabilities and Contingent Assets

Sr. No.	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-Bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as Contingent Liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial Banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Bank is contingently liable.	The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Bank and not provided for. Further, the Bank has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता की शर्तों संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और मांग के उठाए जाने के परिणामों पर आधारित हैं.

ख) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	275.10	148.14
वर्ष के दौरान वृद्धि (पूर्ववती एसबीआईसीआई/ पूर्ववती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से अंतरण सहित)	56.33	180.38
वर्ष के दौरान कमी	74.57	53.42
इति शेष	256.86	275.10

18.8 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिक निधि

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
– चालू कर	6,335.37	5,709.54
– आस्थगित कर	455.93	976.82
– फ्रिंज लाभ कर का प्रतिलेखन	(21.28)	–
– अन्य कर	6.00	3.35
विनिधानों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	683.28	646.75
विदेशी कार्यालयों में रखे विनिधानों पर भारत में किए गए मूल्यह्रास के लिए प्रतिलेखन का प्रावधान	(19.58)	–
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	11,494.10	8,415.44
पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	51.76	376.65
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	978.81	976.60
अन्य प्रावधान	(98.14)	(34.10)
योग	**19,866.25**	**17,071.05**

2. अस्थायी प्रावधान

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	23.00	–
योग : पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से अंतरित	–	23.00
योग : पूर्ववर्ती एसबीआईसीआई से अंतरित	2.14	
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–
वर्ष के दौरान कमी	–	–
इति शेष	25.14	23.00

3. आरक्षितियों से आहरण :

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षितियों से निम्नलिखित राशि आहरित की है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
आरबीआई के विशेष प्रबंध के अनुसार पेंशन देयता आरक्षितियों से	–	7,927.41
अंतर कार्यालय समाधान के कारण	0.01	–

4. शिकायतों की स्थिति

क. ग्राहक शिकायतें

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	824	1,275
पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अधिग्रहण के कारण वृद्धि	–	70
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	462,381	30,904
वर्ष के दौरान सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	449,791	31,425
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	13,414	824

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	7	4
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	131	86
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	117	83
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	21	7

The Contingent Liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of Court/ arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

b) Movement of provisions against Contingent Liabilities

₹ In crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	275.10	148.14
Additions during the year (including transferred from e SBICI/e SBIN)	56.33	180.38
Reductions during the year	74.57	53.42
Closing balance	256.86	275.10

18.8 Additional Disclosures

1. Provisions and Contingencies

₹ In crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Taxation		
– Current Tax	6,335.37	5,709.54
– Deferred Tax	455.93	976.82
– Write Back of Fringe Benefit Tax	(21.28)	–
– Other Tax	6.00	3.35
Provision for Depreciation on Investments	683.28	646.75
Write Back of Provision for Depreciation made in India on Investments held at Foreign Offices	(19.58)	–
Provision on Non-Performing Assets	11,494.10	8,415.44
Provision on Restructured Assets	51.76	376.65
Provision on Standard Assets	978.81	976.60
Other Provisions	(98.14)	(34.10)
Total	**19,866.25**	**17,071.05**

2. Floating Provisions

₹ In crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	23.00	–
Add: Transferred from e SBIN	–	23.00
Add: Transferred from e SBICI	2.14	
Addition during the year	–	–
Draw down during the year	–	–
Closing Balance	25.14	23.00

3. Withdrawal from Reserves

During the year, the Bank has withdrawn following amount from the Reserves:

₹ In crores

Particulars	As at 31 Mar 2012	As at 31 Mar 2011
Pension Liability charged to Reserves as per special dispensation from RBI	–	7,927.41
On account of Inter Office reconciliation	0.01	–

4. Status of complaints

A. Customer complaints

Particulars	As at 31 Mar 2012	As at 31 Mar 2011
No. of complaints pending at the beginning of the year	824	1,275
Addition on account of acquisition of eSBIn	–	70
No. of complaints received during the year	462,381	30,904
No. of complaints redressed during the year	449,791	31,425
No. of complaints pending at the end of the year	13,414	824

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

Particulars	Current Year	Previous Year
No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	7	4
No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	131	86
No. of Awards implemented during the year	117	83
No. of unimplemented Awards at the end of the year	21	7

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बद्ध प्रकटीकरणों के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलम्बित भुगतानों या विलम्ब से किए गए भुगतानों के कारण ब्याज के भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है.

6. **अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र**

बैंक ने अपने सहयोगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2012 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कुल बकाया राशि ₹2086.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,411.20 करोड़) थी. बैंक के आकलन के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.

7. **प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात**

31 मार्च 2012 को बैंक के अनर्जक आस्ति अनुपात के 68.10% (पिछले वर्ष 64.95%) का प्रावधान किया गया है.

8. **वर्ष 2011-12 में बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक**

₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	156.82	210.04
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	0.34	7.24
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	8.83	1.14
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	0.02	0.06
मनु लाइफ फाइनेंशियल लि.	2.08	1.74
एनटीयूसी	0.71	0.84
योग	**168.46**	**221.06**

9. **जमाराशियों, अग्रिमों, ऋण जोखिमों और अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण**

क) जमाराशियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	60,522.62	40,267.48
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	5.80%	4.31%

ख) अग्रिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम	83,199.80	65,236.21
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस वृहतम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	9.31%	8.45%

ग) ऋण-जोखिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम	2,13,774.62	2,07,277.40
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण - जोखिम में बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण-जोखिम का प्रतिशत	13.97%	15.13%

घ) अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल ऋण - जोखिम	2,931.51	730.27

10. **क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ**

क्रम सं.	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	8.92%	6.74%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम तथा बृहत्)	4.12%	2.80%
3	सेवाएं	2.94%	2.93%
4	वैयक्तिक ऋण	2.92%	2.54%

11. **विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और आय**

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	1,80,342.80	1,41,348.97
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	2520.46	2,265.91
3	कुल आय	6,659.06	5,576.48

5. With regard to disclosures relating to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006, there have been no reported cases of delayed payments or of interest payments due to delay in such payments to Micro, Small & Medium Enterprises.

6. **Letter of Comfort issued for Subsidiaries**

The Bank has issued letters of comfort on behalf of its subsidiaries. Outstanding letters of comfort as on 31st March 2012 aggregate to ₹ 2086.56 Crores (Previous Year: ₹ 1,411.20 Crores). In the Bank's assessment no financial impact is likely to arise.

7. **Provisioning Coverage Ratio:**

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets ratio of the Bank as on 31st March 2012 is 68.10% (Previous Year 64.95%).

8. **Fees/remuneration received in respect of the bancassurance business in 2011-12**

₹ In crores

Name of Company	Current Year	Previous Year
SBI Life Insurance Co. Ltd.	156.82	210.04
The New India Assurance Co. Ltd.	0.34	7.24
SBI General Insurance Co. Ltd.	8.83	1.14
United India Insurance Co Ltd.	0.02	0.06
Manu Life Financial Limited	2.08	1.74
NTUC	0.71	0.84
TOTAL	**168.46**	**221.06**

9. **Concentration of Deposits, Advances, Exposures & NPAs**

a) Concentration of Deposits

₹ In crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Deposits of twenty largest depositors	60,522.62	40,267.48
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	5.80%	4.31 %

b) Concentration of Advances

₹ In crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Advances to twenty largest barrowers	83,199.80	65,236.21
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	9.31%	8.45 %

c) Concentration of Exposures

₹ In crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	2,13,774.62	2,07,277.40
Percentage of Exposures to twenty largest barrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	13.97%	15.13%

d) Concentration of NPAs

₹ In crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to top four NPA accounts	2,931.51	730.27

10. **Sector–wise NPAs**

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		Current Year	Previous Year
1	Agriculture & allied activities	8.92%	6.74%
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	4.12%	2.80%
3	Services	2.94%	2.93%
4	Personal Loans	2.92%	2.54%

11. **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

₹ In crores

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Total Assets	1,80,342.80	1,41,348.97
2	Total NPAs (Gross)	2,520.46	2,265.91
3	Total Revenue	6,659.06	5,576.48

12. तुलनपत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एसपीवी

	प्रायोजित एसपीवी का नाम	
	देशी	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. अपरिशोधित उपदान देयताएं

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि तक ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप अतिरिक्त देयताओं को परिशोधित करने का विकल्प चुना है. तदनुसार बैंक ने ₹ 100 करोड़ लाभ एवं हानि खाते में दिखाए हैं जो 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष की आनुपातिक राशि है. 31 मार्च 2012 को ₹ 300 करोड़ की अदत्त देयता को उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार समानुपातिक रूप से परिशोधित किया जाएगा.

14. एसबीआई कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड का समामेलन

भारत सरकार द्वारा जारी ''स्टेट बैंक आफ इंडिया कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. अधिग्रहण आदेश 2011'' अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 29 जुलाई 2011 (प्रभावी तारीख) से (एसबीआईसीआई), का उपक्रम भारतीय स्टेट बैंक (दी बैंक) को अंतरित और निहित हो गया है. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए जो आंकड़े दिए गए है, उनमें पूर्ववर्ती एसबीआईसीआई बैंक की शाखाओं के 29 जुलाई 2011 से 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक के कार्य-परिणाम भी सम्मिलित हैं. इसलिए उस सीमा तक बैंक के परिणामों की तुलना नहीं की जा सकती है.

स्टेट बैंक आफ इंडिया कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. (एसबीआईसीआई) के भारतीय स्टेट बैंक में समामेलन में लेखांकन में लेखा मानक 14 ''समामेलनों का लेखांकन'' के अनुसार ब्याज की एकत्रीकरण पद्धति का उपयोग किया गया है. इस आदेश के अनुसार, प्रभावी तिथि से एसबीआईसीआई बैंक की सम्पूर्ण आस्तियों एवं देयताओं को भारतीय स्टेट बैंक में अंतरित एवं निहित कर दिया गया जिसमें उसकी आरक्षितियाँ भी शामिल हैं. प्रभावी तिथि को बैंक के पास एसबीआईसीआई बैंक की 100% शेयर पूँजी थी जिसका निरस्तीकरण हो गया और समामेलन को प्रभावी बनाने के लिए किसी तरह का शेयर विनिमय नहीं हुआ.

एसबीआईसीआई बैंक लिमि.की अधिगृहीत आस्तियां एवं देयताएं निम्नवत हैं:-

₹ करोड़ में

अधिगृहीत आस्तियां	राशि
रिजर्व बैंक के पास नकद एवं जमा राशि	24.71
बैंकों के पास जमा राशि एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय	16.70
विनिधान	282.46
अग्रिम	257.22
अचल आस्तियां	43.33
अन्य आस्तियां	9.72
कुल आस्तियां	634.14
अधिगृहीत देयताएं	
आरक्षितियां एवं अधिशेष	30.22
जमाराशियां	479.79
उधारराशियां	–
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	24.13
कुल देयताएं	534.14
अधिगृहीत सकल आस्तियां	100.00

15. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है.

16. विशेष समतुलन भत्ते का संवितरण

वर्ष के दौरान विशेष समतुलन भत्ते हेतु प्रावधान राशि में से विशेष समतुलन भत्ते की बकाया राशि ₹908 करोड़ संवितरित की गई. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में ₹41.11 करोड़ प्रतिलेखन किए गए जिसका विशेष समतुलन भत्ते के लिए प्रावधान किया गया था.

17. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफ़र

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 अप्रैल 2011 के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.87/21.04.048/2010-11 के अनुसरण में और बैंक को प्राप्त अनुमति के अनुसार, बैंक ने सितम्बर 2011 को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए ₹1,100.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है. इस प्रकार बैंक ने उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार ₹3,430.00 करोड़ के अपेक्षित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का लक्ष्य प्राप्त किया है.

18. अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

वर्ष के दौरान बैंक ने स्वैच्छिक रूप से कुछ घरेलू अनर्जक अग्रिमों के लिए ₹1,350 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है ताकि ऐसे अग्रिमों के लिए वसूली योग्य राशियों की संभावित हानियों के संबंध में प्रावधान हो सके.

19. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप मिलाने की दृष्टि से, उन्हें यथावश्यक, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है. जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किया गया है, उनके पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

12. Off-balance Sheet SPVs sponsored

	Name of the SPV Sponsored	
	Domestic	Overseas
Current Year	NIL	NIL
Previous Year	NIL	NIL

13. Unamortised Gratuity Liabilities

In accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011 the Bank has opted to amortise the additional liability on account of enhancement in Gratuity limit over a period of 5 years beginning with the financial year ended March 31, 2011. Accordingly the Bank has charged a sum of ₹ 100 crores to the Profit and Loss Account, being the proportionate amount for the financial year ended March 31, 2012. The unpaid liability of ₹ 300 crore as on March 31, 2012 will be amortised proportionately in accordance with the above circular.

14. Amalgamation of SBI Commercial and International Bank Limited

Consequent to the notification of the "Acquisition of State Bank of India Commercial and International Bank Ltd Order, 2011" issued by the Government of India, the undertaking of State Bank of India Commercial and International Bank Ltd (SBICI) stands transferred to and vests in State Bank of India ("the Bank"), with effect from July 29, 2011, the effective date. The results for the year ended March 31, 2012 include the results of operations of the erstwhile SBICI for the period from July 29, 2011 to the year end March 31, 2012 and the results of the Bank are not comparable to that extent.

The amalgamation of State Bank of India Commercial and International Bank Ltd (SBICI) with the Bank has been accounted for under the pooling of interest method as prescribed in Accounting Standard 14 "Accounting for Amalgamations". Pursuant thereto, all assets and liabilities including reserves of SBICI as on the effective date have been transferred and vested in the Bank. The Bank held 100% of the share capital of the SBICI on the effective date, which stands cancelled. No shares were exchanged to effect the amalgamation.

The Assets and Liabilities of e SBICI Bank Limited taken over are as under:-

₹ In crores

Assets Taken Over	Amount
Cash & Balance with RBI	24.71
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	16.70
Investments	282.46
Advances	257.22
Fixed Assets	43.33
Other Assets	9.72
Total Assets	634.14
Liabilities Taken Over	
Reserve & Surplus	30.22
Deposits	479.79
Borrowings	–
Other Liabilities and Provisions	24.13
Total Liabilities	534.14
Net Assets Taken over	100.00

15. Inter Office Accounts

Inter Office Accounts between branches, controlling offices and local head offices and corporate centre establishments are being reconciled on an ongoing basis and no material effect is expected on the profit and loss account of the current year.

16. Disbursement of Special Balancing Allowance

During the year, ₹ 908 cores of arrears of Special Balancing Allowance was disbursed out of the provision held for Special Balancing Allowance. An amount of ₹ 41.11 crores was written back to the Profit & Loss account during the year ended 31st March 2012, being excess amount of provision held for Special Balancing Allowance.

17. Countercyclical Provisioning Buffer

In accordance with the guidelines issued by RBI vide their circular no. DBOD. No. BP.BC.87/21.04.048/2010-11 dated 21st April, 2011 and the dispensation granted to the Bank, the Bank has made an additional provision of ₹ 1,100.00 crores for the half year ended September 2011 thus achieving the required Countercyclical Provisioning Buffer of ₹ 3,430.00 crores as on September 30, 2011 as per the above circular.

18. Additional Provision for NPAs

During the year, the Bank has voluntarily made an additional provision of ₹ 1,350 crores against certain non performing domestic advances to provide for the estimated loss in collectible amount against such advances.

19. Previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to current period classification. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI guidelines/Accounting Standards, previous year's figures have not been mentioned.

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(000 को छोड़ दिया गया है) (000s omitted)

विवरण / Particulars	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012 ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities		
कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes	**18483,30,60**	**14954,23,12**
समायोजन / Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	1007,16,87	990,49,52
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/ हानि (निवल) (Profit)/ Loss on sale of Fixed Assets (Net)	44,14,62	18,51,07
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल) (Profit)/ Loss on sale of Investments (Net)	919,74,24	(925,69,54)
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल) (Profit)/ Loss on revaluation of Investments (Net)	—	4,67,20
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision on Non Performing Assets	11545,85,15	8792,09,28
मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provision on Standard Assets	978,81,32	976,59,50
विनिधानों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provision for Depreciation on Investments	663,70,29	646,75,05
अन्य प्रावधान / Other Provisions	(98,13,53)	(34,10,01)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश (विनिधान कार्यकलाप) Dividend from Subsidiaries/ Joint Ventures (Investing Activity)	(767,35,15)	(827,73,02)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज (वित्तपोषण कार्यकलाप) Interest on Capital Instruments (Financing Activity)	3592,20,91	3019,94,33
उप योग / SUB TOTAL	**36369,45,32**	**27615,76,50**
समायोजन / Adjustments for :		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposits	109234,76,20	102711,42,11
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार-राशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/ (Decrease) in Borrowings other than Capital Instruments	7044,27,26	7867,95,93
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में विनिधानों को छोड़कर अन्य विनिधानों में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investments other than Investments in Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	(17312,03,78)	9327,22,95
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/ Decrease in Advances	(122148,07,24)	(112416,78,73)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/ (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(25050,97,48)	13528,05,74
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/ Decrease in Other Assets	(7897,23,60)	(7832,00,06)
उप योग / SUB TOTAL	**(19759,83,32)**	**40801,64,44**

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

विवरण / Particulars	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012 ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹
कर भुगतान / Taxes Paid	(8708,75,29)	(6519,37,25)
परिचालन कार्यकलाप से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह (क) **Net Cash Flow from/ (used in) Operating Activities (A)**	**(28468,58,61)**	**34282,27,19**
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह **Cash Flow from Investing Activities**		
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में विनिधान में (वृद्धि) / कमी (Increase)/Decrease in Investments in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	(705,56,95)	(827,24,17)
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such Investments	767,35,15	827,73,02
अधिग्रहण के कारण पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के शेयरधारकों को भुगतान की गई नकद राशि Cash paid to the e-SBIn Bank Shareholders on acquisition of State Bank of Indore	—	(27,85)
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/ Decrease in Fixed Assets	(1710,34,68)	(1245,49,04)
विनिधान कार्यकलाप में प्रयुक्त निवल नकदी (ख) **Net Cash used in Investing Activities (B)**	**(1648,56,48)**	**(1245,28,04)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह **Cash Flow from Financing Activities**		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त राशियाँ/ Proceeds from issue of equity Share Capital	7891,30,87	27,68
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / Issue of Capital Instruments	—	6496,99,60
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on Capital Instruments	(3592,20,91)	(3019,94,33)
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश Dividend paid including tax thereon	(2151,43,88)	(1420,22,28)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त निवल नकदी (ग) **Net Cash generated from Financing Activities (C)**	**2147,66,08**	**2057,10,67**
अंतरण आरक्षितियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव (घ) **Effect of Exchange Fluctuation on Translation Reserve (D)**	**2217,09,51**	**(54,76,10)**
समामेलन पर पूर्ववर्ती एसबीआईसीआई बैंक लिमिटेड से अधिगृहीत निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य (ङ) **Net cash and cash equivalents taken over from erstwhile SBICI Bank Limited on amalgamation (E)**	**41,41,22**	**—**
समामेलन पर पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से अधिगृहीत निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य (च) **Net cash and cash equivalents taken over from erstwhile State Bank of Indore on amalgamation (F)**	**—**	**1646,09,70**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी) (–क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)+(च) **Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)**	**(25710,98,28)**	**36685,43,42**

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

विवरण / Particulars	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012 ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year	**122874,14,77**	**86188,71,35**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year	**97163,16,49**	**122874,14,77**

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिलीप सी. चौकसी
श्री एस. वैंकटाचलम
श्री डी. सुंदरम
श्री पार्थसारथी अय्यंगार
श्री जी. डी. नडाफ
श्री ज्योति बी. महापात्रा
श्री रशपाल मल्होत्रा
श्री दीपक आई. अमिन
डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण
} निदेशक

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

SIGNED BY:

Shri Dileep C. Choksi
Shri S. Venkatachalam
Shri D. Sundaram
Shri Parthasarathy Iyengar
Shri G. D. Nadaf
Shir Jyoti B. Mohapatra
Shri Rashpal Malhotra
Shri Deepak I. Amin
Dr. Subir V. Gokarn
} Directors

A. Krishna Kumar
Managing Director &
Group Executive
(National Banking)

Diwakar Gupta
Managing Director &
Chief Financial Officer

Hemant G. Contractor
Managing Director &
Group Executive
(International Banking)

Pratip Chaudhuri
Chairman

कोलकाता
18 मई, 2012

Kolkata
18th May, 2012

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत की राष्ट्रपति,

1. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 की धारा 41(1) के अंतर्गत नियुक्त हम,भारतीय स्टेट बैंक के अद्योहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक, बैंक के तुलनपत्र, लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण के बारे में केंद्र सरकार को एतदद्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं.

2. हमने भारतीय स्टेट बैंक की 31 मार्च 2012 की वित्तीय विवरणियाँ जिसमें 31 मार्च 2012 का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है. उक्त वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के लेखे शामिल हैं:

   i) केन्द्रीय कार्यालय,चौदह स्थानीय प्रधान कार्यालय, वैश्विक बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और 42 (बयालीस) शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 11060 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की; तथा

   iii) विदेश स्थित 52 शाखाएं जिसकी लेखापरीक्षा स्थानीय लेखापरीक्षकों ने की.

   हमारे एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

   तुलनपत्र एवं लाभ हानि विवरणी में 3811 भारतीय शाखाओं एवं अन्य लेखांकन इकाइयों की विवणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखा परीक्षा अपेक्षित नहीं है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 1.18% जमाराशियों में 4.56%, ब्याज आय में 1.06% तथा ब्याज व्यय में 4.89% है.

3. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा-नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है. इस जिम्मेदारी के अंर्तगत वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन,

REPORT OF THE AUDITORS

To

The President of India,

1. We, the undersigned Auditors of State Bank of India, appointed under Section 41 (1) of the State Bank of India Act, 1955, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank.

2. We have audited the accompanying financial statements of State Bank of India as at 31st March 2012, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2012, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in the said financial statements are the returns of:

   i) The Central Office, fourteen Local Head Offices, Global Markets Group, International Business Group, Corporate Accounts Group (Central), Mid-Corporate Group (Central), Stressed Assets Management Group (Central) and forty two branches audited by us;

   ii) 11060 Indian Branches audited by branch auditors; and

   iii) 52 Foreign Branches audited by the local auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by Reserve Bank of India.

   Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 3811 Indian branches and other accounting units, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 1.18% of advances, 4.56% of deposits, 1.06% of interest income and 4.89% of interest expenses.

3. The management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the requirements of the Reserve Bank of India, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the State Bank of India Act, 1955 and recognized accounting policies and practices, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free

कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल हैं जो धोखाघड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त हैं.

4. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है. इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं.

5. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है. जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है. इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं उनके उचित प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति को डिजाइन किया जा सके. लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है.

6. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है .

7. अपने अभिमत पर बिना किसी प्रतिबंध के हम आपका ध्यान निम्न की ओर आकर्षित करना चाहेंगे :

   क) अनुसूची 18 की टिप्पणी 18: ''लेखा-टिप्पणियाँ'' जो कुछ अनर्जक देशी अग्रिमों के संबंध में ₹1,350 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान से संबंधित है.

   ख) अनुसूची 18 की टिप्पणी 13: ''लेखा-टिप्पणियाँ'' जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 एवं लेखा मानदंड 15: कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट के अनुसार बैंक की ₹300 करोड़ ग्रेच्युटी देयता के आस्थगन से संबंधित है.

8. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए और जहाँ तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

   क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं, जिसमें समस्त

from material misstatements, whether due to fraud or error.

4. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

6. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

   a) Note 18 of Schedule 18: 'Notes to Accounts' regarding the additional provision of ₹1,350 crores in respect of certain non performing domestic advances.

   b) Note 13 of Schedule 18: 'Notes to Accounts' regarding deferment of gratuity liability of the bank to the extent of ₹300 crores in accordance with RBI circular no.DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011 and the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Bank from applicability of provisions of accounting Standard 15: Employee Benefits.

8. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   a) the Balance Sheet, read with the significant accounting policies and notes thereon is a full and fair balance sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit

आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2012 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

ख) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप,चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

ग) नकदी प्रवाह विवरण, संदर्भाधीन तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है.

9. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमश: 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं.

10. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि :

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है.

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं.

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं.

11. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2012 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

b) the Profit and Loss Account, read with the significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, these give information as required to be given by virtue of the provisions of the State Bank of India Act, 1955, and Regulations there under.

10. Subject to limitations of the audit indicated in paragraphs 2 to 5 above and as required by the SBI Act, 1955, and subject also to the limitations of disclosure required there in, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with applicable accounting standards.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक

कृते कल्याणीवाला एंड मिस्त्री
For Kalyaniwalla & Mistry
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

विराफ मेहता
Viraf Mehta
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 32083
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 104607 W

कृते बी. एम. चतरथ एंड कं.
For B. M. Chatrath & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

एस. कृष्णन
S. Krishnan
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 051626
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 301011 E

कृते के. के. सोनी एंड कं.
For K.K. Soni & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

के. के. सोनी
K. K. Soni
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 007737
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 000947 N

कृते एसवीयार
For Essveeyar,
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

बी. षणमुगानाथन
B. Shanmuganathan
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 027882
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.000808 S

कृते वेणुगोपाल एंड शिनॉय
For Venugopal & Chenoy
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

डी. वी. जानकीनाथ
D. V. Jankinath
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 029505
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 004671 S

कृते के. जी. सोमानी एंड कं.
For K. G. Somani & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

अंजू सोमानी
Anju Somani
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 511267
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 006591 N

कृते के. सी. मेहता एंड कं.
For K. C. Mehta & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

चिराग बक्शी
Chirag Bakshi
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 047164
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 106237 W

कोलकाता
18 मई, 2012

In terms of our report of even date

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते डागलिया एंड कं.
For Dagliya & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

पी. मनोहर गुप्ता
P. Manohara Gupta
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 016444
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 000671 S

कृते एम. वर्मा एंड एसोशिएट्स
For M. Verma & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

मदन वर्मा
Madan Verma
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 080939
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 501433 C

कृते कृष्णमूर्ति एंड कृष्णमूर्ति
For Krishnamoorthy & Krishnamoorthy
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सी. आर. रेमा
C. R. Rema
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 029182
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 001488 S

कृते तोडी तुलस्यान एंड कंपनी
For Todi Tulsyan & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सुशील कुमार तुलस्यान
Sushil Kumar Tulsyan
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 075899
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 002180 C

कृते सिंघी एंड कंपनी
For Singhi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

राजीव सिंघी
Rajiv Singhi
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 053518
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 302049 E

कृते एस सी एम एसोशिएट्स
For SCM Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

पी. के. बाल
P K Bal
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 055147
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 314173 E

कृते एसबीए एंड कंपनी
For SBA & Company
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

अशोक कुमार जैन
Ashok Kumar Jain
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 072262
फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 004651 C

Kolkata
18th May, 2012

स्टेट बैंक समूह के
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरण
Consolidated Financial Statements
of State Bank Group
for the year ended 31st March 2012

भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (समेकित) तुलन-पत्र
STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED) BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2012

(000 को छोड़ दिया गया है) (000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
पूंजी और देयताएँ / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	671,04,48	634,99,90
आरक्षितियाँ और अधिशेष Reserves & Surplus	2	105558,96,85	82836,25,33
अल्पांश हित Minority Interest		3725,66,87	2977,16,78
जमाराशियाँ Deposits	3	1414689,40,11	1255562,48,44
उधार Borrowings	4	157991,35,95	142470,76,57
अन्य देयताएँ और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	147319,72,65	163416,58,03
योग TOTAL		**1829956,16,91**	**1647898,25,05**
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	79199,20,61	119349,83,40
बैंकों में जमाराशियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with banks and money at call and short notice	7	48391,62,24	35977,62,08
विनिधान Investments	8	460949,13,77	419066,44,91
अग्रिम Advances	9	1163670,20,54	1006401,55,13
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	7407,96,51	6486,83,24
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	70338,03,24	60615,96,29
योग TOTAL		**1829956,16,91**	**1647898,25,05**
समाश्रित देयताएँ / Contingent Liabilities	12	937155,49,74	852755,36,14
संग्रहण के लिए बिल / Bills for Collection		80410,04,83	68865,69,84
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ
SCHEDULES

अनुसूची 1 — पूंजी
SCHEDULE 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous year) ₹
प्राधिकृत पूंजी:		
₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 500,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000)		
Authorised Capital:		
500,00,00,000 (Previous Year 500,00,00,000) equity shares of ₹ 10/- each	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी:		
₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 67,11,28,349 (पिछले वर्ष 63,50,83,106) ईक्विटी शेयर		
Issued Capital:		
67,11,28,349 (Previous Year 63,50,83,106) Equity Shares of ₹ 10/- each	671,12,83	635,08,31
अभिदत्त और संदत्त पूंजी:		
उपर्युक्त में ₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 67,10,44,838 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 63,49,98,991) इसमें 1,69,77,498 (पिछले वर्ष 1,81,05,360) ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं जो 84,88,749 (पिछले वर्ष 90,52,680) वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के रूप में हैं.		
Subscribed and Paid-up Capital:		
67,10,44,838 (Previous Year 63,49,98,991) equity shares of ₹ 10/-each The above includes 1,69,77,498 (previous year 1,81,05,360) equity shares represented by 84,88,749 (previous year 90,52,680) Global Depository Receipts	671,04,48	634,99,90
योग / TOTAL	**671,04,48**	**634,99,90**

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष
SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

				31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year)		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year)	
				₹	₹	₹	₹
I.	**कानूनी आरक्षितियाँ**						
	Statutory Reserves						
	अथशेष						
	Opening Balance	...	... ...	38996,30,40		43443,25,36	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन						
	Additions during the year	...	... ...	4453,66,87		3480,46,04	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ						
	Deductions during the year	...	... ...	—	43449,97,27	7927,41,00	38996,30,40
II.	**पूंजी आरक्षितियाँ #**						
	Capital Reserves #						
	अथशेष						
	Opening Balance	...	... ...	2092,59,31		2028,22,23	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन						
	Additions during the year	...	... ...	32,85,04		73,09,64	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ						
	Deductions during the year	...	... ...	—	2125,44,35	8,72,56	2092,59,31

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष (जारी)
SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year)		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year)	
	₹	₹	₹	₹
III. शेयर प्रीमियम Share Premium				
अथशेष				
Opening Balance	20658,58,29		20658,30,78	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Additions during the year	7864,05,01		27,51	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
Deductions during the year	87,872	28513,84,58	—	20658,58,29
IV. विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षितियाँ Forex Translation Reserves				
अथशेष				
Opening Balance	749,92,64		763,47,78	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Additions during the year	2095,57,92		22,67,30	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
Deductions during the year	—	2845,50,56	36,22,44	749,92,64
V. आय और अन्य आरक्षितियाँ Revenue and Other Reserves				
अथशेष				
Opening Balance	19815,92,40		15548,85,55	
वर्ष के दौरान परिवर्धन##				
Additions during the year##	7935,25,66		4628,93,37	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
Deductions during the year	19,72,14	27731,45,92	361,86,52	19815,92,40
VI. लाभ और हानि खाते में शेष Balance in Profit and Loss Account		892,74,17		522,92,29
योग TOTAL		**105558,96,85**		**82836,25,33**

\# इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹ 139,23,28 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 135,22,45 हजार)
समेकन समायोजनों को घटाकर
\# includes Capital Reserve on consolidation ₹ 139,23,28 thousand (Previous Year ₹ 135,22,45 thousand)
net of consolidation adjustments

अनुसूची 3 — निक्षेप
SCHEDULE 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
क. I. A. I.	**मांग निक्षेप Demand Deposits**		
	(i) बैंकों से From Banks	7598,17,42	10003,27,21
	(ii) अन्यों से From Others	111357,83,08	144177,51,02
II.	**बचत बैंक निक्षेप Savings Bank Deposits**	456632,72,25	409609,16,28
III.	**सावधि निक्षेप Term Deposits**		
	(i) बैंकों से From Banks	18580,69,73	15170,00,63
	(ii) अन्यों से From Others	820519,97,63	676602,53,30
	योग TOTAL	**1414689,40,11**	**1255562,48,44**
ख. B.	(i) भारत स्थित शाखाओं के निक्षेप Deposits of Branches in India	1341224,25,26	1196484,91,96
	(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप Deposits of Branches outside India	73465,14,85	59077,56,48

अनुसूची 4 — उधार
SCHEDULE 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I. भारत में उधार Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	1522,00,00	2236,40,00
(ii) अन्य बैंक Other Banks	6693,68,11	9786,70,18
(iii) अन्य संस्थाएँ और अभिकरण Other Institutions and Agencies	14357,75,23	9061,39,16
(iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	3890,00,00	3890,00,00
(v) गौण ऋण एवं बांड Subordinated Debts & Bonds	45004,57,10	43745,14,10
II. भारत के बाहर से उधार Borrowings outside India		
(i) भारत के बाहर से उधार एवं पुनर्वित्त Borrowing and Refinance outside India	83305,85,87	70951,20,73
(ii) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instuments (IPDI)	3179,76,24	2787,42,20
(iii) गौण ऋण एवं बांड Subordinated Debts & Bonds	37,73,40	12,50,20
योग TOTAL (I और and II)	**157991,35,95**	**142470,76,57**
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured Borrowings included in I & II above	**5991,39,23**	**8884,55,90**

अनुसूची 5 — अन्य दायित्व और प्रावधान
SCHEDULE 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I. संदेय बिल / Bills payable	25164,68,38	26563,64,59
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल) / Inter Bank Adjustments (Net)	229,12,23	4,18,30
III. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office adjustments (Net)	—	21688,67,34
IV. प्रोद्भूत ब्याज / Interest accrued	15050,35,95	11627,36,46
V. आस्थगित कर दायित्व (निवल) / Deferred Tax Liabilities (Net)	325,36,91	121,62,22
VI. बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं / Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business	44920,85,73	35654,45,27
VII. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) / Others (including provisions)	61629,33,45	67756,63,85
योग / TOTAL	**147319,72,65**	**163416,58,03**

अनुसूची 6 — नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ
SCHEDULE 6 — CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I. हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) / Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	13082,01,93	9148,70,38
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में / In Current Account	66114,64,44	110198,59,87
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	2,54,24	2,53,15
योग / TOTAL	**79199,20,61**	**119349,83,40**

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाराशियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE 7 — BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I. भारत में In India		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ Balances with banks		
(क) चालू खाते में (a) In Current Account	866,16,03	1735,91,93
(ख) अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit Accounts	6765,69,55	3195,84,05
(ii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
(क) बैंकों में (a) With banks	5805,48,81	2685,53,85
(ख) अन्य संस्थाओं में (b) With Other Institutions	331,69,00	1754,91,65
योग TOTAL	**13769,03,39**	**9372,21,48**
II. भारत के बाहर Outside India		
(i) चालू खाते में In Current Account	24580,04,34	13018,60,96
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	1843,99,10	1480,48,78
(iii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice	8198,55,41	12106,30,86
योग TOTAL	**34622,58,85**	**26605,40,60**
कुल योग GRAND TOTAL (I और and II)	**48391,62,24**	**35977,62,08**

अनुसूची 8 — विनिधान
SCHEDULE 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	360054,56,37	316088,12,01
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	2089,18,54	2587,87,09
(iii) शेयर Shares	24834,64,64	25080,08,32
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	23517,79,87	23778,87,12
(v) सहयोगी Associates	1265,46,97	1006,51,18
(vi) अन्य (यूनिटें आदि) Others (Units, etc.)	37449,90,11	40289,94,27
योग TOTAL	**449211,56,50**	**408831,39,99**
II. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government Securities (including local authorities)	3531,20,41	3630,29,46
(ii) सहयोगी Associates	62,13,60	51,59,97
(iii) अन्य (शेयर, डिबेंचर आदि) Other Investments (Shares, Debentures, etc.)	8144,23,26	6553,15,49
योग TOTAL	**11737,57,27**	**10235,04,92**
कुल योग GRAND TOTAL (I और and II)	**460949,13,77**	**419066,44,91**
III. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	451425,98,03	412492,44,56
(ii) प्रावधानों / मूल्यह्रास का कुल योग Aggregate of Provisions / Depreciation	2214,41,53	3661,04,57
(iii) निवल विनिधान (ऊपर I से) Net Investments (vide I above)	**449211,56,50**	**408831,39,99**
IV. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	12012,89,05	10456,90,92
(ii) प्रावधानों / मूल्यह्रास का कुल योग Aggregate of Provisions / Depreciation	275,31,78	221,86,00
(iii) निवल विनिधान (ऊपर II से) Net Investments (vide II above)	**11737,57,27**	**10235,04,92**
कुल योग GRAND TOTAL (III और and IV)	**460949,13,77**	**419066,44,91**

अनुसूची 9 — अग्रिम
SCHEDULE 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
क. A.	(I) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र Bills purchased and discounted	90893,63,64	64272,97,11
	(II) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	498481,20,77	435124,33,85
	(III) सावधि ऋण Term loans	574295,36,13	507004,24,17
	योग TOTAL	**1163670,20,54**	**1006401,55,13**
ख. B.	(I) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों से संबंधित अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	875465,18,10	706678,51,77
	(II) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank / Government Guarantees	86332,96,33	116331,78,21
	(III) अप्रतिभूत Unsecured	201872,06,11	183391,25,15
	योग TOTAL	**1163670,20,54**	**1006401,55,13**
ग. C.	(I) भारत में अग्रिम Advances in India		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	345780,06,73	318873,29,53
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	72039,51,04	64079,72,69
	(iii) बैंक Banks	339,58,80	1637,26,44
	(iv) अन्य Others	602723,48,35	505405,39,43
	योग TOTAL	**1020882,64,92**	**889995,68,09**
	(II) भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India		
	(i) बैंकों से शोध्य Due from banks	17171,70,50	22466,08,47
	(ii) अन्यों से शोध्य Due from others		
	(क) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र (a) Bills purchased and discounted	21623,37,73	14820,36,26
	(ख) अभिषद उधार (b) Syndicated loans	49339,16,18	38633,79,72
	(ग) अन्य (c) Others	54653,31,21	40485,62,59
	योग TOTAL	**142787,55,62**	**116405,87,04**
	कुल योग GRAND TOTAL (ग C. (I) और and ग C. (II))	**1163670,20,54**	**1006401,55,13**

अनुसूची 10 — स्थिर आस्तियाँ
SCHEDULE 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year)		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year)	
		₹	₹	₹	₹
I.	क. परिसर Premises				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	2606,31,69		2424,72,65	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	454,98,31		226,86,79	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	5,92,31		45,27,75	
	अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	1051,76,21	2003,61,48	959,85,93	1646,45,76
II.	अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	14029,96,46		12416,19,66	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2346,63,13		2426,02,38	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	730,01,86		812,25,58	
	अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	10639,67,34	5006,90,39	9543,09,50	4486,86,96
III.	पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	906,97,74		988,38,39	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	11,02,75		3,31,46	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	19,99		84,72,11	
	प्रावधानों सहित अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date including provisions	897,15,52		894,67,29	
		20,64,98		12,30,45	
	घटाएँ: लेखा पट्टा समायोजन Less: Lease adjustment account	4,50,18	16,14,80	4,50,18	7,80,27
IV.	निर्माणाधीन आस्तियां Assets under Construction		381,29,84		345,70,25
	योग TOTAL		**7407,96,51**		**6486,83,24**

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 — OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	3110,81,70	1633,44,96
II.	प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	15121,66,38	12329,62,38
III.	अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	9931,41,36	7146,19,41
IV.	लेखन-सामग्री और स्टाम्प Stationery and stamps	128,70,95	126,20,02
V.	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	33,81,06	17,67,26
VI.	आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred tax asset (net)	534,45,70	1559,15,03
VII.	अन्य Others #	41477,16,09	37803,67,23
	योग TOTAL	**70338,03,24**	**60615,96,29**

समेकन आधार पर साख ₹ 728,64,93 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 769,77,74 हजार)
Includes Goodwill on consolidation ₹ 728,64,93 thousand (P. Y. ₹ 769,77,74 thousand)

अनुसूची 12 — समाश्रित दायित्व
SCHEDULE 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I.	ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए समूह के विरुद्ध दावे Claims against the group not acknowledged as debts	1344,28,80	1209,74,94
II.	अंशत: संदत्त विनिधानों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	10,69,90	15,25,22
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	460108,59,30	421259,55,48
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) भारत में (a) In India	105767,34,48	100106,67,96
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	85203,17,43	61564,91,59
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	160401,48,34	165199,53,77
VI.	अन्य मदें जिनके लिए समूह समाश्रित रूप से उत्तरदायी हैं Other items for which the group is contingently liable	124319,91,49	103399,67,18
	योग TOTAL	**937155,49,74**	**852755,36,14**
	संग्रहण के लिए बिल Bills for collection	**80410,04,83**	**68865,69,84**

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	147197,38,72	113636,44,25
अन्य आय Other Income	14	29835,43,71	34207,47,85
योग TOTAL		**177032,82,43**	**147843,92,10**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	89319,55,28	68086,40,16
प्रचालन व्यय Operating expenses	16	46856,03,30	46518,00,73
प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies		24883,93,33	22059,57,50
योग TOTAL		**161059,51,91**	**136663,98,39**
III. लाभ PROFIT			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		15973,30,52	11179,93,71
घटाएं : अल्पांश हित Less: Minority Interest		630,20,56	494,98,78
समूह लाभ Group Profit		15343,09,96	10684,94,93
आगे लाया गया शेष Balance Brought forward		522,92,29	58,58,15
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि / AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		**15866,02,25**	**10743,53,08**
विनियोजन APPROPRIATIONS			
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण Transfer to Statutory Reserves		4454,61,65	3388,50,53
अन्य आरक्षितियों को अंतरण Transfer to Other Reserves		7781,54,57	4573,55,45
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		2348,65,69	1904,99,70
लाभांश पर कर Tax on Dividend		388,46,17	353,55,11
अतिशेष जो तुलनपत्र में आगे ले जाया गया है Balance carried over to Balance Sheet		892,74,17	522,92,29
योग TOTAL		**15866,02,25**	**10743,53,08**
प्रति शेयर मूल आय / Basic earnings per share		₹ 241.55	₹ 168.28
प्रति शेयर न्यूनीकृत आय / Diluted earnings per share		₹ 241.55	₹ 168.28
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		

अनुसूची
SCHEDULES

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I.	अग्रिमों/विनिमय पत्रों पर ब्याज/मितीकाटा Interest/discount on advances/bills	111341,45,56	83797,22,37
II.	विनिधानों पर आय Income on investments	33705,20,92	27854,47,43
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	776,25,90	523,93,85
IV.	अन्य Others	1374,46,34	1460,80,60
	योग TOTAL	**147197,38,72**	**113636,44,25**

अनुसूची 14 — अन्य आय
SCHEDULE 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	14532,36,72	13958,94,27
II.	विनिधानों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of investments (Net)	(583,26,05)	3091,75,23
III.	विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on revaluation of investments (Net)	(1369,65,79)	(135,12,21)
IV.	पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets including leased assets (Net)	(47,01,40)	(20,74,79)
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on exchange transactions (Net)	1688,26,70	1754,75,77
VI.	भारत/विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividends from Associates in India/abroad	2,28,75	5,08,74
VII.	वित्तीय पट्टों से आय Income from financial Lease	15,10	2,06,83
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क Credit card membership/service fees	268,98,68	227,53,11
IX.	जीवन बीमा प्रीमियम (निवल) Insurance Premium Income (Net)	12985,11,49	12851,84,46
X.	सहयोगियों से आय का हिस्सा Share of earnings from associates	143,85,41	218,17,57
XI.	विविध आय Miscellaneous Income	2214,34,10	2253,18,87
	योग TOTAL	**29835,43,71**	**34207,47,85**

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I. निक्षेपों पर ब्याज Interest on deposits	79345,57,40	60749,67,56
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	4427,60,44	2993,56,30
III. अन्य Others	5546,37,44	4343,16,30
योग TOTAL	**89319,55,28**	**68086,40,16**

अनुसूची 16 — प्रचालन व्यय
SCHEDULE 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2012 (Current Year) ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Previous Year) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	22084,02,73	20711,02,77
II. भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	2822,38,95	2436,13,89
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	380,08,52	349,45,33
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	342,66,27	432,13,40
V. पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Leased Assets	1,84,61	1,59,10
VI. अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त) Depreciation on Fixed Assets (Other than Leased Assets)	1369,76,13	1378,96,06
VII. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	5,86,33	6,23,27
VIII. लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees & expenses)	197,98,41	190,58,29
IX. विधि प्रभार Law charges	211,69,70	207,21,48
X. डाक महसूल, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	539,09,80	484,98,32
XI. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	489,96,18	474,52,05
XII. बीमा Insurance	1271,89,18	1086,09,08
XIII. आस्थगित आय व्यय का परिशोधन Amortization of deferred revenue expenditure	12,85,34	18,22,03
XIV. अन्य क्रेडिट कार्ड प्रचालन से संबंधित परिचालन व्यय Other Operating Expenses relating to Credit Card operations	333,44,65	360,84,92
XV. अन्य बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय Other Operating Expenses relating to Insurance Business	12444,91,93	14726,33,60
XVI. अन्य व्यय Other expenditure	4347,54,57	3653,67,14
योग TOTAL	**46856,03,30**	**46518,00,73**

अनुसूची 17
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं । इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक, और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार:

1. समूह ***(जिसमें 29 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 25 सहयोगी शामिल हैं)*** के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :
   - क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा परीक्षित खाते।
   - ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा ''समेकित वित्तीय विवरणों'' के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर-वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।
   - ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 'संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार 'समानुपातिक समेकन' किया गया है।
   - घ. 'सहयोगियों' में किए गए निवेश का लेखाकरण 'ईक्विटी-पद्धति' के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।
2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।
3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत हैः
   - क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी-राशि, और
   - ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के संबंध स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 इससे अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में आय का

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of Preparation:

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, unless otherwise stated and conform in all material aspect to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Companies Act, 1956, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the prevalent accounting practices in India.

B. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

C. Basis of Consolidation:

1. Consolidated financial statements of the Group **(comprising of 29 subsidiaries, 8 Joint Ventures and 25 Associates)** have been prepared on the basis of:
   - a. Audited accounts of State Bank of India (Parent).
   - b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealised profit/loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.
   - c. Consolidation of Joint Ventures – 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" of the ICAI.
   - d. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" of the ICAI.
2. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve.
3. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:
   - a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and
   - b. The minority share of movements in revenue reserves/loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

D. Significant Accounting Policies

1. Revenue recognition

1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated. In respect of foreign offices/

अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वे कार्यालय/ इकाइयाँ स्थित हैं ।

1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और विनिधानों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों / इकाइयों के मामले में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) विनिधानों की आवेदन-राशि पर ब्याज, (iii) विनिधानों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iv) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय ''ट्रेडिंग'' के रूप में नामित।

1.3 विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के विनिधानों की बिक्री पर होनेवाले लाभ को प्रयोज्य करों और 'पूंजी आरक्षित खाते' में सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद समायोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे की बकाया निवल विनिधान की राशि पर पट्टे की ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है । पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल विनिधान राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 ''परिपक्वता तक रखे गए'' श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) का अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :

i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री / शोधन के समय निर्धारण किया गया है।

ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।

1.8 विशेष गृह ऋण योजना (दिसंबर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत भुगतान किया गया एक बारगी बीमा प्रीमियम ऋण की 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

1.9 गैर-बैंकिंग इकाइयाँ

मर्चेंट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क को शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित हामीदारी-कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात लेखे में लिया गया है।

entities, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign offices/entities are located.

1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in case of foreign offices/ entities (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) interest on application money on investments (iii) overdue interest on investments and bills discounted, (iv) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading".

1.3 Profit or Loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account, however the profit on sale of investments in the 'Held to Maturity' category is appropriated net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve to 'Capital Reserve Account'.

1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding in the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.

1.5 Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.

1.8 One time Insurance Premium paid under Special Home Loan Scheme (December 2008 to June 2009) is amortised over average loan period of 15 years.

1.9 **Non-banking entities**

Merchant Banking:

a. Issue management and advisory fees are recognised as per the terms of agreement with the client.

b. Fees for private placement are recognised on completion of assignment.

c. Underwriting commission relating to public issues is

घ. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

ङ शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं।

आस्ति प्रबंधन:

क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा शर्तो के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रत्याभूत घाटा-योजनाओं से होने वाली वसूली, जिसे पहले व्यय माना गया था. को प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।

घ. योजना व्ययः निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

ङ प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क तथा प्रथम वार्षिक शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि यह ज्यादा सटीक ढंग से उस अवधि को दर्शाती है, जिससे शुल्क संबंधित है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. सभी अन्य सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

अनर्जक परिसंपत्तियों, जहाँ वसूली होने पर आय को हिसाब में लिया जाता है, के मामले को छोड़कर फैक्टरिंग सेवा शुल्कों को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया है। कंपनी द्वारा फैक्टरिंग/वित्तीयन सीमाओं की स्वीकृति के बाद प्रक्रिया शुल्क प्रोद्भूत होते हैं।

जीवन बीमा:

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, जीवन बीमा प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनःप्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है।

ख. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ग. मृत्यु से संबंधित जीवन बीमा दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। वर्ष के अंत तक की सूचनाओं पर ऐसे

accounted for on finalisation of allotment of the public issue.

d. Brokerage income relating to public issues/mutual fund/other securities is accounted for based on mobilisation and intimation received from clients/ intermediaries.

e. Brokerage income in relation to stock broking activity is recognized on the trade date of transactions and includes stamp duty and transaction charges.

Asset Management:

a. Management fee is recognised at specific rates agreed with the relevant schemes, applied on the average daily net assets of each scheme (excluding inter-scheme investments, where applicable, and investments made by the company in the respective scheme) and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

b. Portfolio Advisory Service income is recognised on accrual basis as per the terms of the contract.

c. Recovery from guaranteed schemes of deficit earlier recognised as expense is recognised as income in the year of receipt.

d. Scheme Expenses: Expenses of schemes in excess of the stipulated rates are charged to the Profit and Loss Account.

e. Recovery, if any, on realisation of devolved investments of schemes acquired by the company in terms of right of subrogation is accounted on the basis of receipts.

Credit Card Operations:

a. Joining membership fee and first annual fee have been recognised over a period of one year as they more closely reflects the period to which the fee relate to.

b. Interchange income is recognised on accrual basis.

c. All other service fees are recorded at the time of occurrence of the respective transaction.

Factoring:

Factoring service charges are accounted on accrual basis except in the case of non-performing assets, where income is accounted on realisation. Processing charges are accrued upon acceptance of sanction of the factoring /financing limits by the Company.

Life Insurance:

a. Premium (net of service tax) is recognized as income when due from policyholders. Uncollected premium from lapsed policies is not recognised as income until such policies are revived. In respect of linked business, premium income is recognised when the associated units are allotted.

b. Premium ceded on reinsurance is accounted in accordance with the terms of the treaty or in-principle arrangement with the Re-Insurer.

c. Claims by death are accounted when intimated. Intimations upto the end of the year are considered

दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है। परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है। वार्षिक लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं। अभ्यर्पणों को अधिसूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं। पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

घ. कमीशन जैसे अभिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अभिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

ड. बीमा पालिसियों के लिए देयता : सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकिक देयता की गणना- इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार -नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

साधारण बीमा :

क. प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होनेवाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं।

ङ. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर दिखाया गया है। तुलन पत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

च. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनईआर) से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में

for accounting of such claims. Claims by maturity are accounted on the policy maturity date. Annuity benefits are accounted when due. Surrenders are accounted as and when notified. Claims cost consist of the policy benefit amounts and claims settlement costs, where applicable. Amounts recoverable from re-insurers are accounted for in the same period as the related claims and are reduced from claims.

d. Acquisition costs such as commission; medical fees etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed as and when incurred.

e. Liability for life policies: The actuarial liability of all the life insurance policies has been calculated by the appointed actuary as per the guidelines prescribed by the Institute of Actuaries of India.

General Insurance:

a. Premium (net of service tax), including reinstatement premium, on direct business and reinsurance accepted, is recognized as income over the contract period or the period of risk, whichever is appropriate, on gross basis under 1/365 method. Any subsequent revision to premium is recognized over the remaining period of risk or contract period. Adjustments to premium income arising on cancellation of policies are recognised in the period in which it is cancelled.

b. Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance risk is ceded. Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized as income in the year of final determination of the profits as intimated by Reinsurer and combined with commission on reinsurance ceded.

c. In respect of proportional reinsurance ceded, the cost of reinsurance ceded is accrued at the commencement of risk. Non-proportional reinsurance cost is recognized when due. Any subsequent revision to, refunds or cancellations of premiums is recognized in the period in which they occur.

d. Acquisition costs such as commission, policy issue expenses etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

e. Claim is recognized as and when a loss occurrence is reported. Provision for claims outstanding payable as on the date of Balance Sheet is net of reinsurance, salvage value and other recoveries as estimated by the management.

f. Provision in respect of claim liabilities that may have been incurred during an accounting period but not reported or claimed (IBNR) or not enough reported (i.e reported with information insufficient for making a reasonable estimate of likely claim amount) (IBNER) before the end of the accounting period, is the amount determined by the Appointed Actuary/ Consulting Actuary based on actuarial principles in

आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं संबद्ध सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आइएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में निर्दिष्ट सहमत दरों पर प्रोद्भूत आधार पर शामिल किया गया है। जहाँ कहीं सेवा कर की वसूली की गई, वहाँ आय में सेवा कर को शामिल नहीं किया गया है।

म्यूचुअल फण्ड न्यासी परिचालन :

न्यासधारिता शुल्कों/प्रबंधन शुल्कों को कंपनियों के बीच हुई संविदा की संबंधित शर्तों के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

2. विनिधान

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 31.12.2010 तक, 'क्रय-विक्रय की तिथि' को और 01.01.2011 से 'समाधान तिथि' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर विनिधान 'क्रय-विक्रय तिथि' को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

विनिधानों को 3 श्रेणियों यथा - 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और 'व्यवसाय के लिए रखे गए' में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन विनिधानों को 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।

ii. उन विनिधानों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।

iii. जिन विनिधानों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. प्रत्येक विनिधान को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्यन :

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी विनिधान की अभिग्रहण लागत का निर्धारण करने में :

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली / कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है ।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/ बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

accordance with the Guidance Notes issued by the Actuarial Society of India with the concurrence of the IRDA and any directions issued by IRDA in this respect.

Custodial & related services:

The revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the company and the revenue can be reliably measured.

Pension Fund Operation:

Management fees is recognized at specified rates agreed with the relevant schemes calculated as per the Investment Management Agreement (IMA) entered into between the Company and NPS Trustees, on accrual basis. Revenue excludes Service Tax, wherever recovered.

Mutual Fund Trustee Operation:

Trusteeship fees / management fees are recognised on an accrual basis in accordance with the respective terms of contract between the Companies.

2. Investments

The transactions in Government Securities are recorded on "Trade Date" upto 31.12.2010 and on "Settlement Date" with effect from 01.01.2011. Investments other than Government Securities are recorded on "Trade Date".

2.1 **Classification**

Investments are classified into three categories, viz. Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT)

2.2 **Basis of classification:**

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

ii. Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

iii. Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.

iv. An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3 **Valuation:**

A. Banking Business

i. In determining the acquisition cost of an investment:

a. Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.

b. Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

c. Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।

ii. उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि को न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यह्रास, यदि हो तो, का प्रावधान किया गया है ।

iii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यन **रखाव-लागत आधार** पर किया गया है ।

iv. **परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी :** परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के अंतर्गत निवेश जब तक अंकित मूल्य से अधिक न हो, अभिग्रहण लागत आधार पर लिए गए हैं जिसमें प्रीमियम का परिशोधन स्थायी लागत आधार पर शेष परिपक्वता अवधि में किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'विनिधानों पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समायोजित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए विनिधानों का मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-23 के अनुसार ईक्विटी लागत पर किया गया है। अस्थायी निवेशों को छोड़कर प्रत्येक निवेश हेतु पृथक - पृथक रूप से ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ :** ए एफ एस और एच एफ टी श्रेणियों में रखे गए विनिधानों का पृथक-पृथक रूप से बाजार मूल्य या **विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित** उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यन किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी के लिए केवल निवल मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है तथा निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होने पर, बाजार के लिए अलग करने के बाद प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्य अपरिवर्तित रहा।

vi. किसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है । तदनुसार, उन मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक ही सीमित है, वहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य के आधार पर ऐसे विनिधानों का मूल्यन किया गया है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिधानों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के विनिधान निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और यह 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है।

ख. ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को ₹1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक विनिधान माना जाएगा ।

ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा

d. Cost of investment under AFS and HFT category is determined at the weighted average cost method by the group entities and cost of investments under HTM category is determined on FIFO basis (first in first out) by SBI and weighted average cost method by other group entities.

ii. The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

iii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at **carrying cost**.

iv. **Held to Maturity category:** Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised over the period remaining maturity on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments". Investments in Regional Rural Banks (RRBs) are valued at equity cost determined in accordance with AS 23 of the ICAI.A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

v. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Investments held under AFS and HFT categories are individually revalued at the market price or fair value **determined as per Regulatory guidelines,** and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

vi. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.

vii. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices/entities and respective regulators in case of foreign offices/entities. Investments of domestic offices become non-performing where:

a. Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.

c. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of

जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा विनिधान को अनर्जक विनिधान माना जाएगा ।

घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है ।

ङ ऐसे डिबेंचरों/बांडों में विनिधान जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के विनिधान माना जाता है, उन पर अनर्जक विनिधान के वही मानदंड लगेंगे जो विनिधानों पर लागू होते हैं ।

च. विदेशी कार्यालयों के अनर्जक विनिधानों के संबंध में प्रावधान- स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है ।

viii. रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखा प्रणाली (भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन को छोड़कर)

(क) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋणान्वयन और उधार देने संबंधी लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन की तरह किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य के ऐसे घट-बढ़ को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टि का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है और आय को ब्याज व्यय/आय के रूप में जैसी भी स्थिति हो, लेखे में लिया गया है। रेपो खाते के शेष को अनुसूची-4 (उधारियाँ) और रिवर्स रेपो खाते के शेष को अनुसूची-7 (बैंकों में जमा और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / विक्रय की गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है । उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है ।

ख. बीमा व्यवसाय

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में विनिधान बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान) विनियम, 2000 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित विनिधान का मूल्यांकन:-

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई ('बीएसई') पर बाजार बंद होने के समय उद्धृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत आधार पर आकलन किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में विनिधान का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलन पत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।

the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.

d. The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.

e. The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

f. In respect of foreign offices, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.

viii. **Accounting for Repo/ reverse repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI)**

(a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

(b) Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

B. Insurance Business

In case of life and general insurance subsidiaries, investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the IRDA (Investment) Regulations, 2000, and various other circulars or notifications issued by IRDA in this context from time to time.

(i) Valuation of investment pertaining to non-linked life business and general insurance business:-

- All debt securities, including government securities are stated at historical cost, subject to amortisation.
- Listed equity shares are measured at fair value on the Balance Sheet date. For the purpose of determining fair value, the lower of the last quoted closing price at the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') or Bombay Stock Exchange Limited, Mumbai ('BSE') is considered. Unlisted equity securities are measured at historical cost.
- Investments in mutual fund units are valued at the Net Asset Value (NAV) of previous day in life insurance and of balance sheet date in general insurance.

शेयरधारकों के विनिधानों और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के विनिधानों के संबंध में सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ''आय और अन्य आरक्षितियाँ (अनुसूची 2)'' में और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ (अनुसूची 5)'' क्रमश: तुलन पत्र में लिए जाते हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित विनिधान का मूल्यांकन:-

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('क्रिसिल') से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बांड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है।
- सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध न किए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए विनिधानों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है । ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ''असंयत'' (''आउट ऑफ आर्डर'') रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज 2 फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;

Unrealized gains or losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units pertaining to shareholders' investments and non-linked policyholders investments are taken to "Revenue & Other Reserves (Schedule 2) " and "Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business (Schedule 5)" respectively, in the balance sheet.

(ii) Valuation of investment pertaining to linked business: -

- Government securities with remaining maturity of more than one year are valued at prices obtained from Credit Rating Information Services of India Limited ('CRISIL') except Government of India scrips which are valued at prices obtained from FIMMDA. Debt securities other than Government securities with remaining maturity of more than one year are valued on the basis of CRISIL Bond Valuer. The amortised or average cost of Government and other debt securities with remaining maturity of one year or less are amortised over the remaining life of the securities. Unrealised gains or losses arising on such valuation are recognized in the Profit & Loss Account.
- Listed equity shares are measured at fair value on the Balance Sheet date. For the purpose of determining fair value, the last quoted closing price at the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') is considered. In case the equity shares are not listed on NSE, then they are valued at last quoted closing price on BSE.
- Investments in mutual fund units are valued at the previous day's Net Asset Value (NAV).

  Unrealized gains or losses arising due to changes in the fair value of equity shares and mutual fund units are recognized in the Profit & Loss Account.

3. Loans /Advances and Provisions thereon

3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by RBI. Loan assets become non-performing assets (NPAs) where:

i. In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

ii. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;

iii. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

iv. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons;

v. कृषि अग्रिमों के संबंध में, दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल -ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं ।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है ।

ii. संदिग्ध : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रही है ।

iii. हानिप्रद : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है ।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, पर इसमें निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडों को ध्यान में रखा गया है:

अव-मानक आस्तियाँ :	i.	15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों में अप्रतिभूत राशि जिसमें कतिपय रक्षोपाय जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ :		
- प्रतिभूत भाग :	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग :		100%
हानिप्रद आस्तियाँ :		100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के ऋण और अग्रिम खातों का वर्गीकरण तथा अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक कठोर था, के अनुसार किए गए हैं।

3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है। यदि बिक्री निवल वही मूल्य से कम मूल्य पर की जाती है, तो कम प्राप्त हुई राशि को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है और यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर की जाती है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को रोककर रखा जाता है और उससे अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हुई कमी/नुकसान को पूरा किया जाता है। निवल बही मूल्य रखे गए विशिष्ट प्रावधान तथा ईसीजीसी के प्राप्त दावों में से घटाने पर बकाया है।

3.6 अग्रिम कतिपय ऋण हानि प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटाकर दर्शाए गए हैं।

3.7 पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, पुनर्संरचना से पूर्व और के बाद ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के कारण, उचित मूल्य में हुई कमी और त्याग किए गए ब्याज के प्रावधान को अग्रिमों में से घटाया गया है।

v. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

3.2 NPAs are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.

ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.

iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below :

Substandard Assets:	i.	A general provision of 15%
	ii.	Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)
	iii.	Unsecured Exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available – 20%
Doubtful Assets:		
— Secured portion:	i.	Upto one year – 25%
	ii.	One to three years – 40%
	iii.	More than three years – 100%
— Unsecured portion		100%
Loss Assets:		100%

3.4 In respect of foreign Offices, classification of loans and advances and provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by RBI. If the sale is at a price below net book value, the shortfall is debited to the profit and loss account, and in case of sale for a value higher than net book value, the excess provision is retained and utilised to meet the shortfall / loss on sale of other financial assets. Net book value is outstanding as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.

3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.

3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, arising out of the above, is reduced from advances.

3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है ।

3.9 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली गई राशि को आय के रूप में किया दिखाया है ।

3.10 अनर्जक आस्तियों पर कतिपय प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान करने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति लागू है। सृजित किए जानेवाले अस्थायी प्रावधानों की राशि का प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है।

5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं । इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है । यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई विनिमय संविदाओं की रूपरेखा इस ढंग से तैयार की जाती है कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सकें । ऐसे डेरीवेटिव्स लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है और इसे प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।

6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भूत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।

6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है । डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए ''उचंत परिणत प्राप्य राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है। यदि डेरीवेटिव संविदाओं में भविष्य में और अधिक निपटारे का प्रावधान है और यदि डेरीवेटिव संविदा अतिदेय प्राप्य राशि का 90 दिन तक भुगतान प्राप्त न होने पर

3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.

3.10 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at Net NPAs.

4. Floating Provision

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. Provision for Country Exposure for Banking Entities

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in schedule 5 of the balance sheet under the "Other liabilities & Provisions – Others".

6. Derivatives:

6.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.

6.2 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.

6.3 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account in the period of change. Any receivable under derivatives contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through profit and loss account to "Suspense A/c Crystallised Receivables". In cases where the derivative contracts provide for more settlement in future and if the derivative contract is not terminated on the overdue receivables remaining unpaid for 90 days, the

समाप्त नहीं की जाती है तो भविष्य में प्राप्त राशियों की बाजार मूल्य पर बहियों में अंकित घनात्मक राशि को लाभ और हानि खाते से ''उचंत बाजार मूल्य घनात्मक राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फॉरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के बाजार मूल्य निकालने हेतु शामिल किया गया है।

6.5 एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए डेरिवेटिव्ज तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

7. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और व्यावसायिक शुल्क तथा आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इस देशी परिचालन के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर और एटीएम	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		अभिग्रहण वर्ष में 100% मूल्यह्रास
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	ह्रासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि चाहे कुछ भी रही हो पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है।

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1,000 से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया उसी वर्ष के खर्च के रूप में दर्शाया गया है।

positive MTM pertaining to future receivables is also reversed from Profit and Loss Account to "Suspense A/c - Positive MTM".

6.4 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Mark to Market value for forex Over the Counter options.

6.5 Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

7. Fixed Assets and Depreciation

7.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.

7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

7.3 The rates of depreciation and method of charging depreciation in respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers & ATM	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	—	100% depreciated in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under the Companies Act 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under the Income-tax Rules 1962

7.4 In respect of assets acquired during the year for domestic operations, depreciation is charged for half a year in respect of assets used for upto 180 days and for the full year in respect of assets used for more than 180 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.

7.5 Items costing less than ₹1,000 each are charged off in the year of purchase.

7.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेशी कार्यालयों/इकाइयों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है । धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है । यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो लेखे में दर्शाई जानेवाली अपसामान्यता का माप उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है ।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है ।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है ।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है ।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है ।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वताओं के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में दिखाया गया है ।

viii. खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेन में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ / हानि को एक्सचेंज क्लिअरिंग हाउस के

7.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.

7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices/entities, depreciation is provided as per the regulations /norms of the respective countries.

8. Leases

The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to financial leases also.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. Effect of changes in the foreign exchange rate

10.1 **Foreign Currency Transactions**

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains / Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are

साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं/इकाइयों और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर विनिमय किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय का तिमाही औसत की अंतिम दर पर विनिमय किया गया है।

iii. निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं का विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में विनिमय किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है ।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है ।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. **नियत हितलाभ योजना**

क. समूह की कंपनियों में अलग अलग भविष्य निधि योजनाएँ लागू हैं, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। समूह की कंपनियाँ निर्धारित

settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the profit and loss account.

10.2 **Foreign Operations**

Foreign branches/subsidiaries / joint ventures of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

i. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii. Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii. Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices/ subsidiaries /joint ventures in foreign currency (other than local currency of the foreign offices/ subsidiaries/joint ventures) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

b. Integral Operations:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.

iii. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

11. Employee Benefits:

11.1 **Short Term Employee Benefits:**

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 **Post Employment Benefits:**

i. **Defined Benefit Plan**

a. The group entities operate separate Provident Fund schemes. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Provident

दर पर मासिक अंशदान करती हैं। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास में प्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाया गया है। समूह की कंपनियाँ, वार्षिक अंशदान और ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह ब्याज दर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है। कंपनियाँ इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानती हैं।

ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।

ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है । यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो सेवा नियमावली में निर्धारित उच्चतम सीमा है, से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है । बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं । यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है । यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है । कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।

ङ नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है । वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. निश्चित अंशदान योजनाएं

बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालित करता है, जो एक निश्चित अंशदान योजना है, और बैंक की सेवा में आनेवाले ऐसे नए अधिकारी/कर्मचारी को विद्यमान एसबीआई पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं बनाया जा रहा है। इस विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक, इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत इस योजना में अंशदान करते हैं और साथ में उतना ही अंशदान बैंक द्वारा किया जाता है। ये अंशदान बैंक में जमा के रूप में रखे गए हैं और उसी दर से ब्याज अर्जित करते हैं जो भविष्य निधि शेष के चालू खाते के लिए लागू हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों एवं ब्याज का निर्धारण उसी वर्ष में एक व्यय के रूप में करता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

Fund scheme. The group entities contribute monthly at a determined rate. These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The group entities are liable for annual contributions and interests, which is payable at minimum specified rate of interest. The entities recognise such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

b. The group entities operate separate gratuity and pension schemes, which are defined benefit plans.

c. The group entities provide for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a ceiling in terms of service rules. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

d. Some group entities provide for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The entities make annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. **Defined Contribution Plans**

The bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st August 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing SBI Pension Scheme. Pending finalisation of the detailed scheme, the employees covered under the scheme contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. These contributions are retained as deposits in the bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

iii. **कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :**

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है । इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण समूह इकाइयों द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन किया गया है और उसे संबंधित स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार लेखे में लिया गया है।

12. आय पर कर

12.1 वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ-कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय है । चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों/अनुषंगियों के संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार किया गया है । आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजन में समाविष्ट हैं।

12.2 आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों अथवा तुलनपत्र तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है । आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का समावेश विवेकपूर्ण आधार पर आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमश: कर आधार और अग्रानीत हानियों के बीच अवधिगत अंतर को ध्यान में रखकर किया गया है । आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है।

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है । जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित कर आस्तियों का समावेश अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है।

12.4 आय कर व्यय उनकी लागू विधियों के अनुसार मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए कर व्यय की कुल राशि है।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है । प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी । कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

iii. **Other Long Term Employee benefits:**

a. All eligible employees of the group are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the group entities.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

11.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign offices/ entities are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

12. Taxes on income

12.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and fringe benefit tax charge. Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices/entities, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

12.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax bases, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

12.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

12.4 Income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

13. Earning per Share

13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 -'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax (other than minority) by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'' के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही बैंक प्रावधानों का समावेश करता है, यह संभव है कि दायित्व की चुकौती में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त विरली परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर प्रावधान किया गया है।

14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. शेयर जारी करने के व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

14.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 No provision is recognised for

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the group entities ; or

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognised because

a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

b. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

15. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.

अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं :

1.1 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय निम्नांकित 29 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 25 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है :

क) अनुषंगियां

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन- देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	92.33	92.33
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	75.01	75.01
6)	एसबीआई कमर्शियल एण्ड इंटरनेशल बैंक लिमिटेड (28.07.2011 तक)	भारत	100.00	100.00
7)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
11)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.56	71.56
12)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
13)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.82
14)	एसबीआई पेंशन फण्ड प्रा. लिमिटेड	भारत	98.15	98.15
15)	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00	65.00
16)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.@	भारत	74.00	74.00
17)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
18)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00	100.00
19)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
20)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	93.40	93.40
21)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	76.00	76.00
22)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
23)	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड@	भारत	60.00	60.00
24)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
25)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@	भारत	74.00	74.00
26)	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को@	रूस	60.00	60.00
27)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.05	55.05
28)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.@	मॉरीशस	63.00	63.00
29)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00

@ ऐसी कंपनियाँ जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं। फिर भी ये 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

SCHEDULE 18

NOTES TO ACCOUNTS:

(Amount in Rupees in crores)

1. List of Subsidiaries/Joint Ventures/Associates considered for preparation of consolidated financial statements:

1.1 The 29 Subsidiaries, 8 Joint Ventures and 25 Associates (which along with State Bank of India, the parent, constitute the Group), considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

A) Subsidiaries:

Sr. No	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Group's Stake (%) Current Year	Previous Year
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	India	75.07	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	India	100.00	100.00
3)	State Bank of Mysore	India	92.33	92.33
4)	State Bank of Patiala	India	100.00	100.00
5)	State Bank of Travancore	India	75.01	75.01
6)	SBI Commercial & International Bank Ltd. (upto 28.07.2011)	India	100.00	100.00
7)	SBI Capital Markets Ltd.	India	100.00	100.00
8)	SBICAP Securities Ltd.	India	100.00	100.00
9)	SBICAP Trustee Company Ltd.	India	100.00	100.00
10)	SBICAPS Ventures Ltd.	India	100.00	100.00
11)	SBI DFHI Ltd.	India	71.56	71.56
12)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd.	India	100.00	100.00
13)	SBI Global Factors Ltd.	India	86.18	86.82
14)	SBI Pension Funds Pvt Ltd.	India	98.15	98.15
15)	SBI –SG Global Securities Services Pvt. Ltd. @	India	65.00	65.00
16)	SBI General Insurance Company Ltd. @	India	74.00	74.00
17)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	India	100.00	100.00
18)	State Bank of India (Canada)	Canada	100.00	100.00
19)	State Bank of India (California)	USA	100.00	100.00
20)	SBI (Mauritius) Ltd.	Mauritius	93.40	93.40
21)	PT Bank SBI Indonesia	Indonesia	76.00	76.00
22)	SBICAP (UK) Ltd.	U.K.	100.00	100.00
23)	SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd. @	India	60.00	60.00
24)	SBI Funds Management Pvt. Ltd. @	India	63.00	63.00
25)	SBI Life Insurance Company Ltd. @	India	74.00	74.00
26)	Commercial Bank of India Llc. , Moscow @	Russia	60.00	60.00
27)	Nepal SBI Bank Ltd.	Nepal	55.05	55.05
28)	SBI Funds Management (International) Private Ltd. @	Mauritius	63.00	63.00
29)	SBICAP (Singapore) Ltd.	Singapore	100.00	100.00

@ Represents companies which are jointly controlled entities in terms of the shareholders' agreement. However, the same are consolidated as subsidiaries in accordance with AS 21 "Consolidated Financial Statements" as SBI is holding in these companies in excess of 50%.

ख) संयुक्त उद्यम

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन- देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00	40.00
3)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
4)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
5)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुदा	45.00	45.00
7)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00

ग) सहयोगी:

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन- देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
16)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
18)	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19)	डेक्कन ग्रामीणा बैंक	भारत	35.00	35.00
20)	कावेरी कल्पतरू ग्रामीणा बैंक	भारत	32.32	32.32
21)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
22)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
23)	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	29.22	29.22
24)	बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00
25)	एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड	भारत	25.05	25.05

B) Joint Ventures

Sr. No	Name of the Joint Venture	Country of Incorporation	Group's Stake (%) Current Year	Previous Year
1)	C - Edge Technologies Ltd.	India	49.00	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd.	India	40.00	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	India	45.00	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	India	45.00	45.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	Singapore	45.00	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	Bermuda	45.00	45.00
7)	Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.	India	50.00	50.00
8)	Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.	India	50.00	50.00

C) Associates:

Sr. No	Name of the Associate	Country of Incorporation	Group's Stake (%) Current Year	Previous Year
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	India	35.00	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	India	35.00	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	India	35.00	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	India	35.00	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	India	35.00	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	India	35.00	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	India	35.00	35.00
8)	Madhya Bharat Gramin Bank	India	35.00	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	India	35.00	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	India	35.00	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank	India	35.00	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	India	35.00	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	India	35.00	35.00
14)	Utkal Gramya Bank	India	35.00	35.00
15)	Uttaranchal Gramin Bank	India	35.00	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	India	35.00	35.00
17)	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	India	26.27	26.27
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	India	35.00	35.00
19)	Deccan Grameena Bank	India	35.00	35.00
20)	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	India	32.32	32.32
21)	Malwa Gramin Bank	India	35.00	35.00
22)	Saurashtra Gramin Bank	India	35.00	35.00
23)	The Clearing Corporation of India Ltd.	India	29.22	29.22
24)	Bank of Bhutan Ltd.	Bhutan	20.00	20.00
25)	SBI Home Finance Ltd.	India	25.05	25.05

क. भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल एंड इंटरनैशनल बैंक लि. अधिग्रहण आदेश, 2011 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल एंड इंटरनैशनल बैंक लि. (एसबीआईसीआई) की जिम्मेदारी दिनांक 29 जुलाई 2011 से भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") को अंतरित/निहित हो गई।

ख. एसबीआई ने एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. के 10,20,670 शेयर (0.64%) सिडबी को बेच दिए। इसके बाद एसबीआई की एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. में हिस्सेदारी घटकर 86.1fu8% रह गई।

ग. वर्ष के दौरान एसबीआई ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर में राइट्स इश्यू में ₹585.00 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी निविष्ट की।

घ. वर्ष के दौरान, एसबीआई ने निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त पूंजी निविष्ट की

₹ करोड़ में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	4.33
छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	13.30
इलाकाई देहाती बैंक	23.80
लांगपी देहांगी रूरल बैंक	2.10
नागालैंड रूरल बैंक	1.78
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7.88
उत्कल ग्राम्य बैंक	47.60
उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	5.25
वनांचल ग्रामीण बैंक	19.60
योग	125.64

1.2 एसबीआई होम फाइनैंस लि., जो एसबीआई की एक सहयोगी है, की समापन याचिका दिनांक 23 सितंबर 2008 को कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने कंपनी के समापन हेतु निर्देश देते हुए 31 मार्च 2009 को एक आदेश पारित किया है।

1.3 बैंक ऑफ भूटान लि., जो एसबीआई का सहयोगी है, पैरेंट बैंक से भिन्न लेखा वर्ष (ग्रेगेरियन कैलेंडर वर्ष) का अनुपालन करता है। तदनुसार, इस सहयोगी के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. शेयर पूंजी :

2.1 वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने प्रति शेयर ₹10/- मूल्य के 3,60,45,243 शेयर, ₹2,181.69 प्रति ईक्विटी शेयर के नकद प्रीमियम पर कुल ₹7,900.00 करोड़ में भारत सरकार को अधिमानी आबंटन के अंतर्गत आबंटित किए। भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹7,900.00 करोड़ में से ₹36.05 करोड़ की राशि शेयर कैपिटल खाते में तथा शेष ₹7,863.95 करोड़ शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई।

2.2 एसबीआई ने एसबीआई राइट्स इश्यू 2008 के अंतर्गत रोककर रखे गए शेयरों में से कुल ₹ 9,60,360/- के ईक्विटी शेयर ₹1,580/- प्रति ईक्विटी शेयर के नकद प्रीमियम के साथ ₹10/- प्रति शेयर वाले 604 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। प्राप्त हुए ₹9,60,360/- के कुल अंशदान में से ₹6,040 शेयर पूंजी खाते में और ₹9,54,320/- शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए।

2.3 एसबीआई ने राइट्स इश्यू के एक भाग के रूप में जारी प्रति ₹10/- के 83,511 (पिछले वर्ष 84,115) ईक्विटी शेयरों का आबंटन रोककर रखा है, क्योंकि इनके हक विवाद या न्यायिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं।

2.4 ₹8.78 करोड़ के शेयर निर्गम संबंधी खर्च शेयर प्रीमियम खाते के नामे किए।

a. Consequent to the notification of the "Acquisition of State Bank of India Commercial & International Bank Ltd Order, 2011" issued by the Govt. of India, the undertaking of State Bank of India Commercial & International Bank Ltd. (SBICI) stands transferred to and vests in State Bank of India ("the Bank"), with effect from July 29, 2011, the effective date.

b. SBI has sold 10,20,670 shares (0.64%) in SBI Global Factors Limited to SIDBI, after which SBI's stake in SBI Global Factors Limited reduced to 86.18%.

c. During the year, SBI has infused additional capital of ₹585.00 Crores in State Bank of Bikaner & Jaipur towards Right Issue.

d. During the year, SBI has infused additional capital in the following RRBs:-

₹ In crores

Regional Rural Banks	Amount
Arunachal Pradesh Rural Bank	4.33
Chhattisgarh Gramin Bank	13.30
Ellaquai Dehati Bank	23.80
Langpi Dehangi Rural Bank	2.10
Nagaland Rural Bank	1.78
Samastipur Kshetriya Gramin Bank	7.88
Utkal Gramya Bank	47.60
Uttaranchal Gramin Bank	5.25
Vananchal Gramin Bank	19.60
Total	125.64

1.2 The winding up petition of SBI Home Finance Ltd., an associate of SBI, was filed with the Kolkata High Court on September 23, 2008. The Hon'ble Court has passed an order on March 31, 2009 giving direction for winding up of the company.

1.3 Bank of Bhutan Ltd., an associate of SBI follows accounting year (Gregorian Calendar Year) different from that of the parent. Accordingly, the financial statements of the associate are made as of December 31, 2011.

2. Share capital:

2.1 During the year, SBI has allotted 3,60,45,243 shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹2,181.69 per equity share aggregating to ₹7,900.00 crores under Preferential Allotment to GOI. Out of the total subscription of ₹7,900.00 crores received from GOI, an amount of ₹36.05 crores was transferred to Share Capital Account and ₹7,863.95 crores to Share Premium Account.

2.2 SBI has allotted 604 equity shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹1,580/- per equity share aggregating to ₹9,60,360/- out of shares kept in abeyance under Right Issue - 2008. Out of the total subscription of ₹9,60,360/- received, ₹6,040/- was transferred to Share Capital Account and ₹ 9,54,320/- to Share Premium Account.

2.3 SBI has kept in abeyance the allotment of 83,511 (Previous Year 84,115) Equity Shares of ₹10/- each issued as a part of Rights issue, since they are subject to title disputes or are subjudice.

2.4 Expenses in relation to the issue of shares of ₹8.78 crores debited to Share Premium Account.

3. कर्मचारी - हितलाभ

3.1.1 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-15 (वर्ष 2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, समूह द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि नियत लाभ योजना की परिधि में आएगा क्योंकि बैंक को निर्धारित न्यूनतम प्रतिलाभ दर को प्राप्त करना है। वर्ष के अंत में ऐसी कोई कमी नहीं बची थी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो। तदनुसार, भविष्य निधि के संबंध में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है। ₹559.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹931.70 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल बैंक की भविष्य निधि योजना पर किए गए व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

3.1.2 नियत अंशदान

भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना में ₹52.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.75 करोड़) का अंशदान किया और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं) ने दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना में ₹8.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.53 करोड़) का अंशदान किया।

3.1.3 नियत हितलाभ योजनाएँ

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2011 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
एसबीआईसीआई के विलय पर देयता	25.03	निरंक	131.09	निरंक
वर्तमान सेवा लागत	1372.84	1216.08	323.20	280.78
ब्याज लागत	3589.99	2281.45	655.56	406.54
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	82.00	2224.44	निरंक	783.14
पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	निरंक	1241.58	निरंक	757.88
पिछली सेवा लागत (आरक्षित निधि में निर्धारित किए गए निहित हित लाभ)	निरंक	7927.41	निरंक	निरंक
बीमांकिक हानियां / (लाभ)	1545.71	1887.15	421.85	826.28
प्रदत्त हितलाभ	(1556.33)	(1184.08)	(674.67)	(650.88)
एसबीआई बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(931.88)	(780.67)	निरंक	निरंक
31 मार्च 2012 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**45956.37**	**41829.01**	**8514.31**	**7657.28**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2011 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
एसबीआईसीआई की योजना आस्तियों का एसबीआई को हस्तांतरण	25.03	निरंक	2.16	निरंक
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1947.08	1552.50	462.84	417.25
नियोक्ता का अंशदान	11797.59	1815.59	1770.95	508.69
सदस्यों द्वारा अंशदान	निरंक	599.25	निरंक	निरंक
प्रदत्त हितलाभ	(1556.33)	(1184.08)	(674.67)	(650.80)

3. Employee Benefits

3.1.1 Employees Provident Fund

In terms of the guidance on implementing the AS-15 (Revised 2005) "Employees Benefits" issued by the ICAI, the Employees Provident Fund set up by the group is treated as a defined benefit plan since the group has to meet the specified minimum rate of return. As at the year end, no shortfall remains unprovided for. Accordingly, other related disclosures in respect of Provident Fund have not been made and an amount of ₹559.05 Crores (Previous Year ₹931.70 Crores) is recognised as an expense towards the Provident Fund scheme of the group included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

3.1.2 Defined Contributions

SBI has contributed ₹52.47 Crores (previous year ₹11.75 Crores) to the New Pension Scheme for all officers and employees joining the Bank on or after 1st August 2010 and Domestic Banking Subsidiaries (comprising State Bank of Bikaner & Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore) has contributed ₹8.39 Crores (previous year ₹1.53 Crores) to the Defined Contributory Pension Scheme for employees joining on or after 1st April 2010.

3.1.3 Defined Benefit Plans

The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15 (Revised 2005):-

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation at 1st April 2011	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
Liability on merger of SBICI	25.03	Nil	131.09	Nil
Current Service Cost	1372.84	1216.08	323.20	280.78
Interest Cost	3589.99	2281.45	655.56	406.54
Past Service Cost (Vested Benefit)	82.00	2224.44	Nil	783.14
Past Service Cost (Amortised)	Nil	1241.58	Nil	757.88
Past Service Cost (Vested Benefit recognised in Reserves)	Nil	7927.41	Nil	Nil
Actuarial losses / (gains)	1545.71	1887.15	421.85	826.28
Benefits paid	(1556.33)	(1184.08)	(674.67)	(650.88)
Direct Payment by SBI	(931.88)	(780.67)	Nil	Nil
Closing defined benefit obligation at 31st March 2012	**45956.37**	**41829.01**	**8514.31**	**7657.28**
Change in Plan Assets				
Opening fair value of plan assets at 1st April 2011	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
Plan Assets of SBICI transfer to SBI	25.03	Nil	2.16	Nil
Expected Return on Plan assets	1947.08	1552.50	462.84	417.25
Contributions by employer	11797.59	1815.59	1770.95	508.69
Contribution from members	Nil	599.25	Nil	Nil
Benefits Paid	(1556.33)	(1184.08)	(674.67)	(650.80)

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	774.28	759.67	163.83	26.05
31 मार्च 2012 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**35877.71**	**22890.06**	**7153.07**	**5427.96**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2012 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	45956.37	41829.01	8514.31	7657.28
31 मार्च 2012 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	35877.71	22890.06	7153.07	5427.96
कमी/ (अधिशेष)	10078.66	18938.95	1361.24	2229.32
लेखे मे नहीं ली गई विगत सेवा लागत इतिशेष	424.49	985.32	442.42	628.78
निवल देयता / (आस्ति)	9654.17	17953.63	918.82	1600.54
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	45956.37	41829.01	8514.31	7657.28
आस्तियाँ	35877.71	22890.06	7153.07	5427.96
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति)	10078.66	18938.95	1361.24	2229.32
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	424.49	985.32	442.42	628.78
निवल देयता / (आस्ति)	**9654.17**	**17953.63**	**918.82**	**1600.54**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1372.84	1216.08	323.20	280.78
ब्याज लागत	3589.99	2281.46	655.56	406.54
योजना -आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1947.08)	(1552.50)	(462.84)	(417.25)
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	151.91	381.00	136.53	236.94
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	82.00	193.75	निरंक	675.22
पूर्ववर्ती वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान की प्रतिवर्तित राशि	(32.71)	निरंक	निरंक	निरंक
तिमाही के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	771.43	1127.47	258.02	800.23
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	**3988.38**	**3647.26**	**910.47**	**1982.46**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1947.08	1552.50	462.84	417.25
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	774.28	759.67	163.83	26.05
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**2721.36**	**2312.17**	**626.67**	**443.30**
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2011 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	17953.63	7668.52	1600.54	126.77
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	3988.38	3647.26	910.47	1982.46

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Actuarial Gains / (Losses)	774.28	759.67	163.83	26.05
Closing fair value of plan assets at 31st March 2012	**35877.71**	**22890.06**	**7153.07**	**5427.96**
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
Present Value of Funded obligation at 31st March 2012	45956.37	41829.01	8514.31	7657.28
Fair Value of Plan assets at 31st March 2012	35877.71	22890.06	7153.07	5427.96
Deficit/(Surplus)	10078.66	18938.95	1361.24	2229.32
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	424.49	985.32	442.42	628.78
Net Liability/(Asset)	9654.17	17953.63	918.82	1600.54
Amount Recognised in the Balance Sheet				
Liabilities	45956.37	41829.01	8514.31	7657.28
Assets	35877.71	22890.06	7153.07	5427.96
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	10078.66	18938.95	1361.24	2229.32
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	424.49	985.32	442.42	628.78
Net Liability/ (Asset)	**9654.17**	**17953.63**	**918.82**	**1600.54**
Net Cost recognised in the profit and loss account				
Current Service Cost	1372.84	1216.08	323.20	280.78
Interest Cost	3589.99	2281.46	655.56	406.54
Expected return on plan assets	(1947.08)	(1552.50)	(462.84)	(417.25)
Past Service Cost (Amortised) Recognised	151.91	381.00	136.53	236.94
Past Service Cost (Vested Benefits) Recognised	82.00	193.75	Nil	675.22
Excess Provision of Earlier Years reversed	(32.71)	Nil	Nil	Nil
Net Actuarial Losses / (Gains) recognised during the year	771.43	1127.47	258.02	800.23
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	**3988.38**	**3647.26**	**910.47**	**1982.46**
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1947.08	1552.50	462.84	417.25
Actuarial Gains/ (Losses) on Plan Assets	774.28	759.67	163.83	26.05
Actual Return on Plan Assets	**2721.36**	**2312.17**	**626.67**	**443.30**
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet				
Opening Net Liability as at 1st April 2011	17953.63	7668.52	1600.54	126.77
Expenses as recognised in profit and loss account	3988.38	3647.26	910.47	1982.46

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआईसीआई के विलय पर निवल देयता	निरंक	निरंक	128.93	निरंक
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(931.88)	(780.67)	निरंक	निरंक
अन्य प्रावधान को नामे	निरंक	1306.70	निरंक	निरंक
आरक्षित निधि में शामिल किए गए	निरंक	7927.41	निरंक	निरंक
नियोक्ताओं का अंशदान	(11797.59)	(1815.59)	(1770.95)	(508.69)
पिछली सेवा लागत	21.01	निरंक	(14.94)	निरंक
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**9233.55**	**17953.63**	**854.05**	**1600.54**

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए विनिधान निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	28.52	20.32
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.07	21.08
सार्वजनिक क्षेत्र और कारपोरेट बांड	29.77	26.60
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	0.08	17.90
अन्य	17.56	14.10
योग	**100%**	**100%**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.25% से 9%	8% से 8.50%	8.25% से 8.75%	8% से 8.50%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.50% से 8.60 %	7.50% से 8 %	7.50% से 8.60 %	7.50% से 8 %
वेतन वृद्धि	3% से 6 %	2% से 6 %	3% से 6 %	2% से 6 %

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए है और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत् उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

3.1.4 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के संबंध में ₹644.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹933.09 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण ;

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Net Liability on merger of SBICI	Nil	Nil	128.93	Nil
Paid by SBI Directly	(931.88)	(780.67)	Nil	Nil
Debited to Other Provision	Nil	1306.70	Nil	Nil
Recognised in Reserve	Nil	7927.41	Nil	Nil
Employers Contribution	(11797.59)	(1815.59)	(1770.95)	(508.69)
Past Service Cost	21.01	Nil	(14.94)	Nil
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	**9233.55**	**17953.63**	**854.05**	**1600.54**

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on 31st March 2012 are as follows:

Category of Assets	Pension Fund	Gratuity Fund
	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	28.52	20.32
State Govt. Securities	24.07	21.08
Public Sector & Corporate Bonds	29.77	26.60
Insurer Managed Funds	0.08	17.90
Others	17.56	14.10
Total	**100%**	**100%**

Principal actuarial assumptions;

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Discount Rate	8.25% to 9%	8% to 8.50%	8.25% to 8.75%	8% to 8.50%
Expected Rate of return on Plan Asset	7.50% to 8.60 %	7.50% to 8 %	7.50% to 8.60 %	7.50% to 8 %
Salary Escalation	3% to 6 %	2% to 6 %	3% to 6 %	2% to 6 %

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in the very long term, consistent high salary growth rates are not possible, which has been relied upon by the auditors.

3.1.4 Other Long term Employee Benefits

Amount of ₹644.60 Crores (Previous Year ₹933.09 Crores) is provided towards Long term Employee Benefits and is included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss account.

Details of Provisions made for various long Term Employees' Benefits during the year;

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित अवकाश (नकदीकरण)-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण भी इसमें शामिल है	455.89	694.18
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / उपयोग)	54.90	72.29
3	रुग्ण अवकाश	92.93	81.73
4	रजत जंयती अवार्ड	6.41	35.16
5	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	13.92	(8.55)
6	आकस्मिक अवकाश	15.19	13.73
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	5.36	44.55
	योग	**644.60**	**933.09**

3.1.5 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.1.6 अपरिशोधित पेंशन एवं ग्रेच्युटी

3.1.6.1 ग्रेच्युटी

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष से शुरू करके 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि किए जाने के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है। तद्नुसार, समूह द्वारा ₹212.25 करोड़ की राशि 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की समानुपातिक राशि के रूप में लाभ एवं हानि खाते में दिखायी गयी है। 31 मार्च 2012 को ₹634.66 करोड़ की अपरिशोधित देयता उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार समानुपात में परिशोधित की जाएगी।

3.1.6.2 पेंशन

देशीय बैंकिंग अनुषंगियाँ ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष में दिए गए पेंशन विकल्प के संबंध में वित्त वर्ष 2011-12 में लाभ और हानि खाते में ₹360.46 करोड़ की राशि दिखाई है। यह पेंशन विकल्प उन कर्मचारियों को दिया गया है जिन्होंने पूर्ववर्ती पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था। ₹1,080.87 करोड़ की शेष राशि उक्त परिपत्र में दिए गए निदेशों के अनुसार समानुपात में दिखाई जाएगी।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया है।

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

Sl. No.	Long Term Employees' Benefits	Current Year	Previous Year
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	455.89	694.18
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	54.90	72.29
3	Sick Leave	92.93	81.73
4	Silver Jubilee Award	6.41	35.16
5	Resettlement Expenses on Superannuation	13.92	(8.55)
6	Casual Leave	15.19	13.73
7	Retirement Award	5.36	44.55
	Total	**644.60**	**933.09**

3.1.5 The employee benefits listed above are in respect of the employees of the Group based in India. The employees of the foreign operations are not covered in the above schemes.

3.1.6 Unamortised Pension & Gratuity Liabilities

3.1.6.1 Gratuity

In accordance with RBI circular No. DBOD.BP.BC.80/21.04.018 / 2010-11 dated February 9, 2011, SBI and its domestic banking subsidiaries have opted to amortise the additional liability on account of enhancement in Gratuity limit over a period of 5 years beginning with the financial year ended March 31, 2011. Accordingly, the group has charged a sum of ₹212.25 crore to the Profit & Loss Account, being the proportionate amount for the year ended March 31, 2012. The unamortized liability of ₹634.66 crores as on March 31, 2012 will be amortized proportionately in accordance with the above circular.

3.1.6.2 Pension

The domestic banking subsidiaries have charged an amount of ₹360.46 crores to Profit & Loss Account in the FY 2011-12 towards the pension option given in FY ended March 31, 2011 to employees who had not opted for the pension scheme earlier, being amortized over 5 years beginning from the year ended March 31 2011. The balance amount of ₹1,080.87 crores will be charged proportionately as per the directions contained in the said circular.

3.2 Segment Reporting

3.2.1 Segment identification

A) Primary (Business Segment)

The following are the Primary Segments of the Group:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Insurance Business
- Other Banking Business

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the Primary Segments have been computed as under:

क) **कोष:** कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलत: व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) **कारपोरेट / थोक बैंकिंग:** कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) **बीमा व्यवसाय:** बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल है।

ङ) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय:** ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल है।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

i) देशी परिचालन के अंतर्गत - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ii) विदेशी परिचालन के अंतर्गत - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/ थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

3.2.2 खंड रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां निम्नलिखित अतिरिक्त पक्षों के साथ वही हैं जो मूल कंपनी के वित्तीय विवरण को रिपोर्ट करने के लिए अपनाई गई हैं:

1) गैर-बैंकिंग परिचालन खंडों और अन्य खंडों के बीच अंतर खंड लेनदेन का मूल्य निर्धारण बाजार आधार पर किया गया है। कोष और अन्य बैंकिंग व्यवसाय के बीच लेनदेन के संबंध में निधियों के उपयोग के लिए क्षतिपूर्ति की राशि की गणना ऋण खंड द्वारा वहन किए गए ब्याज और अन्य लागतों के आधार पर की गई है।

2) खंडों की आय और व्यय को खंड की परिचालन गतिविधियों के प्रति उनकी संबद्धता के आधार पर शामिल किया गया है।

3) समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें ''अनाबंटित व्यय'' के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

a) **Treasury:** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

b) **Corporate / Wholesale Banking:** The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non treasury operations of foreign offices/entities.

c) **Retail Banking:** The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes personal Banking activities including lending activities to corporate customers having Banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATMs

d) **Insurance Business –** The Insurance Business Segment comprises of the results of SBI Life Insurance Co. Ltd. and SBI General Insurance Co. Ltd.

e) **Other Banking business** – Segments not classified under (a) to (d) above are classified under this primary segment. This segment also includes the operations of all the Non-Banking Subsidiaries/Joint Ventures other than SBI Life Insurance Co. Ltd. and SBI General Insurance Co. Ltd. of the group.

B) Secondary (Geographical Segment):

i) Domestic operations - Branches, Subsidiaries and Joint Ventures having operations in India.

ii) Foreign operations - Branches, Subsidiaries and Joint Ventures having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

C) Allocation of Expenses, Assets and liabilities

Expenses of parent incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate/Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ratio of directly attributable expenses.

3.2.2 The accounting policies adopted for segment reporting are in line with the accounting policies adopted in the parent's financial statements with the following additional features:

1) Pricing of inter-segment transactions between the Non Banking Operations segment and other segments are market led. In respect of transactions between treasury and other banking business, compensation for the use of funds is reckoned based on interest and other costs incurred by the lending segment.

2) Revenue and expenses have been identified to segments based on their relationship to the operating activities of the segment.

3) Revenue and expenses, which relate to the enterprise as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis, have been included under "Unallocated Expenses".

3.2.3 खंडवार सूचना
3.2.3 SEGMENT INFORMATION

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय) खंड
PART A: PRIMARY (BUSINESS) SEGMENTS:

व्यवसाय खण्ड Business Segment	कोष परिचालन Treasury	कारपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	बीमा व्यवसाय Insurance Business	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	परित्याग Elimination	योग TOTAL
आय Revenue	31923.89 (25019.96)	56017.05 (45337.75)	72593.56 (58612.55)	13932.27 (16016.57)	2566.05 (2857.09)	— (—)	177032.82 (147843.92)
परिणाम Result	-478.88 (- 1404.68)	9336.06 (8240.18)	18598.40 (15547.80)	528.14 (330.39)	879.09 (791.53)	— (—)	28862.81 (23505.22)
अनाबंटित (आय) Unallocated (Income)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
अनाबंटित (व्यय) Unallocated (Expenses)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	4250.01 (3585.46)
परिचालन लाभ (पीबीटी) Operating Profit (PBT)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	24612.80 (19919.76)
कर Taxes	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	8639.50 (8739.82)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
निवल लाभ Net Profit	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	15973.30 (11179.94)
अन्य सूचनाएं: **Other Information:**							
खंड आस्तियाँ Segment Assets	455509.50 (416212.50)	578913.35 (535879.58)	720244.38 (637695.87)	48967.47 (39722.33)	9058.01 (7354.53)	— (—)	1812692.71 (1636864.81)
अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated Assets	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	17263.46 (11033.44)
कुल आस्तियाँ Total Assets	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	1829956.17 (1647898.25)
खंड देयताएं Segment Liabilities	256921.38 (202393.63)	506927.45 (496020.54)	849091.39 (766973.70)	46312.21 (37517.06)	6157.75 (4477.68)	— (—)	1665410.18 (1507382.61)
अनाबंटित देयताएँ Unallocated Liabilities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	58315.98 (57044.39)
कुल देयताएँ Total Liabilities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	1723726.16 (1564427.00)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड
PART B : SECONDARY (GEOGRAPHIC) SEGMENTS:

विवरण Particulars	देशी परिचालन Domestic Operations	विदेशी परिचालन Foreign Operations	योग Total
आय Revenue	169325.85 (141339.46)	7706.97 (6504.46)	177032.82 (147843.92)
परिणाम Results	25779.07 (21384.24)	3083.74 (2120.98)	28862.81 (23505.22)
आस्तियां Assets	1631595.81 (1490113.17)	198360.36 (157785.08)	1829956.17 (1647898.25)
देयताएँ Liabilities	1527911.77 (1408810.71)	195814.39 (155616.29)	1723726.16 (1564427.00)

i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों/देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2012 का है।
ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
i) Income/Expenses are for the whole year. Assets/Liabilities are as at 31st March 2012.
ii) Figures within brackets are for previous year.

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

3.3.1 समूह से संबंधित पक्ष:

क) संयुक्त उद्यम:

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
2. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
3. एसबीआइ मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआइ मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - प्रबंधन कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी:

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. कावेरी कल्पतरू ग्रामीणा बैंक
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5. डेक्कन ग्रामीणा बैंक
6. इलाकाई देहाती बैंक
7. मेघालय रूरल बैंक
8. कृष्णा ग्रामीणा बैंक
9. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10. मध्य भारत ग्रामीण बैंक
11. मालवा ग्रामीण बैंक
12. मारवाड़ गंगानगर बीकानेर बैंक
13. मिजोरम रूरल बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक
16. पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्राम्य बैंक
20. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ii अन्य

23. दि क्लिअरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
24. बैंक आफ भूटान लि.
25. एस बी आई होम फाइनैंस लि.
26. एस. एस. वैंचर्स सर्विसेज लि. (15.03.2011 तक)

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

1. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष (07.04.2011 से)
2. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) (30.06.2011 तक)

3.3 Related Party Disclosures:

3.3.1 Related Parties to the Group:

A) JOINT VENTURES:

1. GE Capital Business Process Management Services Private Limited.
2. C - Edge Technologies Ltd.
3. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
4. SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.
5. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
6. Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.
7. Oman India Joint Investment Fund - Management Company Pvt. Ltd.
8. Oman India Joint Investment Fund - Trustee Company Pvt. Ltd.

B) ASSOCIATES:

i) Regional Rural Banks

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank
3. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
4. Chhatisgarh Gramin Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangi Rural Bank
10. Madhya Bharat Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Marwar Ganganagar Bikaner Bank
13. Mizoram Rural Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank
16. Purvanchal Kshetriya Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
18. Saurashtra Gramin Bank
19. Utkal Gramya Bank
20. Uttaranchal Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank

ii) Others

23. The Clearing Corporation of India Ltd.
24. Bank of Bhutan Ltd.
25. SBI Home Finance Ltd.
26. S. S. Ventures Services Ltd. (upto 15.03.2011)

C) Key Management Personnel of the Bank:

1. Shri Pratip Chaudhuri, Chairman (from 07.04.2011)
2. Shri R. Sridharan, Managing Director & Group Executive (A&S) (upto 30.06.2011)

3. श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग) (07.04.2011 से)
4. श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (07.04.2011 से)
5. श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (07.04.2011 से)
6. श्री ओ. पी. भट्ट (31.03.2011 तक)
7. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

3.3.3. लेनदेन और शेष राशियाँ:

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2011-12 के दौरान लेनदेन			
प्राप्त ब्याज $	0.04 (—)	— (—)	0.04 (—)
प्रदत्त ब्याज $	1.29 (—)	— (—)	1.29 (—)
लाभांश के रूप में अर्जित आय $	— (2.80)	— (—)	— (2.80)
अन्य आय $	12.15 (—)	— (—)	12.15 (—)
अन्य व्यय $	177.87 (150.34)	— (—)	177.87 (150.34)
प्रबंधन संविदा $	156.04 (142.33)	0.68 (0.60)	156.72 (142.93)
31 मार्च 2012 को बकाया			
देय राशियाँ			
जमा #	126.54 (52.09)	— (0.04)	126.54 (52.13)
अन्य देयताएं #	5.58 (10.62)	— (—)	5.58 (10.62)
प्राप्य राशियाँ			
निवेश #	42.91 (42.91)	— (—)	42.91 (42.91)
अग्रिम #	— (—)	— (—)	— (—)
अन्य आस्तियां #	14.70 (—)	— (—)	14.70 (—)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)
31 मार्च की स्थिति के अनुसार शेष
$ वर्ष के लेनदेन

ये वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं ।

3. Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & Group Executive (International Banking) (from 07.04.2011)
4. Shri Diwakar Gupta, Managing Director & Chief Financial Officer (from 07.04.2011)
5. Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & Group Executive (National Banking) (from 07.04.2011)
6. Shri O. P. Bhatt, Chairman (upto 31.03.2011)
7. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director (upto 31.10.2010)

3.3.2 Related Parties with whom transactions were entered into during the year:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "state controlled enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

3.3.3 Transactions and Balances:

Particulars	Associates/ Joint Ventures	Key Management Personnel & their relatives	Total
Transactions during the year 2011-12			
Interest received $	0.04 (—)	— (—)	0.04 (—)
Interest paid $	1.29 (—)	— (—)	1.29 (—)
Income earned by way of Dividend $	— (2.80)	— (—)	— (2.80)
Other Income $	12.15 (—)	— (—)	12.15 (—)
Other Expenditure $	177.87 (150.34)	— (—)	177.87 (150.34)
Management Contract $	156.04 (142.33)	0.68 (0.60)	156.72 (142.93)
Outstanding as on 31st March 2012			
Payables			
Deposit#	126.54 (52.09)	— (0.04)	126.54 (52.13)
Other Liabilities#	5.58 (10.62)	— (—)	5.58 (10.62)
Receivables			
Investments#	42.91 (42.91)	— (—)	42.91 (42.91)
Advances #	— (—)	— (—)	— (—)
Other Assets #	14.70 (—)	— (—)	14.70 (—)

(Figures in brackets pertain to previous year)
Balances as at 31st March
$ Transactions for the year

These are no material significant related party transactions during the year.

3.4 पट्टे :

वित्तीय पट्टे

1 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	2.58	0.43
1 से 5 वर्ष	7.19	0.73
5 वर्ष और उससे अधिक	—	—
कुल	**9.77**	**1.16**
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	0.22	0.11
1 से 5 वर्ष	0.16	0.10
5 वर्ष और उससे अधिक	—	—
कुल	**0.38**	**0.21**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	1.82	0.32
1 से 5 वर्ष	6.08	0.63
5 वर्ष और उससे अधिक	—	—
कुल	**7.90**	**0.95**

परिचालन पट्टा *

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए है :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 वर्ष तक	137.94	126.64
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	412.14	298.43
5 वर्ष से अधिक	104.01	63.62
कुल	**654.09**	**488.69**
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि	139.16	145.85

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य है।

* केवल रद्द नहीं होनेवाले पट्टों के संबंध में

3.5 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात् निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

3.4 Leases:

Finance Leases

Assets taken on Financial Leases on or after 1st April 2001: The details of financial leases are given below:

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Minimum lease payments outstanding		
Less than 1 year	2.58	0.43
1 to 5 years	7.19	0.73
5 years and above	—	—
Total	9.77	1.16
Interest Cost payable		
Less than 1 year	0.22	0.11
1 to 5 years	0.16	0.10
5 years and above	—	—
Total	0.38	0.21
Present value of minimum lease payments payable		
Less than 1 year	1.82	0.32
1 to 5 years	6.08	0.63
5 years and above	—	—
Total	7.90	0.95

Operating Lease*

Premises taken on operating lease are given below:

Particulars	Current Year	Previous Year
Not later than 1 year	137.94	126.64
Later than 1 year and not later than 5 years	412.14	298.43
Later than 5 years	104.01	63.62
Total	**654.09**	**488.69**
Amount of lease payments recognised in the P&L Account for the year.	139.16	145.85

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the group entities.

* In respect of Non-Cancellable leases only.

3.5 Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing consolidated net profit after tax (other than minority) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की सं.	63,49,98,991	63,48,82,644
वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की सं.	3,60,45,847	1,16,347
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की सं.	67,10,44,838	63,49,98,991
कम की गई प्रति ईक्विटी शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	63,51,96,258	63,49,52,049
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	63,51,96,258	63,49,52,049
निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) (₹ करोड़ में)	15,343.10	10,684.95
प्रति शेयर मूल आय (₹)	241.55	168.28
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	241.55	168.28
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Number of Equity Shares outstanding at the beginning of the year	63,49,98,991	63,48,82,644
Number of Equity Shares issued during the year	3,60,45,847	1,16,347
Number of Equity Shares outstanding at the end of the year	67,10,44,838	63,49,98,991
Weighted average number of equity shares used in computing basic earning per share	63,51,96,258	63,49,52,049
Weighted average number of shares used in computing diluted earning per share	63,51,96,258	63,49,52,049
Net profit (Other than minority) (₹ in Crores)	15,343.10	10,684.95
Basic earnings per share (₹)	241.55	168.28
Diluted earnings per share (₹)	241.55	168.28
Nominal value per share (₹)	10.00	10.00

3.6 आय पर करों का लेखाकरण

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा ₹691.65 करोड़ [पिछले वर्ष ₹1,398.06 करोड़ जमा किए गए थे] लाभ और हानि खाते में नामे किए गए।

ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	128.01	118.35
छोड़ने के विकल्प का उपयोग करने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	—	9.41
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	—	308.43
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	2187.55	1943.24
अन्य	655.22	552.11
योग	**2970.78**	**2931.54**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	16.12	31.73
प्रतिभूतियों पर ब्याज	2008.95	1034.68
अन्य	736.62	427.60
योग	**2761.69**	**1494.01**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	**209.09**	**1437.53**

3.6 Accounting for taxes on Income:

i) During the year, ₹691.65 Crores has been debited [Previous Year ₹1,398.06 Crores has been debited] to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.

ii) The break up of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

Particulars	As at 31-Mar 2012	As at 31-Mar 2011
Deferred Tax Assets		
Provision for non performing assets	128.01	118.35
Ex-gratia paid under Exit option	—	9.41
Provision for wage revision	—	308.43
Provision for long term employee Benefits	2187.55	1943.24
Others	655.22	552.11
Total	**2970.78**	**2931.54**
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	16.12	31.73
Interest on securities	2008.95	1034.68
Others	736.62	427.60
Total	**2761.69**	**1494.01**
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	**209.09**	**1437.53**

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण:

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) कराधान के लिए प्रावधान		
— वर्तमान कर	7959.87	7341.56
— आस्थगित कर	691.65	1398.06
— अनुषंगी लाभ कर	(20.41)	(9.39)
— अन्य कर	8.39	9.58
ख) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	14040.08	10870.00
ग) पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	169.90	386.20
घ) मानक आस्तियों पर प्रावधान	1304.76	1261.35
ङ) विनिधानों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	855.60	766.10
च) अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	(125.90)	36.11
कुल	**24883.94**	**22059.57**

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

ख) अस्थिर प्रावधान:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	479.21	645.17
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.01	9.15
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	—	175.11
घ) अंतिम शेष	**479.22**	**479.21**

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा।
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के

3.7 Impairment of assets:

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

3.8 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

a) Break up of provisions:

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Provision for Taxation		
— Current Tax	7959.87	7341.56
— Deferred Tax	691.65	1398.06
— Fringe Benefit Tax	(20.41)	(9.39)
— Other Taxes	8.39	9.58
b) Provision on Non-Performing Assets	14040.08	10870.00
c) Provision on Restructured Assets	169.90	386.20
d) Provision on Standard Assets	1304.76	1261.35
e) Provision for Depreciation on Investments	855.60	766.10
f) Other Provisions	(125.90)	36.11
Total	**24883.94**	**22059.57**

(Figures in brackets indicate credit)

b) Floating provisions:

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Opening Balance	479.21	645.17
b) Addition during the year	0.01	9.15
c) Draw down during the year	—	175.11
d) Closing balance	**479.22**	**479.21**

c) Description of contingent liabilities and contingent assets:

Sr. No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Group not acknowledged as debts	The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Group enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts

		रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ है।
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
4	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है। समूह की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुन: समूह ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेयरों का अभिदान करने के वायदे किए हैं।

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय / न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

ङ) आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव :

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	**456.05**	**493.26**
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	99.24	191.14
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	78.06	228.35
घ) अंतिम शेष	**477.23**	**456.05**

4. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2011-12 से जीवन बीमा और साधारण बीमा अनुषंगियों के विनिधान बैंकों द्वारा अनुपालन की जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार फिर से शामिल न करके बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान विनिमय) 2000 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। बीमा अनुषंगियों के विनिधान 31 मार्च 2012 को कुल विनिधान का लगभग 9.42% रहे। यदि पूर्ववर्ती नीति का अनुपालन किया जाता, तो निवल लाभ ₹29.21 करोड़ कम रहता और बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित 'विनिधानों' और 'देयताओं' का मूल्य क्रमश: ₹867 करोड़ और ₹837.79 करोड़ कम रहता।

5. एसबीआई कार्ड्स एंड पैमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि. के मामले में :

(क) वर्ष के दौरान ₹22.24 करोड़ की राशि कार्ड संबंधी लेखाकरण (विजन + सॉफ्टवेयर) के लिए प्राप्य पद्धतियों के अनुसार शेष और जनरल लेजर के अनुसार प्राप्य शेष के बीच समाधान न किए गए अंतर के कारण बट्टे खाते डाल दी गई। विजन + और जनरल लेजर के बीच अंतर निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुआ :-

- विजन + से दोषी ग्राहकों के लेनदेन कोडों का मिलान न होने के कारण ₹6.45 करोड़ की बट्टा राशि का कम उल्लेख होने।
- ऋणों पर ब्याज के परिशोधन के लिए प्रयुक्त पद्धति (आईआरआर पद्धति) से ऋण खातों पर पूर्ववर्ती वर्षों में ₹3.43 करोड़ की आय का अधिविवरण दिए जाने।

		used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Group issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Group. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Group is contingently liable	The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Group and not provided for. Further the Group has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

d) The contingent liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

e) Movement of provisions against contingent liabilities:

		Current Year	Previous Year
a)	**Opening Balance**	**456.05**	**493.26**
b)	Additions during the year	99.24	191.14
c)	Draw down during the year	78.06	228.35
d)	**Closing balance**	**477.23**	**456.05**

4. Changes in Accounting Policies

From the financial year 2011-12, the investments of the life and general insurance subsidiaries have been accounted in accordance with the IRDA (Investment Regulations) 2000 instead of restating the same in accordance the accounting policy followed by the banks. The investments of the insurance subsidiaries constitute approximate 9.42% of the total investments as on March 31, 2012. Had the earlier policy been followed, the net profit would have been lower by ₹29.21 crores and the value of 'Investments' and 'Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business' would have been lower by ₹867 crores and ₹837.79 crores respectively.

5. In case of SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.:

(a) During the year an amount of ₹22. 24 crores has been written off towards un-reconciled difference between the balance as per receivable systems for card level accounting (Vision + Software) and receivable balance as per General Ledger (GL) . The difference between Vision + and GL occurred due to:-

- Understatement of write offs amount to ₹6.45 crores due to non mapping of transaction codes from Vision + of delinquent customers.
- Overstatement of income amount to ₹3.43 crores in earlier years on loan accounts from the system used for amortization of interest on loans (IRR system).

- निवल अर्जन आस्ति आस्ति (एनईए) रिपोर्ट (आर 16) में अंतर होने के कारण ₹12.36 करोड़ की बट्टा राशि का कम उल्लेख होने।

(ख) दरों और करों में अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक की अवधि की ₹61.40 करोड़ राशि के सेवा कर के भुगतान में विलंब के लिए ₹23.91 करोड़ (पिछले वर्ष से संबंधित ₹18.93 करोड़) राशि के सेवा कर के भुगतान में विलंब पर दिया गया ब्याज शामिल है।

वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 की अवधि के प्रयोज्य सेवा कर का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि सेवा कर आंकड़ा आधार (उस समय देय सेवा कर की गणना करने के लिए) ने देय सेवा कर की त्रुटिपूर्ण गणना की। कंपनी ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों से कंपनी द्वारा सुनिश्चित करके किए गए सर्वोत्तम आकलन के आधार पर कंपनी ने 31.03.2012 को ₹24.76 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त ₹16.90 करोड़ की राशि के सेवा कर का विलंब से भुगतान करने के कारण दिए गए ब्याज के लिए प्रावधान किया गया।

₹36.64 करोड़ राशि के चूककर्ता ग्राहकों से की गई सेवा कर की वसूली के संबंध में वित्त वर्ष 2008-09 से 2010-11 की सेवा कर देयता को नहीं चुकाया गया। इस राशि का सेवाकर प्राधिकारी को दिनांक 20.04.2011 को ₹7.01 करोड़ के ब्याज के साथ भुगतान किया गया।

(ग) वर्ष के दौरान प्रतिलिखित देयताओं में 2001 से 2008 की अवधि के दौरान लेखों में दिखाए गए अतिरिक्त सेवा कर उपचयों के कारण ₹10.50 करोड़ राशि के प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

6. वर्ष के दौरान स्टेट बैंक आफ मैसूर ने ₹60.04 करोड़ राशि की आस्थगित कर देयता की प्रावधान राशि को प्रतिलिखित किया जैसे कि स्टेट बैंक आफ मैसूर ने यह निर्णय लिया कि आय कर अधिनियम की धारा 36 (I) (viii) के प्रावधान के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधी के रूप में सृजित और रखी गई कोई राशि आहरित न की जाए। इस कारण स्टेट बैंक आफ मैसूर के उस वर्ष के लाभ में उसी के अनुरूप वृद्धि हुई।

7. पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के कर्मचारियों को देय भविष्य निधि और पेंशन से संबंधित पिछली सेवा देयता, जिसे विलय के समय स्वीकार किया गया और इसकी राशि ₹470.80 करोड़ रही, एक विशेष मद है और इसे वित्त वर्ष 2010-11 के समेकित लाभ एवं हानि खाते में ''कर्मचारियों को भुगतान एवं के लिए प्रावधान'' शीर्ष में शामिल किया गया है।

8. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के निदेशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

9. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें मूल कंपनी और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

- Understatement of write off amount to ₹12.36 crores due to difference in the net earning assets (NEA) report (R16).

(b) Rates and Taxes include interest on delayed payment of service tax amounting to ₹23.91 crores (₹18.93 crores pertaining to previous years) for delayed of service tax amounting to ₹61.40 crores for the period April 2006 to March 2011.

For the period 2006-2007 and 2007-2008 the appropriate service tax could not be paid as the service tax data base (software used for calculating service tax payable at that time) computed incorrect service tax payable. The company paid ₹24.76 crores on 31.03.2012 based on the best judgment basis as ascertained by the company from the audited financial statements of the year 2006-07 & 2007-08. Further interest on delayed payment of service tax amounting to ₹16.90 crores has been provided for.

For the financial year 2008-09 to 2010-11 the service tax liability was not paid for the service tax against recovery made from delinquent customers amounting to ₹36.64 crores. The amount was paid to the service tax authority on 20.04.2011 along with the interest of ₹7.01 crores.

(c) Liabilities written back during the year include excess provision written back amounting to ₹10.50 crores on account of excess service tax accruals accounted during the period 2001 to 2008.

6. During the year the SBM has written back provision of Deferred Tax Liability to the extent of ₹60.04 crores as SBM has decided not to withdraw any amount created and maintained as a Special Reserve under the provision of Section 36 (I) (viii) of Income Tax Act. This has resulted in increase in profit of the SBM for the year to that extent.

7. The past service liability in respect of provident fund and pension payable to employees of E-SBIN taken over on merger amounting to ₹470.80 Crores is an exceptional items and included in the head of "Payment to and provisions for employees" in the consolidated profit and loss account for the financial year 2010-11.

8. In accordance with RBI circular DBOD NO.BP.BC.42/21.01.02/2007-08, redeemable preference shares (if any) are treated as liabilities and the coupon payable thereon is treated as interest.

9. Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the general clarifications issued by ICAI.

10. जहां भी आवश्यक था विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुल्य बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किए गए हैं - पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

10. Previous year's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to current period classification. In cases where disclosures have been made for first time in terms of RBI guidelines/Accounting Standards, previous year figures have not been mentioned.

(ए. कृष्ण कुमार)
(A. Krishna Kumar)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (NB)

(दिवाकर गुप्ता)
(Diwakar Gupta)
प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी
Managing Director & Chief Financial Officer

(हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर)
(Hemant G. Contractor)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (IB)

(प्रतीप चौधरी)
(Pratip Chaudhuri)
अध्यक्ष
Chairman

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date
कृते **कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री**
For **Kalyaniwalla & Mistry**
सनदी लेखाकर
Chartered Accountants
(विराफ आर. मेहता)
(Viraf R. Mehta)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक / M.No. 32083
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Registration No. 104607 W
कोलकाता, 18 मई, 2012
Kolkata, 18th May 2012

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED)

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

विवरण / Particulars	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before taxes	23982,59,19	19424,76,53
समायोजन Adjustment for:		
मूल्यह्रास शुल्क Depreciation on Fixed Assets	1371,60,74	1380,55,16
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net)	47,01,40	20,74,79
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of Investments (Net)	583,26,05	(3091,75,23)
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on revaluation of Investments (Net)	1369,65,79	135,12,21
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान Provision on Non Performing Assets	14209,97,61	11256,20,62
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision on Standard Assets	1304,75,75	1261,34,96
भारत में निवेशों पर मूल्यह्रास Provision for Depreciation on Investments	855,60,22	766,09,90
अन्य प्रावधान Other Provisions	(125,89,48)	36,10,43
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश/अर्जित आय (निवेश कार्यकलाप) Dividend/Earnings from Associates (Investing activity)	(146,14,16)	(223,26,31)
बांडों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप) Interest on Capital Instruments (Financing Activity)	4584,94,51	4031,45,63
वर्ष के दौरान अपलिखित आस्थगित आय खर्च Deferred Revenue Expenditure written off during the year	12,85,34	18,22,03
उप योग / SUB TOTAL	**48050,22,96**	**35015,60,72**
समायोजन Adjustment for:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	159126,91,68	139097,91,98
उधारराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Borrowings	13953,09,73	13575,75,03
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments	(44565,56,92)	(4131,61,41)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Advances	(171478,63,02)	(148156,11,54)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(16823,01,67)	27849,87,35
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Other Assets	(7659,12,12)	(11679,08,45)
उप योग / SUB TOTAL	**(19396,09,36)**	**51572,33,68**
प्रदत्त कर Taxes paid	(10718,04,52)	(7672,20,51)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रयुक्त) (क) **NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)**	**(30114,13,88)**	**43900,13,17**
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments in Associates	(125,64,00)	4,95,69
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such Investments	146,14,16	223,26,31
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Fixed Assets	(2339,75,41)	(1874,23,95)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी (ख) **NET CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES (B)**	**(2319,25,25)**	**(1646,01,95)**

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

विवरण / Particulars	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि Proceeds from issue of equity share Capital	7891,30,87	27,68
बांड इश्यू Issue of Capital Instuments	1175,15,60	6838,98,00
गौण बांड प्रतिसंदाय Repayment of Capital Instruments	—	—
बांडों पर संदत्त ब्याज Interest Paid on Capital Instruments	(4584,94,51)	(4031,45,63)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित Dividends Paid including tax thereon	(2151,43,88)	(1420,22,28)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश Dividends tax Paid by subsidiaries	(121,23,54)	(136,01,82)
वित्तीय कार्यकलाप से/(प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)		
NET CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**2208,84,54**	**1251,55,95**
रूपांतरण आरक्षिति पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव (घ) **Effect of exchange fluctuation on translation reserve (D)**	**2487,91,96**	**(32,08,81)**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ) **Net Increse / (decrease) in cash and cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)**	**(27736,62,63)**	**43473,58,36**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य **Cash and Cash equivalents at the beginning of the year**	**155327,45,48**	**111853,87,12**
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य **Cash and Cash equivalents at the end of the year**	**127590,82,85**	**155327,45,48**

(ए. कृष्ण कुमार)
(A. Krishna Kumar)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (NB)

(दिवाकर गुप्ता)
(Diwakar Gupta)
प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी
Managing Director & Chief Financial Officer

(हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर)
(Hemant G. Contractor)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (IB)

(प्रतीप चौधरी)
(Pratip Chaudhuri)
अध्यक्ष
Chairman

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date

कृते **मेसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री**
For **Kalyaniwalla & Mistry**
सनदी लेखाकर
Chartered Accountants

(विराफ आर. मेहता)
(Viraf R. Mehta)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक / M.No. 32083
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Registration No. 104607 W
कोलकाता, 18 मई, 2012
Kolkata, 18th May 2012

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक बोर्ड को

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (इस समूह) की 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है इनमें :

   i. हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित बैंक के खाते,

   ii. एसबीआई कॉमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल लि., जो 28 जुलाई 2011 तक एक अनुषंगी है, के अधिग्रहण की तिथि, अर्थात 28 जुलाई 2011 तक की अवधि के लिए अंतिम वित्तीय विवरणों की हमने अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु लेखापरीक्षा की है।

   iii. अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 27 (सत्ताईस) अनुषंगियों, 24 (चौबीस) सहयोगियों और 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित खाते,

   iv. 1 (एक) अनुषंगी, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित खाते।

   ये समेकित वित्तीय विवरण बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं और ये अलग अलग वित्तीय विवरणों और समूह की भिन्न इकाइयों से संबंधित अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

2. हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरण हर तरह से निर्धारित रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसमें विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं। लेखा-परीक्षा में राशि के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण संबंधी साक्ष्यों की नमूना-परीक्षण आधार पर जाँच सम्मिलित है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता हैं। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता हैं।

3. हमने 13 अन्य संयुक्त लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2012 को ₹ 1,335,519 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹ 120,873 करोड़ की कुल आय और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 25,711 करोड़ की राशि के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं।

AUDITOR'S REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO THE BOARD OF DIRECTORS,
STATE BANK OF INDIA

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of State Bank of India (the Bank), its subsidiaries, associates and joint ventures (the Group) as at March 31, 2012, and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended in which are incorporated the :

   i. Audited accounts of the Bank audited by 14 (fourteen) Joint Auditors including us,

   ii. SBI Commercial and International Ltd, a subsidiary up to July 28, 2011, the closing financial statements of which for the period up to the date of acquisition namely, July 28, 2011 have been audited by us for the purpose of the acquisition.

   iii. Audited accounts of 27 (twenty seven) subsidiaries, 24 (twenty four) Associates and 8 (Eight) joint ventures audited by other auditors,

   iv. Unaudited accounts of 1 (one) subsidiary and 1 (one) associate.

   These Consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of the separate financial statements and information of the different entities in the Group. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit of the consolidated statements.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material aspects in accordance with identified reporting framework and free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We have jointly audited the financial statement of the Bank along with 13 other joint auditors, whose financial statements reflect total assets of ₹1,335,519 crores as at March 31, 2012, and total revenue of ₹120,873 crores and net cash outflows amounting to ₹25,711 crores for the year then ended.

4. हमने इनकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनमें 31 मार्च 2012 को ₹508,262 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹57,646 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,385 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं और जहां तक अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों का सवाल है, उनके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।

5. हमने 1 (एक) अनुषंगी, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2012 को ₹3,880 करोड़ की कुल आस्तियाँ, ₹194 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के ₹1,157 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह प्रदर्शित किए गए हैं, को भी अपनी लेखा परीक्षा में शामिल किया है।

6. हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को, बैंक प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21-"समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा" और लेखा मानक-27- ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट'' के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।

7. अपनी राय को परिवर्तित किए बिना, हम आपका ध्यान समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 - लेखा-टिप्पणियों की ओर आकर्षित करते हैं, जो निम्नानुसार हैं;

   क. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 के अनुसार, बैंक और उसकी देशीय अनुषंगियों की ग्रेच्युटी और पेंशन देयताओं की आस्थगित राशि क्रमश: ₹643.66 करोड़ और ₹1,080.87 करोड़ से संबंधित टिप्पणी (3.1.6.1) और (3.1.6.2) तथा लेखा मानक (एएस) 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों की प्रयोज्यता से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई छूट ।

   ख. एक देशीय बैंकिंग अनुषंगी में विशेष आरक्षिती के संबंध में आस्थगित कर देयता प्रावधान का प्रतिलेखन करने से संबंधित टिप्पणी (6)1 इस राशि का प्रतिलेखन करने से इस अनुषंगी के निवल लाभ में ₹60.04 करोड़ की वृद्धि हुई ।

   ग. एक देशीय अनुषंगी में सेवा कर का देरी से भुगतान करने के कारण ब्याज के रूप में ₹23.91 करोड़ की राशि के भुगतान और सेवा कर उपार्जनों से संबंधित अधिक प्रावधान की राशि ₹10.50 करोड़ का प्रतिलेखन करने से संबंधित टिप्पणी 5(ख) और 5(ग)।

8. अपनी लेखा परीक्षा और भिन्न-भिन्न वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उसके घटकों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न

4. We did not audit the financial statements of its Subsidiaries, Associates and Joint Ventures whose financial statements reflects total assets of ₹508,262 crores as at March 31, 2012, and total revenue of ₹57,646 crores and net cash flows amounting to ₹1,385 crores for the year then ended. These financial statements have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of other entities, is based solely on the report of the other auditors.

5. The unaudited financial statements of 1 (one) subsidiary and 1 (one) associate, whose financial statements reflect total assets of ₹3,880 crores as at March 31, 2012, total revenue of ₹194 crores and net cash flows amounting to ₹1,157 crores for the year then ended have been consolidated on the basis of management certified financial statements.

6. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirement of the Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 – "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 – " Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve Bank of India.

7. Without qualifying our opinion, we draw your attention to the following notes in Schedule 18 "Notes to Accounts" :

   a. Notes 3.1.6.1 and 3.1.6.2 regarding deferment of gratuity and pension liabilities of the Bank and its domestic subsidiaries to the extent of ₹643.66 crores and ₹1,080.87 crores respectively in accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80 /21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011 and the exemption granted by the Reserve Bank of India from applicability of provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits.

   b. Note 6 regarding write back of Deferred Tax Liability provision in respect of Special Reserve in a domestic banking subsidiary resulting in an increase in net profit by ₹60.04 crores.

   c. Notes 5.b and 5.c regarding payment of interest in a domestic subsidiary amounting to ₹23.91 crores on delayed payment of service tax and writing back of excess provision of service tax accruals amounting to ₹10.50 crores.

8. Based on our audit and on consideration of the reports of other auditors on separate financial statements, the unaudited financial statements and the other financial information of the components and to the best of our information and according to the explanations given to us, we are of the opinion that the attached consolidated

समेकित वित्तीय विवरण - भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:

क. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन पत्र;

ख. इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ और हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में;

ग. इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :

a. In the case of Consolidated Balance Sheet on the state of affairs of the Group as at March 31, 2012;

b. In the case of Consolidated Profit and loss account of the consolidated profit of the Group for the year ended on that date; and

c. In the case of the Consolidated Cash Flow Statement of the Cash Flows of the Group for the year ended on that date.

कृते और की ओर से
कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री
सनदी लेखाकर

विराफ आर. मेहता
भागीदार
सदस्यता सं. : 32083
फर्म पंजीकरण सं. 104607W

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18 मई 2012

For and on behalf of
KALYANIWALLA & MISTRY
Chartered Accountants

Viraf R. Mehta
Partner
Membership No. : 32083
Firm Registration No. 104607W

Place : Kolkata
Dated : 18th May 2012

स्टेट बैंक समूह
State Bank Group

नई पूँजी पर्याप्तता संरचना
(बेसल - II)
New Capital Adequacy Framework
(Basel - II)

स्तंभ - III (बाजार अनुशासन)
प्रकटीकरण
Pillar - III (Market Discipline)
Disclosures

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित), दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार

तालिका डी एफ-1

कार्यान्वयन क्षेत्र

1. गुणात्मक प्रकटीकरण :

1.1 **मूल कंपनी**: भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर यह बेसल-II संरचना लागू होती है.

1.2 **स्टेट बैंक समूह में शामिल कंपनियां**

समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश, लेखामानक/आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियाँ शामिल हैं, के अनुरूप हैं। स्टेट बैंक समूह में निम्नलिखित अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी हैं।

1.2.1 **पूर्णतः समेकित कंपनियां:** निम्नलिखित अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों (जो अनुषंगियाँ भी हैं) को लेखामानक एएस 21 के अनुसार अक्षरश: समेकित किया गया है।

क्रमांक	अनुषंगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1)	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	75.07
2)	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.00
3)	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	92.33
4)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	100.00
5)	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	75.01
6)	एस बी आई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड (28 जुलाई 2011 तक)	100.00
7)	एस बी आई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	100.00
8)	एस बी आई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	100.00
9)	एस बी आई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	100.00
10)	एस बी आई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	100.00
11)	एस बी आई डी एफ एच आई लिमिटेड	71.56
12)	एस बी आई म्यूचुअल फण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	100.00
13)	एस बी आई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	86.82
14)	एस बी आई पेंशन फंड प्रा. लि.	98.15
15)	एस बी आई - एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.	65.00
16)	एस बी आइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
17)	एस बी आइ पैमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	100.00
18)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	100.00
19)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	100.00
20)	एस बी आइ (मारीशस) लिमिटेड	93.40
21)	पी टी बैंक एस बी आई इंडोनेशिया	76.00
22)	एस बी आई कैप (यू के) लि.	100.00
23)	एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	60.00
24)	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	63.00
25)	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
26)	कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी. मास्को	60.00
27)	नेपाल एस बी आई बैंक लि.	55.05
28)	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	63.00
29)	एस बी आई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	100.00

1.2.2 आनुपातिक समेकित कंपनियाँ : जो कंपनियाँ संयुक्त उद्यम हैं, उनका समेकन लेखा मानक-एएस 27 के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया गया है।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1)	सी ऐज टेक्नोलॉजीस लि.	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	40.00
3)	एस बी आई मैक्वैरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	45.00
4)	एस बी आई मैक्वैरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
5)	मैक्वैरी एस बी आई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लि.	45.00
6)	मैक्वैरी एस बी आई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	45.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी पी. लि.	50.00
8)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी पी. लि.	50.00

STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED) AS ON 31.03.2012
TABLE DF-1
SCOPE OF APPLICATION

1 Qualitative Disclosures

1.1 **Parent:** State Bank of India is a parent company to which the Basel II Framework applies.

1.2 **Entities constituting State Bank Group**

The consolidated financial statements of the group conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, Regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / guidance notes issued by the ICAI. The following Subsidiaries / Joint Ventures and Associates constitute the State Bank Group:

1.2.1 **Fully Consolidated Entities:** The following Subsidiaries and Joint Ventures (which are also subsidiaries) are fully consolidated on a line by line basis as per Accounting Standard AS 21:

S.No	Name of the Subsidiary	Group's Stake (%)
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	100.00
3)	State Bank of Mysore	92.33
4)	State Bank of Patiala	100.00
5)	State Bank of Travancore	75.01
6)	SBI Commercial & International Bank Ltd. (upto 28th July, 2011)	100.00
7)	SBI Capital Markets Ltd.	100.00
8)	SBICAP Securities Ltd.	100.00
9)	SBICAP Trustee Company Ltd.	100.00
10)	SBICAPS Ventures Ltd.	100.00
11)	SBI DFHI Ltd.	71.56
12)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.	100.00
13)	SBI Global Factors Ltd.	86.18
14)	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.	98.15
15)	SBI – SG Global Securities Services Pvt. Ltd.	65.00
16)	SBI General Insurance Company Ltd.	74.00
17)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	100.00
18)	State Bank of India (Canada)	100.00
19)	State Bank of India (California)	100.00
20)	SBI (Mauritius) Ltd.	93.40
21)	PT Bank SBI Indonesia	76.00
22)	SBICAP (UK) Ltd.	100.00
23)	SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.	60.00
24)	SBI Funds Management Pvt. Ltd.	63.00
25)	SBI Life Insurance Company Ltd.	74.00
26)	Commercial Bank of India LLC, Moscow	60.00
27)	Nepal SBI Bank Ltd.	55.05
28)	SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.	63.00
29)	SBICAP (Singapore) Ltd.	100.00

1.2.2 **Pro Rata Consolidated Entities:** The following entities which are Joint Ventures are consolidated pro-rata as per Accounting Standard - AS27:

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	45.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	45.00
7)	Oman India Joint Investment Fund-Trustee Company P Ltd	50.00
8)	Oman India Joint Investment Fund-Management Company P Ltd	50.00

1.2.3 स्टेट बैंक की सभी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी बैंकों का समेकन किया गया है। इसलिए ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसे समेकन में शामिल न किया गया हो। उपर्युक्त अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के अलावा, निम्नलिखित सहयोगियों का समेकन लेखा मानक 23 के अनुसार ईक्विटी लेखाकरण आधार पर किया गया है।

क्रमांक	सहयोगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीणा विकास बैंक	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	35.00
3)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	35.00
6)	कृष्णा ग्रामीणा बैंक	35.00
7)	लंग्पी देहांगी रूरल बैंक	35.00
8)	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	35.00
9)	मिजोरम रूरल बैंक	35.00
10)	नागालैंड रूरल बैंक	35.00
11)	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	35.00
12)	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
13)	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
14)	उत्कल ग्राम्य बैंक	35.00
15)	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	35.00
16)	वनांचल ग्रामीण बैंक	35.00
17)	मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	26.27
18)	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
19)	डेक्कन ग्रामीणा बैंक	35.00
20)	कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक	32.32
21)	मालवा ग्रामीण बैंक	35.00
22)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	35.00
23)	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	29.22
24)	बैंक ऑफ भूटान लि.	20.00
25)	एसबीआइ होम फाइनेंस लिमिटेड (परिसमापन प्रक्रियाधीन)	25.05

1.3 **लेखाकरण एवं विनियामक प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में अंतर**

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित बैंक, समूह की उन कंपनियों को समेकन से बाहर रख सकता है जो बीमा व्यवसाय एवं ऐसे व्यवसाय से जुड़ी हैं जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है। इसलिए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग प्रयोजनों से निम्नलिखित संस्थाओं में समूह के निवेशों को लागत आधार पर लिया गया है और उसमें से क्षरण को घटाया गया है, यदि कोई थे।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1)	सी एज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	49.00
2)	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	40.00
3)	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00
4)	एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण :

2.1 सभी अनुषंगियों की पूँजी अभाव की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् इन्हें हटा दिया गया है एवं ऐसी अनुषंगियों का नाम (के नाम) : **कोई नहीं**

2.2 बीमा कंपनियों में बैंक के कुल हिस्से की कुल राशियाँ (अर्थात् वर्तमान बही-मूल्य) जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हिस्से का अनुपात, और यदि भिन्न हो तो इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात और इसके अतिरिक्त इस पद्धति की तुलना में कटौती पद्धति का उपयोग करने पर विनियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव को सूचित करता है:

1) नाम : **एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई**
निगमन देश : **भारत**
स्वामित्व हिस्सा : **₹ 740 करोड़ (74%)**

2) नाम : **एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**
निगमन देश : **भारत**
स्वामित्व हिस्सा : **₹ 111 करोड़ (74%)**

<u>विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव</u> :

समेकन पद्धति के अधीन : **लागू नहीं**

कटौती पद्धति के अधीन : पूँजी पर्याप्तता की गणना के प्रयोजन से बीमा अनुषंगी में किए गए कुल निवेश को बैंक की पूँजी निधियों में से घटाया गया है।

1.2.3 All the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates of State Bank are consolidated. Hence there is no entity which is excluded from consolidation. In addition to the above mentioned Subsidiaries and Joint Ventures, the following Associates are consolidated as per Equity Accounting in terms of AS 23:

S.No	Name of the Associate	Group's Stake (%)
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	35.00
8)	Madhya Bharat Gramin Bank	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	35.00
14)	Utkal Gramya Bank	35.00
15)	Uttaranchal Gramin Bank	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	35.00
17)	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	26.27
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	35.00
19)	Deccan Grameena Bank	35.00
20)	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	32.32
21)	Malwa Gramin Bank	35.00
22)	Saurashtra Grameena Bank	35.00
23)	The Clearing Corporation of India Ltd	29.22
24)	Bank of Bhutan Ltd.	20.00
25)	SBI Home Finance Ltd. (under liquidation process)	25.05

1.3 Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes

In terms of Regulatory guidelines, the consolidated bank may exclude from consolidation, group companies which are engaged in insurance business and business not pertaining to financial services. Hence, the Groups' investments in the under mentioned entities are taken at cost less impairment, if any, for Consolidated Prudential Reporting purposes.

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	40.00
3)	SBI Life Insurance Company Ltd	74.00
4)	SBI General Insurance Company Ltd	74.00

2. Quantitative Disclosures:

2.1 The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: **Nil**

2.2 The aggregate amount (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities in addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction:

1) Name : **SBI Life Insurance Co. Ltd.**
Country of Incorporation **:** **India**
Ownership interest : **₹ 740 crores (74%)**

2) Name : **SBI General Insurance Co. Ltd.**
Country of Incorporation **:** **India**
Ownership interest : **₹ 111 crores (74%)**

Quantitative Impact on the regulatory capital:

Under consolidation method : Not Applicable

Under deduction method: Entire investments made in the Insurance subsidiaries are reduced from Capital Funds of the Bank, for the purpose of Capital Adequacy calculation.

तालिका डीएफ - 2
पूँजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकण

(क) सारांश

पूँजी का प्रकार	विशेषताएँ
ईक्विटी (श्रेणी-I)	दिनांक 30 मार्च 2012 को बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी पूंजी के अंतर्गत प्रति शेयर ₹10 और प्रति शेयर ₹2,181.69 के प्रीमियम से ₹7,900 करोड़ के 3,60,45,243 शेयर आबंटित किए । भारत सरकार से प्राप्त ₹7,900 करोड़ के कुल अभिदान में से, ₹36.05 करोड़ की राशि को शेयर पूंजी खाते में और ₹7,863.95 करोड़ की राशि को पूंजी शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किया गया। वर्ष के दौरान एसबीबीजे ने राइट ईक्विटी इश्यू के रूप में ₹780 करोड़ की राशि जुटायी, जिसमें से भारतीय स्टेट बैंक ने ₹585 करोड़ की राशि के रूप में निवेश किया है। "एसबीआई कॉमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक लि. के अधिग्रहण आदेश, 2011" के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद, एसबीआई कॉमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक लि. (एसबीआईसीआई) का उपक्रम दिनांक 29 जुलाई 2011 से भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) को हस्तांतरित और निहित हो गया है।
नवोन्मेषी लिखत (श्रेणी-I)	वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान न तो भारतीय स्टेट बैंक ने और न ही देशी तथा विदेशी अनुषंगियों ने नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों (आईपीडीआई) के जरिये कोई पूंजी जुटायी है। एसबीआई समूह ने आज की तारीख तक ₹7,070 करोड़ के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिसमें से ₹6520 करोड़ की राशि विनियामक पूंजी के रूप में पात्र है।
श्रेणी-II	एसबीआई और उसकी अनुषंगियों ने उच्चतर एवं न्यूनतर टियर-II पूंजी जुटाई। प्राइवेट प्लेसमेंट/रिटेल पार्टिसिपेशन के माध्यम से जुटाए गए गौण ऋण अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। यह ऋण बैंक वर्तमान और भावी बृहत् ऋणों का ही हिस्सा है और टियर-II पूंजी में शामिल किए जाने योग्य है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने श्रेणी-II पूंजी के कोई भी लिखत जारी नहीं किए हैं। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान एसबीबीजे और एसबीटी में दोनों में से प्रत्येक ने न्यूनतर एवं उच्चतर श्रेणी-II बॉण्डों के रूप में ₹500 करोड़ की राशि जुटायी । वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान एसबीआई कार्ड्स और एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स ने क्रमश: ₹50 करोड़ और ₹100 करोड़ के गौण ऋण जुटाए। विदेशी अनुषंगियों की श्रेणी-II पूंजी में मुख्यत: सामान्य प्रावधान शामिल है। वर्ष के दौरान नेपाल एसबीआई बैंक लि. ने 10 वर्षीय अप्रतिभूत डिबेंचर 12.5% नेपाल एसबीआई बैंक डिबेंचर 2078, जो 23.01.2022 को परिपक्व होंगे (नेपाल करेंसी में 40 करोड़ नेपाली रुपए) जारी करके श्रेणी-II पूंजी के रूप में ₹25 करोड़ जुटाए।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

भारतीय स्टेट बैंक ने देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संमिश्र श्रेणी-I पूँजी तथा उच्चतर एवं न्यूनतर श्रेणी-II गौण ऋण लिया है। नवोन्मेषी, वैविध्यपूर्ण अथवा संमिश्र पूँजी लिखतों के मामले में सभी पूँजीगत लिखतों की प्रमुख विशेषताओं की शर्तों का सार निम्नानुसार है :

पूँजी का प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ				
ईक्विटी	**₹ 671.04 करोड़** वित्त वर्ष 11-12 के दौरान, श्रेणी-I ईक्विटी पूंजी के रूप में ₹7,900 करोड़ जुटाये गए, जिसमें से शेयर पूंजी खाते और शेयर प्रीमियम खाते में क्रमश: ₹36.05 करोड़ और ₹7,863.95 करोड़ अंतरित किए गए।				
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	**जारी करने की तारीख**	**राशि**	**अवधि (मास)**	**कूपन (%वार्षिक वार्षिक आधार पर देय)**	**रेटिंग**
	15.02.07	400 मिलियन अमरीकी डॉलर ₹ 2,035.04 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष 3 मास अर्थात 15.05.2017 के बाद क्रय का विकल्प (कॉल ऑप्शन) और 100 आधार अंकों की वृद्धि का विकल्प (स्टेप अप ऑप्शन)	6.439%	**बीए3**-मूडी **बीबी**-एस एंड पी
	26.06.07	225 मिलियन अमरीकी डॉलर ₹ 1,144.72 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 27.06.2017 के बाद क्रय का विकल्प और 100 आधार अंकों की वृद्धि	7.140%	**बीए3**-मूडी **बीबी** - एस एंड पी
	14.08.09	₹ 1000 करोड़*	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 14.08.2019 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	9.10% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	**एएए** - क्रिसिल **एएए** - केयर
	27.01.10	₹ 1000 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 27.01.2020 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	9.05% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	**एएए** - क्रिसिल **एएए** - केयर
	28.09.07	₹ 165 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 28.09.2017 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	10.25% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	**एएए** - क्रिसिल **एएए** - केयर

*अगस्त 2009 में जुटाई गई ₹1,000 करोड़ की राशि में से ₹450 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक द्वारा टियर-I पूंजी के रूप में शामिल किए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने ₹1,745 करोड़ की कुल राशि के नए बेमीयादी कर्ज लिखत जुटाए। इनमें एसबीबीजे का हिस्सा ₹ 200 करोड़, एसबीएच का ₹685 करोड़, एसबीएम का ₹260 करोड़, एसबीपी का ₹300 करोड़ और एसबीटी का ₹300 करोड़ था।

20 जनवरी 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जानेवाले नए टियर -I और टियर - II पूंजीगत लिखतों में वृद्धि के विकल्प (स्टेप अप ऑप्शन) का प्रयोग समाप्त कर दिया है। पर क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा जिसके लिए लिखत कम से कम 10 वर्ष तक चली होनी चाहिए।

उच्च श्रेणी II गौण ऋण	**लिखत का प्रकार :** अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन-पत्र जैसे उच्च श्रेणी II गौण बांड। **विशेषताएँ :** i) निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं। ii) 10 वर्ष बाद बैंक द्वारा क्रय विकल्प। iii) **स्टेप-अप ऑप्शन :** 20 जनवरी 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले नए टियर - I और नए टियर - II पूंजीगत लिखतों में स्टेप-अप ऑप्शन का प्रयोग समाप्त कर दिया है। iv) **लॉक-इन-क्लॉज:** यदि सीएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीएआर के नीचे है, तो बैंक का मूल राशि पर या तो अवधि ब्याज या अवधि समाप्ति पर मूल राशि के भुगतान का दायित्व नहीं होगा। तथापि, जहॉ तक बैंक न्यूनतम विनियामक सीएआर बनाए रखता है, निश्चित समय पर बैंक आवधिक ब्याज नहीं लगाएगा।

TABLE DF-2
CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures

(a) Summary

Type of Capital	Features
Equity (Tier–I)	The Bank has allotted 3,60,45,243 shares of ₹10 each for cash at a premium of ₹2,181.69 per equity share aggregating to ₹7,900 crores under Preferential Capital to Government of India on 30th March, 2012. Out of the total subscription of ₹7,900 crores received from GoI, an amount of ₹36.05 crores was transferred to Share Capital Account and ₹7,863.95 crores to Capital Share Premium Account. During the year SBBJ raised ₹780 crores by way of Rights Equity Issue, out of which SBI infused an amount of ₹585 crores. Consequent to the notification of the "Acquisition of State Bank of India Commercial & International Bank Ltd Order, 2011" issued by the Govt. of India, the undertaking of State Bank of India Commercial & International Bank Ltd. (SBICI) stands transferred to and vests in State Bank of India ("the Bank"), with effect from July 29, 2011, the effective date.
Innovative Instruments (Tier–I)	Neither SBI nor Domestic & Foreign Subsidiaries have raised Capital by way of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDIs) during FY11-12. The SBI Group has issued IPDIs to the tune of ₹ 7,070 crores till date, out of which ₹ 6,520 crores qualify as Regulatory Capital.
Tier-II	SBI and its Subsidiaries have raised Upper as well as Lower Tier II Capital. The subordinated debts raised through Private Placement / Retail Participation are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par. The debt is subordinated to present and future senior indebtedness of the Bank and qualifies for Tier II Capital. SBI did not issue any Tier II Capital instruments during FY11-12. SBBJ & SBT have raised ₹500 crores each by way of Lower and Upper Tier II Bonds respectively during FY11-12. SBI Cards and SBI Global Factors Ltd. have raised subordinated debt of ₹50 crores and ₹100 crores respectively during FY11-12. Tier II capital of Foreign Subsidiaries mainly comprises of General provisions. During the year, Nepal SBI Bank Ltd. has raised Tier II Capital of ₹25 crores by issuing 10 years unsecured debentures – "12.5% Nepal SBI Bank Debenture 2078" maturing on 23.01.2022 (equivalent of Nepali Currency, NR 40 crores).

Qualitative Disclosures:

State Bank of India has raised Hybrid Tier I Capital and Upper & Lower Tier II Subordinated Debt in the Domestic and International Markets. Summarized information on the terms and conditions of the main features of these instruments, especially in the case of innovative, complex or hybrid capital instruments are as under:

Type of capital	Main features				
Equity	**₹ 671.04 crores.** During FY11-12, ₹ 7,900 crores was raised by way of Tier I Equity Capital, out of which accretion to Share Capital and Share Premium is ₹ 36.05 crores and ₹ 7,863.95 crores respectively.				
Innovative Perpetual Debt Instruments	**Date of Issue**	**Amount**	**Tenure (months)**	**Coupon (% p.a. payable annually)**	**Rating**
	15.02.07	USD 400 mn ₹ 2,035.04 crores	Perpetual with a Call Option after 10 yrs 3 months i.e. on 15.05.17 and step up of 100 bps	6.439%	**Ba3** Moody's **BB** - S & P
	26.06.07	USD 225 mn ₹ 1,144.72 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.06.17 and step-up of 100 bps	7.140%	**Ba3** Moody's **BB** - S & P
	14.08.09	₹ 1,000 crores*	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 14.08.19 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.10% p.a. for the first 10 years	**AAA**-CRISIL **AAA**-CARE
	27.01.10	₹ 1,000 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.01.20 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.05% p.a. for the first 10 years	**AAA**-CRISIL **AAA**-CARE
	28.09.07	₹ 165 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 28.09.17 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	10.25% p.a. for the first 10 years	**AAA**-CRISIL **AAA**-CARE

*Out of ₹ 1,000 crores raised in August 2009, only ₹ 450 crores has been reckoned as Tier I Capital by the Bank.

Apart from SBI, the following Associate Banks have raised Innovative Perpetual Debt Instruments aggregating ₹ 1,745 crores- SBBJ: ₹ 200 crores; SBH: ₹ 685 crores; SBM: ₹ 260 crores, SBP: ₹ 300 crores and SBT: ₹ 300 crores.

With effect from 20th January 2011, the RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks. However Call option may continue to be exercised after the instrument has run for at least 10 years.

Upper Tier II Subordinated Debt	**Type of Instrument**: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Upper Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes **Special features**: i) No Put Option by the Investors. ii) Call Option by the Bank after 10 years. **iii) Step-up Option**: With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks. **iv) Lock-in-Clause**: Bank shall not be liable to pay either period interest on principal or even principal at maturity, if CAR of the Bank is below the minimum regulatory CAR prescribed by RBI. However, this will not preclude the Bank from paying periodical interest, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CAR, at the material time.

जारी करने की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (मास)	कूपन (% वार्षिक रूप से देय)	रेटिंग
05.06.06	2,328	180	8.80%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
06.07.06	500	180	9.00%	**एएए**-क्रिसिल
12.09.06	600	180	8.96%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
13.09.06	615	180	8.97%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
15.09.06	1,500	180	8.98%	**एएए**-क्रिसिल
04.10.06	400	180	8.85%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
16.10.06	1,000	180	8.88%	**एएए**-क्रिसिल
17.02.07	1,000	180	9.37%	**एएए**-क्रिसिल
07.06.07	2,523	180	10.20%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
12.09.07	3,500	180	10.10%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
19.12.08	2,500	180	8.90%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
02.03.09	2,000	180	9.15%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
06.03.09	1,000	180	9.15%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
29.12.06	100	180	8.95%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
22.03.07	200	180	10.25%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
24.03.09	250	180	9.17%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर

न्यूनतर श्रेणी II गौण ऋण

लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन पत्र जैसे न्यूनतर श्रेणी II के गौण बांड।

विशेषताएँ :

I) निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं।

II) 20 जनवरी 2011 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा टियर -I और टियर II के जारी किए गए नए पूंजीगत लिखतों के मामले में स्टेप अप ऑप्शन को समाप्त कर दिया है।

III) यदि लिखत कम से कम 5 वर्ष चली है, तो क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।

जारी करने की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (माह)	कूपन (% प्रति वर्ष वार्षिक अवधि में देय)	रेटिंग
05.12.05	3283	113	7.45%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
09.03.06	200	111	8.15%	**एलएएए**-आइसीआरए, **एएए**-केयर
28.03.07	1500	111	9.85%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
31.03.07	225	111	9.80%	**एलएएए**-आइसीआरए, **एएए**-केयर
29.12.08	1500	114	8.40%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
06.03.09	1000	111	8.95%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
15.02.05	200	111	7.20%	**एएए**-क्रिसिल
29.09.05	140	120	7.45%	**एएए**-क्रिसिल, **एलएएए**-आइसीआरए
28.03.06	110	120	8.70%	**एएए**-क्रिसिल, **एलएएए**-आइसीआरए
04.11.10	133.08*	120	9.25%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
04.11.10	866.92*	180	9.50%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
16.03.11	559.40*	120	9.75%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
16.03.11	171.68*	120	9.30%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
16.03.11	3937.59*	180	9.95%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर
16.03.11	828.32*	180	9.45%	**एएए**-क्रिसिल, **एएए**-केयर

* एस बी आई द्वारा खुदरा सहभागिता के माध्यम से वित्त वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही के दौरान जुटाए गए। दिनांक 04.11.10 को जारी बांडों के लिए अवधि-समाप्ति के पिछले पांच वर्षों के दौरान 50 आधार अंकों के साथ स्टेप अप ऑप्शन उपलब्ध है। यह ऑप्शन तभी उपलब्ध होगा यदि बैंक द्वारा क्रमश: 5 तथा 10 वर्षों के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता । दिनांक 16.03.11 को जारी बांडों पर स्टेप अप ऑप्शन उपलब्ध नहीं है।

एसबीआई से संबंधित उपर्युक्त ₹ 14,655 करोड़ के न्यूनतर श्रेणी-II बांडों मे से ₹ 12,696.80 करोड़ की 31.03.2012 को एसबीआई द्वारा न्यूनतर श्रेणी-II पूंजी के रूप में गणना की गई है।

एसबीआई के अलावा, अनुषंगियों ने न्यूनतर श्रेणी-II बांडों के रूप में निम्नानुसार पूंजीगत निधियाँ जुटाई

1) देश में स्थित सहयोगी बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा ₹ 4,705 करोड़ की कुल राशि के बांड जुटाए गए: एसबीबीजे ₹ 1,500 करोड़; एसबीएच ₹ 1,210 करोड़; एसबीएम ₹ 425 करोड़; एसबीपी ₹ 750 करोड़ और एसबीटी ₹ 820 करोड़। (उपर्युक्त में से, ₹ 3,223 करोड़ को न्यूनतर श्रेणी II पूंजीगत बाण्डों के रूप में समझा गया है)। वित्त वर्ष 11-12 के दौरान एसबीबीजे ने ₹ 500 करोड़ जुटाए।

2) देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा ₹ 454.80 करोड़ की कुल राशि के बांड जुटाए गए - एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. ₹ 280 करोड़ और एसबीआई कार्ड्स ₹ 174.80 करोड़ (उपर्युक्त में से ₹ 354.24 करोड़ को विनियामक पूंजी के रूप में शामिल किया गया है)।

3) विदेश स्थित अनुषंगियों में एसबीआई कनाड़ा में न्यूनतर श्रेणी-II पूंजीगत बाण्डों की कुल राशि ₹ 102.09 करोड़ रही (वित्त वर्ष के दौरान 10-11 जुटायी गई)।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

ख)	श्रेणी-I पूंजी	1,07,411
	• चुकता शेयर पूंजी	671
	• आरक्षितियाँ (रिजर्व)	1,02,154
	• नवोन्मेषी लिखतें	6,520
	• अन्य पूंजीगत लिखत	0
	• श्रेणी-I पूंजी में से घटाई गई राशि गुडविल और निवेशों सहित	1,935
(ग)	श्रेणी-II पूंजी की कुल राशि (श्रेणी-II पूंजी में से कटौतियाँ घटाने के पश्चात)	44,845
(घ)	उच्च श्रेणी-II पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण पूंजी लिखत:	
	• कुल बकाया राशि	25,336
	• वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए	525
	• पूंजीगत निधियों के रुप में शामिल करने योग्य राशि	25,336
(ङ)	न्यूनतर श्रेणी-II में शामिल करने योग्य गौण ऋण	19,707
	• कुल बकाया राशि	0
	• वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए	16,398
	• पूंजीगत निधियों के रूप में शामिल करने योग्य	0
(च)	पूंजी में से अन्य कटौतियाँ यदि कोई हों	
(छ)	कुल पात्र पूंजी	

Date of Issue	Amount (₹ crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.06.06	2,328	180	8.80%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
06.07.06	500	180	9.00%	**AAA** CRISIL
12.09.06	600	180	8.96%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
13.09.06	615	180	8.97%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
15.09.06	1,500	180	8.98%	**AAA** CRISIL
04.10.06	400	180	8.85%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
16.10.06	1,000	180	8.88%	**AAA** CRISIL
17.02.07	1,000	180	9.37%	**AAA** CRISIL
07.06.07	2,523	180	10.20%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
12.09.07	3,500	180	10.10%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
19.12.08	2,500	180	8.90%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
02.03.09	2,000	180	9.15%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
06.03.09	1,000	180	9.15%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
29.12.06	100	180	8.95%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
22.03.07	200	180	10.25%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
24.03.09	250	180	9.17%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE

Lower Tier II Sub - Debt

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Lower Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes.

Special features:

I) No Put Option by the investors.

II) With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks Not redeemable without the consent of RBI.

III) Call option can be exercised after the instrument has run for atleast 5 years.

Date of Issue	Amount (₹ crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.12.05	3,283	113	7.45%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
09.03.06	200	111	8.15%	**LAAA** ICRA, **AAA** CARE
28.03.07	1,500	111	9.85%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
31.03.07	225	111	9.80%	**LAAA** ICRA, **AAA** CARE
29.12.08	1,500	114	8.40%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
06.03.09	1,000	111	8.95%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
15.02.05	200	111	7.20%	**AAA** CRISIL
29.09.05	140	120	7.45%	**AAA** CRISIL, **LAAA** ICRA
28.03.06	110	120	8.70%	**AAA** CRISIL, **LAAA** ICRA
04.11.10	133.08*	120	9.25%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
04.11.10	866.92*	180	9.50%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
16.03.11	559.40*	120	9.75%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
16.03.11	171.68*	120	9.30%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
16.03.11	3,937.59*	180	9.95%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE
16.03.11	828.32*	180	9.45%	**AAA** CRISIL, **AAA** CARE

* Raised by SBI during Q3FY10-11 through Retail Participation. The bonds issued on 04.11.10 have a step up option of 50 basis points during the last five years of their maturity in case the Bank does not exercise the call option after 5 years and 10 years respectively. The bonds issued on 16.03.11 do not carry Step Up Option.

Out of the above ₹ 14,655 crores pertaining to SBI in the form of Lower Tier II Bonds, ₹ 12,696.80 crores have been reckoned as Lower Tier II capital by SBI as on 31.03.2012.

Apart from SBI, the following Subsidiaries have raised Capital Funds by way of Lower Tier II :

1) Domestic Associate Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 4,705 crores SBBJ: ₹ 1,500 crores; SBH: ₹ 1,210 crores; SBM: ₹ 425 crores; SBP: ₹ 750 crores and SBT: ₹ 820 crores. (Out of the above, ₹ 3,223 crores is reckoned as Lower Tier II Capital Bonds). During FY11-12, SBBJ raised ₹ 500 crores.

2) Domestic Non-Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 454.80 crores - SBI Global Factors Ltd ₹ 280 crores and SBI Cards ₹ 174.80 crores. (Out of the above ₹ 354.24 crores is reckoned as regulatory capital).

3) Among the Foreign Subsidiaries, SBI Canada has Lower Tier II Bonds aggregating ₹ 102.09 crores. (Raised during FY10-11).

Quantitative Disclosures (₹ in crores)

(b)	Tier-I Capital	1,07,411
	• Paid-up Share Capital	671
	• Reserves	1,02,154
	• Innovative Instruments	6,520
	• Other Capital Instruments	0
	• Amt deducted from Tier-I Cap including Goodwill and investments	1,935
(c)	The total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier II Capital)	44,845
(d)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital	
	• Total amount outstanding	25,336
	• Of which raised during Current Year	525
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	25,336
(e)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital:	
	• Total amount outstanding	19,707
	• Of which raised during Current Year	0
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	16,398
(f)	Other Deductions from Capital if any	0
(g)	Total Eligible Capital	1,52,256

तालिका डीएफ-3 :
पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन	• भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है। • ऋण जोखिम • परिचालन जोखिम • चलनिधि जोखिम • अनुपालन जोखिम • पेंशन निधि दायित्व जोखिम • प्रतिष्ठा जोखिम • ऋण जोखिम अल्पीकरणों से अवशिष्ट जोखिम • निपटान जोखिम • बाजार जोखिम • ऋण केन्द्रीकरण जोखिम • बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम • देश जोखिम • नव व्यवसाय जोखिम • कार्यनीतिक जोखिम • कन्टेजन जोखिम • प्रतिभूतिकरण जोखिम • अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में एसबीआई के अनुमानित निवेशों और एसबीआई और उसकी अनुषंगियों (देशी/विदेशी) द्वारा अग्रिमों में प्राप्त की गई संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग अलग किया जाता है। • 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास विकल्प हैं जैसे गौण ऋण नवोन्मेषी बेमीयादी कर्ज लिखत जो ईक्विटी के अलावा उपलब्ध हैं। • विदेशी अनुषंगियों से संबंधित कार्यनीतिक पूंजीगत योजना में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हुए अपेक्षित पूंजी का मूल्यांकन करना शामिल होता है। अलग-अलग अनुषंगियों की श्रेणी-I और श्रेणी-II की पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा किया जाता है जिससे पूंजी का स्तर बढ़ाने और पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता • मानकीकृत पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो • निवेश प्रतिभूतिकरण	➠ ₹ 88,074.34 करोड़ ➠ शून्य **कुल ₹ 88,074.34 करोड़**
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता (* मानकीकृत अवधि पद्धति) • ब्याज दर जोखिम • विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) • ईक्विटी जोखिम	➠ ₹ 2,836.01 करोड़ ➠ ₹ 108.46 करोड़ ➠ ₹ 1,432.53 करोड़ **योग ₹ 4,377.00 करोड़**
(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता: • मूल संकेतक पद्धति	➠ ₹ 7,918.10 करोड़ **योग ₹ 7,918.10 करोड़**
(ड) योग और श्रेणी-I पूंजी का अनुपात: • शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा • बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (स्टैंड एलोन)	**दिनांक 31.03.2012 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात**

	श्रेणी I (%)	योग (%)
एसबीआइ समूह	9.65	13.68
भारतीय स्टेट बैंक	9.79	13.86
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	9.76	13.76
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9.62	13.56
स्टेट बैंक आफ मैसूर	9.15	12.55
स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.60	12.30
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	9.35	13.55
एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.	17.16	17.70
स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	27.51	32.95
स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	17.38	18.53
कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	36.24	36.24
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	12.97	13.59
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	8.26	10.40

TABLE DF-3 :
CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

(a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.	• The Bank and its Banking Subsidiaries undertake the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on an annual basis in line with the New Capital Adequacy Framework (NCAF) Guidelines of RBI. The ICAAP details the Capital Planning Process and carries out an assessment covering measurement, monitoring, internal controls, reporting, capital requirement and stress testing of the following Risks: • Credit Risk • Operational Risk • Liquidity Risk • Compliance Risk • Pension Fund Obligation Risk • Reputation Risk • Residual Risk from Credit Risk Mitigants • Settlement Risk • Market Risk • Credit Concentration Risk • Interest Rate Risk in the Banking Book • Country Risk • New Businesses Risk • Strategic Risk • Model Risk • Contagion Risk • Securitization Risk • Sensitivity Analysis is conducted annually or more frequently as required, on the movement of Capital Adequacy Ratio (CAR) in the medium horizon of 3 to 5 years, considering the projected investment in Subsidiaries / Joint Ventures by SBI and growth in Advances by SBI and its Subsidiaries (Domestic/ Foreign). This analysis is done for the SBI and SBI Group separately. • CRAR of the Bank and for the Group as a whole is estimated to be well above the Regulatory CAR of 9% in the medium horizon of 3 to 5 years. However, to maintain adequate capital, the Bank has options to augment its capital resources by raising Subordinated Debt and Innovative Perpetual Debt Instruments, besides Equity as and when required. • Strategic Capital Plan for the Foreign Subsidiaries covers an assessment of capital requirement for growth of assets and the capital required complying with various local regulatory requirements and prudential norms. The growth plan is approved by the parent bank after satisfying itself about the capacity of the individual subsidiaries to raise Tier I /Tier II Capital to support the increased level of assets and at the same time maintaining the Capital Adequacy Ratio (CAR).
Quantitative Disclosures (b) Capital requirements for Credit Risk • Portfolios subject to Standardized Approach • Securitization Exposures	₹ 88,074.34 crores ➠ Nil ..... **Total ₹ 88,074.34 crores**
(c) Capital requirements for Market Risk (Standardized duration approach) • Interest Rate Risk • Foreign Exchange Risk (including gold) • Equity Risk	➠ ₹ 2,836.01 crores ➠ ₹ 108.46 crores ➠ ₹ 1,432.53 crores ..... **Total ₹ 4,377.00 crores**
(d) Capital requirements for Operational Risk: • Basic Indicator Approach	➠ ₹ 7,918.10 crores ..... **Total ₹ 7,918.10 crores**
(e) Total and Tier I capital ratio: • For the top consolidated group; and • For significant bank subsidiaries (stand alone)	**CAPITAL ADEQUACY RATIO AS ON 31.03.2012**

	Tier I (%)	Total (%)
SBI Group	9.65	13.68
State Bank of India	9.79	13.86
State Bank of Bikaner & Jaipur	9.76	13.76
State Bank of Hyderabad	9.62	13.56
State Bank of Mysore	9.15	12.55
State Bank of Patiala	8.60	12.30
State Bank of Travancore	9.35	13.55
SBI (Mauritius) Ltd.	17.16	17.70
State Bank of India (Canada)	27.51	32.95
State Bank of India (California)	17.38	18.53
Commercial Bank of India LLC Moscow	36.24	36.24
PT Bank SBI Indonesia	12.97	13.59
Nepal SBI Bank Ltd.	8.26	10.40

तालिका डीएफ - 4 ऋण जोखिमः
सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

पिछले बकायों और अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

समूह की देशीय बैंकिंग इकाइयां लेखा प्रयोजनों हेतु इन श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों का पालन करती हैं, जो निम्नानुसार हैं:

अनर्जक आस्तियाँ

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है जहाँ :

i. किसी भी मीयादी ऋण के ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;
ii. किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है;
iii. खरीदे गए बिल और भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;
iv. अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;
v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है तथा दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और
vi. कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर अदा नहीं कर दिया जाता।

'अनियमित' श्रेणी

कोई खाता ऐसी स्थिति में **'अनियमित'** माना जाना चाहिए जब बकाया शेष निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहता है।

ऐसे मामलों में जहाँ मूल परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है किंतु बैंक के तुलन पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की गई है अथवा उस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा नहीं है तो ऐसे खातों को **'अनियमित'** माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई राशि **'अतिदेय'** मानी जाती है यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को अदा नहीं की गई है।

[विदेशी बैंकिंग इकाइयां और गैर बैंकिंग इकाइयां अपने व्यवसाय क्षेत्रों में लागू और उनके संबंधित नियंत्रकों द्वारा नियत परिभाषाओं का उपयोग करती हैं]

बैंक की ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति की चर्चा

समूह इकाइयों द्वारा मुख्य रूप से अपने ऋणान्वयन और निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। समूह की सभी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अपने ऋण एवं निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। गैर-बैंकिंग इकाइयों में, फैक्टरिंग और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में, ऋण जोखिम एक प्रमुख जोखिम है। समूह बैंकिंग इकाइयों ने ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति/नीतियां बनाई हैं जिनमें ऋण जोखिम के प्रबंधन के बारे में और एक ऐसी व्यापक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है जो ऋण जोखिमों का समय से पता लगाकर उनका समय से और सक्षम ढंग से प्रबंध एवं निगरानी कर सके। पिछले वर्षों में, इस संबंध में नीति एवं कार्यनीतियों को सम्बद्ध परिणामी अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया गया है। नीति एवं कार्यविधियाँ बासेल-II और भारतीय रिजर्व बैंक दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम-प्रबंधन प्रक्रियाओं मे ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

i. 'ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडलों का जहां कहीं लागू हो, प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने और ऋण जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के विश्लेषण घटकों विशेष रूप से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के मात्रात्मक जोखिम निर्धारण भाग की सहायता करने के लिए, काम में लिया जाता है। श्रेणी निर्धारण प्रक्रिया सुविधा/ऋणी से संबद्ध जोखिम को प्रतिबिम्बित करती है और यह ऋणी की आंतरिक क्षमता का मूल्यांकन है तथा इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की गई है।
ii. भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों की सामान्य परिदृश्य के संबंध में विशेष नीतिगत आदेश और परामर्श जारी करके बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के संविभाग का प्रबंध करने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदण्डों का निर्धारण करने हेतु उद्योग अनुसंधान करता है और परिणामों का समूह की बैंकिंग इकाइयों के बीच आदान-प्रदान करता है।
iii. ऋण जोखिम का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयां क्रेडिट स्कॉरिंग मॉडल्स, आंतरिक श्रेणी-निर्धारण, जनसांख्यिकी विश्लेषणों आदि, का यथा प्रयोज्य उपयोग करती हैं।

देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम घटकों जैसे ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम की गणना करना शामिल होता है।

समूह इकाइयों में बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेंद्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार भू-सम्पदा आदि के संबंध में विवेकीय जोखिम मानदण्डों से संबंधित विनियामक आंतरिक दिशा-निर्देश बनाए गए है। समूह इकाइयों की पृथक-पृथक रूप से और समूह की समेकित रूप से ऋण जोखिम मापन के लिए जोखिमों की निरंतर निगरानी की गई है, जिस प्रकार समूह जोखिम प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट किया गया है। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं जिससे जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

समूह की प्रत्येक बैंकिंग इकाई में एक ऐसी ऋण नीति लागू है जिसमें ऋण एवं अग्रिमों की संस्वीकृति, प्रबंध और निगरानी करने के संबंध में इकाइयों के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। इस नीति से ऋण संबंधी बुनियादी बातें, मूल्यांकन निपुणताओं, प्रलेखन मानकीकरण और संस्थात्मक अपेक्षाओं की जागरूकता, तथा कार्यनीतियों से संबंधित दृष्टिकोणों से समानता आती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संविभाग स्तर पर आस्तियों की सम्पूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। आस्तियों का मूल्यांकन, संस्वीकृत, प्रलेखीकरण, निरीक्षण एवं निगरानी, नवीकरण, रखरखाव, पुनर्वास और प्रबंधन करने के लिए उचित प्राधिकार के अंतर्गत नवोन्मेष, विचलन और नरमी की पर्याप्त गुंजाइश के साथ विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए समूह में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाएं लागू हैं, जो निम्नानुसार हैं,

क) ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम अभिशासन संरचना ।
ख) एक श्रेणीबद्ध प्राधिकार संरचना के साथ अग्रिमों एवं संबद्ध मामलों के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।
ग) ऋण लेखापरीक्षा के भाग के रूप में संस्वीकृति से पूर्व और संस्वीकृति के पश्चात की प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। प्रारंभिक सीमाओं से अधिक की जोखिमों के लिए देशीय इकाइयों में ये लेखा-परीक्षा आयोजित की गई है।
घ) ऋणों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए तनावग्रस्त आस्तियों की निकट समीक्षा एवं निगरानी करना।
ङ) सभी परिचालन अधिकारियों और लेखा-परीक्षा अधिकारियों को नीतियां, कार्यविधियां और जोखिम सीमाओं की जानकारी परिचालित की गई है जिससे निरंतर आधार पर उनकी जानकारी को अद्यतन रखा जा सके।
च) सभी अधिकारियों के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

TABLE DF-4 :
CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

Definitions of past due and impaired assets (for accounting purposes)

The Domestic Banking entities in the Group follow the extant RBI instructions for definitions of these categories for accounting purposes, as given below:

Non-performing assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A Non-Performing Asset (NPA) is an advance where:

i. Interest and/or installment of principal remain **'overdue'** for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan;

ii. The account remains **'out of order'** for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC);

iii. The bill remains **'overdue'** for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted;

iv. Any amount to be received remains **'overdue'** for a period of more than 90 days in respect of other accounts;

v. A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains '**overdue'** for two crop seasons and a loan granted for long duration crops is treated as NPA, if installment of principal or interest thereon remains '**overdue'** for one crop season; and

vi. An account would be classified as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

'Out of Order' Status

An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.

In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Bank's Balance Sheet, or where credits are not enough to cover the interest debited during the same period, such accounts are treated as **'out of order'.**

'Overdue'

Any amount due to the bank under any credit facility is **'overdue'** if it is not paid on the due date fixed by the bank.

[Overseas Banking entities and the Non-banking entities - use the definitions as applicable to their lines of businesses and as defined by their respective regulators.]

Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

Group entities are exposed to Credit Risk mainly through their lending and investment activities. All Banking entities in the Group are exposed to Credit Risk through their loans and investment activities. Among the Non-banking entities, Credit Risk is a major risk for the factoring and credit cards business. Group Banking entities have Credit Risk Management, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy/Policies in place which are an exposition of their approach to the management of Credit Risk and seek to establish a comprehensive risk management framework that allows Credit Risks to be tracked, managed and overseen in a timely and efficient manner. Over the years, the policy and procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel II and RBI guidelines, wherever applicable.

Credit Risk Management processes encompass identification, assessment, monitoring and control of the credit exposures. In the process of identification and assessment of Credit Risk, the following functions are undertaken:

i. Internal Credit Risk Assessment Models/ Scoring Models are used across the entities, wherever applicable, to assess the counterparty risk and to support the analytical elements of the credit risk management framework, particularly the quantitative risk assessment part of the credit approval process. The rating process reflects the risk involved in the facility / borrower and is an evaluation of the borrower's intrinsic strength and is reviewed periodically.

ii. SBI conducts industry research regularly to give specific policy prescriptions and setting quantitative exposure parameters for handling portfolio in large / important industries, by issuing advisories on the general outlook for the Industries/Sectors, from time to time and shares the findings amongst the Banking entities in the Group.

iii. Non-Banking entities use their own Internal Credit Scoring Models, Internal Ratings, Demographic Analysis, etc., as applicable, for identification and assessment of Credit Risk.

The measurement of Credit Risk in the Domestic Banking entities involves computation of Credit Risk Components viz. Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD).

For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risk, regulatory / internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual borrowers, borrower groups, banks, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, etc., are in place in the Group entities. Ongoing monitoring of these exposures is conducted for measurement of Credit Risk of the Group entities individually and for consolidated Group, as specified in the Group Risk Management Policy. Credit Risk Stress Tests are conducted by the entities to identify vulnerable areas for initiating corrective action, where necessary.

Each of the Banking entities in the Group has a Loan Policy in place which documents the entities' approach to sanctioning, managing and monitoring of loans and advances. The Policy establishes a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies to ensure that there is continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio level. Specific norms for Appraising, Sanctioning, Documentation, Inspections and Monitoring, Renewals, Maintenance, Rehabilitation and Management of Assets have been stipulated, with sufficient leg room for innovation, deviations and flexibility under proper authority.

The internal controls and processes in place in the Group for the management of Credit Risk are:

a) Risk Governance structures for Credit Risk Management.

b) Delegation of financial powers for advances and allied matters with a graded authority structure.

c) Pre-sanction and post-sanction processes are examined as part of Credit Audit conducted in Domestic Banking entities for exposures above threshold limits. Credit Audit also examines identified risks and suggests risk mitigation measures.

d) Close review and monitoring of Stressed Assets to prevent deterioration in quality.

e) The Policies, Procedures and Risk Limits are circulated amongst all operating functionaries and the audit functionaries to keep them updated on an ongoing basis.

f) Various training initiatives are also undertaken for updation of knowledge on Credit Risk Management policies and practices for all functionaries.

तालिका डीएफ-4
ऋण जोखिम - मात्रात्मक प्रकटीकरण
31.03.2012 के आंकड़े

सामान्य प्रकटीकरण:	राशि करोड़ ₹ में		
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**योग**
(ख) कुल सकल ऋण जोखिम राशि	11,99,934.94	3,96,013.84	15,95,948.78
(ग) ऋण जोखिम राशि का भौगोलिक वितरण: निधि आधारित/गैर निधि आधारित			
विदेशी	1,41,434.27	17,476.36	1,58,910.63
देशीय	10,58,500.67	3,78,537.48	14,37,038.15
(घ) ऋण जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर निधि आधारित अलग अलग	कृपया **तालिका 'क'** देखें		
(ङ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया **तालिका 'ख'** देखें		
(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) अर्थात योग (i से v)	49,648.70		
i) अवमानक	22,690.19		
ii) संदिग्ध 1	10,931.27		
iii) संदिग्ध 2	9,643.84		
iv) संदिग्ध 3	2,390.03		
v) हानिप्रद	3,993.37		
(छ) निवल अनर्जक आस्तियां	21,095.09		
(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां	4.15%		
ii) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां	1.81%		
(झ) अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ (सकल)			
i) अथशेष	31,824.10		
ii) परिवर्धन	33,724.66		
iii) कटौतियाँ	15,900.06		
iv) इतिशेष	49,648.70		
(ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशेष	16,043.12		
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	16,816.89		
iii) बट्टा खाता डालना	1,988.09		
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	2,318.31		
v) इतिशेष	28,553.61		
(ट) अनर्जक निवेशों की राशि	1,003.04		
(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि	952.35		
(ड) निवेशों पर ह्रास के संबंध में प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशेष	2,956.00		
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1,054.91		
iii) बट्टा खाता डालना	105.61		
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	1,425.21		
v) इतिशेष	2,480.09		

तालिका - क
31.03.2012 को उद्योग के प्रकार के अनुसार ऋण जोखिम का वितरण
(राशि करोड़ ₹ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित [बकाया]			गैर-निधि आधारित [बकाया]
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	1,594.28	16.78	1,611.06	633.47
2	खनन	5,701.41	253.94	5,955.35	2,973.36
3	लोह एवं इस्पात	73,381.35	2,841.35	76,222.71	23,592.39
4	धातु उत्पाद	19,266.18	643.54	19,909.72	4,369.99
5	सभी अभियांत्रिकी	32,513.98	1,301.66	33,815.64	40,954.71
5.1	इसमें इलेक्ट्रॉनिक संबंधी	9,726.60	342.39	10,068.99	7,347.15
6	बिजली	26,994.74	43.14	27,037.88	16,856.17
7	कपड़ा उद्योग	29,178.05	1,044.29	30,222.35	3,787.42
8	जूट वस्त्र	335.76	45.58	381.33	53.47
9	अन्य वस्त्र	22,013.75	2,172.47	24,186.22	2,763.25
10	शक्कर	8,540.86	39.87	8,580.72	542.07
11	चाय	508.20	99.61	607.81	51.05
12	खाद्य प्रसंस्करण	20,710.15	1,371.35	22,081.49	813.62
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	5,467.94	316.53	5,784.47	3,800.63
14	तम्बाकू / तम्बाकू उत्पाद	862.76	6.57	869.33	28.61
15	कागज /कागज उत्पाद	6,162.15	880.84	7,042.98	1,222.87
16	रबड़/ रबड़ उत्पाद	5,038.03	232.22	5,270.25	990.61
17	रसायन/ रंगाई/ रंग आदि	34,239.42	1,792.62	36,032.04	11,993.52
17.1	इसमें उर्वरक	7,100.72	41.33	7,142.05	3,164.84
17.2	इसमें पेट्रोरसायन	6,284.74	102.28	6,387.02	3,126.81
17.3	इसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	12,349.17	1,149.71	13,498.88	2,713.06
18	सीमेंट	10,382.24	120.97	10,503.21	1,437.20
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,111.75	213.00	2,324.75	266.56
20	रत्न एवं आभूषण	16,989.02	1,154.25	18,143.28	1,496.23
21	निर्माण	14,040.83	1,017.92	15,058.75	2,826.46
22	पेट्रोलियम	25,419.42	35.14	25,454.56	32,745.53
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	10,372.21	308.81	10,681.02	791.77
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,768.79	317.19	2,085.97	77.65
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	104,948.87	1,387.06	106,335.93	37,145.25
25.1	इसमें बिजली	34,826.27	211.53	35,037.80	10,134.42
25.2	इसमें दूर संचार	24,005.65	290.38	24,296.03	4,648.35
25.3	इसमें सड़क और बंदरगाह	31,641.28	461.13	32,102.41	7,226.41
26	अन्य उद्योग	144,571.42	5,737.79	150,309.21	42,087.82
27	एनबीएफसी और ट्रेडिंग	86,061.30	4,999.98	91,061.27	11,637.20
28	शेष सकल अग्रिमों में अवशिष्ट अग्रिम	441,111.38	21,254.23	4,62,365.61	1,50,074.97
	कुल	**11,50,286.24**	**49,648.70**	**11,99,934.94**	**3,96,013.84**

Table DF-4 :

Credit Risk - Quantitative Disclosures
Data as on 31.03.2012

General Disclosures:	Amount ₹ in crores		
Quantitative Disclosures	**Fund Based**	**Non Fund Based**	**Total**
(b) Total Gross Credit Risk Exposures	11,99,934.94	3,96,013.84	15,95,948.78
(c) Geographic Distribution of Exposures : FB / NFB			
Overseas	1,41,434.27	17,476.36	1,58,910.63
Domestic	10,58,500.67	3,78,537.48	14,37,038.15
(d) Industry type Distribution of Exposures Fund based / Non Fund Based separately	Please refer to **Table "A"**		
(e) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets	Please refer to **Table "B"**		
(f) Amount of NPAs (Gross) i.e. Sum f (i to v)	49,648.70		
i) Substandard	22,690.19		
ii) Doubtful 1	10,931.27		
iii) Doubtful 2	9,643.84		
iv) Doubtful 3	2,390.03		
v) Loss	3,993.37		
(g) Net NPAs	21,095.09		
(h) NPA Ratios			
i) Gross NPAs to gross advances	4.15%		
ii) Net NPAs to net advances	1.81%		
(i) Movement of NPAs (Gross)			
i) Opening balance	31,824.10		
ii) Additions	33,724.66		
iii) Reductions	15,900.06		
iv) Closing balance	49,648.70		
(j) Movement of Provisions for NPAs			
i) Opening balance	16,043.12		
ii) Provisions made during the period	16,816.89		
iii) Write-off	1,988.09		
iv) Write-back of excess provisions	2,318.31		
v) Closing balance	28,553.61		
(k) Amount of Non-Performing Investments	1,003.04		
(l) Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	952.35		
(m) Movement of Provisions for Depreciation on Investments			
i) Opening balance	2,956.00		
ii) Provisions made during the period	1,054.91		
iii) Write-off	105.61		
iv) Write-back of excess provisions	1,425.21		
v) Closing balance	2,480.09		

Table-A

Industry Type Distribution of Exposures as on 31.03.2012

(Amount in ₹ crores)

CODE	INDUSTRY	FUND BASED [Outstandings-(O/s)]			NON-FUND BASED(O/s)
		Standard	**NPA**	**Total**	
1	Coal	1,594.28	16.78	1,611.06	633.47
2	Mining	5,701.41	253.94	5,955.35	2,973.36
3	Iron & Steel	73,381.35	2,841.35	76,222.71	23,592.39
4	Metal Products	19,266.18	643.54	19,909.72	4,369.99
5	All Engineering	32,513.98	1,301.66	33,815.64	40,954.71
5.1	**Of which** Electronics	9,726.60	342.39	10,068.99	7,347.15
6	Electricity	26,994.74	43.14	27,037.88	16,856.17
7	Cotton Textiles	29,178.05	1,044.29	30,222.35	3,787.42
8	Jute Textiles	335.76	45.58	381.33	53.47
9	Other Textiles	22,013.75	2,172.47	24,186.22	2,763.25
10	Sugar	8,540.86	39.87	8,580.72	542.07
11	Tea	508.20	99.61	607.81	51.05
12	Food Processing	20,710.15	1,371.35	22,081.49	813.62
13	Vegetable Oils & Vanaspati	5,467.94	316.53	5,784.47	3,800.63
14	Tobacco / Tobacco Products	862.76	6.57	869.33	28.61
15	Paper / Paper Products	6,162.15	880.84	7,042.98	1,222.87
16	Rubber / Rubber Products	5,038.03	232.22	5,270.25	990.61
17	Chemicals / Dyes / Paints etc.	34,239.42	1,792.62	36,032.04	11,993.52
17.1	**Of which** Fertilizers	7,100.72	41.33	7,142.05	3,164.84
17.2	**Of which** Petrochemicals	6,284.74	102.28	6,387.02	3,126.81
17.3	**Of which** Drugs & Pharma	12,349.17	1,149.71	13,498.88	2,713.06
18	Cement	10,382.24	120.97	10,503.21	1,437.20
19	Leather & Leather Products	2,111.75	213.00	2,324.75	266.56
20	Gems & Jewellery	16,989.02	1,154.25	18,143.28	1,496.23
21	Construction	14,040.83	1,017.92	15,058.75	2,826.46
22	Petroleum	25,419.42	35.14	25,454.56	32,745.53
23	Automobiles & Trucks	10,372.21	308.81	10,681.02	791.77
24	Computer Software	1,768.79	317.19	2,085.97	77.65
25	Infrastructure	104,948.87	1,387.06	106,335.93	37,145.25
25.1	**Of which** Power	34,826.27	211.53	35,037.80	10,134.42
25.2	**Of which** Telecommunication	24,005.65	290.38	24,296.03	4,648.35
25.3	**Of which** Roads & Ports	31,641.28	461.13	32,102.41	7,226.41
26	Other Industries	144,571.42	5,737.79	150,309.21	42,087.82
27	NBFCs & Trading	86,061.30	4,999.98	91,061.27	11,637.20
28	Res. Adv to bal. Gross Advances	441,111.38	21,254.23	4,62,365.61	1,50,074.97
	Total	**11,50,286.24**	**49,648.70**	**11,99,934.94**	**3,96,013.84**

तालिका-ख

डीएफ-4 (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) आस्तियों का दिनांक 31.03.2012 को अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण

(₹ करोड़ में)

	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक किंतु 6 माह तक	6 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
नकदी	13,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13,031.57**
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	8,714.62	1,064.35	3,770.13	6,054.57	8,548.49	18,958.71	10,124.53	8,932.24	**66,167.64**
अन्य बैंकों के पास जमाशेष	38,149.68	2,253.65	2,204.81	1,885.75	1,598.41	1,796.46	286.46	216.40	**48,391.62**
निवेश	10,119.51	4,737.37	24,682.76	13,191.44	22,139.24	74,559.99	83,735.12	2,27,783.71	**4,60,949.14**
अग्रिम	65,393.30	30,568.82	74,619.21	41,949.69	62,056.39	5,31,608.58	1,25,496.89	2,31,977.33	**11,63,670.21**
अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407.96	**7,407.96**
अन्य आस्तियां	33,148.16	2,078.89	5,534.32	7,839.26	10,866.36	1,613.57	949.23	8,308.24	**70,338.03**
कुल	**1,68,556.84**	**40,703.08**	**1,10,811.23**	**70,920.71**	**1,05,208.89**	**6,28,537.31**	**2,20,592.23**	**4,84,625.88**	**18,29,956.17**

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों हेतु प्रकटन

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

- **प्रयुक्त रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में परिवर्तनों के कारण भी**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशी और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमश: केयर, क्रिसिल, आईसीआरए एवं फिच इंडिया (देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों) एवं फिच, मूडीज एवं एस एंड पी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिमभारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया गया। विदेशी बैंकिंग इकाइयां अपने-अपने विनियामकों के अनुमोदन के अनुसार रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का प्रयोग करती हैं।

- **ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गयी**

  (i) एक वर्ष से कम अथवा समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  (ii) देशी कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए एवं 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गईं।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

  निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी- ग्राहक / प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एकस्पोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वय के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी-ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गईं:

  - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक हैं तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
  - उन मामलों में जहां ऋणी- ग्राहक/ प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ स्थानीय नियामकों द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहारों का अंगीकरण कर रही है।

(ख)

31-3-2012 को मात्रात्मक प्रकटीकरण	**(राशि करोड़ ₹ में)**		
मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए प्रत्येक जोखिम समूह और कटौती की गई जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	100% जोखिम भार से नीचे	:	₹ 9,94,936.13
	100% जोखिम भार	:	₹ 3,76,534.97
	100% सें अधिक जोखिम भार	:	₹ 2,25,590.14
	कटौती की	:	₹ 1,112.46
	योग	:	₹ **15,95,948.78**

Table-B

DF-4 (e) SBI (CONSOLIDATED) Residual contractual maturity breakdown of assets as on 31.03.2012

(₹ in crores)

	1-14 days	15-28 days	29 days & up to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & upto 3 years	Over 3 years & upto 5 years	Over 5 years	Total
Cash	13,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13,031.57**
Balances with RBI	8,714.62	1,064.35	3,770.13	6,054.57	8,548.49	18,958.71	10,124.53	8,932.24	**66,167.64**
Balances with other Banks	38,149.68	2,253.65	2,204.81	1,885.75	1,598.41	1,796.46	286.46	216.40	**48,391.62**
Investments	10,119.51	4,737.37	24,682.76	13,191.44	22,139.24	74,559.99	83,735.12	2,27,783.71	**4,60,949.14**
Advances	65,393.30	30,568.82	74,619.21	41,949.69	62,056.39	5,31,608.58	1,25,496.89	2,31,977.33	**11,63,670.21**
Fixed Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407.96	**7,407.96**
Other Assets	33,148.16	2,078.89	5,534.32	7,839.26	10,866.36	1,613.57	949.23	8,308.24	**70,338.03**
TOTAL	**1,68,556.84**	**40,703.08**	**1,10,811.23**	**70,920.71**	**1,05,208.89**	**6,28,537.31**	**2,20,592.23**	**4,84,625.88**	**18,29,956.17**

TABLE DF-5 : CREDIT RISK:
DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO STANDARDISED APPROACH

(a) Qualitative Disclosures

- **Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes**

  As per RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA and FITCH India (Domestic Credit Rating Agencies) and FITCH, Moody's and S&P (International Rating Agencies) as approved Rating Agencies, for the purpose of rating Domestic and Overseas exposures, respectively, whose ratings are used for the purpose of computing Risk-weighted Assets and Capital Charge. Overseas Banking entities use the ratings of accredited rating agencies as approved by their respective regulators.

- **Types of exposures for which each Agency is used**

  (i) For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings given by approved Rating Agencies are used.

  (ii) For Domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings are used.

- **Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book**

  Long-term Issue Specific Ratings (For the Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower-constituent/counter-party) or Issuer (borrower-constituents/counter-party) Ratings are applied to other unrated exposures of the same borrower-constituent/counter-party in the following cases:

  - If the Issue Specific Rating or Issuer Rating maps to Risk Weight equal to or higher than the unrated exposures, any other unrated exposure on the same counter-party is assigned the same Risk Weight, if the exposure ranks pari-passu or junior to the rated exposure in all respects.
  - In cases where the borrower-constituent/counter-party has issued a debt (which is not a borrowing from the Bank), the rating given to that debt is applied to the Bank's unrated exposures, if the Bank's exposure ranks pari-passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of unrated Bank's exposure is not later than the maturity of the rated debt.

Foreign Banking Subsidiaries are adhering credit risk management practices as stipulated by the local regulators.

(b)

Quantitative Disclosures as on 31.03.2012	**(Amount ₹ in crores)**		
For exposure amounts after risk mitigation subject to the Standardized Approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in each risk bucket as well as those that are deducted.	Below 100% Risk Weight	:	₹ 9,94,936.13
	100% Risk Weight	:	₹ 3,76,534.97
	More than 100% Risk Weight	:	₹ 2,25,590.14
	Deducted	:	₹ 1,112.46
	Total	:	₹ **15,95,948.78**

तालिका डीएफ-6 ऋण जोखिम
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के लिए प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलन पत्र में निवल जोखिम मदों को सम्मिलित करने / न करने की सीमा का निर्धारण करने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं**

तुलन पत्र की निवल जोखिम मदें ऐसे ऋणों / अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती हैं जिनके बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है; जहां बैंक,

क. के पास यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है, कि वह निवल राशि की वसूली / समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण / अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

ग. निवल आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों / अग्रिमों तथा जमाराशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण / अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ**

देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है, जिसमें पूंजी - परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किए जा सकें।

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है :

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
(vi) विदेशी रेटिंग
(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(viii) बीमा
(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
(x) सामान्य दिशा-निर्देश

- **बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ ली गई हैं उनका ब्योरा**

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है:

(i) नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियाँ/एनएससी/किसान विकास पत्र / एलआईसी पॉलिसी आदि)
(ii) स्वर्ण
(iii) केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
(iv) ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ जिन्हें बीबीबी या बेहतर रेटिंग प्राप्त है / अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए पीआर3/पी3/एफ3/ए3
(v) सूचीबद्ध इक्विटी तथा परिवर्तनीय बांड

- **मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण - पात्रता**

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

- सरकार, सरकारी संस्थाएँ (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुदेशीय विकास बैंक, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार हो।
- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (ऑब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है ।
- कारपोरेट - सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र
- पर्याप्त एवं स्वीकार्य संपत्ति वाले व्यक्ति तथा अन्य पक्षकार
- गैर वित्तीय संपार्श्विक के रूप में बही ऋणों / प्राप्यों तथा भू संपत्ति के बंधक को स्वीकार किया जाता है।

- **जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी :**

बैंकिंग इकाइयों का आस्ति - संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय तथा गैर वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ [इकाइयों द्वारा रखी गई अधिकांश वित्तीय संपार्श्विक आस्तियां उनकी अपनी जमाराशियां तथा स्वर्ण के रूप में होती हैं जो आसानी से निर्गमन योग्य हैं तथा इस प्रकार इनके ऋण जोखिम न्यूनीकरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।]
- सरकारों और अच्छी रेटिंग वाले कारपोरेटों द्वारा गारंटियाँ।

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ स्थानीय विनियामकों द्वारा निर्धारित की गई ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहारों को लागू कर रही हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)
(ख) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलिओ का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो कटौतियाँ लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	2,31,718.16
(ग) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलिओ का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। (जहाँ कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)	77,263.00

TABLE DF-6 : CREDIT RISK
Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

(a) Qualitative Disclosures

- **Policies and Processes for, an indication to the extent to which the Bank makes use of, on-and off-balance sheet netting**

  On-Balance sheet netting is confined to loans/advances and deposits, where the Domestic Banking entities have legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation. The Domestic Banking Entities calculate capital requirements on the basis of net credit exposures subject to the following conditions; Where Bank,

  a. has a well-founded legal basis for concluding that the netting or offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;

  b. is able at any time to determine the loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting agreement; and

  c. monitors and controls the relevant exposures on a net basis, it may use the net exposure of loans/advances and deposits as the basis for its capital adequacy calculation. Loans / advances are treated as exposure and deposits as collateral.

- **Policies and Processes for Collateral Valuation and Management**

  Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, addressing the approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation has been put in place in Domestic Banking entities. The objective of this Policy is to enable classification and valuation of credit risk mitigants in a manner that allows regulatory capital adjustment to reflect them.

  The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts), wherever applicable, against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. The following issues are addressed in the Policy:

  (i) Classification of credit risk-mitigants.
  (ii) Acceptable credit risk-mitigants techniques.
  (iii) Documentation and legal process requirements for credit risk-mitigants.
  (iv) Valuation of collateral.
  (v) Margin and haircut requirements.
  (vi) External ratings.
  (vii) Custody of collateral.
  (viii) Insurance.
  (ix) Monitoring of credit risk mitigants.
  (x) General guidelines.

- **Description of the main types of Collateral taken by the Bank**

  The following collaterals are usually recognized as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach by the Domestic Banking entities of the Bank:

  (i) Cash or Cash equivalent (Bank Deposits/NSCs/KVP/LIC Policy, etc.).
  (ii) Gold.
  (iii) Securities issued by Central / State Governments.
  (iv) Debt securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments.
  (v) Listed equity and convertible bonds.

- **Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness**

  The Domestic Banking entities of the Bank accepts the following as eligible guarantors, in line with RBI Guidelines :

  - Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European Community as well as Multilateral Development Banks, Export Credit & Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)], Public Sector Enterprises (PSEs), Banks and Primary Dealers with a lower risk weight than the Counterparty.
  - Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate or subsidiary, they should enjoy a risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognised by the Bank. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entity.
  - Corporates - public and private sector.
  - Individuals and other third parties of adequate and acceptable worth.
  - Book-debts/receivables and mortgage of landed property are accepted as non-financial collateral.

- **Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken:**

  The Banking entities have a well-dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as:-

  - Eligible financial and non-financial collaterals listed above. [Majority of financial collaterals held by the entities are by way of own deposits and gold which are easily realisable and as such the risk concentration of credit risk mitigants is low]
  - Guarantees by sovereigns and well-rated corporates.

Foreign Banking Subsidiaries are adhering credit risk management practices as stipulated by the local regulators.

Quantitative Disclosures:	(Amount in ₹ crores)
(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	2,31,718.16
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	77,263.00

तालिका डीएफ-7: प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क)	*प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है, के अनुसार निम्नलिखित विवरण दिया गया है :*	
	• प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है ? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर अर्थात अन्य संस्थाओ को अंतरित किया गया है।	निरंक
	• प्रतिभूत आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह, किया जाता है (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवाप्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, नकदी प्रदाता, विनिमय प्रदाता[@], संरक्षण प्रदाता[#]) और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता @ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर / करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में नियामक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण निवेशों में ऋण और बाजार जोखिम में होने वाले परिवर्तनों (अर्थात संबंधित आस्तियों के मूल्य मे उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में दिनांक 1 जुलाई 2009 के एनसीएएफ के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में उल्लेख है)।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैक की नीति का नीचे वर्णन किया गया है;	लागू नहीं
(ख)	*प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखाकरण नीतियों का निम्नलिखित सहित सारांश निम्नानुसार है:*	
	• क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है;	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियाँ और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	• पिछली अवधि के प्रमुख पूर्वानुमान और लागू की गई पद्धतियों में परिवर्तन तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	• तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता हैं	लागू नहीं
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया	लागू नहीं
	गुणात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	*चालू अवधि के दौरान ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें*	निरंक
(च)	*एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि*	निरंक
(छ)	*(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि*	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के स्वरूप सहित) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियाँ जिन्हें लेखो में शामिल नहीं किया गया है	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	• तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	• तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण	निरंक
(ञ)	• यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग अलग और नियामक द्वारा अलग अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग अलग जोखिम भार	निरंक
	• ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाई गई ऋण-वृद्धियों की राशि तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग)।	निरंक
	गुणात्मक प्रकटीकरण : क्रय-विकय बही	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	• तुलन पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिनके संबंध में खरीद की गई है	निरंक
	• तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम। प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जिन्हें निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखा गया या जिनके लिए खरीद की गई:	निरंक
	• कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोंग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, और	निरंक
	• कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विवरण	निरंक

TABLE DF-7 : SECURITISATION EXPOSURES - DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

	Qualitative Disclosures	
(a)	*The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:*	
	• the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.	NIL
	• the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets;	NOT APPLICABLE
	• the various roles played by the bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider[@], protection provider[#]) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; [@] A bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules. [#] A bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.	NOT APPLICABLE
	• a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2009).	NOT APPLICABLE
	• a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;	NOT APPLICABLE
(b)	*Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:*	
	• whether the transactions are treated as sales or financings;	NOT APPLICABLE
	• methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	NOT APPLICABLE
	• changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	NOT APPLICABLE
	• policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets.	NOT APPLICABLE
(c)	*In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.*	NOT APPLICABLE
	Quantitative Disclosures: Banking Book	
(d)	*The total amount of exposures securitised by the bank.*	**NIL**
(e)	*For exposures securitised losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)*	NIL
(f)	*Amount of assets intended to be securitised within a year*	NIL
(g)	*Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.*	NOT APPLICABLE
(h)	The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.	NIL
(i)	Aggregate amount of:	
	• on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and	NIL
	• off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type	NIL
(j)	• Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach	NIL
	• Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	NIL
	Quantitative Disclosures: Trading Book	
(k)	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	NIL
(l)	Aggregate amount of:	
	• on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	NIL
	• off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.	NIL
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:	NIL
	• securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and	NIL
	• securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	NIL

तालिका डीएफ-7: (जारी)

(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक			
	• प्रतिभूतिकरण की निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत अपेक्षा परंतु विभिन्न जोखिम भार समूहों के अनुरूप अलग अलग प्रतिभूतिकरण आवश्यक		**राशि ₹ करोड़ में**		
		मद	**बही मूल्य**	**बाजार मूल्य**	**पूंजी पर्याप्तता**
	• टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग)	प्रतिभूति रसीदें	150.07	39.71	निरंक*

* भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 19.86 करोड़ (प्रतिभूति - रसीदों में किए गए निवेश के बाजार मूल्य का 50%) टियर I पूंजी में से घटाया गया है। शेष 50% टियर II पूंजी में से घटाया गया है।

तालिका डीएफ-8
व्यापार-बही में बाजार-जोखिम
मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशी बैंकिंग इकाइयाँ:

1) बाजार जोखिम की गणना के अंतर्गत - मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :

- 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियाँ ।
- 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों की प्रतिभूतियों की प्रतिरक्षा के लिए और व्यापार के लिए डेरीवेटिव्स निष्पादित किए गए।

2) जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक और अन्य अनुषंगियों के संबंधित बोर्डों के अनुमोदन के आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी)/मध्य कार्यालय खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध में बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है:
   क) निवेश नीति
   ख) सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट बाण्डस और ईक्विटी के लिए ट्रेडिंग नीति।
   ग) डेरीवेटिव्स ट्रेडिंग नीति
   घ) फोरेक्स ट्रेडिंग नीति
   ङ) जोखिम मूल्य नीति
   च) तनाव परीक्षण नीति
   छ) ग्राहक यथातथ्यता एवं उपयुक्तता नीति (डेरीवेटिव्स)

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

7) फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमाएं (दिन/रात), हानि नियंत्रित सीमाएं, प्रति मुद्रा व्यापार के संबंध में लाभ/हानि की उचित निगरानी रखी जाती है और अपवादात्मक सूचना पर नियमित ध्यान दिया जाता हैं।

8) विभिन्न आस्ति संविभागों के आवधिक अंतरालों पर नियमित तनाव परीक्षण और बैंक परीक्षण किए जा रहे हैं।

9) गैर-बैंकिंग अनुषंगियां अपने बाजार संबंधित परिचालनों के लिए अपने व्यवसाय क्षेत्रों के अनुरूप और अपने विनियामकों द्वारा अपेक्षित जोखिम प्रबंधन नीतियां रख रही हैं।

10) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ अपने निवेश-संविभाग की निगरानी उस देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार करती हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रित सीमा और जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गई है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूँजी अपेक्षा निम्नवत है :

विवरण		(₹ करोड़ में) **राशि**
ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	:	2,836.01
ईक्विटी स्थिति जोखिम	:	1,432.53
विदेशी विनिमय जोखिम	:	108.46
योग :		**4,377.00**

TABLE DF-7 : (CONTD....)

(n)	Aggregate amount of:	NIL			
	• the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.	**Amount - ₹ in crores**			
		Item	**Book Value**	**Market Value**	**Capital Adequacy**
	• securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Security Receipts	150.07	39.71	NIL*
*	In terms of RBI guidelines, ₹19.86 crores (being 50% of the Market Value of investment in Security Receipts) has been deducted from the Tier I capital. The remaining 50% has been deducted from Tier II capital.				

TABLE DF- 8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Disclosures for Banks using the Standardised Duration Approach

Qualitative disclosures – Domestic Banking entities:

1) The following portfolios are covered by the Standardised Duration Approach for calculation of Market Risk:
   - Securities held under the Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.
   - Derivatives trades are undertaken for hedging HFT & AFS securities as well as for trading purposes.
2) Market Risk Management Department (MRMD)/Mid-Office have been put in place based on the approval accorded by the respective Boards of Banks and other subsidiaries for Risk Management.
3) Market Risk Department is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of Risk associated with Treasury operations.
4) The following Board approved policies with defined Market Risk Management parameters for each asset class are in place:
   a) Investment Policy;
   b) Trading Policy for G-sec, Corporate Bonds and Equity;
   c) Derivative Trading Policy;
   d) Forex Trading Policy;
   e) Value-at-Risk Policy;
   f) Stress Test Policy;
   g) Customer Appropriateness and Suitability Policy (derivatives)
5) Risk monitoring is an ongoing process and risk profiles are analysed and their effectiveness reported to the Market Risk Management Committee, Risk Management Committee of the Board and Top Management at regular intervals.
6) Risk Management and Reporting is based on parameters such as Modified Duration, Price Value Basis Point (PVBP), Maximum Permissible Exposures, Net Open Position Limit, Gap Limits, Value at Risk (VaR) etc., in line with the global best practices.
7) Forex open position limits (Daylight/Overnight), Stop Loss limit, Profit/Loss in respect of Cross Currency trading are properly monitored and exception reporting is regularly carried out.
8) Regular stress testing and back testing for various asset portfolios are being done at periodical intervals.
9) Non-Banking subsidiaries for their market related operations are having risk management policies as appropriate to their business lines and as required by their regulators.
10) Overseas Banking subsidiaries are responsible for risk monitoring of their investment portfolio as per the local regulatory requirements through the Board approved Investment and Market Risk Management policies. Stop loss limit for individual investments and exposure limits for certain portfolios have been prescribed.

Quantitative disclosures:

Minimum Regulatory Capital requirements for market risk as on 31.03.2012 is as under:

(₹ in crores)

Particulars		**Amount**
Interest Rate Risk (Including Derivatives)	:	2,836.01
Equity position risk	:	1,432.53
Foreign exchange risk	:	108.46
Total :		**4,377.00**

तालिका डीएफ - 9 : परिचालन-जोखिम

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में निपटान किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियाँ लागू हैं :

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, जिसमें परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना शामिल है, बैंक में लागू है।
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी) बैंक में लागू है।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपाय बैंक में लागू हैं।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है।
- आउटसोर्सिंग नीति

  नये उत्पाद को शुरू करने से पहले उसकी पुनरीक्षा करने के लिए समग्र उत्पाद पुनरीक्षा समिति गठित की गई है।

  <u>देशी गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयाँ</u>

  गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित नीतियाँ लागू हैं। विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीति लागू है। आपदा निराकरण योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि कुछ नीतियाँ बैंक में लागू हैं।

ग. कार्यनीतियाँ और प्रक्रियाएँ :

देशी बैंकिंग इकाइयों में परिचालन जोखिमों के नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

- बैंक द्वारा एक "अनुदेशावली" जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशानिर्देश और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-सर्कुलरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- बैंक द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में सभी कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- जोखिम का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के लिए परिचालन जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का एक व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- शाखाओं से हानि करीबी मामलों सहित हानि के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक वैब आधारित टूल तैयार किया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण - परिचालन जोखिम की जानकारी बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में शामिल की गई है।
- धोखाधाड़ियों को छोड़कर बैंक द्वारा भावी परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। वे आकड़ों की वैधता के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- वेब आधारित जोखिम और नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) प्रक्रिया की देशी शाखाओं और केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्रों में शुरुआत की जा रही है, ताकि बैंक में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, नियंत्रण और न्यूनीकरण किया जा सके। भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में आरसीएसए प्रक्रिया में आकलित उच्च जोखिम परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में व्यापक परिचालन जोखिमों का विस्तृत आकलन फोकस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस फोकस ग्रुप में नियंत्रक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये ग्रुप सम्पूर्ण बैंक में कार्यान्वयन करने हेतु नियंत्रण एवं (जोखिम) कम करने के उपाय भी सुझाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए मंडलों में जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।
- व्यवसाय विघटन और प्रणाली विफलताओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, बैंक (एसबीआई) और सहयोगी बैंकों ने एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली लागू की है जिसमें नियमित अंतरालों पर योजनाओं का परीक्षण करना शामिल होता है।
- एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच (एएमए) के अंतर्गत यथा आवश्यक परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने और उसकी निगरानी करने के लिए बैंक (एसबीआई) और सहयोगी बैंक पूर्ण विकसित आंतरिक प्रणालियां शुरू करने वाले हैं।

  <u>देशी गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयाँ</u>

  प्रणाली, कार्यविधि और रिपोर्टिंग के माध्यम से पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्ट करने एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति-

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली बैंक में लागू है।
- निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी व्यवसाय इकाइयों में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए कार्य में पता लगायी गई महत्त्वपूर्ण जोखिमों और गुम हुए आंकड़ों के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- दिनांक 31.03.2012 के लिए, परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गयी है।

तालिका डीएफ-10
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की निवल ब्याज आय तथा उसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। तुलन-पत्र की स्थिति के आधार पर बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरें बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयता दोनों तरफ रहता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अत: आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याजदर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होनेवाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से ईक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। ईक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 1% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान किया जाता है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है :

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
ईक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. एसबीआई समूह के परिमाणात्मक प्रकटीकरण

क. जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	4,128.29

ख. ईक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	4,747.06

TABLE DF–9 : OPERATIONAL RISK

A. The structure and organization of Operational Risk Management function

- The Operational Risk Management Department is functioning in SBI as well as Associate Banks (ABs) as part of the Integrated Risk Governance Structure under the control of respective Chief Risk Officer.
- The operational risk related issues in other Group entities are being dealt with as per the requirements of the business model and their regulators under the overall control of Chief Risk Officers of respective entities.

B. Policies for control and mitigation of Operational Risk

The following policies are in place in SBI and ABs:

- Operational Risk Management policy, seeking to establish explicit and consistent Operational Risk Management Framework for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring, mitigation and reporting of the Operational Risks.
- Policy on Business Continuity Planning (BCP).
- Policy on Know Your Customer (KYC) Standards and Anti Money Laundering (AML) Measures.
- Policy on Fraud Risk Management.
- Outsourcing Policy.

In addition, Overall Product Vetting Committee for vetting of new products is in place.

Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities

Policies as relevant to the business model of Non-Banking entities and as per the requirements of the overseas regulators in respect of Foreign Banking subsidiaries are in place. A few of the policies in place are – Disaster Recovery Plan/ Business Continuity Plan, Incident Reporting Mechanism, Outsourcing Policy, etc.

C. Strategies and Processes

The following measures are being used to control and mitigate Operational Risks in the Domestic Banking entities:

- "Book of Instructions", which contains detailed procedural guidelines for processing various banking transactions. Amendments and modifications to update these guidelines are being carried out regularly through e-circulars. Guidelines and instructions are also propagated through Job Cards, e-Circulars, Training Programs, etc.
- Manuals and operating instructions relating to Business Process Reengineering (BPR) units.
- Delegation of Financial powers, which details sanctioning powers of various levels of officials for different types of financial transactions.
- The process of building a comprehensive database of losses due to Operational Risks has been initiated, to facilitate better risk management.
- A web-based tool for collecting loss data, including Near Misses, from Branches has been developed to facilitate better risk management.
- Training of staff - Inputs on Operational Risk is included as a part of Risk Management modules in the training programmes conducted for various categories of staff at Bank's Apex Training Institutes and Staff Learning Centers.
- Insurance cover is obtained for most of the potential operational risks excluding frauds.
- Internal Auditors are responsible for the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the control systems and the functioning of specific control procedures. They also conduct review of the systems established to ensure compliance with legal and regulatory requirements, codes of conduct and the implementation of policies and procedures. They are also responsible for validation of data.
- Web-based Risk and Control Self Assessment (RCSA) process has been rolled out for identification, assessment, control and mitigation of Operational Risks. Top risks identified in the RCSA exercises are being reported to Operational Risk Management Committee (ORMC) in SBI and ABs.
- In SBI, detailed assessment of significant Operational Risks is conducted by Focus Groups consisting of senior officials at Controlling Offices. These Groups also suggest control and mitigation measures for implementation across the Bank.
- In SBI, Risk Management Committee has been constituted in the Circles for better Operational Risk Management.
- In order to minimize the impact of business disruptions and system failures, the Bank (SBI) and ABs have robust Business Continuity Management in place, which includes testing the efficacy of the plans at regular intervals.
- The Bank (SBI) and ABs proposes to be ready with fully developed internal systems for quantifying and monitoring operational risk as required under Advanced Measurement Approach (AMA). The Bank (SBI) and ABs propose to apply for migration to AMA to RBI this year.

Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities

Adequate measures by way of systems and procedures and reporting has been put in place.

D. The scope and nature of Risk Reporting and Measurement Systems –

- A system of prompt submission of reports on Frauds is in place in all the Group entities.
- A comprehensive system of Preventive Vigilance has been established in all the Group entities.
- Significant risks thrown up in RCSA exercise and loss data are reported to Top Management at regular intervals.
- For 31.03.2012, Basic Indicator Approach with capital charge of 15% of average gross income for previous 3 years is applied for Operational Risk except Insurance Companies.

TABLE DF-10
INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

1. Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk:

Interest rate risk refers to impact in Bank's Net Interest Income and the value of its assets and liabilities arising from fluctuations in interest rate due to internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) is responsible for evolving appropriate systems and procedures for ongoing identification and analysis of Balance Sheet risks and laying down parameters for efficient management of these risks through Asset Liability Management Policy of the Bank. ALCO, therefore, periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. ALCO also develops the market risk strategy by clearly articulating the acceptable levels of exposure to specific risk types (i.e. interest rate, liquidity etc). The Risk Management Committee of the Board (RMCB) oversees the implementation of the system for ALM and reviews its functioning periodically and provide direction. It reviews various decisions taken by Asset - Liability Management Committee (ALCO) for managing interest risk.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Repricing Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis by recognizing the changes in the value of assets and liabilities by a given change in the market interest rate. The change in the value of equity (including reserves) with 1% parallel shift in interest rates for both assets and liabilities is estimated.

1.3 The following prudential limits have been fixed for monitoring of various interest risks:

Changes on account of Interest rate volatility	Maximum Impact (as % of Capital and Reserves)
Changes in Net Interest Income (with 1% change in interest rates for both assets and liabilities)	5%
Change in Market value of Equity (with 1% change in interest rates for assets and liabilities)	20%

1.4 The prudential limit aims to restrict the overall adverse impact on account of interest rate risk to the extent of 20% of capital and reserves, while part of the remaining capital and reserves serves as cushion for other risks.

2. Quantitative Disclosures for SBI Group

A. Earnings at Risk (EaR)

(₹ in crores)

Particulars	Impact on NII
Impact of 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Net Interest Income (NII)	4,128.29

B. Market Value of Equity (MVE)

(₹ in crores)

Particulars	Impact on MVE
Impact on 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Market Value of Equity (MVE)	4,747.06

डीएफ - समूह जोखिम
समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की कंपनियों के संबंध में * [विदेश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ]	
सामान्य विवरण	
कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने प्रकटीकरण से संबंधित श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है / उनका अनुपालन कर रही हैं।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में तात्कालिक नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन तात्कालिक आधार पर निष्पादित किए गए हैं चाहे उनके कारोबारी जोखिम प्रबंधन का मामला हो या प्रतिभूतियों के प्रावधान आदि का मामला हो।
साझा विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि समूह की कंपनियाँ साझे विपणन, ब्रांडिंग में एसबीआई के नाम का अव्यक्त ढंग से उपयोग कर रही हैं।
वित्तीय सहायता का ब्योरा#, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है / न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए है:

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस तात्कालिक नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

ग) समूह के भीतर अलग अलग कंपनियों की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना;

घ) पूंजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

*सम्मिलित कंपनियाँ

बैंकिंग-देश में स्थित	बैंकिंग-विदेश में स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशस)	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पी टी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
		एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा.लि.
		एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.

DF - GR
Additional Disclosures on Group Risk

Qualitative Disclosure	
In respect of Group entities * [Overseas Banking entities, Domestic Banking entities and Non-Banking entities]	
General Description on	
Corporate Governance Practices	All Group entities adhere to good Corporate Governance practices.
Disclosure Practices	All Group entities adhere to / follow good disclosure practices.
Arm's Length Policy in respect of Intra Group Transactions	All Intra-Group transactions within the State Bank Group have been effected on Arm's Length basis, both as to their commercial terms and as to matters such as provision of security.
Common marketing, branding and use of SBI's Symbol	No Group entity has made use of SBI symbol in a manner that may indicate to public that common marketing, branding implies implicit support of SBI to the Group entity.
Details of Financial Support#, if any	No Group entity has provided / received Financial Support from any other entity in the Group.
Adherence to all other covenants of Group Risk Management Policy	All covenants of the Group Risk Management Policy have meticulously been complied with by the Group entities.

Intra-group transactions which may lead to the following have been broadly treated as 'Financial Support':

a) inappropriate transfer of capital or income from one entity to the other in the Group;

b) vitiation of the Arm's Length Policy within which the Group entities are expected to operate;

c) adverse impact on the solvency, liquidity and profitability of the individual entities within the Group;

d) evasion of capital or other regulatory requirements;

e) operation of 'Cross Default Clauses' whereby a default by a related entity on an obligation (whether financial or otherwise) is deemed to trigger a default on itself.

* Entities covered

Banking–Domestic	Banking–Overseas	Non–Banking
State Bank of India	State Bank of India (California)	SBI Capital Markets Ltd.
State Bank of Bikaner & Jaipur	State Bank of India (Canada)	SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.
State Bank of Hyderabad	SBI (Mauritius) Ltd.	SBI DFHI Ltd.
State Bank of Mysore	Commercial Bank of India LLC, Moscow	SBI Funds Management Pvt. Ltd.
State Bank of Patiala	Nepal SBI Bank Ltd.	SBI General Insurance Company Ltd.
State Bank of Travancore	PT Bank SBI Indonesia	SBI Global Factors Ltd.
		SBI Life Insurance Co. Ltd.
		SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
		SBI SG Global Securities Services Pvt. Ltd.

भारतीय स्टेट बैंक
प्रॉक्सी फार्म

फोलियो क्र.: _____

डी.पी./ग्राहक आई. डी. क्र. _____

मैं / हम , _____

_____ निवासी _____

बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के _____

शेयर / शेयरों का धारक हूँ / शेयरों के धारक हैं और एतद्द्वारा _____

_____ निवासी _____ को (या उसकी

अनुपस्थिति में _____ निवासी _____को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की _____ में दिनांक _____

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे / हमारे लिए और मेरी / हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

दिनांकित _____के _____दिवस को

15 पैसे रसीदी टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो, तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसका कोई चिह्न है जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्राक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक / स्थानीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्यतारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, केन्द्रीय कार्यालय में या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा। (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बाण्ड विभाग, केंन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 को प्रॉक्सी फार्म मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

STATE BANK OF INDIA

PROXY FORM

Folio No.: _____

DP/Client-ID No. _____

I/We _____

_____

resident of _____ being(a) shareholder(s) of the State Bank of India holding (No.) _____ shares on the Register of shareholders at the Central Office of the Bank do hereby appoint _____ resident of _____ (or failing him/her _____ resident of _____) as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at a meeting of the shareholders of the State Bank of India to be held at _____ on the _____ day of _____ and at any adjournment thereof.

Dated this _____ day of _____

15 paise Revenue Stamp

No instrument of proxy shall be valid unless in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholders first named in the Register or his attorney duly authorised in writing, or in the case of a Company, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Justice of the Peace, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Government Gazetted Officer or an Officer of the State Bank of India.

A proxy, unless appointed by a Company, should be a Director of the Central Board/Member of the Local Board/Shareholder of the State Bank of India, other than an officer or employee of the State Bank of India.

No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of that power of attorney or authority certified by a Notary Public or a Magistrate, is deposited with the Central Office or other office designated from time to time by the Chairman or Managing Director in this behalf, not less than 7 clear days before the date fixed for the meeting. (In case a power of attorney is already registered with the Bank, the Folio No. and Registration No. of the power of attorney be also mentioned).

State Bank of India, Shares & Bonds Dept., Central Office, State Bank Bhavan, Madam Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021 is authorised to accept the proxy form, power of attorney or other authority.

भारतीय स्टेट बैंक

शेयरधारकों की महासभा
उपस्थिति पर्ची

दिनांक : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

फोलियो क्र : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

डी.पी / ग्राहक आई. डी. क्र: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयरधारक का पूरा नाम : _____

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे / डी.पी. के रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता: _____

_____ पिन ☐☐☐☐☐☐

कुल धारित शेयरों की संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक, मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में : ☐☐☐☐☐☐☐ से ☐☐☐☐☐☐☐ तक

क्या विनियम 31* के अनुसार मत देने का अधिकार है: हाँ / नहीं

यदि हाँ, तो मतों की संख्या जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में) :

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप से							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

सील / मोहर:

नोट:

i) भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

ii) यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारी है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

iii) वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

iv) शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभास्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे - पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

* **विनियम 31: मताधिकार का निर्धारण**

i) अधिनियम की धारा 11 में समाविष्ट प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो किसी महासभा की तिथि से तीन माह पूर्व की न्यूनतम अवधि के लिये एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत रहा है। को ऐसी सभा में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार हैं।

ii) केंद्रीय सरकार को छोड़कर, प्रत्येक शेयरधारक जिसे उपरोक्तानुसार मतदान का अधिकार है और जो कम्पनी न होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है अथवा एक कम्पनी होने की दशा में किसी विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता हैं, को हाथ उठाकर मतदान के मामले में एक मत और मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में उस सभा की तिथि से पूर्व की तीन माह की सम्पूर्ण अवधि में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार होगा ।

iii) केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिक्त प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ उठाकर मतदान के मामले में एक और मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में उस सभा की तिथि से पूर्व की तीन माह की सम्पूर्ण अवधि में धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार होगा।

STATE BANK OF INDIA

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ATTENDANCE SLIP

Date : D D M M Y Y Y Y

Folio No:

DP/Client-ID No.:

Full Name of the Shareholder : _____
(as appearing on share certificate/recorded with DP)

Registered address : _____

_____ PIN

Total number of Shares held :

Share Certificate Nos.,
(in case of physical holding) From To

Whether having voting rights in terms of Regulation 31* Yes / No
If yes number of votes to which he/she is entitled, in case of Poll by ballot.

In person as a shareholder							
As a proxy							
As a duly authorised representative							
TOTAL							

Signature Attested (Signature of Shareholder)

Name:

Designation:

Seal/Stamp:

Note:

i) The Branch Managers/Managers of Divisions of the branches of the State Bank of India (whose signatures are circulated) are authorised to attest the signature of the shareholders, on production of suitable evidence of his/her shareholding to the branch where the shareholders may be maintaining account.

ii) If the shareholder maintains account with a bank other than State Bank of India, the signature may be attested by the Branch Manager of that Bank, affixing the branch seal/stamp to evidence the attestation.

iii) Alternatively, the shareholder may have his/her signature attested by a Notary or a first class Magistrate.

iv) The signature of shareholders can also be got attested at the venue of the Meeting by the designated officers of the State Bank of India, on production of satisfactory evidence of his/her identification such as Passport/Driving Licence with photograph, Voters Identity Card or such other similar acceptable evidence.

*** Regulation 31 - Determination of Voting Rights:**

i) Subject to the provisions contained in section 11 of the Act, each shareholder who has been registered as a Shareholder for a period of not less than three months prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote for each fifty shares held by him or it.

ii) Every shareholder, other than the Central Government, entitled to vote as a foresaid who, not being a company is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative or by proxy, shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each fifty shares held by him or it for the whole period of three months prior to the date of such meeting.

iii) The duly authorized person representing the Central Government shall have one vote on a show of hands and, in case of a poll, shall have one vote for each fifty shares held by it for the whole period of three months prior to the date of such meeting.

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस)
निर्देश फॉर्म

बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट को भेजा जाए

(क्रेडिट क्लियरिंग प्रणाली के माध्यम से लाभांश का भुगतान प्राप्त करने संबंधी विकल्प देने के लिए निवेशकों हेतु फार्म)

1. **निवेशक का नाम** : _____

   पता : _____

   _____

   टेलिफोन/मोबाइल नंबर : _____

2. लैजर फोलियो संख्या : _____

3. **बैंक खाते का विवरण**

   क. बैंक का नाम : _____

   ख. शाखा का नाम : _____

   ग. बैंक द्वारा जारी एमआइसीआर चेक में प्रदर्शित बैंक और शाखा का 9-अंकों का कोड नंबर : | | | | | | | | | |

   घ. खाते का प्रकार (बचत बैंक, चालू या कैश क्रेडिट) कोड सहित (10/11/13)

   ङ. खाता संख्या (जैसे चेक बुक पर प्रदर्शित है) | | | | | | | | | | | | | | | | |

   (ध्यान दें : उपर्युक्त विवरणों का सत्यापन करने हेतु कृपया एक रद्द किया हुआ कोरा चेक या चेक की फोटोकॉपी या बचत बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी संलग्न करें)

मैं घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है. यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है या पूरा नहीं हो पाता है तो मैं भारतीय स्टेट बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी. इस योजना के अंतर्गत सहभागी के रूप में अपने दायित्व को निभाने के लिए मैं सहमत हूँ.

दिनांक : (.....)

स्थान : प्रथम/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक कृपया नोट करें कि :

एनईसीएस सुविधा प्राप्त करने के लिए कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास कोर बैंक खाता संख्या और अपने बैंक / अपनी शाखा का 9 अंकों वाला एमआईसीआर कोड अद्यतन करें

National Electronic Clearing Service (NECS)

Mandate Form

To be sent to the Registrar & Transfer Agents of the Bank

(Investor's option to receive dividend payment through Credit Clearing Mechanism)

1. **Investor's name** : _____

   Address : _____

   _____

   Telephone / Mobile No. : _____

2. Ledger folio number : _____

3. **Particulars of Bank account**

   A. Name of the Bank : _____

   B. Name of the Branch : _____

   C . 9-Digit code number of the bank and branch as appearing on the MICR cheque issued by the bank : | | | | | | | | | |

   D. Type of the account (S.B., Current or Cash Credit) with code (10/11/13)

   E. Account number (as appearing on the cheque book) | | | | | | | | | | | | | | | |

   (IMP: Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque or front page of your savings bank passbook issued by your bank for verification of the above particulars)

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold State Bank of India responsible. I agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the scheme.

Date : (.....)

Place: Signature of the first / sole Holder

Shareholder(s) holding shares in Electronic Form may please note that:-
To avail the NECS facility, please update Core Bank account number and 9 digits MICR Code of your Bank/branch with your Depository Participant (DP).

शेयरधारकों से एक अनुरोध
कारपोरेट गवर्नेंस में ग्रीन पहल: इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट

कारपोरेट गवर्नेंस में ग्रीन पहल के एक भाग के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक अपने शेयर धारकों को उनके संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) खातों में या रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट के पास पंजीकृत उनके ई-मेल पतों पर इलेक्ट्रानिक स्वरूप में बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु उन्हें एक विकल्प देना चाहता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस महान पहल में हमें अपना सहयोग दें और इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सहमति प्रदान करें।

आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए प्ररूप में अपनी सहमति सीधे हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट (आरटीए), मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंसियल सर्विसेस लि., यूनिट: भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट नं. बी-5, एमआईडीसी, पार्ट बी, क्रास लेन, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093, टेली. नं. 022-66712198/2201-2203 को भेज दें या **sbigreenar@dfssl.com** पर ई-मेल के द्वारा सूचित कर दें। कागजी स्वरूप में शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक अपना ई-मेल पता तुरंत आरटीए को सूचित कर दें तथा डिमेट स्वरूप में शेयरधारिता रखने वाले शेयर धारक डीपी (एनएसडीएल या सीडीएसएल) के पास पंजीकृत अपने ई-मेल पते को अद्यतन कर लें।

प्रिय महोदय,

भारतीय स्टेट बैंक: इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए शेयरधारक की सहमति

मैं एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित मेरे ई-मेल पते पर बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को वित्त वर्ष 2012-13 से और उसके बाद इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

नाम: _____ ई-मेल पता: _____

डीपीआईडी और ग्राहक आईडी / फोलियो नंबर

स्थान : (हस्ताक्षर)

दिनांक : **शेयरधारक का नाम एवं पता**

हम यह भी सूचित करते हैं कि बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके तुरंत संदर्भ के लिए बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com पर कारपोरेट गवर्नेंस लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध रहेगी । बैंक के शेयरधारक हमेशा बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की एक मुद्रित प्रति नि:शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं। हम अपने शेयरधारकों से यह अपील करते हैं कि वे वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्राप्त करने का विकल्प अपनाएं।

KIND ATTENTION OF SHAREHOLDERS
Green Initiative in Corporate Governance: Annual Report in Electronic Form

As a part of the 'Green initiative in the Corporate Governance', State Bank of India proposes to give an option to our shareholders to receive the Bank's Annual Report in electronic form at their e-mail addresses registered with their respective Depository Participant (DP) accounts or with Registrar & Transfer Agent. We request you to join us in this noble initiative and look forward to your consent to receive the annual report in electronic form.

You are requested to send your consent in the format, given below directly to our RTA, Datamatics Financial Services Ltd., Unit: State Bank of India, Plot No. B-5, MIDC, Part B, Cross Lane, Marol, Andheri (E), Mumbai-400 093 . Tel. Nos 022-66712198/ 2201-2203. or through e-mail to **sbigreenar@dfssl.com**. Shareholders holding their shares in physical form may promptly advise their e-mail address to RTA, while as the shareholders holding shares in Demat form may update their e-mail address with the DP (NSDL or CDSL).

Dear Sir,

State Bank of India : Consent of shareholder to receive Annual Report in Electronic Form

I hereby give my consent to receive the Bank's Annual Report from the FY 2012-13 onwards in electronic form at my undernoted e-mail address.

Name: _____ E-mail address _____

DP ID & Client ID/ Folio no. .....

Place (Signature)

Date **Name & address of shareholder.**

Please be informed that the Annual Report will also be available on the Bank's website www.sbi.co.in & www.statebankofindia.com under link "Corporate Governance", for your ready reference. The shareholders of the Bank are always entitled to receive, free of cost, a printed copy of the Annual Report of the Bank.

We appeal to our shareholders to opt for receiving Annual Report in electronic form.

शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु
कागज़ रूप में शेयरधारिता

आपके पास कागज़ रूप में रखे हुए शेयरों को आसानी से कागज़ रहित (डीमैटीरियलाइज) रूप में रखा जा सकता है अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। शेयरों को कागज़ रहित रूप में रखने (डीमैटीरियलाइजेशन) से आपको निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:-

1. प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण;
2. प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं;
3. कागज़ के प्रमाणपत्रों के रूप में रखने के अनेक जोखिम भी होते हैं जैसे गलत हाथों लग जाना, जाली प्रतिभूतियाँ आदि से छुटकारा;
4. प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में होनेवाली कागज़ी कार्रवाई में कमी;
5. लेनदेन की लागत में कमी;
6. नामांकन सुविधा;
7. डीपी में अभिलिखित पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों में पते का परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो जाता है जिन कंपनियों के शेयर शेयरधारक के पास हैं और इस प्रकार उनसे अलग-अलग पत्रव्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहती;
8. प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है जिसके कारण कंपनियों से पत्राचार नहीं करना पड़ता;
9. फोलियो/खातों के समेकन की सुविधाजनक पद्धति;
10. ईक्विटी, उधार लिखत और सरकारी प्रतिभूतियों में एक ही खाते में निवेश रखे जा सकते हैं;
11. विभाजन/समेकन/विलय के कारण मिलने वाले शेयर डीमैट खाते में स्वत: जमा हो जाते हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि :

क) डीमेट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपाजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) में संपर्क करें.

ख) अपने शेयरों के डीमैटीरियलाइजेशन के लिए डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरएफ) भरकर संबंधित शेयर प्रमाणपत्र अपने डीपी को सौंप दें।

शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित होकर स्वत: आपके डीमैट खाते में जमा हो जाएंगे।

KIND ATTENTION OF SHAREHOLDERS
HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM

The Shares held by you in physical form can be easily dematerialized i.e converted into electronic form. The various benefits derived out of dematerialization of shares are :-

1. Immediate transfer of securities;
2. No stamp duty on transfer of securities;
3. Elimination of risks associated with physical certificates such as bad delivery, fake securities, etc.;
4. Reduction in paperwork involved in transfer of securities;
5. Reduction in transaction cost;
6. Nomination facility;
7. Change in address recorded with DP gets registered electronically with all companies in which investor holds securities eliminating the need to correspond with each of them separately;
8. Transmission of securities is done by DP eliminating correspondence with companies;
9. Convenient method of consolidation of folios/accounts;
10. Holding investments in equity, debt instruments and Government securities in a single account;
11. Automatic credit into demat account, of shares, arising out of split/consolidation/ merger;

You are, therefore, requested to:

a) Approach any Depository Participant (DP) of your choice for opening a Demat account.

b) Fill in a Demat Request Form (DRF) and handover the relative shares certificate(s) to your DP for Dematerialisation of your shares.

Shares will get converted into electronic form and automatically credited to your Demat Account.

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
हर भारतीय का बैंक
THE BANKER TO EVERY INDIAN

बैंक की वेबसाइट का पता
Visit the Bank's website at
जारीकर्ता: भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड,
नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021.
इन्फोमीडिया 18 लि. द्वारा मुद्रित

www.sbi.co.in
www.statebankofindia.com
Issued by the State Bank of India,
Corporate Centre, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road, Nariman Point,
Mumbai - 400021.
Printed at Infomedia 18 Ltd.

State Bank Staff College

50

Learning Without Limits

GOLDEN JUBILEE

1961 - 2011

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, भारत

State Bank of India

State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai 400 021, India